राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 36 वां दिवस [संख्या 25

शुक्रवार,

दिनांक 23 मार्च, 1973.

विधान सभा की बैठक म० पू० 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सहकारिता, राजस्व, सिंचाई, विद्युत, सामुदायिक विकास, सार्वजनिक निर्माण, पंचायत, वन एवं विधि विभाग)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

प्रश्न संख्या 706

श्री हरालाल मीणा।
(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्रीमती समुद्र कंवर।

दयालपुरा-मदड़ी सड़क पर डामर का कार्य

707. **श्रीमती समुद्र कंवर (आहोर)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि गांव दयालपुरा व मदड़ी तहसील आहोर की मेटल रोड पर डामर नहीं होने के कारण जगह जगह से टूट गई है? यदि हां, तो इस पर कब तक डामर करवा दिया जायेगा?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): सड़क की दशा साधारण है। डामर कार्य स्वीकृत नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: यह स्वीकृत करना वाजिब समझेंगे क्या?

श्री हरिदेव जोशी: विचार कर लेंगे।

प्रश्न संख्या 708

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र भारतीया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट। श्री रामसिंह कुड़ी।

Page No 2

नागौर जिले की सहकारी समितियों एवं संस्थानों पर प्रशासकीय नियंत्रण

709. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नागौर जिले की सहकारी समितियों एवं सहकारी संस्थानों को उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, बीकानेर खण्ड के प्रशासनिक नियन्त्रण में कब से दिया गया एवं ऐसा निर्णय करने के क्या क्या आधार थे?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर खण्ड में इस जिले को रखने के कारण इस जिले की सहकारी समितियों के नियन्त्रण में शिथिलता आई है एवं सहकारी आन्दोलन को भारी धक्का लगा है?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह) : (1) नागौर जिले की सहकारी संस्थाओं को बीकानेर खण्ड के प्रशासनिक नियन्त्रण में अक्टूबर 67 से दिया गया। ऐसा करने का कारण यह था कि नागौर जिला बीकानेर खण्ड से जोधपुर की अपेक्षा अधिक निकट था एवं बीकानेर के उप-रजिस्ट्रार के पास केवल 3 जिले थे जब कि जोधपुर खण्ड के उप-रजिस्ट्रार के पास उस समय सात जिले थे।

(2) जी नहीं।

श्री रामसिंह कुड़ी : नागौर जिला बीकानेर से अधिक नजदीक है यह कहां तक सत्य है?

श्री जुझारसिंह : चूरू से लगा हुआ है। फिर फासला जोधपुर के मुकाबले बीकानेर में कम है।

श्री रामसिंह कुड़ी : ऐसा नहीं है। नागौर जिला अजमेर पाली से लगा है। फिर बीकानेर में जाने के बाद इस काम में कमी आई है?

श्री जुझारसिंह : बीकानेर में जाने के बाद सहकारी समितियों की संख्या में ही वृद्धि नहीं हुई है बल्कि लोनिंग में भी तरक्की हुई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : फिर तो इसे अजमेर भेज देते तो और भी अच्छा था। वह और नजदीक है।

श्री रामसिंह कुड़ी : नियन्त्रण में शिथिलता आई है यह मानते हैं या नहीं?

श्री जुझारसिंह : जी नहीं, मैं नहीं मानता।

प्रश्न संख्या 710

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मीठालाल।

इन्सपेक्टर लैण्ड रेकार्ड के प्रमोशन

711. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : एवं **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सच है कि इन्सपेक्टर लैण्ड रेकार्ड के प्रमोशन सीनियोरिटी से नहीं किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक सीनियोरिटी से प्रमोशन कर दिये जावेंगे?

Page No 3

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : यह सच नहीं है कि इन्सपेक्टर लैण्ड रिकार्ड के प्रमोशन सीनियोरिटी से नहीं किये गये।

श्री मीठालाल : तो सत्य क्या है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सीनियोरिटी से किये गये हैं।

श्री मीठालाल : इस मामले में आपको कितने कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आपने उन पर क्या निर्णय लिया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से सवाल है। 69 में पहली लिस्ट बनी थी सीनियोरिटी की। इसके बाद 72 में। इस पर लोगों के रिप्रेजेन्टेशन मांगे थे जो आ गये हैं। अब इनकी छानबीन करके सारे रिप्रेजेन्टेशन को देखकर लिस्ट फाइनली तय करके निकाल दी जावेगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : आम तौर पर लोगों को इस बारे में शिकायत है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वाजिब होगी तो ठीक कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

प्रश्न संख्या 712

भीलवाड़ा जिले के सीमान्त कृषक

712. **श्री विजय सिंह** (मांडल) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में सीमान्त कृषक रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिये उपलब्ध धनराशि का उपयोग हो जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) भीलवाड़ा जिले के कौन कौन पंचायत समिति क्षेत्र में सीमान्त कृषक रोजगार योजना चालू है एवं उन क्षेत्रों में कहां-कहां, कितनी-कितनी धनराशि व्यय की जानी थी जिसमें से कितनी-कितनी धन राशि व्यय की जा चुकी है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) माण्डल पंचायत समिति क्षेत्र के कौन-कौन से निर्माण कार्यों के लिये इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है उसमें से कौन-कौन से कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है?

श्री हरिदेव जोशी : यह प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, चूंकि कृषि मंत्री से सम्बन्धित है। वे अपनी टर्न पर इसका जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड। नेक्स्ट।

कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि०, अजमेर

713. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर [श्री निरजननाथ आचार्य (मावली) की अनुपस्थिति में] : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अजमेर कब स्थापित हुआ था और यह घाटे के कारण कब बन्द किया गया?

(2) क्या रजिस्ट्रार सहकारी विभाग ने कोई कार्यवाही इसके निर्देशक मंडल के सदस्य के विरुद्ध की है? इस बैंक के घाटे में आने पर

Page No 4

(श्री गिरधारीलाल भार्गव) क्या किसी लिक्वीडेटर की नियुक्ति भी की थी? यदि हां, तो इसका मुख्य कार्यालय कहां रखा गया था?

(3) सन् 1963 के बाद लिक्वीडेटर के पद पर कौन कार्य कर रहा है? उपरोक्त मामले की इस समय क्या स्थिति है, और पंजीयक महोदय, इस मामले को सुलझाने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं और यदि कार्यवाही अभी नहीं हुई है तो इस देरी के लिये कौन जिम्मेदार है?

राज्य मंत्री सहकारिता (श्री जुझार सिंह): (1) कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अजमेर का पंजीयन 24-10-1935 को हुआ था। उक्त बैंक में गबन हो जाने के कारण दिनांक 14-8-58 को इसे अवसायन में लाया गया।

(2) जी हां। लिक्वीडेटर का कार्यालय अजमेर में था।

(3) सन् 1963 से 19-9-68 तक श्री सी० एस० ओझा तत्कालीन निरीक्षक सहकारी समितियां, अजमेर। 20-9-68 से श्री एस० एन० जोशी।

रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा दिये गये सरचार्ज के आदेशों की अपील की गई व अपील में 18 केस रिमाण्ड हो गये। एक केस में हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के आदेशों के विरुद्ध रिट याचिका प्रस्तुत की गई जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पी. के. चौधरी।

हरिजनों तथा अनुसूचित जन जातियों की बस्तियों में विद्युत की व्यवस्था

714. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में 1972-73 में किन किन हरिजनों तथा अनुसूचित जन जातियों की बस्तियों के लिए विद्युतिकरण की योजना मंजूर की गई तथा इनमें से किन किन बस्तियों में विद्युतिकरण हो चुका है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : स्वीकृत बस्तियों की सूची संलग्न है। सूची में तारांकित बस्तियों का विद्युतिकरण किया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री पी. के. चौधरी : इस संबंध में जब कभी पूछते हैं तो बता दिया जाता है कि कागज अधूरे हैं इसलिये बिजली नहीं मिलती है। मैं कम से कम यह जानना चाहूंगा कि ये कागज अधूरे न रहने पायें। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? गांव के सरपंच की है, समाज कल्याण विभाग की है या किसकी है? कागज कम्पलीट कौन करावेगा?

श्री हरिदेव जोशी : दोनों ही तरह से है। पर ज्यादा जिम्मेदारी बोर्ड की है।

श्री मीठालाल : सदन में भूतपूर्व मंत्रीजी शिवचरणजी माथुर ने वादा किया था कि जब कभी भी गांवों में, विद्युतिकरण किया जावेगा तो हरिजन मोहल्लों में प्राथमिकता दी जावेगी, नगरपालिकाओं में भी तरजीह

Page No 5

(श्री मिठालाल)

दी जावेगी और गांवों में तो जब तक हरिजन मोहल्लों में बिजली नहीं लगेगी तब तक वह गांव इलेक्ट्रिफाइड नहीं माना जावेगा। इस तरह की स्पष्ट घोषणा के बाद मैं जानना चाहूंगा कि इसमें कितनी प्रगति हुई है? इन दो सालों में कितने गांवों में कितना विद्युतिकरण हुआ और हरिजन मोहल्लों में कितना हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे पता नहीं कि मेरे प्रेडिसेसर ने क्या कहा था। उस समय मैं सदन में उपस्थित हूं या न होऊं यह भी नहीं कह सकता ।

आम तौर पर इलेक्ट्रिफिकेशन गांवों में एग्रीकल्चर परपज के लिये किया जाता है और इसके किये जाने पर गांवों में बिजली आई है, नहीं तो आज स्थिति बिलकुल भिन्न प्रकार की हो जाती । कस्बों में नहीं आई हो तो इसके लिये हालत दूसरी होती है। किन्तु गांवों में जाती है तब फिर प्रायोरिटी हरिजन बस्तियों को देनी चाहिये। किन्तु एक स्थिति और बन गई है। पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कुछ अलग खर्च करता था। अब वह बन्द कर दिया। बोर्ड अब हर साल 25 लाख प्रोवाइड कर देता है। अब यह सब जगह के लिये काफी है क्या यह देखना है। मैं इसकी गहराई में जा रहा हूं और प्रयत्न यह कर रहा हूं कि जो गांव विद्युतिकृत हो गये हैं उनमें तो एक बार सारी चीजें कम्पलीट कर दी जावें।

श्री मीठालाल : जो करते भी हैं उसमें भी भेदभाव बरता जाता है। किसी जिले में ज्यादा करते हैं और किसी में कम करते हैं। जयपुर के पूर्व दक्षिण में केवल एक बस्ती में किया है, सवाई माधोपुर में जब कि दूसरे जिलों में किसी में 25.25 में भी किया है। मंडावरा में ट्रान्सफोर्मर भी लगा है जो हरिजन बस्ती के बीच में है। मंडावरा में बिजली दी गई है पर हरिजन बस्ती में नहीं है। तो क्या आप वहां बिजली देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : देखूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपके प्रेडिसेसर ने जो सदन में घोषणा की उस पर तेजी से अमल किया जावेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपने उत्तर में फरमाया कि मैं था या नहीं। पर यह आप भी मानते हैं कि पहले प्राथमिकता हरिजन बस्तियों और जनजातियों के मोहल्लों या बस्तियों को दी जावेगी। क्या इस घोषणा पर आप भी कायम हैं या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय पी. के. चौधरी के प्रश्न के उत्तर में मैं सारी बात स्पष्ट कर चुका हूं। मैं समझता हूं कि इसके बाद और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

श्री जयकिशनलाल (तोसावड़ा) : किन किन गांवों तक पहुंचाई गई है यह योजना ?

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री भरतलाल ।

सींगटोली बांध ।

715. **श्री भरतलाल** (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि उत्तरी सागर उर्फ सींगटोली बांध सवाईमाधोपुर डिवीजन में बनाने का सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक सरकार इस योजना को अपने हाथ में लेकर प्रारम्भ करवा देगी ? यदि नहीं, तो किन-किन कारणों से इस योजना को खटाई में डाल रखा है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : उत्तरी सागर उर्फ सींगटोली बांध का सर्वेक्षण हो चुका है । आवश्यक स्वीकृति और धन राशि की उपलब्धि पर इस काम को कराया जा सकेगा ।

श्री भरतलाल : आवश्यक धनराशि कब तक उपलब्ध हो जावेगी ?

श्री मूलचन्द : खर्चे का एस्टीमेट बनाया जा रहा है । सर्वे हो चुका है ।

श्री भरतलाल : कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री मूलचन्द : एस्टीमेट के बाद पता लगेगा इसका ।

श्री मीठालाल : धनराशि ही तय नहीं है तो उपलब्धि की बात कहां आती है ?

श्री मूलचन्द : मैंने यही कहा है कि आवश्यक स्वीकृति और धनराशि की उपलब्धि होने पर । इसमें आवश्यक स्वीकृति शब्द भी है । स्वीकृति एस्टीमेट बन जाने के पश्चात् होती है ।

श्री मीठालाल : आवश्यक स्वीकृति की भी कमी है । स्वीकृति कहां हुई है ? वह तो कर लीजिये ।

श्री मूलचन्द : यह ऐसी स्थिति है, अध्यक्ष महोदय जहां दो बान्धों को एक में मिलाने की योजना चल रही है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवर मल ।

सीकर जिले में पंचों, सरपंचों तथा प्रधानों आदि के रिक्त स्थान

716. **श्री सांवरमल मोर** (श्री माधोपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में काफी स्थान पंचों, सरपंचों व प्रधानों के रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इन रिक्त स्थानों के चुनाव राज्य सरकार कब तक सम्पन्न करवा सकेगी ? नियम तिथि बताने का कष्ट करें ।

पंचायत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जिन स्थानों पर सरपंच और उप-सरपंच प्रधान और उप-प्रधान तथा प्रमुख और उप-प्रमुख दोनों ही नहीं हैं, वहां चुनाव शीघ्र करवाने के लिये चुनाव विभाग को लिख दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

Page No 7

श्री सांवर मल मोर : माननीय अध्यक्ष जी, जो सूची मुझे दी गई है वह सही नहीं है। कई स्थान रिक्त पड़े हैं और इसमें कम लिखें हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आप मुझे करेक्ट करवा दीजिये।

एक माननीय सदस्य : जहां एक स्थान रिक्त होगा वहां क्या होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : इस सम्बन्ध में जब डिमान्ड आई थी, यह एक गवर्नमेंट डिसिजन हो गया, उसको इम्पलीमेंट करवाया जायगा।

श्री सांवर मल मोर : आप इस सम्बन्ध में कोई तिथि बता सकते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय चुनाव मंत्री जी से तय करके जल्दी ही तारीख तय करूंगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जहां दोनों स्थान रिक्त हैं वहां · · ·

श्री हरिदेव जोशी : कोई भी केयर लेने वाला नहीं है, वहां चुनाव करवा दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

मोती सागर बान्ध।

717. **श्री चतुर्भुज** (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ग्राम नानेर, तहसील टौंक में मोती सागर बान्ध बंधाने की योजना रखती है ? यदि हां, तो इस बान्ध की लागत क्या होगी तथा इस बान्ध से कितनी भूमि सिंचित होगी ?

(2) क्या यह सही है कि मोती सागर बान्ध से सिंचित की जाने वाली भूमि पहले से ही टोरड़ी सागर से सिंचित होती आ रही है ?

राज्यमंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) :

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री चतुर्भुज : मेरा प्रश्न मोती सागर बान्ध बनाने का है। उस बान्ध की कीमत और कितने एकड़ सिंचाई होगी, इसकी मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, जहां मोती सागर बान्ध बनाने की योजना का सवाल है अभी कोई विचाराधीन नहीं है। दूसरे माननीय सदस्य की मंशा यह थी कि टोरडी सागर बांध से जो भूमि सिंचित होती है उसमें मोतीपुरा की जमीन का है। सवाल उससे सम्बन्धित है। मोतीपुरा के नाम से मोती सागर बान्ध आप कह रहे हैं। यह सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री चतुर्भुज : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उस मोती सागर बान्ध में दो लाख रुपया खर्च हो चुका। दो लाख गवर्नमेंट का बिगड़ चुका है और यह योजना बिलकुल बेकार बताई जा रही है · · · · · ·

प्रश्न सं० 718

श्री अध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

श्री हनुमान सहाय।

ढाणी जयसिंहपुरा में पानी के भराव की समस्या

719. **श्री हनुमान सहाय** (बैराठ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बैराठ तहसील के ग्राम ढाणी जयसिंहपुरा में वर्ष 1971-72 एवं 1972-73 में खेतों एवं कुओं में बरसात के पानी से फसलें नष्ट हो गई एवं पानी भरा रहा, और इस पानी को खाली किये जाने हेतु अनेकों निवेदन किये गये जिस पर सिंचाई विभाग ने एस्टीमेट तैयार किये परन्तु आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं हुआ? यदि हां, तो सरकार क्या आगामी बरसात से पूर्व इस समस्या का हल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्यमंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : जी हां, सिंचाई विभाग द्वारा इस क्षेत्र का पानी निकालने के लिये 23,300 रुपये का तखमीना बनाकर जिलाधीश जयपुर को भेजा गया है। स्वीकृति आने पर व आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर कार्य करा दिया जायेगा।

श्री हनुमान सहाय : कितने का एस्टीमेट बना है साहब?

श्री मूलचन्द : 2 लाख 38 हजार 300।

श्री हनुमान सहाय : यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा? यह सूचना गलत है और कोई एस्टीमेट है?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : यह पढ़ने में ऐसा हो गया है। 23,300 रुपये हैं।

श्री हनुमान सहाय : अध्यक्ष महोदय, गांव के गांव बरबाद हो रहे हैं। राज्य सरकार ने कलेक्टर को आदेश दिये हैं फिर भी दो वर्ष तक व्यवस्था नहीं हुई है। सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : खेतों से पानी निकालने का काम सिंचाई विभाग का नहीं है, लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा है। इसलिए तखमीना बना कर दिया है।

श्री हनुमान सहाय : कौन से फन्ड से देंगे?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सिंचाई विभाग खेतों का पानी नहीं निकालता है। तखमीना बनाकर कलेक्टर को भेज दिया। वे धनराशि प्रोवाइड करा देंगे तो हम ठीक करा देंगे।

श्री हनुमान सहाय : उन कुओं से गांव में पानी भरता है। सितोली का बान्ध है, उससे पानी भरता है। इसलिये पुनः जांच करावें। लोगों के घर डूब गये हैं। काश्तकार खेती नहीं कर पा रहे हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वसूली करता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

मुकन्दगढ़- बिसाऊ सड़क

720. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुकन्दगढ़ से मण्डावा, चूड़ी और अजीतगढ़ होती हुई बिसाऊ तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ था?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त योजना की समाप्ति के पश्चात् वर्ष 1972-73 तक भी उक्त निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है?

Page No 9

(श्री रामनारायण चौधरी)

(3) क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण कार्य को अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक चालू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) मण्डावा बिसाऊ मार्ग राहत कार्यों में स्वीकृत है। यह कार्य प्रगति पर है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुखलाल।

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति

श्री सुखलाल सेणचा (जैतारण) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितनी क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं ? इन समितियों में ऐसे कौन कौन से विभागीय निरीक्षक हैं जो गत दस वर्षों की अवधि से भी अधिक व्यवस्थापक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर बने चले आ रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समय समय पर राज्य सरकार ने नियमों के अन्तर्गत बढ़ाई है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त निरीक्षक अगर नियमों के विरुद्ध व्यवस्थापक के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं तो राज्य सरकार इन्हें कब तक हटाने का विचार रख रही है ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह) : (1) राज्य में 30-6-72 को 137 प्राथमिक क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं। इन समितियों में गत दस वर्षों की अवधि से भी अधिक सिर्फ श्री के० के० नागपाल निरीक्षक (कार्यकारी), रायपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि० में व्यवस्थापक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(3) इनकी वर्तमान अवधि 5-4-73 को समाप्त होगी। इन्हें प्रतिनियुक्ति से वापिस लेने की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री सुखलाल सेणचा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि श्री के० के० नागपाल को इतनी लम्बी अवधि तक और बीच में ट्रान्सफर होने के बाद में भी राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर क्यों रख छोड़ा है ?

श्री जुझारसिंह : बोर्ड की डिमान्ड पर है।

श्री सुखलाल सेणचा : यह नियमों के विपरीत है।

श्री जुझारसिंह : आप ट्रान्सफर चाहते हैं तो इनकी टर्म 5-4-73 को समाप्त हो रही है। इसके बाद इनको नहीं रखेंगे।

श्री सुखलाल सेणचा : प्रति नियुक्ति का टाइम को आगे नहीं बढ़ाया जायगा ?

श्री जुझारसिंह : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बाड़मेर - जोधपुर सड़क

722. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर नगर से जोधपुर पहुंचने का सीधा और नजदीक रूट कौन सा है ?

(2) उक्त रूट पर कितने मील में डामर सड़क बनी हुई है और कितनी अधूरी है ?

(3) क्या सरकार सड़क के महत्व को देखते हुये उक्त सड़क का अधूरा कार्य इस साल सम्पन्न करा देगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) बाड़मेर से बायतू, बागुन्डी, पचपदरा होता हुआ जोधपुर का सीधा नजदीक रूट है।

(2) बागुन्डी से पचपदरा मार्ग को छोड़कर शेष मार्ग डामर रोड़ है।

(3) अर्थाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय यह जो सड़क है वहुत ही बाड़मेर जिले की महत्वपूर्ण सड़क है ...

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा है विचाराधीन है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप विचाराधीन तो 4 साल, 5 साल, 6 साल तक रख सकते हैं। हम इतना इन्तजार नहीं कर सकते हैं...

श्री हरिदेव जोशी : अगली साल काम शुरू करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शिव नारायण।

पार्वती तथा परवन नदियों पर लगाये गये पम्पिग सेट्स

723. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सिंचाई विभाग द्वारा पार्वती और परवन नदियों पर तहसील बारां में मझारावता, तेजगढ़, सहायगढ़, तुलसों पर सिंचाई के लिये डीजल पम्प सेट लगाये गये थे ?

(2) क्या यह सत्य है कि सिंचाई विभाग द्वारा इन डीजल पम्प सेट्स को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा इन क्षेत्रों में सिंचाई की क्या आल्टरनेटिव व्यवस्था करने की योजना है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) :

(1) जी हां।

(2) जी हां। कुछ काश्तकार सरकार द्वारा निर्धारित पानी की दरों पर भी लिफ्ट योजनाओं से पानी लेने को तैयार नहीं थे इस कारण योजनायें बहुत अधिक घाटे में चलती थीं और उन्हें बन्द करना पड़ा। जहां काश्तकारों ने फिर से इन्हें चलाने की प्रार्थना की वहां योजनाओं को फिर से चला दिया गया।

श्री शिवनारायण : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो नदियां पार्वती और परवन हैं उनमें अथाह पानी भरा हुआ है। जो आपकी लिफ्ट सिंचाई की स्कीम थी उस वजह से बन्द हुई है। और इसके नजदीक जो बिजली लाइनें हैं 1-1, 2-2 मील से निकली हुई हैं। जल्दी से जल्दी इन गांवों में मोटरें लगा दी जायं और वे कब तक लगा दी जायगीं ?

Page No 11

श्री अध्यक्ष : श्री विद्यासागर

डूंगरपुर-रतनपुर तथा उदयपुर-डूंगरपुर रूटों पर चलने वाली बसें

724\. **श्री विद्यासागर** (वेरवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर-रतनपुर तथा उदयपुर-डूंगरपुर रूट पर प्राइवेट बस मालिकों को व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अलग अलग से परमिट दे रखे हैं ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को कब-कब व कितने दिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि डूंगरपुर-उदयपुर, डूंगरपुर-रतनपुर तथा उदयपुर-रतनपुर बस रूट पर गुजरात सरकार के मुकाबले हमारी बसों की संख्या कम है ? यदि हां, तो बोर्डर पर गुजरात की कितनी बसें आती हैं व राजस्थान की डूंगरपुर तथा उदयपुर से कितनी बसें आती जाती ह। संख्या दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) गुजरात राज्य की बसों की संख्या की जानकारी राजस्थान सरकार को नहीं है क्योंकि रतनपुर तक उधर से उन्हीं का क्षेत्र है। राजस्थान के बसों की संख्या 17 है जिन्हें सूची में अंकित कर दिया गया है तथा ये जरूरत के लिये पर्याप्त हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री विद्यासागर : क्या सरकार यह मानती है कि इस रूट पर बसों की संख्या कम है गुजरात के मुकाबले ? वहां 33 चलती हैं और अपने यहां 17 चल रही हैं।

श्री हरिदेव जोशी : रूट का फिर से सर्वे करा लिया जायगा और बढ़ाने की जरूरत होगी तो बढ़ा दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर तहसील में लघु सिंचाई बान्धों के नीचे आई भूमि का काश्तकारों को मुआवजा

725\. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में कई लघु सिंचाई बान्ध काश्तकारों की खातेदारी की भूमि में बनवाये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि काश्तकारों की बंधों के नीचे आई हुई भूमि का मुआवजा अभी तक काश्तकारों को नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों तथा अब काश्तकारों को मुआवजा कब तक दिया जा सकेगा ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि बंधों के नीचे आई हुई खातेदारी की जमीन का राजस्व लगान भी अभी तक कम नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कहां कहां कम लिया गया है ? अब वह लगान कब तक कम कर दिया जावेगा ?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) :

(1) जी हां।

Page No 12

(श्री मूलचन्द)

(2) जी हां, लगभग ये सारे ही कार्य पहले अकाल राहत कार्यक्रम के अन्दर आरम्भ किये गये थे, जिसमें भूमि का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था। अब भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जारी है। नियमानुसार कार्यवाही पूरी होते ही मुआवजा दे दिया जावेगा।

(3) भूमि अवाप्ति को कार्यवाही पूरी होने पर रेवेन्यू रेकार्ड ठीक करके भूमि राजस्व कम कर दिया जावेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह भूमि तो आलरेडी बंध के नीचे आ गयी। लगान कम करने के लिए तो लिखा तो, उसमें मुआवजा जब तक इश्यू होगा तब तक लगान ही लगता रहे? अध्यक्ष महोदय, जमीन उसके नीचे आई हुई है तो लगान कम हो जाना चाहिए।

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : यह काम अकाल राहत में शुरू किया गया था और उसमें कम्पन्सेशन देने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए अब उसको डी० पी० ए० पी० में लेकर इस कार्य को करा रहे हैं और उसकी एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स भी करीब करीब खतम हो चुकी है और जो लगान लगता था वह भी अब नहीं लगायेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ऐसे लम्बे अर्से तक लगान लगता रहता है और इसी में झगड़े होते हैं। वास्तव में जब जमीन काश्तकार की बंध के नीचे आ जाती है तो इमीडियेटली लगान तो कम कर देना चाहिए। यह तो आदेश होने ही चाहिए। पहले भी सरकुलर्स निकले हैं लेकिन उनकी पालना नहीं होती।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसा है कि बैड कल्टीवेशन नहीं है तब तो लगान नहीं लेंगे। हमेशा ही पानी से ढका रहेगा तो लगान वाजिब नहीं है। बंधों के नीचे की जमीन का लगान हम अब बन्द कर देंगे।

श्री मीठालाल : यह सांचोर का ही मामला नहीं है। हमारी तहसील का भी है। इसके लिए पहले भी निवेदन किया जा चुका है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जहां जहां भी ऐसे बंध हैं जिनके नीचे भूमि आ गयी है और सूखते नहीं हैं उनका लगान हम बन्द कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल।

ग्राम रूपपुरा की कृषि योग्य भूमि

72. **श्री भैरूंलाल** (अकलेरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील अकलेरा के ग्राम रूपपुरा (वीरान) में 1398/3 बीघा कृषियोग्य भूमि वन विभाग के अधिकार में है? यदि हां, तो इस कृषि योग्य भूमि को अब तक माल विभाग को हस्तान्तरित क्यों नहीं किया गया तथा अब कब तक हस्तान्तरित किये जाने की सम्भावना है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि को काश्त करने हेतु ग्राम पार्वती एवं अन्य ग्रामों के करीब 80 काश्तकारों ने दिनांक 30-3-1972 को हस्तान्तरित कराने हेतु श्रीमान के यहां आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

Page No 13

सदन मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

(2) दिनांक 30-3-72 को कोई प्रार्थना-पत्र इस वन भूमि को रिलीज करने के लिये 801 काश्तकारों की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री भैरूलाल : माननीय अध्यक्षजी, रूपपुरा ग्राम की भूमि एक ऐसी भूमि है जिसमें किसी प्रकार के पेड़ नहीं हैं, और वन विभाग को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है और सैकड़ों काश्तकारों की एप्लीकेशन काश्त करने के लिये कलेक्टर और एस० डी० एम० के यहां मौजूद हैं लेकिन अभी तक इस भूमि को अलॉट करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और भूमिहीन काश्तकार बगैर भूमि के परेशान हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य को सहयोग करने के लिये सजेस्ट करता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एप्रोच कीजिए और कलेक्टर और इसको रिकमण्ड करके भेज देंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है तो फोरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी ओर से जब तक कोई खास बात नहीं हो, बाधा नहीं डालेगा।

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, वन विभाग कहता है कि रेवेन्यू विभाग के पास जाओ और रेवेन्यू विभाग कहता है कि वन विभाग के पास जाओ तो आखिर किसके पास जायें?

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर के पास जाओ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने आपसे कहा वहीं पर जाइये। माननीय सदस्य वन विभाग की जिस रोज डिमाण्ड थी उस दिन मैंने स्पष्ट कर दिया था। उस दिन आप नहीं थे...

श्री गौरीशंकर मुनीम : मैंने सुन लिया था।

श्री हरिदेव जोशी : तो आपको फिर उसी तरह से करना चाहिये।

श्री गौरीशंकर मुनीम : वह परवाह ही नहीं करते।

श्री हरिदेव जोशी : तो रेवेन्यू मिनिस्टर के पास जाकर कहिये।

श्री गौरीशंकर मुनीम : रेवेन्यू मिनिस्टर आपका नाम बता देते हैं।

श्री भैरूलाल : क्या यह सही है कि इसके परिवर्तन के लिये कोई जिला लेवल पर कमेटी है?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : दोनों ही मंत्री यहां बैठे हैं, एक मंत्री सुनाई करके ऐसी व्यवस्था की जाये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं सुनाई कर रहा हूं। मेहरबानी करके जो प्रोसीजर है उसको फालो कीजिए। मैं कुछ भी उसमें नहीं कर सकूंगा। आप मुझे कोई एप्लीकेशन दें तो मैं डाइरेक्टली आर्डर्स नहीं दे सकता कि मैं कन्वर्ट करता हूं जब तक कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको नहीं करता है कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं और दूसरी जमीन नहीं है इसलिये इसको कन्वर्ट करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है—यह जब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट निर्णय नहीं लेले वन विभाग के पास कुछ भी नहीं है। आप उनसे मिल लीजिए।

श्री गौरीशंकर मुनीम : बंगले पर जाकर मिल आऊं क्या?

Page No 14

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : 3 साल से जिला स्तरीय कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाती है और वह कहने के बावजूद भी मीटिंग नहीं करते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जिला परिषद् के प्रमुख उसके कन्वीनर हैं और वह मीटिंग बुला सकते हैं। कहें तो मैं कलेक्टर को कन्वीनर कर दूं।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : हर जिले में यह शिकायत है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : उसमें नॉन-ऑफिशियल को मेम्बर बना दो।

श्री विट्ठल भाई : वन विभाग के मंत्री कहते हैं रेवेन्यू विभाग के मंत्री जानें और रेवेन्यू विभाग के मंत्री कहते हैं कि वन विभाग के मंत्री जानें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं स्पष्ट कर रहा हूं उसको सुन लीजिए। प्रोसीजर यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जब तक मीट करके रिकमन्डेशन नहीं भेजे तब तक फॉरेस्ट विभाग कोई हैल्प नहीं कर सकता। इसलिये उसमें एक जन प्रतिनिधि भी है जिला प्रमुख।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : एम० एल० ए० को रख दें।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं। इसलिये उस कमेटी को मीटिंग करके अपना फैसला राज्य सरकार को भेजना चाहिये। जैसे ही झालावाड़ से इसकी रिकमन्डेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हो जाये आप मुझ से मिल लें और मैं रेवेन्यू मिनिस्टर से बात करके इसका फैसला करा दूंगा।

श्री विट्ठल भाई : वन विभाग के ऑफिसर्स उस मीटिंग में नहीं जाते हैं और कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले नहीं जाते हैं और वह मीटिंग नहीं चलती है।

श्री हरिदेव जोशी : वन विभाग के ऑफिसर्स मीटिंग अटेण्ड नहीं करते हैं तो मुझे कहें मैं पुल-अप करूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह की हर जिले से शिकायत आती है इसका मतलब यह है कि 'देयर इज समथिंग रॉंग' इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा सदन के सामने और आपके सामने जब ऐसा प्रश्न आता है तो विभाग उसको एग्जामिन करा कर देखे।

श्री हरिदेव जोशी : एग्जामिन कराने वाला भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहे कि अमुक तौर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो मैं एक्शन लूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : इन मीटिंग में एम० एल० ए० को रख दें तो क्या एतराज है ?

श्री हरिदेव जोशी : अलग से प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : अलग प्रश्न है लेकिन प्रश्न वाजिब है।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : मंत्री महोदय, यह जन प्रतिनिधि कलेक्टर कब से हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कलेक्टर नहीं कहा जिला प्रमुख के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जगमोहन सिंह।

तहसील छबड़ा में लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई

727. **श्री जगमोहन सिंह**(छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील छबड़ा में पार्वती नदी के किनारे ग्राम पंचायत गोडिया मेहर, ग्राम पंचायत बापचा, ग्राम पंचायत जैपला, ग्राम पंचायत मुवाखेड़ी के करीब 30 ग्राम स्थित हैं जिनमें लिफ्ट इरिगेशन द्वारा सिंचाई की जा सकती है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा इस बाबत कोई सर्वे कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) क्या राज्य सरकार इस बाबत सर्वे करा कर लिफ्ट सिंचाई योजना चालू कराये जाने हेतु कार्यवाही करेगी?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) आवश्यक सर्वेक्षण कराये जाने के बाद ही इस विषय में कुछ कहना सम्भव होगा।

अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया क्योंकि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया।

(2) सर्वेक्षण कराने के बाद योजनाओं की फिजिबिलिटी के आधार पर इन्हें चालू कराने के बारे में कुछ कहना सम्भव होगा।

श्री जगमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब क्या सर्वे कराने का इरादा आप रखते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है वहां के क्षेत्र की दृष्टि से।

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, जब इस संबंध में प्रस्ताव आयेगा तब ही इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री जगमोहन सिंह : प्रस्ताव कौन भेजेगा?

श्री मूलचन्द : स्थानीय एरिया को देख करके प्रतिनिधि जो भी प्रस्ताव रखेंगे, डिपार्टमेंट के सामने और डिपार्टमेंट स्वयं भी कोशिश करेगा और माननीय सदस्य के प्रश्न के अनुसार इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लूणाराम।

पंचायत समिति, श्री डूंगरगढ़ के गांवों में बिजली

728. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सुरजनसर, ऊदासर, चारणान, सांतलेरा, पुन्दलसर, धरमास, नारसीसर, जैतासर, जैसलसर, अभयसिंहपुरा, अमृतवासी, सुरजनवासी पंचायत समिति क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ (चूरू) जो 11 के०वी० विद्युत लाइन के 1 व 2 मील की परिधि में है और जहां अनेक गांवों में सिंचाई के कुएं बने हुये हैं वहां वर्षों से विद्युत देने की मांग चल रही है? यदि हां, तो इन गांवों में बिजली कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी हां, वे ग्राम विद्यमान 11 के० वी० लाइन के आसपास हैं। अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन गांवों को बिजली कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी क्योंकि इस योजना का, तकनीकी दृष्टि से साध्य व आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होने का सर्वे कराया जा रहा है।

श्री लूणाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि सर्वे कराई जा रही

Page No 16

(श्री लूणाराम)
है जबकि सर्वे हो चुकी है और काफी समय हो गया है और सब तरह से इसको जस्टीफाइड मानते हैं, धन का अभाव है या क्या कारण है पता नहीं क्यों इसकी स्वीकृति नहीं दी जा रही है। दूसरा निवेदन है कि धरमास ऐसा गांव है कि इस गांव के बिल्कुल पास से ही होकर विद्युत् गयी है और गांव के अंदर जानबूझकर नहीं ले जाया गया है। मेरा निवेदन है कि वहां पर विद्युत् लाया जाने।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसको देखूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

भीमसागर बांध का कार्य

729. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीमसागर बांध (जिला झालावाड़) का कार्य कतई बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो कब तक कार्य चालू होगा ?

(2) भीमसागर प्रोजेक्ट पर अब तक कितना रुपया खर्च किया जा चुका है और कुल स्वीकृति कितने रुपये की है ?

(3) क्या यह सही है कि बांध से 20 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी जिससे ज़िला झालावाड़ की ही नहीं, हाड़ौती की खाद्यान्न की समस्या भी हल होगी ? यदि हां, तो ऐसी कम खर्चे की योजना को बन्द करना कहां तक ठीक है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां। आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर कार्य फिर से शुरू करवाया जा सकेगा।

(2) इस परियोजना पर अब तक लगभग 40 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इसकी स्वीकृति 73.22 लाख रुपये की है।

(3) जी हां। आवश्यक धनराशि की उपलब्धि न होने के कारण इस योजना पर कार्य बन्द करना पड़ा है। पर्याप्त धनराशि मिलते ही कार्य फिर से शुरू कर दिया जावेगा।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अब भी कुछ दिक्कत है क्या ? अध्यक्षजी, यहां मंत्री महोदय ने फरमाया था कि पंचवर्षीय योजना शुरू होने पर इसको पूरा करने का प्रोग्राम रखा गया है, प्रयोजन रखा गया है ..

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, यह सही है और इस योजना को ले लिया जाएगा।

श्री रामप्रसाद बोहरा : ले लिया जाएगा ही नहीं, निश्चित रूप से लिया जाएगा यह कहें। इस तरह से तो 18 साल से इसी बात को सुनते आ रहे हैं। यह झालावाड़ जिले की महत्वपूर्ण योजना है और खर्चा बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ की योजना तो बनने जा रही है। इसके बारे में निश्चित रूप से कहें।

श्री मूलचन्द : निश्चित रूप से ले लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गौरीशंकर।

पंचायत समिति क्षेत्र खानपुर के गांवों को बिजली

730. **श्री गौरीशंकर मुनीम** (खानपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में 22 गांवों में बिजली

(श्री गौरीशंकर मुनीम)
लगाने की स्वीकृति दिये 2 वर्ष हो चुके हैं परन्तु अभी तक इनका विद्युतिकरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं व अब कब तक विद्युतिकरण करवाया जा सकेगा?

(2) क्या यह सही है कि खानपुर पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित लघु ग्रामीण विद्युतिकरण योजना सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो इस पर अंतिम निर्णय में विलम्ब क्यों हो रहा है?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जो नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गौरीशंकर मुनीम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आता है कि यह जो पूछा गया है तो क्या ऐसे ही लिख दिया है। प्रश्न नहीं उठता का क्या मतलब है। वैसे ही पूछ लिया है।

श्री हरिदेव जोशी : इसका मैं क्या करूं?

श्री गौरीशंकर : काम कैसे चलेगा?

श्री हरिदेव जोशी : आप मुझ से मिल लीजिए चल जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशन।

विकास विभाग को डेपुटेशन पर भेजे गए ओवरसियर

731 श्री जयकिशनलाल तोसावडा (फागी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिंचाई विभाग द्वारा जो ओवरसियर विकास विभाग (पंचायत समितियों) में डेपुटेशन पर भेजे जाते हैं उनकी कार्यावधि की क्या विभाग में कोई सीमा निर्धारित की हुई है? यदि हां, तो वह क्या है?

(2) क्या यह सही है कि कुछ काफी पुराने, अनुभवी एवं योग्य ओवरसियर एक लम्बे समय से पंचायत समितियों में कार्य कर रहे हैं एवं कई स्थानों पर नवीन नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति जिम्मेदारी के कार्यों पर लगाए हुए हैं? यदि हां, तो क्यों और क्या वहां अनुभवी व्यक्तियों की नितान्त आवश्यकता नहीं है?

(3) ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनकी सेवायें 10 वर्ष से अधिक हैं एवं जो पंचायत समितियों में कार्यरत हैं सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, सिंचाई : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। कौनसा काम ज्यादा जिम्मेदारी का है व कौनसा कम जिम्मेदारी का है कहना बहुत कठिन है। विभाग के सभी कार्यों में कार्यकुशलता व लगन की आवश्यकता है।

(3) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, हर काम के लिये मना कर दिया जाता है कि कठिन है तो सरल कौनसा है?

श्री मूलचन्द : कठिन का प्रश्न नहीं है।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : आपने उत्तर में कहा है कि कठिन है सरल कौनसा है?

Page No 18

श्री मूलचन्द : हर काम में जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है और वह सब कामों में आवश्यक है और सभी में योग्यता और कुशलता आवश्यक होती है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अजिम्मेदारी का प्रश्न कौनसा है?

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरे दो-तीन सप्लीमेंट्री प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : गैर जिम्मेदारी का क्या जवाब दिलाऊं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : यह डेपुटेशन के अंदर भेजे जाते हैं ओवरसियर्स इरिगेशन में, पंचायत समिति के अंदर तो इनका कोई समय निर्धारित है या अपने मन से, अपनी इच्छा से हटाया जा सकता है।

श्री मूलचन्द : कोई समय निर्धारित नहीं है।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : ऐसा क्यों है ?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी।

पी० बी० एम० हॉस्पिटल, बीकानेर में वातानुकूलन की व्यवस्था

732. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर पी० बी० एम० हॉस्पिटल में वातानुकूलन व्यवस्था ऑपरेशन थियेटर आदि के लिये कब से शुरू की गई?

(2) इसके लिये वातानुकूलन यूनिट कहां से, कब, कितने में खरीदा गया?

(3) उक्त यूनिट चालू करने के बाद कितने दिन तक चालू रहा और फिर कब खराब हुआ? यदि खराब हुआ, तो क्यों हुआ? इसकी मरम्मत कब करवाई गई? मरम्मत पर कितना खर्च हुआ? पुनः कब चालू किया गया? कितने दिन फिर चालू रहा? अभी चालू है या बन्द है?

(4) उपरोक्त वातानुकूलन यूनिट कितनी क्षमता का है वह किस मेक का है? क्या इस यूनिट में गर्म रखने की भी व्यवस्था है? यदि है, तो क्या इसे कभी चालू भी किया गया?

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है अतः स्थगन करने का निवेदन है।

श्री गोपाल जोशी : बहुत पुरानी समस्या है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न सं० 733

श्री केसरीमल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अमृतलाल गहलोत !

जोधपुर-बिलाड़ा सड़क

734. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) यह सही है कि जोधपुर से बिलाड़ा जाने वाली सड़क पर जोधपुर से पांचवें मील तक चलने वाला सिविल ट्राफिक दिनांक 3-12-71 की बम वर्षा के पश्चात् भारत-पाक युद्ध के पूर्ण समय तक बन्द रहा ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क के बन्द होने से जनता को अभूतपूर्व कष्ट उठाने पड़े क्योंकि उन्हें जोधपुर आते-जाते लगभग 3 मील कच्चे रास्ते से गुजरना पड़ा ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क जोधपुर से लगभग दो मील के आगे पांचवें मील तक सैनिक क्षेत्र से गुजरती है जिसके द्वारा सिविल ट्राफिक का बिना रोक-टोक के हर समय आवागमन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है ?

(4) क्या राज्य सरकार उपरोक्त समस्या का स्थायी हल उपरोक्त पांचवें मील से भदवासिया बस्ती तक नई सड़क बना कर सदैव के लिए निकालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) प्रातः 8 बजे से सायंकाल दिनांक 4-12-72 तक बिना फटे बम को नाश करने के लिए ट्रैफिक रुका रहा था ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) विचाराधीन है ।

श्री अमृतलाल गहलोत : धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह संधु ।

गंगानगर जिले में भूमि इन्तकाल के मामले

735. श्री गुरदयालसिंह संधु (श्रीकरणपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला गंगानगर में भूमि के इन्तकाल के कितने मामले कब से क्यों बाकी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बन्दोबस्त विभाग किसानों से बड़ी बड़ी रकम बटोरने के लिए इन्तकाल दर्ज नहीं कर रहे हैं ?

(3) उपरोक्त क्षेत्र में इन्तकाल करवा कर रिकार्ड की दुरुस्ती का कार्य कब तक हो जाएगा और किसानों की परेशानी कब तक दूर हो जायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) (क) ब्यौरा संलग्न सूचि में अंकित है

(ख) जी नहीं ।

(ग) जिला गंगानगर की भू-प्रबन्ध कार्य के अन्तर्गत चल रही 7 तहसीलों में से तहसील गंगानगर का रेकार्ड जिलाधीश को दिया जा चुका है । पदमपुर व करणपुर का रिकार्ड मार्च, 73 के अंत तक दे दिया जाएगा । शेष तहसील नोहर, भादरा, शार्दूलशहर व सांगरिया का रिकार्ड इस वर्ष के अन्त तक संभला दिया जावेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री गुरदयालसिंह संधु : आपने यह बताया कि इतने 2 नगरों के आसपास का इन्तकाल बाकी है । यह गलत है । क्योंकि

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
बहुत से लोग सीलिंग से बचने के लिए अपने रिकार्ड का इन्तकाल दर्ज नहीं करवा रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इन्तकाल जिन तहसीलों में सेटलमैंट का काम चल रहा था उन्हीं में कम हुआ है। बाकी 28,925 इन्तकाल में से 27,929 का हो चुका है। एक हजार के करीब ही बाकी रहा है जो काफी है।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : यह आप उन्हीं इन्तकाल का फिगर दे रहे हैं जो इन्तकाल उनके सामने पेश हुए थे। ऐसे इन्तकाल जिनकी सूचना लोगों ने नहीं दी और जो रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार को लैंड रेवेन्यू रूल्स की धाराओं के अन्तर्गत तहसीलदार को भेजने चाहिए थी वह नहीं भेजे न आपके डिपार्टमेंट ने उनसे मंगाए और उसके अन्दर इन्तकाल दर्ज होने से रह गए हैं और वह आपके रिकार्ड में हैं। आप इस बात की ओर ध्यान दें और रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार से कुल इन्तकालों की संख्या मंगवा कर और उनसे इन्तकाल रिकार्ड में दर्ज करवायें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरे खयाल से कुछ समझने में फर्क रह रहा है क्योंकि जो इन्तकाल कराते हैं वे तो ज्यादा कराते हैं सीलिंग से बचने के लिए, कम नहीं कराते हैं। ज्यादा कराते हैं। सबके नाम इन्तकाल हो जाय तो सीलिंग से बच सकते हैं। लोग तो यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्तकाल हो जाय ताकि सीलिंग से वे बच सकें। फिर भी इन्तकाल बाकी रह गए हैं तो उन पर हम इन्तकाल अभियान चला कर इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : यह भी समझने की बात है। बहुत से लोगों ने जमीनें खरीद रखी हैं और इन्तकाल नहीं कराया है। दोनों ही तरफ समझ में फर्क है। बहुत से लोग इन्तकाल इसलिए दर्ज नहीं करवा रहे हैं ताकि उनके नाम पर वह जमीन बढ़ोत्तरी में नहीं आवे और उस कारण जमीन सीलिंग में नहीं आवे। जो रेवेन्यू रिकार्ड है उसके आधार पर रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार को लिख कर दर्ज करना चाहिए, तो वह क्यों नहीं कराया जा रहा है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पहला तरीका चौधरी साहब का है समझने का और दूसरा तरीका इनका है समझाने का।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगर किसी ने जमीन बेच दी तो जमीन तभी बेचेगा जब उसके पास सरप्लस है। जिसके पास सरप्लस जमीन है वह उसके खाते में इन्द्राज में रह जाएगी तो अपने आप उसको सरेंडर करनी पड़ेगी इसलिए जिसने खरीदी है वह तो जरूर चाहेगा कि उसके नाम इन्तकाल हो जाय। जिसने खरीदी है उसने सीलिंग को देख कर ही खरीदी होगी, फालतू में ही तो नहीं खरीदी होगी।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : फिर कोई गलती लग रही है। बहुत से लोग जमीन खरीद रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। वह जमीन खरीद रहे हैं और ऐसे नाम से खरीद रहे हैं कि जिनसे इन्तकाल दर्ज नहीं हो सके। ऐसे इन्तकाल दर्ज नहीं हो रहे हैं। मैं आपको सौ दो सौ मामले इस प्रकार के रख सकता हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप बताईये जरूर उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह।

राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953 के अन्तर्गत रिव्यू के मामले

736. **श्री राजेन्द्र सिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953 की धारा 17 (1) (ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार किसी पंच, सरपंच, उप सरपंच को अपने पद से पृथक् घोषित कर सकती है और स्थान रिक्त घोषित कर सकती है ?

(2) क्या सरकार द्वारा किसी पंच, सरपंच, उप सरपंच को धारा 17 (1) (ख) के अन्तर्गत स्थान को रिक्त घोषित करने के बाद उसको दुबारा उस पद पर आसीन कर सकती है ? यदि हां, तो कौनसी धारा के तहत ?

(3) क्या कोई पंच, उप-सरपंच, सरपंच जो धारा 17 (1) (ख) के अन्तर्गत हटा दिया जाता है, राज्य सरकार को रिव्यू पेश कर सकता है ? यदि हां, तो कौनसी धारा के अन्तर्गत ?

(4) क्या धारा 70 (बी) के अन्तर्गत राज्य सरकार 17 (1) (ख) के फैसले को पुनः सुन सकती है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां । उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् स्थान रिक्त घोषित कर सकती है ।

(2) जी नहीं ।

(3) पंचायत अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

(4) जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26-2-73)

राज्य की सहकारी समितियां

122. **श्री यशवन्त सिंह नाहर** (बनेड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितनी सेवा सहकारी समितियां हैं ?

(2) इनमें से कितनी लिक्वीडेशन में हैं और कितनों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है ?

(3) इन सहकारी समितियों में केन्द्रीय सहकारी बैंक का कितना रुपया लगा है और उसमें से कितना अवधि पार है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सारे हालात को ठीक करने के लिए कोई योजना बना रही है ?

(5) राजस्थान में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध सहकारी समितियों का रुपया गबन करने का अभियोग है और उनमें से कितने सिद्ध हो चुके हैं ?

राज्यमंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह) : (1) राजस्थान में कुल 18336 सहकारी समितियां हैं ।

(2) इनमें से 3769 समितियां अवसायन में हैं तथा सभी में अवसायन कार्यवाही चालू हैं ।

(3) इन अवसायनाधीन सहकारी

(श्री जुझारसिंह)

समितियों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 58.22 लाख रु० की राशि लगी हुई है जिसमें से सभी राशि अवधि पार है।

(4) अवसायन की कार्यवाही शीघ्र समाप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त धारा 74 के अन्तर्गत आये हुए मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु निर्देश दिए जा चुके हैं।

(5) राजस्थान में जिन जिन समितियों के गबन के मामले पाये गये हैं उनमें से 3,633 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पाया गया है जिसमें से 1,719 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले सिद्ध हो चुके हैं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : एक प्रश्न बता दीजिये। यह लिक्वीडीशन में कार्यवाही कब से चल रही है ?

श्री जुझारसिंह : जी ?

श्री यशवन्त सिंह नाहर : लिक्वीडेशन के मामले सबसे ज्यादा और सबसे कम कब से चल रहे हैं। आपने बताया कि तीन हजार के करीब लिक्वीडेशन के मामले चल रहे हैं तो कब से चल रहे हैं ? कितने वर्षों से चल रहे हैं ?

श्री जुझारसिंह : यह तो अलग अलग टाइम के हैं। कुछ बहुत ज्यादा लम्बे समय के भी हैं और कुछ नजदीक के भी हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वही फरमा दीजिए।

श्री जुझारसिंह : अभी मेरे पास इण्डीजुअल सोसायटीज की तीन हजार की लिस्ट नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : जो सबसे लम्बे समय के मामले हैं उनमें आपने कब आदेश दिए ?

श्री जुझारसिंह : इसके पहले से ही विभाग खुद भी कार्यवाही करता रहा है लिक्वीडेशन के मामलों में। बहुत से मामले वर्षों से पेंडिंग हैं। यहां पर सहकारी विभाग के सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग की गई उसमें काफी डिटेल्ड डिस्कशन किया गया।

यह प्रश्न पूछने के पहले से ही बहुत से ऐसे मामले विचाराधीन हैं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : वही पूछ रहा हूं कि आपने आदेश कब दिए ?

श्री जुझारसिंह : इसकी तारीख उपलब्ध नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : तारीख उपलब्ध नहीं है। तो यह बता दीजिए कि सब से पुराना लिक्वीडेशन का मामला कब शुरू हुआ ? यह भी उपलब्ध नहीं है तो यह बता दीजिए कि कितने वर्षों से यह चल रहा है और सीनियर ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में कब आया ?

सहकारिता मंत्री (श्री नारायणसिंह) : अभी जो सीनियर ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इसके बारे में विचार किया गया था और यह तय किया गया था कि इस मामले को जल्दी निपटाया जाए। ये सोसाइटीज अवसायन में बहुत अर्से से चल रही हैं। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो एडवान्सेज हैं वे करीब 40 करोड़ रुपये के है, और जो अवसायन में है उनमें करीब यह 28 लाख रुपया है। इस दृष्टि से देखें तो यह कोई ज्यादा

(श्री नारायणसिंह)
नहीं है। यह करीब डेढ़ परसेंन्ट होता है। फिर भी इस पर जल्दी आवश्यक कार्यवाही करायी जा रही है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मेरा यह प्रश्न नहीं है। आप तो यह बता दीजिए कि अवसायन की लम्बी कार्यवाही कब से चल रही है?

श्री नारायण सिंह : इस वक्त यह सूचना हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। ये काफी अर्से से चल रही है, माननीय सदस्य क्या चाहते हैं कि कितने दिन से अवसायन का मामला चल रहा है?

श्री अध्यक्ष : यह सूचना आपके पास नहीं है?

श्री यशवन्त सिंह नाहर : यही बता दीजिए कि लंबी से लंबी प्रोसिडिंग्स कितने वर्ष की चल रही है?

श्री नारायण सिंह : यह सूचना मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न संख्या 149

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री गोटेवाला, श्री छंगाणी।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 12-3-73

राज्य की काश्त योग्य भूमि

446. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर), श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में काश्त योग्य कितनी भूमि है? किन किन श्रेणी के कुल कितने काश्तकार हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

(2) उक्त काश्त योग्य भूमि में कितनी भूमि अभी तक सरकार के पास है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) सरकार विभिन्न किस्म की कितनी कितनी भूमि सीमा तक को जोत की भूमि को अनार्थिक मानती है तथा राजस्थान में कुल कितनी अनार्थिक जोतें हैं?

(4) नहरी क्षेत्र में कुल कितनी अनार्थिक जोतें हैं? गंगानगर एवं कोटा की नहरी एवं बारानी भूमि को सरकार कितनी सीमा तक जोत को अनार्थिक जोत मानती है?

(5) राजस्थान में कुल कितने भूमिहीन काश्तकार हैं? उक्त भूमिहीन काश्तकारों की संख्या किस प्रकार व किस पद्धति के आधार पर एकत्रित की जाती है?

(6) क्या यह सही है कि उक्त संख्या विभिन्न तहसील एवं जिला मुख्यालय पर प्राप्त भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्रों के आधार पर है?

(7) क्या राज्य सरकार ने भूमिहीन काश्तकारों की संख्या जानने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) (1) राजस्थान में 5,07,86,652 एकड़

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

काश्त योग्य भूमि है। राजस्थान में 36,70-656 खातेदार 7,86,764 गैर खातेदार, अन्य 82,465,कुल 45,38,885 काश्तकार हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) काश्त योग्य भूमि में से 51,59 456 एकड़ भूमि अभी तक सरकार के पास है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अनार्थिक जोत के लिए कोई नियम अभी तक नहीं बने हैं किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 180 के तहत बने हुए नियम 66 एवं धारा 30-1 (2) के तहत बने हुए नियम 20 में भूमि की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है। राजस्थान में 12,91,953 अनार्थिक जोते हैं।

(4) नहरी क्षेत्र में 19,889 अनार्थिक जोते हैं। गंगानगर में नहरी क्षेत्र में सवा तीन एकड़ व बारानी क्षेत्र में 9 एकड़ भूमि को सरकार अनार्थिक जोत मानती है। कोटा में नहरी क्षेत्र में 2 एकड़ व बारानी क्षेत्र में 6 एकड़ भूमि को अनार्थिक जोत मानती है।

(5) राजस्थान में कुल 4,87,384 भूमिहीन काश्तकार हैं। उक्त भूमिहीन काश्तकारों की संख्या पटवारियों द्वारा स्पेशल गिरदावरी कर एकत्रित की जाती है।

(6) जी नहीं।

(7) जी हां। राज्य सरकार के आदेश सं० एफ 6 राज। ख। 71, दिनांक 20-7-71 के तहत अक्टूबर, 1971 में की गई थी।

(कृपया परिशिष्ट 6 व 7 देखिये)।

श्री मोहन लाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा और टिनेन्सी लॉ की धारा 20, दोनों में मेरे ख्याल से जो नियम हैं, जो नियम उसमें दिए गए हैं उसमें मिनिमम हेल्डिंग को डिफाइन किया गया है और जो उसके नीचे होंगे वे भूमिहीन होंगे। मंत्री महोदय ने इन दोनों को कैसे रिकन्साइल किया है यह मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें। टिनेन्सी लॉ में एक मिनिमम बताया गया है कि इसके नीचे जो लैन्ड होल्ड करेगा वह भूमिहीन कहलाएगा। अतः इसको क्लेरिफाई करने का कष्ट करें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अनार्थिक जोत है वह दी है। मिनिमम होल्डिंग है। और फ्रेगमेंट किस हद तक माना जाएगा वह दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फ्रेगमेंट और मिनिमम होल्डिंग और अनइकोनोमिक होल्डिंग इन दोनों का एक ही माप है? कितने क्षेत्रफल का फ्रेगमेंट हो इसके लिए टिनेन्सी एक्ट के तहत रूल्स बने हैं। क्या उसको इकोनोमिक होल्डिंग माना गया है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : दोनों अलग अलग इश्यू हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका साइन्टिफिक आधार क्या रखा है? अनइकोनोमिक होल्डिंग तो वह है जिससे कि आदमी का गुजर नहीं हो सके, यह आधार रखा गया है। फ्रेगमेन्टेशन न हो, डिवीजन न हों इस दृष्टि से फ्रेगमेंटेशन को रोकने के लिए फ्रेगमेंटेशन रखा गया है कि यहां तक,

Page No 25

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
इससे आगे जमीन का डिवीजन न कराया जाए। इसलिए दोनों का आधार बिलकुल जुदा जुदा है। यह कहना कि दोनों एक हैं यह किस आधार पर कह रहे हैं। इसके लिए कौनसे रूल्स हैं या पर्सनली आप अपनी ओपीनियन यहां पर बता रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके लिए कोई रूल्स तो नहीं बने हैं। जो फ्रेगमेंट रखा है उसमें यह चाहते हैं कि इनसे आगे न हो। अपने यहां पर जिस तरह से सोसाइटी एस्टेब्लिश है, पांच भाई हैं और कुल दस बीघा जमीन है तो वह पांचों भाइयों में दो-दो बीघा बंट जाएगी। यह तो होगा इसको रोका नहीं जा सकता। इसके बाद वह लेन्डलेस में आ जाएगा और उसको मदद देने के लिए यहां तक रखा गया है कि वह फ्रेगमेंट के नीचे हैं; अतः उसको लेन्डलेस मानकर हम उसके लिए जमीन की पूर्ति कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अनइकोनॉमिक होल्डिंग मेरे ख्याल से फ्रेगमेंटेशन से ऊंची भी हो सकती है। एक जगह आपने 8 बीघा फ्रेगमेन्टेशन के लिए रखा है लेकिन उस जगह 10 बीघा जमीन भी अनइकोनॉमिक होल्डिंग है। उससे भी उसका गुजर नहीं चल सकता है। यह कहना कि फ्रेगमेन्टेशन अनइकोनॉमिक होल्डिंग का पार्ट है, एक ही है तो, इससे गलतफहमी फैलेगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां पर बताया है कि इसके लिए रूल्स नहीं बने हैं। फ्रेगमेंटेशन के नीचे जो होल्डिंग है उसको हम लेन्डलेस मानते हैं। इतनी कम जमीन है कि उससे उसका गुजर नहीं चल सकता है और उसको गुजर होने के मुताबिक और जमीन दे सकते हैं। नियम नहीं बने हैं इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है किन्तु दोनों एक नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक मेरा प्रश्न है। अगर 50 बीघा है तो वह दोनों भाइयों में टिनेन्सी-ला के मुताबिक डिवीजन के लिए एलीजिबल है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगर वह फ्रेगमेंटेशन से ज्यादा है तो वह डिवाइड होती है। अपने यहां पर फ्रेगमेंटेशन भी डिवाइड होता होता है। जो हिन्दू सोसाइटी है उसमें चार भाई हैं और कुल दस बीघा जमीन है तो वह चारों भाइयों में डिवाइड होती है। इसके लिए कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स नहीं हैं। चार भाई हैं तो वह जमीन चार भाइयों में बंटेगी और वह इस तरह से अनार्थिक जोत कहलाएगी।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : टिनेन्सी एक्ट के नीचे जो तादाद आपने रखी है वह क्लासिफिकेशन के आधार पर न होकर फ्लेट पर तय की गई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरे ख्याल से यह क्षेत्रवार है। फ्रेगमेंटेशन मिनिमम है। कहीं यह 16 एकड़ है तो कहीं पर 20 एकड़ है। जैसलमेर में यह 20 से 36 एकड़ तक है। अलग अलग है।

श्री भोपालसिंह : धारा 180 के तहत जो कहा है वह यह है कि इससे जो कम जमीन है वह फ्रेगमेन्टेशन कहलाएगी। यह जो तादाद तय की गई है यह कोई क्लासीफिकेशन के आधार पर न होकर फ्लेट पर तय करदी गई है। जैसलमेर में 75 बीघा जमीन चाही और केड़ली की। 75 बीघा बारानी है तो इसका कोई पोटेन्शिएलिटी से ताल्लुक नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पोटेन्शियलिटी से इसका ताल्लुक है । फ्रेगमेन्टेशन अलग अलग जिलों में अलग अलग भूमि की किस्म, पैदावार पर किया गया है । कहीं पर यह दो एकड़ है । आपके यहां पर 20 एकड़ है । तो इस आधार पर कर रखा है इसलिए इसको किसी न किसी साइन्टिफिक आधार पर ही रखा है । आर्बीट्रेरिली इसका कोई आधार नहीं है ।

श्री गोपालसिंह : पूरे जिले का आधार एक ही है जबकि पूरे जिले में एक ही किस्म की जमीन नहीं है । इसलिए आप इसको दुबारा रिकन्साइल करावें ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगर आप इसको देखेंगे तो यह तहसीलवार है । यह सारा एक किताब में दिया है । जो सीलिंग परपज के लिए है वह अलग दिया है । इस लिहाज से यह कहीं पर 50 बीघा है, दस बीघा है । याने दस बीघा का टुकड़ा फ्रेगमेन्टेशन के लिए हो सकता है । सीलिंग के लिए अलग से दिया है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, आपने अनार्थिक जोतें है वह राजस्थान में 13,91,853 बताई हैं और अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स बारानी और सिंचित में बताई हैं साढ़े 13 लाख । बारानी में 9 एकड़ को आप अनइकोनॉमिक होल्डिंग मानते हैं । इस आधार पर क्या आपके पास इन अनार्थिक जोतों को उपयोगी बनाने के लिए कोई प्रोग्राम है या कोई पॉलिसी आपने तय की है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अनार्थिक जोतों को जहां पर पानी आ सकता है, इरिगेशन हो सकती है चाहे कुओं से हो, चाहे बान्ध से हो, चाहे नहर से हो उनमें कुछ सुधार कर सकते हैं । जहां पर कोई प्रबन्ध पानी का नहीं हो सकता है उनमें सुधार करना मुश्किल है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या उन्हें पानी देने में प्रायोरिटी दी जायगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जहां दे सकेंगे, वहां देंगे ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जहां पर इरिगेशन डेवलप होगा वहां पर प्रायोरिटी देंगे क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : प्रायोरिटी का मतलब यही है कि जितने पानी का हक उनको मिलता है उतना दे सकेंगे । उससे ज्यादा तो नहीं दे सकेंगे ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 7,46,000 गैरखातेदार हैं तो इनको खातेदारी राइट्स कब तक दे देंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसका ला बना हुआ है उसके अनुसार हकदार हो जायेंगे तो खातेदारी के हक दे देंगे ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो अनइकोनॉमिक होल्डिंग वाले हैं उनके लिए राज्य सरकार खेती के अलावा क्या कोई दूसरी योजना बना रही है ? खेती पर तो उनको नहीं बसा सकते हैं क्योंकि पानी मिलेगा नहीं तो उनके लिए क्या योजना बना रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह सवाल तो दूसरा है । हमारी यह कोशिश जरूर है कि

Page No 27

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
खेती से पूरा पेट नहीं भरता है तो उनको सब्सिडियरी आकूपेशन पर लगायेंगे ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपकी कोई योजना नहीं है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 5,16,000 एकड़ सरकार के कब्जे में हैं और दूसरे लोगों के पास कितने हजार एकड़ होगी तो उसका वितरण करने का कब तक का सरकार का इरादा है ? शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरे लैण्डलेस को ध्यान में रखते हुए उसका वितरण कब तक किया जायगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हमने यह पॉलसी निर्धारण किया है कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और वीकर सेक्शन को पहले जमीन देंगे और बाकी बची हुई जमीन दूसरों को देंगे । मैं यह चाहता हूं कि जितना पूर्वी राजस्थान है उसमें जमीन पर बड़ा प्रेशर है फिर भी वहां पर जमीन बाकी नहीं रहना चाहिए । मैंने सीनियर आफिसर्स कान्फ्रेंस में कहा था कि जब आपके पास जमीन आगई है और लोगों को मौका मिलते ही ट्रेसपास करते हैं इसकी वजह यह है कि आप परमानेन्ट एलाटमेंट उसका नहीं करते हैं । मैं चाहता हूं कि इसी साल के अन्दर अन्दर एलाटमेंट कर दें ताकि ट्रेसपास के केसेज खत्म हों ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने कहा और जो आपने मापदण्ड लैण्डलेस का रखा है तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि सेन्सस में जो लैण्डलेस माने गये हैं और जिनको आपने लैण्डलेस माना है उनमें क्या फर्क है ? जो भूमिहीन काश्तकार आपने माने हैं और जो सेन्सस ने भूमिहीन काश्तकार माने हैं तो आपके मापदण्ड में और सेन्सस के मापदण्ड में क्या फर्क है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपका मैं सवाल नहीं समझा ।

श्री मूलचन्द सामरिया : : यह स्टडी करके आपकी परीक्षा ले रहे हैं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह आपने राजस्थान में 4,81,384 भूमिहीन बताये हैं तो यह जो आपका क्राइटेरिया पटवारी के जरिये गिरदावरों से कराकर कलेक्ट किया है....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सीनियर आफिसर्स कान्फ्रेन्स में क्या कहा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सेन्सस ने एक क्राइटेरिया रखा और मालूम किया कि राजस्थान में कितने लैण्डलेस हैं जिससे कि यह ज्ञात हुआ कि 61 की सेन्सस में 5 पर्सेन्ट लैण्डलेस पीजेन्ट्स थे....

श्री अध्यक्ष : डाइरेक्ट सप्लीमेन्ट्री पूछें ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो मापदण्ड सेन्सस ने रखा है यह जानने के लिए कि इतने भूमिहीन हैं और जो आपने रखा है मापदण्ड उसमें क्या फर्क है ?

श्री अध्यक्ष : एक साथ ही पूछ लें ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सेन्सस के फीगर्स तो मेरे पास नहीं हैं इसलिए मैं नहीं कह सकता कि क्या है । हमारे डिपार्टमेंट ने पटवारी और गिरदावरों से लैण्डलेस का सेन्सस कराया है । वह फीगर्स मेरे पास हैं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : फिगर्स करेक्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र सिंह।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : I have told already. Another member is waiting for reply.

श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि भूमिहीन काश्तकारों ने कितनी एप्लीकेशन्स एलाटमेंट के लिए आपको दी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन।

डूंगरपुर जिले में अनुसूचित जाति और जन-जाति के भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

458. **श्री रामचन्द्र सिंह** (चौरासी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में अनुसूचित जाति और जन-जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को वर्ष 1971-72 में भूमि आवन्टित की गई है ? यदि हां, तो कब और कहां-कहां तथा कितनी-कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि स्टेट टाइम के जिन आदिवासी काश्तकारों के पास पट्टे व उनके कब्जे के सबूत हैं फिर भी राज्य सरकार उसको वैध न मानते हुए उनकी भूमि को छीनकर अन्य व्यक्तियों को एलॉट कर देती है ? यदि नहीं, तो मोर डूंगरा में भूमि आवंटन और भूमि कब्जा पट्टा तथा स्टेट टाइम के भूमि कब्जा पट्टे की क्या स्थिति है ? विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) वर्ष 71-72 में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कुल 1,520 व्यक्तियों को रकबा 2,692-92 एकड़ भूमि का आवंटन विभिन्न स्थानों पर विभिन्न माहों में किया गया था जिसमें माह जुलाई 72, में दिनांक 4-7-72 को 101 व्यक्तियों को रकबा 163-73 एकड़ एवं दि० 31-7-72 को 18 व्यक्तियों को रकवा 27-34 कुल 119 व्यक्तियों को 191-06 एकड़ मोर डूंगरा की भूमि का आवंटन किया गया।

(2) वैध पट्टे रखने वाले किसी काश्तकार की भूमि उनके पट्टे को वैध न मानते हुए उनसे छीन कर किसी अन्य व्यक्ति को जिला डूंगरपुर में आवंटित नहीं की गई है।

जहां तक मोर डूंगरा की भूमि का प्रश्न है सम्वत् 1980-81 में स्टेट टाइम में कुछ काश्तकारों के खाते यह भूमि थी जो तत्कालीन स्टेट द्वारा ही उसे खातेदारों के खाते से खारिज कर स्टेट फॉरेस्ट में मिला दी गई थी और यह वन क्षेत्र ही बना रहा। वर्ष 1969-70 में यह भूमि वन विभाग से राजस्व विभाग में हस्तान्तरित करके इसके पश्चात् ही हस्तान्तरित भूमि का आवंटन किया गया है।

श्री रामचन्द्र सिंह : स्टेट टाइम में पट्टे थे उन किसानों के पास जमीन नहीं है तो उनको एलॉट क्यों नहीं की गई ?

Page No 29

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने आपको लिस्ट दे दी है कि किन किन को हमने भूमि एलॉट की है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : आपने नं० 2 में बताया कि किसानों के पट्टे खारिज किये गये तो यह खारिज क्यों किये गये ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने बताया कि स्टेट टाइम में उसको फॉरेस्ट लैण्ड डिक्लेयर कर दी थी इसलिए खारिज हो गई।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : जो काश्तकारों के खाते की भूमि थी और उस पर आदिवासी काश्त करते हुए आये थे तब उनको खारिज करने का क्या हक था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह काश्त कैसे कर सकते हैं। वे ट्रेसपासर्स थे। वन की भूमि में काश्त नहीं कर सकते हैं। वे ट्रेसपास करके आये हैं तो उनको रिकगनाइज नहीं कर सकते हैं।

श्री मीठालाल : आपने बताया है कि काश्तकारों को डेढ़ एकड़ प्रत्येक को एलॉट हुई तो क्या डेढ़ एकड़ का एलाटमेंट करके किसानों से आप खेती करवाना चाहते हैं तो वह क्या करेंगे ? यह वास्तव में वहीं का मामला नहीं है लेकिन राजस्थान में और जगह भी डेढ़, दो एकड़ जमीन एलॉट करते हैं तो क्या उससे कृषक की उदरपूर्ति हो जाती है जिस उद्देश्य से आप देते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह मैं मानता हूं कि यह इतनी भूमि कम है कि जिससे किसी का गुजारा नहीं हो सकता है, लेकिन वह पहाड़ी इलाका है वहां पर डेढ़, दो एकड़ जमीन भी बड़ी मुश्किल से मिलती है उतनी ही उनको देते हैं। उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि वह काश्त की भूमि थी उसको खारिज कर दी तो कितने सालों से वह उस पर खेती करते हुए चले आ रहे थे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अलग से सवाल है।

श्री हनुमान सहाय : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्वेश्चन रह गया है 719 नम्बर का।

प्रश्न संख्या 706

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)।

प्रश्न संख्या 708

श्री राजेन्द्र भारतीया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

मिलिट्री में डेपुटेशन पर भेजे गये डॉक्टर

710. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार के अधीन कार्य करने वाले कितने डॉक्टर मिलिट्री में डेपुटेशन पर समय समय पर सेवा करने के लिये भेजे गये हैं और उनमें से कितने वापिस राज्य सेवा में आ गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि डेपुटेशन से वापिसी पर कुछ डॉक्टरों की तनख्वाह

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
का फिक्सेशन नहीं हुआ है और बिना फिक्सेशन डॉक्टरों को तनख्वाह मिलना बन्द हो गई है ?

(3) यदि हां, तो ऐसे कितने डॉक्टर है और उनका फिक्सेशन न होने के क्या कारण हैं और उनको कब तक तनख्वाह मिल जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : मैं आपका यह क्वेश्चन भी पोस्टपोन्ड कर देता हूं । स्वास्थ्य मंत्रीजी नहीं हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राज्य मंत्री जी हैं ।

श्री अध्यक्ष: We will take it in the next time.

श्री रामरघुनाथ ।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत डाक बंगलों व कार्यालय भवनों का निर्माण

718. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अकाल में स्वीकृत धनराशि से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने डाक बंगलों का निर्माण किया व कार्यालय भवनों पर कार्य करवाया ?

(2) यदि हां, तो ऐसे समस्त निर्माण-कार्यों की सूची मय राशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त प्रकार की व्यय की गई राशि अकाल की धनराशि का यह अपव्यय नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : यह भी वही है । पोस्टपोन्ड कर दिया गया ।

प्रश्न संख्या 733

श्री केशरीमल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये) ।

419. श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया है 419 । वह बड़े जनहित का है । इसको आज ले लें ।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 12-3-73)

जिला विकास अधिकारी, जालौर द्वारा दिया गया ठेका

419. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री श्यामसुन्दर भटनागर तत्कालीन अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, जालौर ने दिनांक 4-5-72 एवं 12-5-72 को 39 पैसे प्रति बोरी व 9 पैसे प्रति बोरी प्रति किलोमीटर की दर से सी० एस० एम० ठेके की मन्जूरी मन चाहे व्यक्ति को दी थी जिसमें 3,300 रुपयों का भुगतान तुरन्त कर दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश को इस मामले की जानकारी मिलने पर यह ठेका पुन: नीलाम किया गया और पूर्व के उसी ठेकेदार ने केवल 18 पैसे व डेढ़ पैसा प्रति बोरी किलोमीटर की दर से वही ठेका लिया ?

(श्री भगराज चौधरी)

(3) क्या यह भी सही है कि श्री भटनागर ने उक्त ठेके की नीलामी के लिये समाचार पत्रों एवं गजट में किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं दी ? यदि हां, तो श्री भटनागर द्वारा उक्त तरीके से अवैध कार्यवाही करने पर राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हां, तो कब तक करदी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : यह पोस्टपोन करना पड़ेगा। मैंने बताया कि पोस्टपोन कर दिया है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री किसी कार्य से चले गये हैं।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रतापगढ़ में यूरिया खाद का वितरण

706. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ महालक्ष्मी क्रय-विक्रय सहकारी समिति के मैनेजर श्री चांदमल लोढ़ा द्वारा यूरिया व अन्य खाद प्रतापगढ़ के किसानों को नहीं देकर महंगे भाव से मन्दसौर, मध्य प्रदेश में बेचा गया है ? यदि हां, तो कब और कितनी बोरी बेची गई ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इसी समिति के एक सदस्य ने यूरिया व अन्य खाद मध्य-प्रदेश में बेचने के सम्बन्ध में मैनेजर के खिलाफ मय सबूत के एक लिखित शिकायत पत्र तारीख 8-2-1973 को जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ और उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, उदयपुर को दिया है ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पत्र की क्या जांच हो गई है ? यदि हां, तो कब ?

(स्थगित किया गया)

चावल की फसल

708. श्री राजेन्द्र भारतीया (बूंदी): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग ने गत वर्ष बून्दी जिले में नहर क्षेत्र के काश्तकारों को पहले से करीब पांच गुणा जमीन में चावल बोने को प्रेरित किया ?

(2) क्या यह सत्य है कि विभाग की प्रेरणा पर किसानों ने खाद बीज आदि पर काफी खर्चा किया लेकिन विभाग ने चावल की सिंचाई हेतु पूर्ण पानी नहीं दिया जिससे फसल जल गई ? यदि नहीं, तो कितने किसानों को कितनी–कितनी पिलाई के लिए पानी दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, बूंदी जिले के चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में काश्तकारों को पहले से अधिक जमीन में चावल बोने के लिए प्रेरित किया गया था, परन्तु पांच गनी में नहीं।

(2) जी नहीं, 25,811 एकड़ क्षेत्र में किसानों ने चावल किया जिसको पर्याप्त मात्रा में पानी दिया गया।

मुन्सिफ कोर्ट, शाहपुरा

733. श्री केशरीमल (ब्यावर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि शाहपुरा, जिला

(श्री केशरीमल)

भीलवाड़ा में मुंसिफ कोर्ट वहां स्थित अन्य सरकारी कार्यालयों से दूर स्थित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसे अन्य कार्यालयों के पास लाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां ।

जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील सराडा के ग्रामों का विद्युतिकरण

365. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में सन् 1973-74 में कितने गांवों को ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत लिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के गांव देवपुरा, पलोदड़ा, सरसिया, मुंडला, पाडला, मउवाड़ा, सुरखण्ड, खेड़ा कुराड़िया सेमारी, भोराईपाल, थाना, डामली सल्लाड़ा, बड़गांव, उदपुरिया जागीर, विलाधर, बड़-गांव, बाना आदि गांवों का ग्रामीण विद्युति-करण योजना के अन्तर्गत लिया गया है ? यदि हां, तो इन गांवों में विद्युतिकरण का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

उत्तर

(1) सन् 1973-74 की योजना अभी नहीं बनाई गई है । तथापि सराड़ा तहसील की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की एक योजना बनाने के लिए प्रारम्भिक कार्य-वाही चालू की है । अतः इस योजना में कितने और कौन से ग्रामों का विद्युतिकरण संभव होगा यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

(2) जी नहीं । अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

तहसील छीपाबड़ौद के गांवों का विद्युतिकरण

366. **श्री जगमोहनसिंह** (छबड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील छीपाबड़ौद में आगामी वर्ष में किन-किन गांवों को सिंचाई हेतु बिजली दिये जाने का प्रावधान रखा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आगामी वर्ष 1973-74 में किन किन गांवों का विद्युतिकरण किया जायेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर जिले के हरिजन एवं पिछड़ी जाति की बस्तियों का विद्युतिकरण

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अजमेर जिले में गत वर्ष में पिछड़ी जाति एवं हरिजन बस्तियों में विद्युतिकरण किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन बस्तियों का विद्युतिकरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां। अजमेर जिले की अनेक पिछड़ी जाति एवं हरिजन बस्तियों का विद्युतिकरण वर्ष 1971-72 में किया गया था। इन विद्युतिकृत बस्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

कातर-लालगढ़ सड़क निर्माण कार्य

368. श्री रावतराम (छापर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कातर-लालगढ़ (जिला चूरू) सड़क का निर्माण कार्य किस योजना के तहत हो रहा है और कार्य की क्या प्रगति है?

(2) उक्त सड़क कब तक बनकर तैयार हो जायगी?

उत्तर

(1) सड़क का कार्य क्रेश योजना के अन्तर्गत हो रहा है। कातर की तरफ से 7 किलो मीटर में डामर का कार्य हुआ है।

(2) उपलब्ध धनराशि अनुसार ही कार्य हो सकेगा, निश्चित नहीं कहा जा सकता।

महंदीपुर बालाजी टोडाभीम सड़क

369. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महंदीपुर बालाजी से टोडाभीम को सड़क निर्माण कराने की सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो कब और उसकी क्या लागत है?

(2) इस सड़क निर्माण कार्य में क्या प्रगति हो रही है और यह कब तक पूरी हो जायेगी?

उत्तर

(1) विशेष रोजगार कार्य-क्रम के अन्तर्गत स्वीकृति वर्ष 72-73 में दी गई है। स्वीकृत धनराशि 87,000 रु० है।

(2) टोडा भीम की ओर से 2 किलो मीटर में कार्य प्रगति पर है, अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

रजत जयन्ती ग्रामों का विद्युतिकरण

370. श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि रजत जयन्ती वर्ष में चयनित ग्रामों का विद्युतिकरण रजत जयंती वर्ष में ही कर दिया जायगा? यदि हां, तो ग्राम अराई जो कि पंचायत समिति का मुख्यालय है, में विद्युतिकरण कब तक करा दिया जावेगा?

उत्तर

जी नहीं, रजत जयंती वर्ष में चयनित सारे गांवों का विद्युतिकरण रजत जयंती वर्ष में ही कर दिया जायेगा, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अराई ग्राम के विद्युतिकरण के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा

(विद्युत मंत्री)

जा सकता क्योंकि इसके विद्युतिकरण के लिये जो योजना बनाई गई थी वह तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से असाध्य है।

अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, सीकर में नियुक्तियां

371. श्री केशरदेव (लक्ष्मणगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अधिशासी अभियन्ता, राज्य विद्युत मण्डल सीकर के कार्यालय में वर्ष 1962 से 1972 तक कितने कनिष्ठ लिपिक व कितने वरिष्ठ लिपिक अनुसूचित जाति व जन-जाति के लिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या रोस्टर रजिस्टर का ध्यान रखा गया ? यदि हां, तो कब कब, किस किस की नियुक्ति की गई ? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, सीकर कार्यालय सितम्बर, 1965 में स्थापित हुआ था। इस कार्यालय के छः कनिष्ठ लिपिकों में अनुसूचित जाति व जन-जाति का कोई लिपिक नहीं लिया गया है। वरिष्ठ लिपिक की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिकों में से सर्किल वरिष्ठता की सूची के आधार पर पदोन्नति की जाती है, न कि सीधी भर्ती द्वारा।

(2) रोस्टर रजिस्टर प्रणाली विद्युत मण्डल में जुलाई 1972 से ही लागू हुई है, तब से इसका पालन किया जा रहा है। अब कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति मण्डल सचिवालय द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती है। गत परीक्षा में सफल समस्त अनुसूचित जाति व जन-जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति राज्य के विभिन्न जिलों में कर दी गई है।

पी० एम० एण्ड एच० ओ०, सीकर के कार्यालय में नियुक्तियां

372. श्री केशर देव (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पी० एम० एण्ड एच० ओ०, सीकर द्वारा अपनी निर्धारित स्ट्रेन्थ में 1960 से 1972 तक कितने कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति की है? सूची सदन को मेज पर रखी जावे।

(2) क्या उक्त नियुक्तियों में रोस्टर प्रणाली का ध्यान रखा गया ? यदि हां, तो कब कब, किन किन की नियुक्तियां हुई ? उनके नाम व पते की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) रोस्टर प्रणाली विषयक परिपत्र संख्या एफ 7 (11) नियुक्ति। ए० बी०। 70, दिनांक 15-10-71 के पश्चात् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों में रोस्टर प्रणाली में निर्धारित संख्या से अधिक नियुक्तियां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की की गई है जिनके नाम व पते प्रश्न के भाग 1 की सूची में अंकित हैं।

(कृपया परिशिष्ठ 8 देखिये)

अन्ता-शीशवाली सड़क का कार्य

373. **श्री शिवनारायण (बारां)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अन्ता-शीशवाली रोड पक्का बनाने हेतु राज्य सरकार से स्वीकृत है? यदि हां, तो कितने समय से तथा इस सड़क पर अब तक पक्का बनाये जाने का कितना कार्य हो चुका है और यह सड़क कब तक पूर्ण की जा सकेगी?

(2) क्या यह सही है कि सांगोद-अन्ता रोड को पक्का बनाये जाने हेतु सरकारी कार्यवाही चालू है? यदि कार्यवाही चालू नहीं है, तो क्यों?

उत्तर

(1) अन्ता-शीशवाली रोड के 6 मील को डामर कराने की प्रशासनिक स्वीकृति 8-11-71 को दी गई है।

वर्ष 72-73 में अर्थाभाव के कारण कार्य नहीं हुआ है। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(2) जी नहीं, अर्थाभाव के कारण।

नवलगढ़-परसारामपुरा सड़क

374. **श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नवलगढ़ से परसरामपुरा, जिला झुंझुनूं की रोड किसी योजना में ली गई है? यदि हां, तो किस पंचवर्षीय योजना में तथा वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है?

(2) जब तक उक्त सड़क किसी योजना में नहीं ली जाती है तब तक क्या सरकार इसकी मरम्मत करवाना आवश्यक नहीं समझती? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नवलगढ़ से झांझड़ मार्ग सेन्ट्रल रोड फन्ड के अन्तर्गत बनाया जा रहा है। 4 मील सड़क बन चुकी है। मील 5 से 8 का ठेका दिया जा चुका है।

(2) कार्य प्रगति पर है।

राजस्थान के ग्रामों का विद्युतिकरण

375. **श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर, उदयपुर व नागौर के किन किन गांवों का विद्युतिकरण किया गया? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) पंचायत समिति, मकराना के उन ग्रामों की भी सूची दें जिनका 1972-73 में विद्युतिकरण किया गया है।

(3) राजस्थान के कुल कितने ग्रामों का 1972-73 में विद्युतिकरण हुआ है?

उत्तर

(1) अलवर, उदयपुर और नागौर जिले में फरवरी, 73 तक विद्युतिकृत ग्रामों की सूची संलग्न है।

(विद्युत मंत्री)

(2) विद्युतिकृत ग्रामों की सूचना तहसील वार रखी जाती है, न कि पंचायत समितिवार, तहसील पर तसर के ग्राम मिध्यान, लाडपुरा, अडानी और बाजोली का विद्युतिकरण वर्ष 1972–73 में अब तक किया जा चुका है।

(3) वर्ष 1972–73 में (फरवरी, 73 तक) राजस्थान में 715 गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

कोयला ग्राम की सड़क की मरम्मत

376. श्री **शिवनारायण** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोयला ग्राम (बारां) की सड़क की मरम्मत हेतु कोई धनराशि मंजूर की गई है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि की मंजूर की गई है ? उसका उपयोग अब तक क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

वर्ष 72-73 में धनराशि मंजूर नहीं की गई।

बांसवाड़ा क्षेत्र की सड़कों को नेशनल हाई वे से जोड़ने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त राशि का व्यय

377. श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सन् 1970–71 में बांसवाड़ा क्षेत्र को नेशनल हाई वे से जोड़ने हेतु केन्द्रीय सरकार ने 5 करोड़ रुपया राज्य सरकार को दिया ? यदि हां तो उक्त धनराशि का अब तक कहां और कितना किस निर्माण कार्य में उपयोग हुआ ?

उत्तर

जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

मोतीराम कमेटी का प्रतिवेदन

378. श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर किसान आन्दोलन के संदर्भ में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने की दृष्टि से सुझाव देने हेतु राज्य सरकार द्वारा मोतीराम कमेटी की नियुक्ति की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि श्री मोतीराम ने अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है? यदि हां, तो कृपया उस प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाय ?

(3) इस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

(3) आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम उदेई कलां में आवंटित भूमि

379. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गंगापुर सिटी को नगरपालिका के अध्यक्ष ने ग्राम उदेई कलां के खसरा नं. 1482/1 रकबा 9/1/3 एवं खसरा नं० 1482/2 कुल रकबा 44/3 बिस्वा भूमि गंगापुर में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के लिये आवंटित करने की प्रार्थना की है ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश, सवाईमाधोपुर ने इस संबंध में अपनी सिफारिश कर फाईल, भू-सुधार आयुक्त एवं शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर को अन्तिम कार्यवाही हेतु भेज दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर अन्तिम निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जिलाधीश, सवाईमाधोपुर ने इस संबंध में सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने यह प्रार्थना उचित नहीं समझते हुए उसे स्वीकार नहीं किया है।

मोतीराम कमेटी के आधार पर सिंचाई कार्य

380. **श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या राजस्थान परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भाखरा और गंगनहर परियोजना का कितना कितना क्षेत्र राजस्थान नहर परियोजना से सिंचित किया जाता है ? अलग अलग सूचित करें।

(2) मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के बाद गंगनहर क्षेत्र के किस किस और कितने कितने क्षेत्र को राजस्थान नहर का पानी दिये जाने की योजना बनाई गई है? स्थानवार रकबे की तादादवार सूचित करें तथा इस संबंध में कहां कहां से शाखा नहरें तथा उपशाखा नहरें एवं माईनर्स और सब-माईनर्स निकालने की योजना है ?

(3) क्या यह सही है कि छः मासी नहरें एन. पी. और एल. एन. पी. दोनों को बारह मासी बनाने की योजना है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं तथा आज तक इन नहरों को बारहमासी क्यों नहीं बनाया गया है ?

(4) गंगनहर क्षेत्र के किस किस और कितने कितने क्षेत्र को राजस्थान नहर का पानी लग रहा था ? एरियावार, क्षेत्रवार (चकों और गांव के नाम) एवं कहां कब से लग रहा है (तारीखवार) सूचित करें ? क्या यह सही है कि ऐसे सारे क्षेत्र का पानी बन्द कर दिया गया है जिसे राजस्थान नहर का पानी लग रहा था ? यदि सारे क्षेत्र का बन्द नहीं किया गया तो कितने कितने और किस किस क्षेत्र का बन्द किया गया है ? कुछ क्षेत्र का पानी बन्द करने और कुछ का चालू रखने का क्या कारण है ?

(5) क्या यह सही है कि चक 89 जी. बी. गंगनहर का पानी लगता है तथा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

इसे चक के केवल एक परिवार के लोगों को राजस्थान नहर की एम. एम. माईनर से खास मोगा लगाकर पानी दिया जा रहा है? इस परिवार के लोगों के नाम और रकबा बतायें। क्या इसी प्रकार के अन्य और भी केसेज हैं? यदि हां, तो किस किस के तथा किस किस चक में, सूचित करें?

(6) क्या यह सही है कि गंगनहर परियोजना क्षेत्र में राजस्थान नहर का पानी बन्द करने से हजारों एकड़ में खड़ी फसल सूख गई है? इस हानि का जिम्मेवार कौन है? क्या राज्य सरकार इस प्रकार के क्षेत्र में वसूली बन्द कर फसलों की हानि का मुआवजा देगी?

उत्तर

(1) श्री मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भाखड़ा का 5087 एकड़ तथा गंगनहर का 13953 एकड़ क्षेत्र राजस्थान नहर से सिंचित किया जाता है।

(2) श्री मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के बाद गंगनहर क्षेत्र के समेजा वितरिका के 40618 एकड़, करणीजी वितरिका के 77179 व एल. एन. पी. के 2881 एकड़ रकबों को राजस्थान नहर से पानी देने का प्रस्ताव है। मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार ने अभी हाल ही में स्वीकार की है। रकबा स्थानांतरित करने संबंधी इस रिपोर्ट की सिफारिशों को पोंग बांध के पूरा बन जाने पर राजस्थान नहर को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने पर ही लागू किया जाना है। अतः अभी कोई शाखा नहर आदि बनाने की योजना नहीं बनी है।

(3) श्री मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एल. एन. पी. एवं एन. पी. (समीजा सिस्टम) को राजस्थान नहर से गंग नहर के कुछ क्षेत्रों में पानी देने पर बारहमासी हो जाना है। चूंकि अभी तक पोंग बांध बना नहीं है अतएव इन सिस्टमों के बारहमासी होने का प्रश्न अभी नहीं उठ सकता।

(4) सूची संलग्न है। यह क्षेत्र पिछले लगभग चार वर्षों से सिंचित था इस क्षेत्र को राज्य सरकार ने पानी की कमी के कारण राजस्थान नहर परियोजना में हस्तांतरित करने की स्वीकृति नहीं दी है अतएव पानी की कमी को देख कर गंग कैनाल के सारे क्षेत्र में राजस्थान नहर का पानी बंद कर दिया गया है।

(5) राजस्थान नहर विभाग की सूचना के अनुसार चक 89 जी. बी. को गंग नहर का पानी लगता है। जिसका उपयोग कई परिवार करते हैं जिनके नाम निम्न प्रकार से हैं :—

1. श्री संतोषसिंह पुत्र श्री ईसरसिंह
2. श्री जागीरसिंह पुत्र श्री ईसरसिंह
3. श्री धनाराम बहुरिया
4. श्री लेखराज पुत्र श्री सेनदास
5. श्री करतारसिंह पुत्र श्री नाथासिंह
6. श्री दर्शनसिंह पुत्र श्री करतारसिंह
7. श्री भजनसिंह पुत्र श्री लालसिंह
8. श्री लच्छिया पुत्र श्री खेता
9. श्री धाननदास पुत्र श्री लालचन्द

Page No 39

(परियोजना मंत्री)

(1) ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वैसे रबी फसल की बुआई से पहले ही काश्तकारों को राजस्थान नहर परियोजना का पानी बन्द करने के संबंध में विधिवत् नोटिस दे दिया गया था। अतः कोई हानि होने, उसके जुम्मेवार होने, अथवा वसूली बन्द करने और मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विजयनगर तहसील में भूमि का आवंटन

381. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंहनगर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विजयनगर तहसील में उपनिवेशन विभाग द्वारा 1969 से 1972 तक भूमिहीन व्यक्तियों को लाटरी द्वारा जमीन अलाट की गई थी? यदि हां, तो किस किस को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त व्यक्तियों को पुख्ता अलॉटमेन्ट पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) वर्ष 1969 में विजयनगर तहसील में उपनिवेशन विभाग द्वारा कोई अस्थायी भूमि आवंटन नहीं किया गया। वर्ष 1970-71, 71-72 व 72-73 में विजयनगर तहसील में जिन जिन को लाटरी से भूमि आवंटित की गई उनकी सूची संलग्न है।

(2) नियमानुसार यथासंभव शीघ्रता से पुख्ता आवंटन किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

बूंदी जिले में भूमि का आवंटन

382. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले में गत 3 वर्षों से आज तक कुल कितनी भूमि का अलाटमेन्ट किन किन व्यक्तियों के नाम पर किया जा चुका है? तालिका सदन की मेज पर तहसील वाइज रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि बून्दी जिले की केशवराय पाटन तहसील में लाखेरी चमावली, उतरारणा, बुढेल आदि गांवों के भूमिहीन किसानों को भूमि अलॉट नहीं करके अन्य नेताओं व उनके रिश्तेदारों के नाम अलॉट की गई है? कृपया 3 साल से अब तक की तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि लाखेरी के श्री अब्दुलशकूर पटवारी ने ऐसे किसानों को भूमि अलॉट करवाई है जिनके पास पहले से भूमि थी और अब अलॉटमेंट करवा कर दूसरे किसानों को बेचान कर दी है और पुनः अलाटमेंट करवा लिया गया?

(4) क्या यह सही है कि इसकी शिकायत जिलाधीश, बून्दी को की गई थी किन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में गत तीन वर्ष से आज तक तहसील हिन्डोली में 127 व्यक्तियों को, नैनवा में 1517 व्यक्तियों को, केशवराय-

(राजस्व मंत्री)

पाटन में 66 व्यक्तियों को तथा बून्दी में 442 व्यक्तियों को आवंटन किया गया ।

(सूची विस्तृत होने के कारण कार्यालय में देखी जा सकती है ।)

(2) जी नहीं । भूमिहीन किसानों को ही भूमि, भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अलाट की गई है । तहसील केशवराय-पाटन में किये गये आवंटन की सूची संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

बाड़मेर जिले में म्यूटेशन के मामले

383. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में इस समय म्यूटेशन के कितने मामले कब से पेंडिंग हैं ? नामावली देते हुये तहसीलवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) यह सभी मामले पटवारियों के पास कितने दिन तक पेंडिंग रहे ? प्रत्येक मामले के देरी का विवरण देते हुये सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) पटवारियों द्वारा देरी से म्यूटेशन फार्म भर कर पंचायत में पेश करने के कारण किस किस के विरुद्ध क्या क्या कदम उठाया गया ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में नामान्तरकरण के 351 मामले पेंडिंग हैं । जिनकी तहसील-वाइज सूची संलग्न हैं ।

(2) मामलों में देरी का कारण एवं पेंडिंग रहने का कारण सूचियों में दर्शाया गया है ।

(3) इस प्रकार की सूचना तहसील-दारों से नहीं आने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बूंदी जिले में वन विभाग की कृषि योग्य भूमि

384. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी में वन विभाग की कृषि योग्य भूमि राजस्व विभाग में प्रत्येक तहसीलवार कितनी कितनी परिवर्तन की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जो भूमि वन विभाग से राजस्व विभाग में ली जा चुकी है क्या वह भूमिहीनों में वितरण की जा चुकी है ? यदि हां, तो इसमें अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों को कहां कितनी भूमि आवंटन की जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या जिन भूमिहीनों को भूमि आवंटित की है उन्हें वाजिब कब्जे एवं पट्टे दिये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे मामले जो अब तक विचाराधीन हैं एवं कब्जे नहीं दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

Page No 41

(श्री राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) इस जिले में वन विभाग की कुल 24026 बीघा 4 बिस्वा कृषि योग्य भूमि राजस्व विभाग में परिवर्तन की गई है। जिसकी तहसीलवार सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) वन विभाग से परिवर्तित उपरोक्त भूमि में से 1947 भूमिहीनों को 5968-24 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसमें से 911 अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को 3209-24 एकड़ भूमि आवंटित की गई है जिसकी सूची परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(3) जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई है उनमें से 334 व्यक्तियों को कब्जे दिये जा चुके हैं। शेष को कब्जा देने की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार 48 व्यक्तियों द्वारा नियमानुसार पट्टा फीस जमा करवा देने से उनको पट्टे दिये जा चुके हैं। शेष व्यक्तियों के द्वारा पट्टा फीस जमा करवा देने पर उनको भी पट्टे दिये जावेंगे।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)।

नये-न्यायालयों में मजिस्ट्रेटों एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति

385. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में ऐसे कितने न्यायालय हैं जिनका सृजन किये एक साल से भी अधिक अर्सा हो चुका है, लेकिन वहां मजिस्ट्रेट अथवा न्यायाधीश की नियुक्ति अब तक नहीं की गई है? इन जगहों पर अब कब तक नियुक्ति करदी जावेगी?

उत्तर

मुंसिफ दण्डनायक के आठ न्यायालय ऐसे है जिनका सृजन हुए एक साल से अधिक हो चुका है। परन्तु उनमें अब तक अंशकालीन अधिकारी ही कार्य कर रहे हैं। इन न्यायालयों में कार्य की मात्रा के अनसार तथा न्यायाधिकारी प्राप्त होने पर पूर्णकालीन अधिकारियों की नियुक्तियां करदी जावेगी।

तहसील खेरवाड़ा के आदिवासियों द्वारा भूमि का बेचान

386. श्री विद्या सागर (खेरवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत 8 वर्षों में तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर में कई आदिवासियों (भील मीणा) की जमीन स्वर्ण लोगों द्वारा खरीदी गई है? यदि हां, तो क्या उनका रजिस्ट्रेशन खेरवाड़ा की तहसील में हुआ है? यदि हां, तो सन् 1962 से सन् 1970 तक किन किन आदिवासियों ने किन किन स्वर्ण व्यक्तियों को कितने कितने बीघा जमीन कितने रुपये में कब कब बेची, कब रजिस्ट्रेशन हुआ? नाम तथा गांव का नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि आदिवासी की जमीन को कोई भी स्वर्ण व्यक्ति नहीं खरीद सकता है? यदि हां, तो फिर तहसील में रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हो गया?

(श्री राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) सन् 1962 से सन् 1973 तक किसी भी आदिवासी की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्ति को बेचने का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

(2) जी हां। आदिवासी की भूमि नियमानुसार नहीं खरीद सकता। लेकिन रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है।

सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त भूमि का आवंटन

387. **श्री प्रतापसिंह** (किशनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 31 दिसम्बर, 1972 तक जो सीलिंग कानून प्रभावशील था उसके अन्तर्गत जो भूमि अवाप्त की गई है उसका शत प्रतिशत आवंटन किया जा चुका है ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों तथा आवंटन के अभाव में कितने प्रतिशत भूमि पड़ी रही है ? क्या इससे सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह आवंटन करने में देर इसलिये हुई है कि आवंटन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने में साधारणतः कुछ देर हो जाती है। लेकिन अब शीघ्रता से आगामी कृषि वर्ष से पूर्व इनका आवंटन करने का प्रयास किया जावेगा इससे राजस्व के लगान का नुकसान हुआ है।

बारां में भूमि का आवंटन

388. **श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती गुलाबदेवी पत्नी रघुनाथ, निवासी बारां को उप-राजस्व सचिव, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र संख्या एफ० 2 (86) राजस्व ख।69, जयपुर, दिनांक 26-4-1969 तथा क्रमांक एफ० 2 (86) राजस्व (ख) 69, दिनांक 15-11-1969 को 25 बीघा भूमि आवंटित किए जाने के आदेश जिलाधीश, कोटा को दिए गए थे ?

(2) यदि हां, तो क्या भूमि का आवंटन किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश का दिनांक 21-4-69 है।

(2) ग्राम करनाखेड़ा की आराजी खसरा नं० 331 की 25 बीघा भूमि का आवंटन मुस० गुलाबदेवी को किया गया था। उक्त आराजी चरागाह की थी। जिसकी किस्म परिवर्तन परगना अधिकारी, बारां द्वारा की गई। किस्म परिवर्तन के आदेश के विरुद्ध ग्रामवासियों की ओर से राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील करने एवं वहां से अपील स्वीकार होने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया था।

Page No 43

खटखड़-गेडोली-लाखेरी चम्बल की नहर

389. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खटखड़ से गेडोली-लाखेरी वाया सवाई माधोपुर तक चम्बल की नहर आगे ले जाने हेतु सरकार के द्वारा सर्वे करवा कर मंजूरी प्रदान कर दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है और करीब 7-8 वर्षों से वहां की जनता को अकाल का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत इस पर कार्य शुरू करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) इस योजना का सर्वे करा के तखमीना बनाया जा चुका है परन्तु अभी यह केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

(2) इतनी बड़ी योजना को जिसकी अभी स्वीकृति भी नहीं हुई है, अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ करना सम्भव नहीं है ।

टाइम बार्ड अपीलें

390. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सन् 1967 से लेकर अब तक राजस्थान उच्च न्यायालय से राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत कितनी और किस किस की अपीलें टाईम बार्ड होने के कारण से खारिज हुई हैं ?

(2) इन खारिज अपीलों में किस किस अपील में कितनी कितनी धनराशि का किस किस प्रकार का विवाद था ?

(3) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि अपीलें किन किन की गल्तियों के कारण खारिज हुई हैं ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

(4) यदि नहीं, तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में सूचना सन् 1970 से ही उपलब्ध है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) संलग्न सूची के मामले उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं । अतः विधान सभा के कार्य संचालन नियमों के नियम 37 (2) (vii) के प्रावधान के अनुसार उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है ।

(3) उच्चतम न्यायालय के निर्णय होने के पश्चात् इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

बाढ़ की रोकथाम का स्थाई हल

391. **श्री मोठालाल** (लालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सवाई माधोपुर व भरतपुर

(श्री मीठालाल)
जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ की रोक-थाम हेतु सरकार ने कोई स्थाई हल निकाला है।

(ख) यदि हां, तो क्या तथा उस पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) सवाई माधोपुर व भरतपुर जिलों में बाढ़ की रोक-थाम के लिए सारे क्षतिग्रस्त बांधों को ठीक व मजबूत कराया जा रहा है और उनकी डिजाईन नये सिरे से करके इनकी जल निकास क्षमता बढ़ाई जा रही है। समस्या के स्थाई हल के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर योजना बनाई जावेगी।

(ख) सर्वेक्षण होने एवं पूरी योजना बनने के बाद ही इस विषय में कुछ कहना सम्भव होगा।

मोरेल सागर बांध

392. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि लालसोट तहसील (जयपुर) स्थित मोरेल सागर बांध की ऊंचाई बढ़ने एवं मुख्य नहर में से अन्य मुख्य सहायक नहरें निकालने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, मोरेल सागर बांध को दो फुट ऊंचा करने व इस की पूर्वी नहर को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-73)

सिवाय चक व सीलिंग से प्राप्त भूमि

199. श्री जयकिशनलाल तोसावाड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कितनी सिवाय चक भूमि है ? हर तहसीलवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) हर तहसील में सीलिंग कानून के अन्तर्गत कितनी कितनी जमीन मिलेगी? तहसीलवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) सिवाय चक व सीलिंग से मिलने वाली भूमि कब तक भूमिहीनों में अलाट कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में 45,78,132 एकड़ आवंटन योग्य सिवाय चक भूमि है जिसके तहसीलवार आंकड़े संलग्न हैं। जिला जयपुर व जोधपुर के आंकड़े इसमें सम्मिलित न हैं।

(2) मौजूदा सीलिंग कानून की धारा 13 के अन्तर्गत जब तक विवरण प्रकाशित नहीं हो जाता है यह बताना सम्भव नहीं है कि कितनी कितनी जमीन मिलेगी।

(3) सिवाय चक भूमि जो काबिल काश्त है, उसके आवंटन की नियमानुसार कार्यवाही जारी है और शीघ्र ही आवंटित कर दी जावेगी। सीलिंग नियमों के अन्तर्गत भूमि जब धारा 16 के अनुसार राज्य

(श्री अध्यक्ष)
द्वारा अधिग्रहित कर ली जावेगी, तब धारा 21 के अन्तर्गत आवंटन की जावेगी, जिसमें अभी समय लगेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि:–

(1) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, मनोहरलाल, भानुकुमार शास्त्री व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने नागौर जिले में गत 21 मार्च को एक छात्र की हत्या के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं चाहूंगा कि इस विषय में राज्य सरकार एक वक्तव्य दे । मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(2) दिनांक 21-3-73 को सर्वश्री योगेन्द्रनाथ हांडा व केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने गंगानगर जिले के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में राजस्व की वसूली की जा रही है। इस विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । इस विषय के स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुये मैं यह चाहूंगा कि राजस्व मन्त्री जी सदन में एक वक्तव्य दें ।

(3) श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने मार्क्सवादी नेता श्री मोहन पुनमिया को प्राप्त हुए जान से मार डालने की धमकी भरे पत्र के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(4) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, अजीतसिंह, भानुकुमार शास्त्री और मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा ने गत 21 मार्च को कोटवाली, टोंक में निवाई के थानेदार द्वारा कुछ व्यक्तियों की पिटाई के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

(5) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा ने चने की फसल मण्डी में आने के बाद सरकार के पास किसानों को उचित मूल्य दिलाने की कोई योजना नहीं है, इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है । अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(6) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री व मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान शिक्षक संघ के अध्यापकों द्वारा की जा रही भूख हड़ताल के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। चूंकि आज सदन में शिक्षा की मांगों पर बहस हो रही है। अतः माननीय सदस्य इस प्रश्न को सदन में उठा सकते हैं और शिक्षा मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें । मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(7) श्री झाबरमल सूण्डा, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर व अन्य सारे जिलों में सारे वकीलों द्वारा कचहरियों का बहिष्कार कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में 2 स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। चूंकि

(श्री अध्यक्ष)

इसका सम्बन्ध जयपुर में हाईकोर्ट की बैंच लाने के प्रश्न से है, जिस पर सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। अतः मैं इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) दिनांक 14-3-73 को श्री गिरधारीलाल भार्गव और श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों द्वारा की गई भूख हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। चूंकि भूख हड़ताल उठा ली गई है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री रामसिंह कुड़ी, श्री मनोहर लाल और श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 26 फरवरी, 1973 को नागौर शहर में हुये साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में 2 स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, आपने जानकारी के लिए जो व्यवस्था दी है, वह उचित है। मैं आपके सामने वह लैटर पेश करता हूं—

"Mr. Poonamiya,

Your party is holding demonstration on 26th instant on certain basic demands. The demands are justified. No two opinions. But our demand is also most justified. You add this demand in your agitation programme. Be vocal about it. Impress and educate your cadre for this. The demand is: "Release 93000 Pakistani P. O. Ws. immediately." Take it as ultimatum. If this is not done, three of your State leaders will be annihiliated as a first step. They will be: (i) Mohan Poonamiya, (ii) Prem Kesun, (iii) Sheopat Singh. Please don't mis-understand. This is policy matter. Our ultimate goal is unification of this Souch Asian sub-continent which has been separated due to evils of your Hindu leaders of old generation. Till then, Pakistan Zindabad.

Black December,
Western India Group."

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव दिये थे। वह अभी भी विधान सभा के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था हो गई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करूंगा कि भू० पू० शिक्षा मन्त्री और वर्तमान मुख्य मन्त्री ने यह सिफारिश की है।

श्री अध्यक्ष : इस अधिकार का उपयोग आप करना चाहें तो अभी कर लें। फिर आगे नहीं मिलेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अभी कर लेता हूं।

एक माननीय सदस्य : अभी कर लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, माननीय भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान मुख्य मन्त्री ने इनकी सिफारिश की है। भू० पू० शिक्षा मन्त्री, शिवचरण माथुर ने सिफारिश की है कि उनका ग्रेड 300 से 800 किया जाये। 600 से 900 का किया जाये। मगर वह नहीं बढ़ाया गया। सीनियर टीचर को डिग्री कॉलेज में उनकी वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ अध्यापकों को लेक्चरार माना जाये। वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दूसरे राजस्थान शिक्षक संघ की दोनों पार्टियों को बुलाकर समझौता कराने की कोशिश की थी। आज भी वह 21 तारीख से राजस्थान विधान सभा के सामने क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। मैं निवेदन करूंगा माननीय शिक्षा मन्त्रीजी उधर भी ध्यान दें। जो वरिष्ठ अध्यापक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उत्तर देते समय उस पर भी प्रकाश डालेंगे।

श्री अजीतसिंह (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा ....

श्री अध्यक्ष : उसके लिए जानकारी चाही है।

श्री अजीतसिंह : वहां पर बन्द करके लोगों के साथ में मारपीट की गई है।

श्री अध्यक्ष : गृह राज्य मन्त्रीजी सुन रही हैं। जानकारी चाही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पावर कट के संबंध में पूछा था।

श्री अध्यक्ष : किस बारे में?

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिजली कट के संबंध में।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नागौर के बारे में दिन नियत कर दें। वहां पर 144 लगी हुई है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र
अधिसूचना

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 22 (30) राज/उप/65, दिनांक 18 जनवरी, 1973 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (मण्डियों की भूमि का विक्रय एवं आवंटन) नियम 1957 में संशोधन किये गये हैं; सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
भू० पू० जयपुर महाराजा के कब्जे में सिटी पैलेस एवं चन्द्र महल के कुछ भाग को नेशनल ट्रस्ट के रूप में राजकीय उपयोग हेतु सुरक्षित करवाने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रस्ताव, भू० पू० महाराजा, जयपुर की निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिया था।

श्री अध्यक्ष : इतना ही कहना काफी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी इस प्रकार है :—

जब देशी रियासतों का एकीकरण हुआ तब भारत सरकार एवं देशी रियासतों के भूतपूर्व राजाओं के बीच अनुबन्ध हुये। इन अनुबन्धों के अनुसार भारत सरकार ने राजाओं की सम्पत्तियां (प्रिवीपर्स) निश्चित की।

सिटी पैलेस जयपुर के सम्बन्ध में अनुबन्ध एवं प्राइवेट प्रापर्टीज सैटल्मेंट के अन्तर्गत स्थिति निम्न प्रकार है :—

सिटी पैलेस, जयपुर को भूतपूर्व जयपुर नरेश के परिवार की निजी सम्पत्ति माना गया है, पर यह शर्त भी लगाई गई कि सिटी पैलेस में जो कला का संग्रहालय है उसके लिये एक 'नेशनल ट्रस्ट' बना लिया जाय और सम्पत्ति को ट्रस्ट अथवा राज्य सरकार द्वारा चलाया जाय। जयपुर के भू० पू० नरेश ने सन् 1959 में, इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में एक ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट का नाम 'हिज हाईनेस महाराजा मानसिंह म्यूजियम जयपुर म्यूजियम ट्रस्ट' रखा गया। यह ट्रस्ट एक पब्लिक ट्रस्ट की श्रेणी में आता है और यह (इरिवोकेबल) है। चूंकि इसको नेशनल ट्रस्ट वर्णित नहीं किया गया अतः भारत सरकार से इस बारे में विस्तृत पत्र व्यवहार किया गया। भारत सरकार से जो राय आई वह इस प्रकार है :

"Since there is no Act to dea with National Trust, it would not be possib'e to differentiate between a 'Public Trust' and a 'National Trust'. As the then Maharaja of Jaipur had created a trust called 'His Highness the Maharaja of Jaipur Museum Trust' in May, 1959, in respect of art treasure in the city palace, Jaipur, the condition laid down in the inventory of private properties of the ex-ruler of Jaipur was satisfied."

इस ट्रस्ट पर नियंत्रण केवल ट्रस्ट कानून के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। देवस्थान कमिश्नर, भारत सरकार की राय आने के बाद ट्रस्ट का विस्तृत निरीक्षण करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

भारत सरकार की राय के अनुसार टिकिट पर रोक लगाना अथवा प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार द्वारा लेना सम्भव नहीं है।

भारत सरकार ने यह भी राय दी है कि राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त होने के बाद

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

भी उनकी सम्पत्ति पर कोई कानूनी अन्तर नहीं आया है। और जो स्थिति पूर्व में थी वही स्थिति आज भी बनी रही है। दीवाने आम, सर्वतो-भद्रा, चन्द्रमहल और जय निवास बाग भी भूतपूर्व जयपुर नरेश की प्राइवेट प्रापर्टी हैं। प्राइवेट प्रापर्टी सैटिलमेंट के अनुसार केवल राजप्रमुख के राजकीय समारोहों पर ही इसका उपयोग किया जा सकता। राजप्रमुख के पद के समाप्त होने के बाद इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। राजप्रमुख के समय भी इन महलों के मेन्टीनेन्स पर जो खर्च आया उसके भुगतान के बारे में विवाद चल रहा है। राजप्रमुख के पद को समाप्ति के बाद राज्य सरकार ने इन पर कोई व्यय नहीं किया है।

जनानी ड्योढ़ी निश्चित रूप से राजकीय सम्पत्ति है। जयपुर नरेश के अधिकार में नहीं है। प्राइवेट प्रापर्टी सैटिलमेंट के अनुसार जनानी ड्योढ़ी में रहने वाली औरतें जब तक जिन्दा रहती हैं तब तक वे इस भवन का उपयोग कर सकती हैं।

आतिश और बग्गीखाना बिल्डिंग भी जयपुर के भूतपूर्व नरेश की पारिवारिक सम्पत्ति है। राज्य सरकार अगर इन भवनों को लेना चाहती है तो इनके बजाय दूसरे आतिश व बग्गीखाने की बिल्डिंग बनाने के लिये धन का प्रावधान करना होगा ऐसा भूतपूर्व जयपुर नरेश की प्राइवेट प्रापर्टी सटलमेंट में लिखा गया है।

संविधान में 26 वें संशोधन के बाद भी भूतपूर्व नरेशों की व्यक्तिगत सम्पत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस प्रश्न पर भारत सरकार की राय नीचे अंकित की जाती है :

"It was clarified by Shri Gokhale that the private properties were not given to the ex-rulers by the Government of India at the time of signing the covenants. The covenants were agreements between the two sovereign powers through which all the properties of the erstwhile States were divided into two categories 'Private Properties' and 'State Properties'. The Constitution (26th Amendment) Act, 1971 does not affect the properties which were recognised as private properties in accordance with the settlements with them. Therefore, the properties which had vested in the rulers in accordance with the settlements will continue to remain with them."

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार स्वयं ही इन प्रश्नों पर लगातार विचार करती रही है और इन पर भारत सरकार की राय भी प्राप्त होती रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो भी उत्तर दिया है उसके अन्दर भारत सरकार ने जो राय दी है उसको यहां इस सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया है, स्वयं अपने लॉ डिपार्टमेंट के जरिये या इंडिपेंडेंटली इस पर कोई नतीजे पर राज्य सरकार ने स्वयं पहुंचने की कोशिश नहीं की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समें जो सिटी पैलेस में आर्ट कलेक्शन के सम्बन्ध में नेशनल ट्रस्ट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

क्रियेट करने की बात कही गई थी, आज यह बात कहना कि नेशनल ट्रस्ट बनाने जैसा कोई कानून ही नहीं है–मैं यह समझता हूं कि जिन्होंने जिस समय एग्रीमेंट किया उस समय किसकी यह गलती थी, यहां वह बात को कह कर, जिन लोगों ने यह एग्रीमेंट किया है, उनकी गलती को कन्फेस किया जा रहा है कि नेशनल ट्रस्ट जैसी कोई चीज नहीं थी, उसके बावजूद नेशनल ट्रस्ट कह कर इस प्रकार का एग्रीमेंट किया गया। मेरा यह निवेदन है, इसमें यह कहा गया है कि अगर नेशनल ट्रस्ट है तो यह मेन्टेन की जायगी गवर्नमेंट के जरिये, यदि नेशनल ट्रस्ट नहीं है तो फिर जो ऑर्डिनरी ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट को आप नेशनल ट्रस्ट मानें–यह दुरुस्त नहीं है। और फिर मेन्टीनेन्स का जहां तक ताल्लुक है उसके बारे में स्पष्ट कहा गया है :

"This will be used for the state purpose and to be maintained by the Trust or by the Govt. if that National Trust dose not exist."

तो कम से कम मेन्टीनेन्स तो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए था। इसको हिज हाईनेस ने अपने नाम में एक ट्रस्ट क्रियेट कर दिया तो एक तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस समय हिज हाईनेस ने ट्रस्ट क्रियेट किया, क्या उस समय स्टेट गवर्नमेंट से इस बारे में कोई परामर्श, विचार-विमर्श हुआ था और इस पाइन्ट को, इस ट्रस्ट को कौन-कौन क्रियेट करे और कौन इसका बेनिफिशियरी हो-यह सब बातें क्या स्टेट गवर्नमेंट से हिज हाईनेस ने बात करके तय की थी ? क्या स्टेट गवर्नमेंट ने कन्सेन्ट दी थी ? हां भरी थी; हां क्रियेट कर ली ? क्यों नहीं, राज्य सरकार ने अपने अधिकार में इस चीज को, इस म्यूजियम को लिया और आर्ट के ट्रेजर को अपने पास रखा ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, पीछे जो इवेन्ट्स हुए, जिसके जरिये म्यूजियम इस चीज को माना, सारा मामला सामने आया है यह भी पब्लिक में चर्चा का विषय है, इस चीज के क्रियेट लेट हिज हाईनेस के कोलूजन से आर्ट की चीजें हैं उनकी चोरी कराई गई है और उनकी प्रोपर्टी को इस तरह से चोरी करके ज्यादा कीमत में बेच कर उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) और नेशनल ट्रस्ट जसा यदि कोई कानून नहीं था तो वह बनाया जा सकता था, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऐसा एग्रीमेंट उन्होंने किया है तो पब्लिक की तरफ से किया है रूल्स से, पब्लिक के प्रति जो कमिटमेंट दिया है, उसको पूरा करने के लिये यह प्रापर्टी पब्लिक प्रापर्टी के रूप में पब्लिक एजेंसी के द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए थी। अब दूसरे तरीके से भारत सरकार या राज्य सरकार राजाओं के प्रति दूसरा दृष्टिकोण उनको और कन्सेशन देने का अपनाये, इसलिए यह दृष्टिकोण अपना रहे हैं वरना जो कमिटमेंट दिया हुआ है, जो एग्रीमेंट है उसके खिलाफ भी महाराजा ने जो एग्रीमेंट किया है, उसकी स्प्रिट के भी खिलाफ है। दूसरा निवेदन करना है, इस ट्रस्ट के बावजूद भी इसका मेन्टीनेन्स स्टेट गवर्नमेंट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर सकती है। इसके अन्दर यह कम्पलसरी नहीं है कि हर हालत में ट्रस्ट ही करेगा इसका मेन्टीनेंस, ट्रस्ट भी बन गया, तो उस ट्रस्ट में सरकार का क्या हाथ है, उस ट्रस्ट की क्या पोजीशन है, उसकी एक कॉपी सदन की मेज पर रखें, कौन कौन बेनिफिशियरी हैं, कौन कौन ट्रस्टी हैं, स्टेट गवर्नमेन्ट का कितना इन्टरवेंशन है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात को देखा, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, और प्रापर्टी का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है ? एक पाइन्ट। दूसरा पाइन्ट, जो जवाब में कहा है कि जो टिकिट महाराजा साहब वसूल करते हैं इस ट्रस्ट के जरिये, मैं समझता हूं कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट की तहत ट्रस्टी की पॉवर डिफाइन है, कौन से सेक्शन के तहत इसके ऊपर यह टिकिट लागू किये गये हैं ? किसी भी प्राइवेट आदमी को अपनी प्रापर्टी में किसी को नहीं आने-जाने का अधिकार हो सकता है, उनको है, लेकिन उस पर टिकिट लगा दें, तो टिकिट लगा कर टैक्सेशन की पॉवर जो स्टेट गवर्नमेंट की है, जो स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की है, प्राइवेट आदमी, प्राइवेट ट्रस्ट को इस प्रकार की पॉवर नहीं है, इसलिए यह टिकिट लगाना गैर कानूनी है। इस उत्तर में इस बात के लीगल आस्पेक्ट के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है, यह कहा गया, वसूल नहीं हो सकता। मैं निवेदन करूंगा, यह वसूल होना चाहिए और इसके ऊपर जो भी पैसा है, या तो एबॉलिश होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में यह प्रापर्टी आनी चाहिए। तीसरा पाइन्ट, जिसको मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा, जो भी कोवीनेन्ट है, यह कोवीनेन्ट एक्सेशन के वक्त पुराने जो रूलर थे, उन रूलर्स के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हुआ था, इसलिए इस कोवीनेन्ट की एक पार्टी थी एक्स-रूलर और एक्स-रूलर ऑफ जयपुर स्टेट था, रूलर था उस समय जयपुर का, अब कान्स्टीटयूशन में अमेंडमेंट के अनुसार रूलरशिप एबॉलिश कर दी है, रूलरशिप डज नॉट एक्जिस्ट इन लॉ, इसलिए रूलर के नाम में जिसमें कहीं भी प्रापर्टी थी और बेनीफिशियरी थे एज रूलर, नॉट एज ए पर्सन, जहां वह रूलर थे, वहां स्टेटस उनकी खत्म हो चुकी है, इसलिए जो एग्रीमेंट, जो लिस्ट है, यह लिस्ट बनी थी, यह हिज हाईनेस, जयपुर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में थी। अब हिज हाईनेस जयपुर नहीं रहे, रूलर नहीं रहे हैं तो श्री भूतपूर्व मानसिंह नाम से कोई प्रापर्टी नहीं थी इसलिए मानसिंह के नाम से प्राइवेट प्रापर्टी नहीं है, जो रूलर की प्रापर्टी थी देट रिवर्टस टू द स्टेट यह मेरा कन्टेन्शन है जिसका कोई उत्तर दलील के तौर पर नहीं दिया गया, केवल यही एक्सप्लेन किया गया कि यह भारत सरकार के ज्युरिसडिक्शन का प्रश्न है।

यह प्रश्न देश की आजादी के आन्दोलन के साथ जुड़ा हुआ है। देश की आजादी के आन्दोलन के द्वारा जो इस सरकार को उपलब्धि हुई है उसको इम्पलीमेंट करने की जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट पर है। अगर यह गवर्नमेंट अपने पोलीटिकल कन्सीडरेशन्स की वजह से इन एक्स-रूलर्स के साथ, जिनको जनता ने इतनी जबर्दस्त ताकत के साथ एबॉलिश किया है, उनके साथ कोई नया पोलीटिकल सैटलमेंट करना चाहते हैं, और जो आज नजर भी आ रहा है कि जब कभी कोटा महाराजा के जमीन

Page No 52

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बेचने का सवाल आता है या बूंदी महाराजा के जंगल काटने का सवाल आता है तो यह ट्रेजरी बेंचेज चुप रहती हैं, अगर इन लोगों के साथ गवर्नमेंट पोलीटिकल सैटलमेंट करना चाहती है तो यह बहुत गलत बात है। तो यह जो नया रिलेशनशिप क्रियेट किया जा रहा है, यह हो सकता है कि ऊपर की डाइरेक्शन्स हों, या यहां की डाइरेक्शन्स हों, उसकी वजह से क्रियेट किया जा रहा हो, लेकिन यह सही है कि आजादी के आन्दोलन का यह बिट्रेयल है। अगर यह सरकार करती है, या भारत सरकार करती है, एक नया पोलीटिकल सैटलमेंट इन एक्स-रूलर्स के साथ, जो आज मरी हुई लाश है, उनके साथ अपने फायदे के लिये पोलीटिकल सैटलमेंट करना चाहती है, उनको पुनर्जीवित करना चाहती है उनको कन्सेशन्स देना चाहती है जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था और पहले कहा था कि बिना मुआवजा दिये इनका प्रिवीपर्स बन्द करेंगे पर उसके बाद दस करोड़ रुपये इन रूलर्स को दे दिये, उनका एक पोलीटिकल ब्राइबरी के रूप में दस करोड़ रुपये दे दिये, तो यह देश में डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने की कोशिश है।

मुझे ऐसा लगता है कि यह सवाल इन्टरप्रिटेशन का नहीं है, पर इस राजस्थान की हुकूमत ने एक नई पोलीटिकल लाइन चाक आउट की है जिसमें रिएक्शनरी फोर्सेज के साथ लगातार लड़ने के बजाय उनके साथ कोलाबोरेशन, उनके साथ कोलूजन करना चाहती है और उन मरी हुई लाशों को वापिस जिंदा करने की कोशिश कर रही है। बजाय इसके कि आम जनता के हित के लिये कदम उठाये, उनके खिलाफ काम कर रही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजप्रमुख के सम्बन्ध में कहा गया कि जो राजप्रमुख के सेरिमोनियल पर्पजेज के लिये चीजें होती थी . . .

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, अगर इस डिबेट का मैं जवाब दूं तो अच्छा रहेगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो . . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्वयं ही परिचित हैं कि कॉल अटेंशन में डिबेट होती नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हैड ऑफ दी स्टेट राज्यपाल हैं, तो जो प्रापर्टी राजप्रमुख के सेरिमोनियल पर्पजेज के लिये इस्तेमाल होती थी, वह राज्यपाल के लिये भी हो सकती है, और उस रूप में उस पर कब्जा और उसका मेन्टीनेन्स राज्य सरकार को ही करना चाहिये। इसको जो आप जयपुर के खानदान को वापिस दे रहे हैं, तो मेरा निवेदन है इस कॉल अटेन्शन के द्वारा कि तमाम रूलर्स के साथ जिस प्रकार का सैटलमेंट कर रहे हैं, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। यह केवल जयपुर का ही सवाल नहीं है, तमाम रूलर्स की प्रापर्टी जो सेरिमोनियल पर्पजेज के लिये आपने दे दी, रूलरशिप खत्म होने के बाद भी आपने वह चीजें वापिस नहीं लीं और उस पर रूलर्स कब्जा कर बैठे हैं, चाहे वह ज्वैलरी हों, चाहे मूवेबिल प्रापर्टी हो,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहे इम्मूवेबिल प्रापर्टी हो, बावजूद कान्स्टीट्यूशनल चेन्जेज के, आपने वही पुराना रास्ता अपनाया, उनको कन्सेशन्स दिये जा रहे हैं, यह जनहित के खिलाफ है।' आप इनको मुआवजा भी देते रहें, उनको कन्सेशन्स भी देते रहें, तो फिर जब आप जनता के पास टैक्स के लिये बात करने जाते हैं, उस वक्त आपका खोखलापन नजर आता है और आपकी सिन्सियेरिटी नजर आती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस पर पुनः विचार करें और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को भी पुनः विचार करने के लिये कहें। जो पैसे का सवाल है जो उन्होंने वसूल किया है, जो ट्रस्ट के कन्ट्रोल करने का सवाल है, उस पर; बावजूद आपके इस जवाब के, आपको पुनः विचार करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह सामान्य प्रशासन की मांग के समय इस पर कहें।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कह दूं।

श्री अध्यक्ष : जैसी आपकी इच्छा।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान सरकार का सम्बन्ध है, राजस्थान सरकार भारत सरकार को बराबर लिखती रही है, बातचीत भी करती रही है और इस बात की कोशिश करती रही कि जिस तरीके की चीजें हों वह होनी चाहिये। आज जब मैं जनरल डिबेट का जवाब दूंगा तब बताऊंगा कि हमने क्या क्वेश्चन्स पौज किये थे और भारत सरकार से क्या जवाब मिला है।

जहां तक कोवेनेन्ट का सवाल है, कोवेनेट तो भारत सरकार और उन लोगों के बीच में हुआ है जो किसी जमाने में राजा थे या नवाब थे। उस कोवेनेन्ट के अन्दर कुछ कन्सेशन्स एक्स-रूलर्स को दी गई थीं और 26वीं अमेन्डमेंट के बाद वह खत्म कर दी गई।

जिस म्यूजियम ट्रस्ट के बारे में आपने कहा, उसके लिये भारत सरकार को लिखा, यहां के ला सेक्रेटरी को वहां भेजा और ला सैक्रेटरी को भेजने का मतलब यही था कि हमारा व्यू-पाइंट भारत सरकार के सामने रख दिया जाये। भारत सरकार ने इसको नेशनल ट्रस्ट नहीं माना, इसको दूसरा ट्रस्ट माना। मानने के बाद हमारे अधिकार में जो चीज थी उसको हम कर रहे हैं। देवस्थान की चीजें हैं, उनके लिये हमने आर्डर दिया था कि उनका निरीक्षण किया जाये और देखा जाये कि क्या है क्या नहीं है, कितनी एन्ट्रीज जायज हुई हैं और कितनी चीजें बाकी हैं। इस तरीके से यह जब चालू हुआ तो बाकायदा क्रम चला और लोगों को सजा भी दी गई। इसी तरीके से मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो टिकिट्स लगाई हैं, वह आम तौर से जो ट्रस्ट प्रापर्टी होती है, वह लगाती हैं और उस पर एन्टरटेनमेंट टैक्स भी वसूल किया जाता है।

तो जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पाइंटेड इश्यूज हमने गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के सामने रखे हैं, वह जब मैं माननीय सदस्यों के सामने पेश करूंगा तो उनको यकीन हो जायेगा कि राजस्थान सरकार कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जिसकी

(श्री बरकतुल्ला खां)

वजह से उनको फायदा पहुंचे। लेकिन भारत सरकार की हाइएस्ट ओपीनियन, हाइएस्ट लीगल ओपीनियन है, वह एक तरीके से उसको इन्टरप्रेट करता है तो उस इन्टरप्रिटेशन में हम दखल नहीं दे सकते, क्योंकि प्राइमरिली यह जो केवेनेन्ट साइन हुआ था वह भारत सरकार और इन लोगों के बीच में हुआ था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मुख्य मंत्री ने स्वयं कभी प्रधान मंत्री से इस प्रश्न को इतना इम्पार्टेन्ट समझते हुए बात की ?

श्री बरकतुल्ला खां : मेरी प्रधान मंत्री से बहुत सी बातें होती हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो मालूम है।

श्री बरकतुल्ला खां : और सरसरी तौर से होम मिनिस्टर से भी इस पर बात हुई। लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फोर होम अफेयर्स के सामने तो विस्तार के साथ यह रखा गया है और हमने कहा है कि हमारी पोजीशन मुश्किल होती जा रही है और हम पर डाउट्स किये जा रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : आपने प्रस्ताव नहीं रखा है इसलिए आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ट्रस्ट की डीटेल्स नहीं बतायी मुख्य मन्त्री जी ने।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यहां पर मुख्य मन्त्री ने जवाब दिया लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इन्वेन्ट्री में आतिश मार्केट और बग्गीखाने के लिये लिखा है कि अगर राज्य सरकार उसे लेना चाहती है तो उसके बदले राज्य सरकार को दूसरी जमीन उनको देनी पडेगी। इसलिये उसके लिये आतिश मार्केट और बग्गीखाने के बदले में उनके लिये रावलजी के बन्धे पर जमीन रिजर्व करके छोडी थी। आज स्थिति यह है कि वह जमीन वहां पर भी रिजर्व पडी हुई है और इधर उन्होंने आतिश मार्केट के अन्दर कई दुकानें बनाकर एक बहुत बडा बाजार बनाकर वहां दुकानें किराये दे दी है जिससे उन्हें हजारों रुपये माहवार का फायदा हो रहा है। आज रावलजी के बन्धे पर जो जमीन छोडी हुई है वह वहां पर पडी है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आतिश मार्केट की जो जगह है वह बहुत ही महत्वपूर्ण जमीन है जहां से राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का लाभ हो सकता है। आज जो हमारी जयपुर में घडियां लगी हुई हैं उन्हें वहां पर दुकानों में बसाया जा सकता है और हमारी घडियों की प्रोबलम हल हो सकती है। इसके बारे में राज्य सरकार से यह प्रश्न है कि उसके लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री केदारनाथ : अभी एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि अभी आपने कोई नये रिलेशन कायम किये हैं। ये नये

(श्री **केदारनाथ**)
रिलेशन क्या कायम हुए हैं, कोई एग्रीमेन्ट हुआ है क्या ?

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि न तो कोई रिलेशन कायम हुए हैं और न कोई बात।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात जाने दें बरकत साहब··

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, इसमें नये रिलेशन की कोई बात नहीं है जो लोग कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखते हैं और कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं। आज कोई जन-संघ वाले जनसंघ को मदद करना चाहते हैं या जनसंघ की नीतियों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई चाहे तो कम्यूनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना चाहे तो खुल कर सपोर्ट कर सकता है। इसमें किसी तरह की बात नहीं है। अगर कोई राजा महाराजा भी कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है लेकिन हमने उनसे कोई समझोता नहीं किया है और न ही उन्हें कोई कन्सेशन ही दिये हैं। मैं जब सामान्य प्रशासन की मांगों पर जवाब दूंगा जब आपको जवाब बता दूंगा कि हमने गवर्नमेंट आफ इण्डिया से कई पोइन्टेड इश्यू पूछे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग कांग्रेस के सपोर्ट में विश्वास रखते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं उन्हें हम रोक नहीं सकते हैं। इलेक्शन में आपने हमारी नीतियों को सपोर्ट किया था।

श्री मीठालाल : क्या अब तल्लाक हो गई है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं यह स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूं कि हम किसी का सपोर्ट मांगने नहीं गये लेकिन जो सपोर्ट देना चाहे उन्हें मना नहीं कर सकते। लेकिन इस सपोर्ट में कोई कन्डीशन नहीं है। जहां तक जमीन के बारे में सवाल है मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी मैं जब सामान्य प्रशासन की मांगों पर उत्तर दूंगा जब सभी बातें बता दूंगा। अब उसमें देखना पडेगा कि क्या कान्ट्रैक्ट हुआ था उसका इम्पलीमेन्टेशन हुआ या नहीं यह सभी देखना पड़ेगा लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अब उन्हें कोई प्रिविलेज नहीं है और वे एक प्राइवेट व्यक्ति होते हैं उसी प्रकार हैं, अगर उसमें प्रोपर्टी हमें एक्वायर करने की होगी तो हम उसको एक्वायर कर लेंगे उसमें हमें कोई रोक नहीं सकता। पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। जो जमीन रिजर्व की गई थी उसकी पोजीशन क्या थी। क्या जो कान्ट्रेक्ट हुआ यह एक्सचेन्ज हुआ या नहीं अगर उसमें हमें जरूरत हुई तो हम लीगल केस भी कर सकते हैं। और उसमें हमें लीगल मुद्दों को देख कर, सभी बातें तय करनी पड़ती हैं। और उन्हें भी हमारे देश में जो कानून हैं उसके साथ चलना पड़ेगा।

अनुदान का मांगें

मांग सं० 15, 9 एवं 32 का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष: अनुदानों की मांगों पर विचार। श्री शिक्षा मंत्री।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 56,15, 12,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई । श्री मुख्य मन्त्री जी ।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 5,66,32,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : एक और हैं ।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67– भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्तों के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,04,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुई ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर):

1. मांग 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक पुस्तकालय की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

2. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक पुस्तकालयों मे लेटेस्ट पुस्तकें उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये) ।

3. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान स्पोर्टस् कौंसिल को दिये जाने वाले अनुदान के (मिसयूज) दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

4. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छात्रवृत्तियों के दिये जाने में बरते जाने वाले भेद भाव के संबंध में चर्चा के लिये) ।

5. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

6. मांग संख्या 15, शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों को चिकित्सा बिलों के भुगतान समय पर न किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

7. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों के फिक्सेशन उचित समय पर न किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

8. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालयों को

Page No 57

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

9. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

10. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों की ज्ञानवृद्धि को बढ़ाना है और स्मरण शक्ति को कम टैक्स करना है किन्तु इस नीति को लागू किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि इसके अनुसार ट्रेन्ड अध्यापक समस्त विद्यालयों में उपलब्ध हों एवं पाठ्यक्रम भी तदनुरूप हो, इस पर चर्चा के लिये) ।

11. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 पया कम कर दिया जाय (कलेक्टर दफ्तर में कलेक्टर के अनुपस्थित रहने से जनता की असुविधा पर चर्चा के लिये) ।

12. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण अपेक्षित निर्णय शीघ्र न होने पर चर्चा के लिये) ।

13. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शासन सचिवों की अनुपस्थिति के कारण अपेक्षित निर्णय शीघ्र न होने की चर्चा के लिये) ।

14. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर-दण्डनायक द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शनों पर अनुचित आदेशों से लाठी प्रहार आदि करने पर चर्चा के लिये) ।

15. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमा-आयुक्त के पदों को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये) ।

16. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 18–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कार्यालयों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

17. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बधीक स्टॉफ (कर्मचारी वर्ग) को यथा समय ऐब-जोर्ब करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

18. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जनगणना पुस्तिका, 1971 के प्रकाशन में हुए विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

19. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों द्वारा स्वेच्छा अनुदान की राशि के दुरुपयोग किये जाने की चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19 सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में से सरकारी सेवा में भर्ती, तरक्की, तबादलों में अनियमितताओं और असंगतियों पर चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (राजसमन्द):

21. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महाविद्यालयों के खर्च में कमी कर प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देने हेतु चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67—भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व नरेशों के संबंधियों और सेवकों के भत्तों के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर):

24. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माध्यमिक पाठशालायें खोलने हेतु अपर्याप्त राशि के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़):

25. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त शालाओं का राष्ट्रीयकरण किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट मान्यता प्राप्त शालाओं को अनुदान देना समाप्त कर दिया जाय और ऐसी शालाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया जावे अलावा ऐसी शालाओं के जिन्हें कि कोई ट्रस्ट या संगठन संचालन कर रहा हो और ऐसी उस संगठन द्वारा कई शालाएँ अगर संचालन होती हों तो उसको छोड़कर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहातों में खोली गई शाखाओं के अन्दर साइन्स व कॉमर्स विषय 2-3 साल से नहीं खोले गए। दुलचासर व बिग्गा उच्च माध्यमिक शालाओं में कॉमर्स एवं साइन्स आगामी वर्ष से खोले जाये चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—19 सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में जनता के विश्वास के अभाव पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—19 सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन की गिरती हुई महत्ता को सुधारकर जन

Page No 59

(श्री मूनाराम)
भावना में प्रशासन के प्रति अच्छी भावना पैदा करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

30. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक–28 शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा क्षेत्र में स्थानान्तरण एवं अन्य अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–19 सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में नियमों की जटिलता से होने वाले व्यय को कम करने पर चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :

32. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के प्रसार संबंधी समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्रसार के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रणाली के बारे में चर्चा हेतु)।

34. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांगों में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य तौर पर प्रशासन को कुशल, सुदृढ़ एवं जनसेवा के लायक बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भरतलाल (बामनवास) :

35. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूलों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री फारूक हुसैन (सवाई माधोपुर) :

36. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर क्षेत्र में सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूलों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

37. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीब वर्ग के छात्रों को पब्लिक स्कूलों एवं मिशन स्कूलों में शिक्षा सुलभ कराने पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जो कि जिले का केन्द्र स्थल है वहां पर कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पब्लिक स्कूलों तथा मिशन स्कूलों को बन्द कराने हेतु चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक

(श्री रामनारायण चौधरी)

28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री जे०के० हायर सैकेण्डरी स्कूल, अलसीसर (जिला झुन्झुनू) को अनुदान देने पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू पंचायत समिति के अध्यापकों का बकाया वेतन (फिक्सेशन सैलेरी) हेतु शिक्षा विभाग द्वारा फन्ड्स एलॉट नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला निरीक्षक, शिक्षणालय, झुन्झुनू के अध्यापकों के मेडीकल बिल्स तथा यात्रा भत्तों का भुगतान धनाभाव के कारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में विद्यालय निरीक्षक के अधीन कार्य कर रहे शिक्षकों को बकाया वेतन नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19 सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की रेवेन्यू कोर्ट्स में बिलम्ब से होने वाले निर्णयों पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले के लिए एडिशनल कलेक्टर का पद सृजन नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में मितव्ययता लाने पर चर्चा के लिए)।

48. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला पेट्रोल का अपव्यय तथा सरकारी गाड़ियों की होने वाली दुरुपयोग की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रदेश के देशी नरेशों की निजी सम्पत्ति की सूची पुनः बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर):

50. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

52. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग की उचित देख रेख के अभाव के कारण गैर सरकारी संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदानों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में आबादी के अनुपात में शालाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में उचित शिक्षा हेतु किण्डर गार्डन पद्धति के स्कूलों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तालाब गांव स्थित संस्कृत विद्यालय को सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) :

56. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)

57. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग की उचित देखरेख के अभाव के कारण गैर सरकारी संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदानों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय कार्यकाल में कार्यालय से अनुपस्थित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

60. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर अच्छी शिक्षा दिलाने पर चर्चा के लिये।

61. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशाला भवनों के अभाव की समस्या के समाधान पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर के उच्च प्राथमिक पाठशाला भवनों एवं उच्च माध्यमिक पाठशाला सांचोर के भवनों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

63. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस सत्र में नई प्राथमिक पाठशालाओं एवं उच्च प्राथमिक पाठशालाओं (जिला जालोर) में अध्यापकों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर) में प्राथमिक पाठशालाओं में प्रशिक्षित अध्यापक लगाने की आवश्यकता की चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर एवं भीनमाल कालेजों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक पाठशाला में छात्रावासों का प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय सचिवालय के मौजूदा ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्यतया प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन कर जनता की भावनाओं के अनुसार प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर मुख्यालय पर असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालतों के गठन करने हेतु चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य अधिकारियों एवं राज्य कर्मचारियों को शराब पीने पर रोक लगाने की चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (बाली) :

71. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा संस्थाओं में व्यायाम एवं खेलकूद के कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने हेतु अपर्याप्त राशि देने पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी शिक्षा संस्थाओं (Aided Educational Institutions) को मिलने वाले राजकीय अनुदान में वृद्धि कर अध्यापकों के वेतन की कुल राशि के बराबर किये जाने पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100

Page No 63

(श्री मोहनराज)
रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र की प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार):

74. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राईवेट स्कूलों को दिये जाने वाले अनुदान के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को राज्य सेवा में लेने के लिये शिक्षा विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (की जाने वाली नियुक्तियां की वर्तमान प्रणाली से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

77. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों को वेतन व भत्ते मिलने में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान शिक्षक संघ की मांगों को न मानने से शिक्षकों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में राजकीय शालाओं में भवन बनाने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वरिष्ठ अध्यापकों को उचित ग्रेड न देने पर उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को राज्य सेवा में लेने के लिये शिक्षा विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारतीय नरेशों के रिश्तेदारों को मिलने वाले भत्ते के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री नारायणसिंह चौधरी (दांतारामगढ़) :

84. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री नारायणसिंह)
कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशालाओं को शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर उनकी सुव्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री करनसिंह (डीग) :

85 मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में दोष के समाधान पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

86. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाऐं एवं कानून की कक्षाऐं खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर उप-जिले को जिला घोषित किए जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में से ट्रेजरी हटा दी गई है उसे पुनः स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) :

89. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा छबड़ा जिला कोटा में सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) :

90. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्यानीराम हरखचंद सरावगी राजकीय आर्ट्स व कॉमर्स कालेज सुजानगढ़ के भवन निर्माण में विलम्ब होने में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली)

91. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 - शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में अनावश्यक पदों को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन के कार्यों में होने वाली देरी और लाल-फीताशाही के बारे में चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या , मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह अधिक से अधिक एक हजार और कम से कम तीन सौ रखने हेतु चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व

(श्री शंकरलाल)
अपीलेट प्राधिकरण के पद की समाप्ति पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

96. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (और माध्यमिक स्कूल खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टौंक शहर में उच्चतर माध्यमिक स्कूल में नागरिक शास्त्र की क्लास खोलने की चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तीसरे क्लास में रेखागणित पढ़ाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर):

99. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालय उदयपुर को दी जाने वाली सहायता के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शासन सचिवों के जनता के साथ तानाशाही रवैये पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश, उदयपुर द्वारा असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन की चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध (विशेषकर खनिज विभाग के) शिकायतों पर कार्यवाही न करने के संबंध में चर्चा के लिये]।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (मादरा) :

103. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री हुरलाल मीणा (प्रतापगढ़):

104. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक, मिडिल, हायर सैकेण्डरी शाला में फर्नीचर एवं अन्य सामान की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ सब डिवीजन के अरनोद में तहसील के अभाव से होने वाली तकलीफों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

106. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 66

(श्री मीठालाल)

कम कर दिया जाय (रामगढ़ पचवारा, डिडवाना, लालसोट (जिला. जयपुर) में सैकेण्डरी व हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा कॉलेज भवन के निर्माण को पूरा कराने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम रामगढ़ पचवारा, तहसील लालसोट के उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर वाणिज्य, विज्ञान की कक्षायें खोलनें पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील के स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों की पूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील के स्कूल भवन निर्माण की आवश्यकता की ओर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च प्राथमिक बैसिक शाला लालसोट के भवन निर्माण की आवश्यकता पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [डीडवाना (लालसोट) में कन्याशाला भवन की आवश्यकता पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये]।

113. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील में 10 उच्च प्राथमिक स्कूल और खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील में 25 प्राथमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कोट खावदा (चाकसू) में हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये]।

116. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर सीटी में डिग्री कालेज की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट में डिग्री कालेज खोलने की अत्यंत आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री मीठालाल)

118. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा कालेज भवन के निर्माण को पूरा करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

119. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा कालेज भवन के निर्माण को पूरा कराने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा संस्कृत कालेज भवन को पूरा कराने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला के भवन निर्माण कराने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला दौसा के लिये भवन के लिये विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा संस्कृत कालेज के लिये भवन के अभाव पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा कालेज भवन के निर्माण को पूरा करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समय समय पर निर्धारित प्रतिशत के अनुपात में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति कराने में नियुक्ति विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जातीयता की भावना को रूप देकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन बिगाड़ने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाई न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों को पदोन्नतियों में आरक्षण के सम्बन्धी रोस्टर रजिस्टर तैयार करने तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनकी जांच करवाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री मूलचन्द सार्मारिया)

129. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलेवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में प्रतिशत कायम कराने हेतु चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ छुआछूत का रुख अपनाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ाई से कार्यवाही करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्धारित प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को नियुक्ति में अवसर न देने वाले अधिकारियों की जांच करवाकर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की मुख्य मंत्री की घोषणा के बावजूद भी आदेश जारी न करने पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदों का सृजन करते समय ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए निर्धारित प्रतिशत से आरक्षित पदों का बंटवारा कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की सीधी भर्ती के लिये लागू की गई रोस्टर प्रणाली के रजिस्टरों की सम्बन्धित विभाग के मंत्रियों द्वारा जांच करवाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) :

135. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में शिक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन की व्यवस्था ठीक न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह (मांडल) :

138. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री विजयसिंह)
रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा की दूषित पद्धति के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों के कई साल तक तबादले नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आवश्यकता से अधिक उच्चाधिकारियों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम आर्य (छापर):

141. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा बीदासर-छापर-राजल-देसर जिला चूरू में हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने के संबन्ध में चर्चा हेतु)।

142. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन पर चर्चा के लिये)।

श्री रामशंकर (लाडनूं):

143. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के विषय पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर):

144. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर क्षेत्र के बिना प्राथमिक शाला के गांव में दूरी को ध्यान में रखकर प्राथमिक शालाएं स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय सेवाओं में भ्रष्टाचार संबंधी रोकथाम एवं निगरानी हेतु जिला सतर्कता समितियों के निर्माण पर चर्चा के लिये)।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली):

146. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिये जाने के औचित्य पर चर्चा करने हेतु)।

147. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीयकृत पुस्तक मण्डल द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन की असंतोषजनक व्यवस्था पर चर्चा करने हेतु)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा):

148. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र में कन्या शिक्षा पर अधिक ध्यान दिलाने बावत चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में कार्यालय सहायकों के पद पर की गई पदोन्नति में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100

(श्री माथूराम)

रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में बी० एस० टी० सी० स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र में शाला भवन जो अपूर्ण हैं उनके पूरे करने के लिए विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बी०एस०टी०सी० डूंगरपुर में ट्राइब्ज-कास्ट्स के बांसवाड़ा जिले के आशार्थियों को अवसर दिए जाने के सरकारी आदेश की अवहेलना पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में अध्यापकों के वेतन, फिक्सेशन आदि में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के आदेशों की पालना प्रशासन द्वारा बराबर नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कर्मचारियों की मांगों पर अपनाई गई सरकारी रवैये पर चर्चा के लिये)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

157. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर में राजकीय उच्च माध्यमिक महिला विद्यालय देवीजी की गली में लड़कियों के बैठने के लिए स्थानाभाव पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित रूप से पाठ्य पुस्तकें बदलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदर्श विद्या मंदिर, जयपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों एवं फर्जी कार्यवाहियों के संबंध में चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय ला कॉलेज के पार्ट टाइम लेक्चरारों की नियुक्ति में धांधली और मनमानी के संबंध में चर्चा के लिये)।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

162. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्यार्थियों को उपस्थिति में परसेन्टेज कम होने पर परीक्षा से रोके जाने पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में पुस्तकें निर्धारण में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान शिक्षक संघ की मान्यता के संबंध में तीन सदस्यीय कमेटी की अनावश्यकता पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रिमण्डल में प्रगतिशील आर्थिक कार्यक्रम में निष्ठा की कमी पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा तबादलों में मनमानी और पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान मंत्रीमण्डल की कार्य शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

168. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर सीमावर्ती क्षेत्र में कार्य कर रहे अध्यापकों के लिये विशेष भत्ता देने पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्यार्थियों व शिक्षकों की अनुशासनहीनता पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की नैतिक शिक्षा के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की बैसाला, राणी गांव रामसर एवं रामसर कुआ (रावतसर) मिडिल स्कूलों को सैकेण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों में व्याप्त आर० एस० एस० प्रवृति को रोकने में नाकामयाब रही है जिस पर चर्चा के लिये)।

173 मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रसाशन में लंच के टाइम रखने की अनावश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

174. मांग संख्या 93, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय में शिक्षा, कृषि, उद्योग, खनन विभागों में विशिष्ट प्रकोष्ठ के न होने या कम होने और विशेष विषय के तकनीकी योग्य अधिकारियों के न होने के कारण प्रशासन की प्रगति में बाधा पहुंच रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों पर होने वाली फिजूलखर्ची कम करने के लिये चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में ढिलाई, अव्यवस्था एवं लालफीताशाही पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [Constitution (25th Amendment) Act, 1971 द्वारा राजाओं की विशेष सुविधाएं हटा दी गई हैं परन्तु राज्य सरकार द्वारा उनके क्रियान्वित न करने पर रोष प्रकट करने एवं क्रियान्वन करने पर बल देने के लिए चर्चा के लिये]।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद (मालपुरा) :

178. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में स्थित विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में प्रशासनिक खर्चे में कटौती करने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन)

180. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय), झालावाड़ झालरापाटन के हायर सैकेण्डरी व सैकेण्डरी स्कूल की सप्लीमेन्ट्री परीक्षा केन्द्र झालावाड़ में ही रखने की चर्चा हेतु)।

181. मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन नगर के सैकेण्डरी स्कूल को हायर सैकेण्डरी में परिवर्तित करने हेतु चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यों में उदासीनता बरतने से व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्र भारतीय (बून्दी) :

183. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हर वर्ष हायर सैकेण्डरी की बजाय प्राइमरी व मिडिल स्कूल खोले जाने हेतु चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी

Page No 73

(श्री राजेन्द्र भारतीय)
जिले के बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के कर्मचारियों को जो अब जी०एल०डी० के तहत हैं उन्हें अबजाव नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) :

185. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कठूमर (जिला अलवर) सैकेण्डरी स्कूल में कामर्स एवं साइन्स की कक्षाएं खोले जाने पर चर्चा के लिये]।

186. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कठूमर एवं खेरली (जिला अलवर) माध्यमिक (सैकेण्डरी) स्कूल को हायर सैकेण्डरी स्कूल बनाये जाने पर चर्चा के लिये]।

187. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीब और जरूरतमन्द बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के मुफ्त वितरण में तथा विधवा मां के बच्चों को प्राथमिकता दिये जाने के आदेश जारी किये जाने पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सेवा में भर्ती के लिये आवश्यक योग्यता प्राप्त विधवाओं के बच्चों को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) :

189. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवास मिडिल स्कूल तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर को सैकेण्डरी स्कूल में परिवर्तित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बावलवाड़ा मिडिल स्कूल तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर को सैकेण्डरी स्कूल में परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री महेन्द्रकुमार (पाडवा) :

191. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झौथरीपाल मिडिल स्कूल, तहसील डूंगरपुर को सैकेण्डरी में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्रसिंह (चौरासी) :

192. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंका ग्राम प्राइमरी स्कूल तहसील डूंगरपुर को मिडिल स्कूल में परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा प्रणाली से बेरोजगारी वृद्धि पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

194. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री देवीलाल)

कम कर दिया जाय (आदिवासी गांवों में कन्या प्राथमिक शालाएं अनिवार्य रूप से खोलने पर चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बडावली गांव में मिडिल स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराडा में आदिवासी कन्या शिक्षा के लिये प्राथमिक कन्या शालाएं, नठारा की पाल, धमकावाडा पाल, भोराई पाल, खरबर की पाल, नि बोदा की पाल आदि में खोलाने पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग म से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराडा में गांव बडावली में मिडिल स्कूल खुलाने पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराडा में गांव विरपुरा और गांव नईजर गांव के जड़, धावड़िया, वडावली आदि गांवों में मिडिल स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराडा में गांव देवपुरा में सेकेण्डरी स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती महेन्द्रबाला (दीगोद) :

200. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूल भवनों के अभाव में विद्यार्थियों के सामने आने वाली कठिनाई की ओर शिक्षा विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में समाजवादी नीतियों के अनुकूल परिवर्तन लाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) :

202. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रशासन में आवश्यक सुधार पर चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्यतया प्रशासन की कमियां व उसमें आवश्यक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :

204. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाल शिक्षा व स्त्री शिक्षा पर चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)

Page No 75

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानर) :

206. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाकिस्तान से आये शरणार्थी अध्यापकों को रिटायर होने पर पुनर्नियुक्त (Re-employ) करने के संबंध में वेतनवृद्धि व मनमानी पर चर्चा के लिये) ।

207. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों को योग की शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

208. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) :

209. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हर वर्ष नई पाठ्य पुस्तक स्वीकृत करने से आम गरीब जनता पर पड़ने वाले भार के बारे में चर्चा के लिये) ।

210. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर की प्राथमिक पाठशालाओं के लिये पर्याप्त भवनों का न होना व भवनों की जीर्ण हालत की ओर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

211. मांगसंख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को गृह किराया भत्ता न देने के विषय पर चर्चा के लिये) ।

212. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अल्पसंख्यक लोगों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जारी किये गये आदेशों की अवहेलना से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती गारी पूनिया (मकराणा) :

213. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला नागौर में मास्टरों के अभाव में राजकीय प्राईमरी स्कूल पूरे साल खाली पड़े रहने पर चर्चा के लिये) ।

श्री चेतराम (टोडाभीम) :

215. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली वर्तमान समाज के हित में असफल रही इस पर चर्चा के लिये) ।

215. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य का प्रशासन जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री उमेदीलाल (हिण्डौन) :

216. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100

Page No 76

(श्री उमेदीलाल)

रुपया कम कर दिया जाय (हिण्डौन में कालेज की स्थापना के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल आर्य (रेवदर) :

217. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेलकूद टूर्नामेन्ट और अन्य पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्यकलाप के बारे में चर्चा के लियें)।

218. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 — शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शारीरिक शिक्षा हेतु खेल के मैदानों की उचित व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबू रोड में महाविद्यालय की परम आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शारीरिक शिक्षा को विशेष महत्व देने व महिला प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों को व्यवस्थित करने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री मुन्नीलाल महावर (बस्सी) :

222. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा, कृषि, उद्योग, विज्ञान व उच्च तकनीकी व व्यवहारिक जीवन के पहलुओं के आधार पर हो इसकी चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बस्सी निर्वाचन क्षेत्र में बडवा, जटवाड़ा, कानोता, मिडील स्कूल्स को सेकण्डरी स्कूल में उन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बस्सी निर्वाचन क्षेत्र में सैकण्डरी स्कूल्स उच्चतर स्कूल्स व कालेज खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षण संस्थाओं के भवनों की अपर्याप्त व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

227. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक एवं उच्च शालाओं के भवनों की

(श्री मुन्शीलाल)

स्थिति सुधारने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा में राजकीय डिग्री कालेज को पोस्ट डिग्री कालेज बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा जिला अलग से बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन जनतांत्रिक तरीके से जनहित कार्य करने में असमर्थ रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा (फागी):

231. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा जैसी पवित्र संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के संबंध में चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय फागी व चाकसू तहसीलों में शाला भवनों के अभाव पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू व फागी तहसीलों में प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी व चाकसू तहसीलों में उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

235. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी हायर सैकण्डरी विद्यालय में बायोलोजी की कक्षा खोली जाने के विषय में चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों की अनुशासनहीनता से विद्यार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू व फागी तहसीलों में विद्यार्थियों के लिये छात्रावास की व्यवस्था अतिशीघ्र करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू नगर परिषद के अंतर्गत (कस्बे) में सैकण्डरी विद्यालय को हायर सैकण्डरी विद्यालय में अति शीघ्र और इसी वर्ष क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री जयकिशनलाल)

239. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19— सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जब तक सामान्य प्रशासन में सुधार नहीं आता है तब तक जनता अपने अधिकारों से वंचित रहेगी इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

240. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में शिथिलता के कारण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) :

241. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर चर्चा करने के लिए)।

242. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्यार्थियों में तेजी से पनप रही अनुशासनहीनता एवं उद्दंडता पर चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में मितव्ययता लाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :

244. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दुर्लक्ष पूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये)।

245. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दुर्लक्ष पूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार की एक के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी खोलने की गलत नीति के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री श्री निवास शारदा (निम्बाहेडा) :

247. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाने पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़) :

248. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवलगढ़ में एक भी सरकारी सेकण्डरी या हायर सेकेण्डरी स्कूल न होने पर चर्चा के लिये)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

249. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षक आंदोलन से उत्पन्न स्थिति एवं शिक्षकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

250. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला एवं तहसील प्रशासन को अधिक सक्रिय व दक्ष बनाकर जन कार्यों को शीघ्र पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरप्लस स्टाफ को एब्जार्ब न किया जाकर प्रशासन द्वारा नई नियुक्तियां कर लिए जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर):

252. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों को उनके एरियर्स एवं अन्य बिलों का समय पर चुकारा न करने पर उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

253. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त लाल फीताशाही पर चर्चा करने के लिए)।

श्री भैरूलाल (अकलेरा):

254. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

255. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा अकलेरा में कन्या माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा अकलेरा में उच्च व उच्चतर माध्यमिक क्लासों का परीक्षा हेतु अकलेरा में बोर्ड सेन्टर कायम किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर):

257. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के अध्यापकों की उचित मांगों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्ण विचार करने के लिए चर्चा के लिये)।

258. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के अध्यापकों के स्थानान्तरण के नियमों के अभाव से विद्यालयों में फैली हुई अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महाराजा विद्यालय, जोधपुर को अकारण अनुदान 75 से 90% तक से कम कर 60% तक कर देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

260. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उम्मेद कन्या

(श्री अमृत लाल गहलोत)
माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर को उच्चतर प्राथमिक स्तर का अनुदान मिलने के व माध्यमिक स्तर का न मिलने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

261. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक एवं माध्यमिक के राजस्थान में प्रसार के संबंध में चर्चा के लिये) ।

262. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पोलिटेक्निक्स में नये कोर्सेज चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

263. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए राज्य सरकार की स्पष्ट नीति न होने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

264. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विधायकों के साथ राज्य कर्मचारियों का अच्छा व्यवहार न होने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :

265. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्ष 1975 तक 6-11 तक आयु के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू न करने हेतु चर्चा के लिये) ।

266. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन की अकर्मण्यता के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री बनवारीलाल (निवाई) :

267. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम झिलाय तथा दतवास तहसील निवाई, जिला टोंक में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये) ।

268. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निवाई कस्बे एवं देवली कस्बे में कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

269. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निवाई कस्बे में लड़कियों के मिडिल स्कूल के भवन निर्माण में विभाग द्वारा सहायता न देने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री भावरमल (फतेहपुर) :

270. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा की गिरती स्थिति व इससे बढ़ी बेकारी पर चर्चा के लिये) ।

(श्री झाबरमल)

271. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय में हुए पुनर्गठन से राजकीय कार्यों में आयी शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

272. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शासन सचिवों के कार्यालयों में समय पर उपस्थित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

273. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी प्रपत्र व उनके क्रियान्वयन में ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन):

274. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी में कालेज के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में शिक्षा में होने वाली अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

276. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 10। रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों के भवनों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

277. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील नैनवा के कस्बा करवर में अब तक सैकण्डरी स्कूल नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

278. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में केशवरायपाटन में हायर सैकण्डरी स्कूल की स्थापना नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

279. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

280. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन के कालेजों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

281. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (जिला बून्दी के कस्बा लाखेरी में कन्या हाई स्कूल में भवन के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

Page No 82

(श्री नन्दलाल बैरवा)

282. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में एक और विश्वविद्यालय की स्थापना अब तक नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

283. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन में कृषि विद्यालय अब तक स्थापित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरलाल (कामा) :

284. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कामां के अध्यापकों के पदोन्नति व स्थिरीकरण हेतु चर्चा के लिये।

285. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी पंजाबी पाठशालाओं को सरकारी सहायता प्रदान कराने हेतु चर्चा के लिये)।

286. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कामां में ग्राम पथराली में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु तथा प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

287. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर व अलवर जिले (मेवाती क्षेत्र को छोड़कर) के समस्त प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में गुरुमुखी भाषा की कक्षाएं चालू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

288. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर-भरतपुर के मेवाती क्षेत्र के स्कूलों में उर्दू भाषा की कक्षाएं चालू कराने के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

289. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [घाटा तहसील कामां व डीग में महाविद्यालय (कालेज) खुलवाने हेतु चर्चा के लिये]।

290. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पहाड़ी में विज्ञान की कक्षाएं तथा बोलखेड़ा में उच्च माध्यमिक कक्षाएं चालू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

291. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [रामनारायण रूईया कालेज, रामगढ़ (शेखावटी) में अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये]।

292. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [रामगढ़ (शेखावटी) जिला सीकर की प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये)।

Page No 83

(श्री मनोहर लाल)

293. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [रामगढ़ (शेखावटी) जिला सीकर की सी० डी० रूईया सैकेण्डरी स्कूल की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये] ।

294. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महाविद्यालयों में भरती के लिये छात्रों की निम्नतम आयु सीमा समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये) ।

295. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महाविद्यालय भरतपुर के 67% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति न दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

296. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंडावर के अध्यापकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

297. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सनवाड़ी, सहेज, पथराली, कान्हौर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

298. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में अध्यापकों की वरिष्ठता सूची व पदोन्नति में किये गये भेद भाव, पक्षपात व अनियमितता के बारे में चर्चा के लिये) ।

299. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में राजस्थान की भ्रमपूर्ण जानकारी देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

300. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता की सुविधा की दृष्टि से सब तहसील पहाड़ी को तहसील क्रमोन्नत कराने के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़):

301. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा नीति में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा):

302. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूलों में शारीरिक व्यायाम पर ध्यान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)

303. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्यापक सुधार करने संबंधी विषय पर चर्चा के लिये) ।

Page No 84

(श्रीमती भवनकौर)

304 मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डी० पी०सी० समय पर न बैठने, एडहॉक नियुक्तियां और पदोन्नतियां से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

305. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एची-वमेंट आडिट प्रणाली लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उषा प्रकाश (बेर):

306. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये शिक्षक अध्यापन स्कूल में विकास द्वारा तय किये गये चयन के आधार के दूरगामी परिणामों पर चर्चा के लिये)।

307. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उपलब्ध सभी प्रशिक्षित अध्यापकों को भी शिक्षा सत्र के प्रारम्भ से ही नियुक्ति देने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा):

308. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक संस्थानों को दिये जाने वाले सहायता अनुदान सम्बन्धी त्रुटि पूर्ण रीति नीति पर चर्चा के लिये)।

309. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के समस्त उपखण्ड मुख्यालय के नीचे के शिक्षणालय भवन विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को नहीं दिये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

310. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव गुडा माध्यमिक शाला के अधूरे भवन को पूर्ण कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

311. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा कन्या माध्यमिक शाला को उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये)।

312. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

313. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन पर होने वाले ऐश्वर्यशाली निरर्थक अपव्यय को रोकने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

314. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा में सब-डिवीजनल अधिकारी के न्यायालय की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

Page No 85

(श्री मनोहर कोठारी)

315. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा नगर को तिरुपति बालाजी के पेटर्न पर टेम्पल टाऊन बनाये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

316. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हल्दीघाटी में राष्ट्रीय स्तर पर मेले का आयोजन कराने व समीचीन स्मारक बनाने में राज्य सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

317. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कैथला, तहसील नादोती, जिला सवाई माधोपुर में सैकेन्डरी स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

318. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा तहसील गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर में मिडिल स्कूल को सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

319. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राईमरी एवं मिडिल स्कूलों के खोलने के साथ साथ ही सैकेण्डरी स्कूल भी खोले जाने हेतु चर्चा के लिये)।

320. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल, गंगापुर सिटी को हायर सैकेण्डरी में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

321. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम छोटी उदेई, तहसील गंगापुर में मिडिल स्कूल को सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

322. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर में महाविद्यालय बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना):

323. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय प्राथमिक शालाओं व मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये)।

324. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर हायर सैकेण्डरी स्कूल में विद्यार्थियों से वसूल की गई फीस की राशि में हुई अनियमितताओं व स्कूल छात्र परिषद् के चुनाव न करवाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

325. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों के साथ विभाग के सौतेले व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

Page No 86

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (सीनमाल) :

326. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नेशनेलाइजेशन टैक्स्ट बुक्स मण्डल को स्वायत्त शासन मण्डल बनाने पर चर्चा के लिये)।

327. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीनियर टीचर्स के पे स्केल रिवाइज किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

328. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रान्त में पिछड़े वर्ग अथवा कम आमदनी के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

329. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में नौकरशाही के बढ़ते हुए असर से प्रान्त में प्रजातन्त्र को भारी आघात हो रहा है और इससे प्रजातन्त्र को ही खतरा होता जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री केदारनाथ (गंगा नगर) :

330. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंगानगर शहर में खेलकूद के लिए स्टेडियम बनाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

331. मांग संख्या 15, मुख्य शिर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सनातन धर्म हायर सैकेण्डरी स्कूल, गंगानगर को आज तक माध्यमिक स्तर पर नियमित अनुदान उपलब्ध करवाने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

332. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंगानगर महार्षि दयानन्द डिग्री कालेज को उचित ऐड उपलब्ध कराने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

333. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार लड़कियों के सरकारी हायर सैकेण्डरी स्कूल, गंगानगर को ए-क्लास में परिवर्तित करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

334. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (श्रीगुरुनानक खालसा कालेज, गंगानगर को एम० एससी० कक्षाओं को चलाने हेतु समुचित एड उपलब्ध कराने में राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

335. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार छात्रों की समस्याओं को हल करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

336. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार कोठारी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

Page No 87

(श्री केदारनाथ)

337. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन (Reconstruction) लाने के लिए शिक्षा पद्धति में मौलिक तबदीली लाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा करने हेतु)।

338. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राईवेट स्कूलों व कालेजों में बढ़ती हुई अनियमितताओं पर रोक लगाने में सरकार द्वारा अपनाई गई ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

339. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार देहातों में खेलकूद के केन्द्र स्थापित करने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये)।

340. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार जिलास्तर पर जिला खेलकूद परिषद् को सक्रिय बनाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

341. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

342. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वरिष्ठ अध्यापकों की उचित चार मांगों को स्वीकार करने में राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई ढिलाई व उपेक्षा पर—

1. वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान 300–800 किया जाय, तथा 600–950 की सीनियर ग्रेड का प्रावधान हो।

2. 50% प्रधानाध्यापक पद, व 50% डिग्री कॉलेज लेक्चरार पद वरिष्ठ अध्यापकों में से भरे जायें।

3. वरिष्ठ अध्यापकों की वरिष्ठता नियुक्ति की दिनांक से मानी जाय।

4. वरिष्ठ अध्यापक का नाम लेक्चरार रखा जाये, पर चर्चा के लिये)।

343. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार राज्य में प्री-स्कूल शिक्षा के लिए उचित वातावरण पैदा करने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

344. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छात्रों व अध्यापकों में इन्टर युनियन राइवलरीज़ के कारण आपसी झगड़े, हाथापाई आदि घटनाओं को रोकने व इसका हल निकालने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

345. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पी. एच. डी. डिग्रीधारियों में बेरोजगारी के कारण व्याप्ति असंतोष को रोकने म राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(श्री केदारनाथ)

346. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेकेण्डरी व हायर सेकेण्डरी शिक्षा को वोकेशनल बाएस (bias) देने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

347. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचवर्षीय योजनाओं से पूर्व बीकानेर में चौथा विश्वविद्यालय कायम करने मे उचित वातावरण पैदा करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

348. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के टेलीफोन आपरेटरों की पदोन्नति के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

349. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19- सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार प्रशासन को डेमोक्रेटाइज करने में समुचित व्यवस्था कराने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

350. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार कर्मचारियों व अधिकारियों की सी. आर. के सबजेक्टिव आधार को बदलने के लिए सही दृष्टिकोण अपनाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

351. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार प्रशासन को जनता की आकांक्षाओं के अनुसार टोनअप करने हेतु समुचित कदम उठाने मे असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

352. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार प्रशासन को सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन के लिए रिओरिएन्ट करने की समुचित व्यवस्था नहीं कर सकी, इस पर चर्चा के लिये)।

353. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की जायज मांगों के बारे में दिये गये अश्वासनों की सही पालना करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री हनुमानसहाय (बैराठ) :

354. मांग संख्या 15. मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बैराठ तहसील की सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूलों में विज्ञान, कामर्स विषय चालू किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

325. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मिडिल स्कूलों की संचालन व्यवस्था एवं प्रशासन का कार्य जिला परिषदों को स्थानान्तरित कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

(श्री हनुमान सहाय)

356. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बैराठ तहसील के मिडिल, सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूल भवनों का सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

357. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहपुरा तहसील बैराठ में कालेज खुलाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

358. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संयुक्त निरीक्षक, शिक्षा कार्यालय, जयपुर का वर्तमान भवन जो कि पुराना पागलखाना के नाम से प्रसिद्ध है-अन्यत्र बदले जाने के क्रम में चर्चा के लिये)।

359. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बैराठ तहसील की सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों की उचित व्यवस्था किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपुतली) :

360. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये)।

361. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पावटा एस० टी०सी० के भवन में एस० टी० सी० की ट्रेनिंग शुरू करने के सम्बन्ध में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

362. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पावटा एस०टी०सी० के भवन में कृषि विद्यालय शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

363. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपुतली डिग्री कालेज को क्रमोन्नत कर पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षा शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

364. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय सरदार सैकेण्डरी स्कूल को हायर सैकेण्डरी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

365. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैकेण्डरी स्कूल) नारेहड़ा ग्राम में कामर्स व कृषि के विषय शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) :

366. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पहाड़ी व जुरहरा में विज्ञान कक्षाएं चालू करने हेतु व बोलखेड़ व नानेरा के विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री गुमानमल लोढा)

367. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च माध्यमिक विद्यालय, कामां के अध्यापकों के 15 वर्ष तक से भी स्थिरिकरण व पदोन्नति के मामले लटके रहने पर चर्चा के लिये)।

368. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में अध्यापकों की वरिष्ठता सूची व पदोन्नति में किये गये भेदभाव, पक्षपात व अनियमितता के बारे में चर्चा के लिये)।

369. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में राजस्थान की भ्रमपूर्ण जानकारी देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

370. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (चूरू) :

371. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारिय के लिये चूरू में कवार्टर्स निर्माण करवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) :

372. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग म से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पिड़ावा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जनता की परेशानी पर चर्चा के लिये)।

373. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन मे अधिकारियों व कर्मचारियों की उदासीनता, लापरवाही एवं व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

374. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों पर प्रशासन द्वारा देखरेख न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15, 9 एवं 32 पर विचार एवं पारण

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

एक माननीय सदस्य : आपको मौका मिल गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : मैंने मेहनत की है उसका फल मिला है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, श्री गिरधारीलाल भार्गव ने जो प्रस्ताव रखे हैं उनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा····

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेहनत का फायदा अब दब गया है।

श्री चन्दमल वैद : जनसंघ के लीडर अब ये हो हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री श्रीराम गोटवाला : नेता होने का फायदा गुमानमलजी ने उठा लिया।

श्री अध्यक्ष : Then it is a proxy on this point.

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): नहीं प्रोक्सी नहीं है। अध्यक्ष महोदय मैं, सामान्य प्रशासन व शिक्षा के बारे में जो आज मांगों का प्रश्न सदन के सामने है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन राज्य की सब से बड़ी और महत्वपूर्ण मांग है। वैसे सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत सारे राजस्थान में जितने भी निर्णय हम सदन में बैठकर लेते हैं उनका क्रियान्वयन होता है। इन निर्णयों की क्रियान्विति करना और जनता में उनका सही रूप से इम्पलीमेन्टेशन करना वह सब सामान्य प्रशासन के द्वारा होता है। अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के बारे में हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने, जब उन्होंने आज से एक साल पहले मुख्य मन्त्री पद की शपथ ली थी तो कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें की थीं। उसमें मुख्य यह थी कि मैं प्रशासन में सुधार करूंगा और लालफीताशाही को समाप्त कर दूंगा। लालफीताशाही को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर दूंगा और हमारी राज्य सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसका उन्मूलन कर दूंगा। ऐसे कुछ मुद्दे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम गत वर्ष की प्रशासन की गतिविधियों को देखें तो हमें पता लगेगा कि अभी तक भ्रष्टाचार वहीं पर विद्यमान है। अध्यक्ष महोदय, यहीं पर पिछले दो सप्ताह पूर्व प्रशासन के बारे में विधान सभा के सदन के अंदर सदन के प्रांगण में कुछ कहा गया है उसके अलावा आज जिन लोगों ने राजस्थान के जन-जीवन के अंदर सामाजिक और राजनैतिक कामों में हिस्सा लिया है उन्होंने भी कुछ न कुछ कहा है। मैं सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाऊंगा वह यह है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत सरकार के मंत्री श्री शिन्दे साहब से राजस्थान के एम० पीज० मिलने गये दिल्ली में और उनसे राजस्थान में जो अकाल भयंकर रूप धारण किये हुए है उसका विस्तृत विवरण उनके सामने रखा और उनसे अकाल के लिये विशेष अनुदान की मांग की। तो उन्होंने वहां पर यह बताया कि आपके राजस्थान के अन्दर प्रशासन इस समस्या को सुलझाने में असफल रहा है और उन्होंने राजस्थान के प्रशासन के बारे में असन्तोष जाहिर किया और उसकी कुछ बातों का उल्लेख आज प्रातः काल समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला। यह राजस्थान पत्रिका में छपा है। उसमें राजस्थान के एम० पी ज० ने बैठकर दिल्ली में जो निर्णय लिया उसका विस्तृत विवरण पढ़ने को मिला। वास्तव में उसमें वही बातें लिखी थीं जो हम सब लोग यहां पर देखकर महसूस करते हैं उसमें स्पष्ट तौर से कहा गया कि राजस्थान का प्रशासन जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल राज्य में प्रशासन देने में असफल रहा है। और इसके लिये अनेक कारण दिये गये हैं और यह भी बताया गया है कि कुछ समय के अंदर राजस्थान के संसद सदस्य माननीय मुख्य मंत्रीजी से इसके बारे में मिलने वाले हैं और फिर प्रधान मंत्री से वे बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह आन्तरिक

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मामला है कांग्रेस दल के अंदर का और इस पर मुझे अधिक नहीं कहना है लेकिन वास्तव में यह इस बात का संकेत है कि हवा का रुख किधर है, और हवा किस ओर बह रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप तो मधोक वाली चर्चा कर डालो। कांग्रेस पार्टी के लिये फिक्र मत करो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ उड़िसा में हुआ, जो कुछ बंबई के वर्तमान चुनावों में नतीजा निकला, जो गुजरात में हो रहा है, महाराष्ट्र, मैसूर में जिसके संकेत मिल रहे हैं, आंध्र में जो कुछ हो रहा है उससे माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मंत्री मंडल के सदस्यों को यह मालूम हो जाना चाहिये कि सूबेदारी और मंसबदारी की सरकार जो राजस्थान में लागू की गयी है, जिस प्रकार अन्य प्रान्तों में जन नेताओं ने और विधायकों ने जनता को अपने अधिकार प्राप्त कराने के लिये और जनता को राहत देने के लिये, जन कल्याण के लिये वहां की सूबेदारी को उखाड़ने का प्रयास किया वही हवा राजस्थान में बह रही है और उसको अधिक दिन तक नहीं दबाया जा सकता है।

हम केवल घोषणा मात्र कर देते हैं। पहले घोषणा यह की गयी कि छः महीने में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जावेगा। भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ तो स्वयम् समाप्त हो जाऊंगा। दूसरी घोषणा यह की गई ब्यावर में पीने के पानी की जो समस्या है वह अविलम्ब हल कर दी जावेगी वर्ना पानी पीना छोड़ दूंगा। तीसरी घोषणा यह की गयी कि अकाल के लिये राशि मिली है वह अपर्याप्त है। यह हम मानते हैं। हमने प्रधान मंत्री, खाद्य मंत्री और वित्त मंत्री के सामने मांग प्रस्तुत की और स्वीकार नहीं हुई तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि बैंक बैंचेज में जाकर बैठ जायं। मैं समझता हूं कि अच्छे से अच्छा यह होता कि तीनों बातों को, तीनों की तीनों घोषणाओं को दल से ऊपर उठ कर इम्पलीमेंट किया जाता लेकिन राजस्थान में सही माने में इम्पलीमेंट करने का सही इरादा कभी था ही नहीं।

जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट इस बात की साक्षी है। स्पष्ट शब्दों में और पुरजोर शब्दों में कहूं तो भ्रष्टाचार राजस्थान में पिछले सालों में बढ़ा है। केन्द्र में तो इस बारे में प्रधान मंत्री स्वीकार करती हैं कि देश में भ्रष्टाचार पिछले सालों में बढ़ा है लेकिन हम यहां पर यह स्वीकार न करते हुए घोषणा करते हैं कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर दिया जायगा। लेकिन विजिलेन्स कमीशन भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये बनाया गया। उसने केवल यही नहीं कहा है कि दस वर्ष में भ्रष्टाचार बढ़ा है लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि ऊपर से चल कर भ्रष्टाचार नीचे आता है। ऊपर से यह बढ़ा है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट इस लिये पर्याप्त है। हम आइवरी टावर में रह कर, कल्पना लोक में बैठ कर सोच लेते हैं लेकिन यह नहीं देखते हैं कि राजस्थान किस ओर जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी कुछ समय पहले गंगानगर से आने वाले एक विधायक महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी थी। वह प्रशासन से सम्बन्धित है इसलिये मैं संकेत रूप में कहना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर पिछले सालों के अंदर 71-72 में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, राजनैतिक

(श्री गुमानमल लोढा)

पोलिटिकल स्केन्डल, करप्शन के स्केन्डल हुए ठेकेदारों से मुझे कोई अभिप्राय नहीं है, ठेकेदार कोई कुलदीपसिंह हो और कोई हो या विभाग के किसी अधिकारी से मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन राजस्थान की प्रगति और आर्थिक दुदर्शा जो हो रही है, हम रिट्रीट होते जा रहे हैं, पीछे की ओर होते जा रहे हैं उन कारणों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा और यह बताया गया है कि सन् 71 और सन् 72 में दोनों चुनावों के समय, जिसमें मध्यावधि चुनाव हुए और उसके बाद में राजस्थान विधान सभा के चुनाव हुए तो राजस्थान के अन्दर हनुमानगढ़ में एक सड़क बनाई गई उस एक सड़क के अन्दर और बोर्डर रोड्स के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े हैं उस रिपोर्ट के जिसको कि एडीशनल चीफ इंजीनियर से दरियाफ्त किया गया था यहां पर मांग की जांच होने पर, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्थान के अन्दर हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ सड़क पर जीरो किलो मीटर से 13 किलो मीटर का ओवर पेमेन्ट किया गया है।

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं या सड़कों पर ?

श्री गुमानमल लोढा: भ्रष्टाचार पर। सामान्य प्रशासन पर। प्रशासन में भ्रष्टाचार है उस पर।

कई माननीय सदस्य : आप बिराजिए।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में 13 लाख 70 हजार रुपये का ओवर पेमेन्ट किया गया।

श्री अध्यक्ष : कट मोशन है इस पॉइन्ट पर ?

श्री गुमानमल लोढा : जी हां, कट मोशन है, प्रशासन में भ्रष्टाचार पर।

कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह सुविधा शुल्क है। रनिंग बिल 2 में 16 लाख 70 हजार, 6 में 24 हजार, 7 में 4 हजार, 8 में 1 लाख 70 हजार और 9 में 1 लाख 64 हजार। इस प्रकार से 13 लाख 70 हजार रुपये का ओवर पेमेन्ट किया गया। और यह ओवर पेमेन्ट यह कह कर किया गया कि वहां पर सैंड ड्यून को हटाना पड़ा। उसके लिए अलग पेमेन्ट किया। वहां पर एम्बैन्कमेन्ट के नाम पर अलग पेमेन्ट किया गया। लीडिंग चार्जेज अलग लगाये गये। 13 मील के हिस्से में इतना भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ठेकेदार ने भी किया और प्रशासन ने भी यह किया। वह समय था जब मध्यावधि लोक सभा के चुनाव हुए अथवा राजस्थान विधान सभा के चुनाव हुए। ठेकेदार का यह कहना है कि यह इसलिए किया कि प्रशासन के लोग वहां जाते थे और कहते थे कि चन्दे के लिए रकम लाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इन्जीनियर्स में विरोधाभास है और आपस में झगड़े चल रहे हैं वे कहते हैं कि हम सब की पोल खोल देंगे।

(12.48)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

असिस्टेन्ट इन्जीनियर कुलदीपसिंह, ओवरसियर करनालसिंह, एक्टिंग चीफ इन्जीनियर कल्ला, आर० सी० जोशी, डी० पी० जैन, असिस्टेन्ट इन्जीनियर और इसके साथ साथ ज्ञानचन्द, भाटिया, विशम्भर,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

दयाल अरोड़ा, ओवरसियर । ये एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं कि किसी प्रकार हमें चार्जशीट दी गई तो हम बता देंगे कि यह रकम जो इस सड़क पर और बोर्डर रोड पर गबन की गई है वह कहां गयी है और किस प्रकार मध्यावधि चुनावों में राजनैतिक भ्रष्टाचार के रूप में काम में लाई गई है । रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है । एक स्थान पर लिखा है कि 4,15,806 रुपये का पेमेन्ट हुआ और पेमेन्ट होना चाहिए था 75,021 रुपये का । एक अर्थ वर्क के मामले में 3,40,785 रुपये के बारे में रिपोर्ट में लिखा है-दिस इज फाल्स, फिक्टीसियस एण्ड बोगस पेमेन्ट । मेरे पास यह रिपोर्ट है । यह उस जमाने की नहीं है कि जब पालीवालजी राज्य करते थे, उस जमाने की नहीं है जब सुखाड़ियाजी थे, यह उस समय की है जबकि यह मंत्रिमंडल आसीन है और भ्रष्टाचार उन्मूलन की घोषणा के बाद की रिपोर्ट है । 72 में पड़ी हुई धूल उठायी नहीं गई और यह पैसा ले लिया गया । और फिर एम्वार्कमेन्ट के नाम से पैसा ले लिया । कार्टेज के नाम से लोड करने का पैसा ले लिया । तो इस तरह के स्कैण्डल राजस्थान में हुए । मैं चाहूंगा इन स्कैण्डलों की पूरी पूरी जांच भ्रष्टाचार विभाग द्वारा कराई जाय । इसमें केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार ही नहीं है, सरकारी अधिकारी, इन्जीनियर और ओवरसीयर ही नहीं हैं, राजनैतिक भ्रष्टाचार भी इसमें सम्मिलित है । राजनीतिज्ञ भी इसमें हैं । इसका इम्प्लीकेशन्स बहुत दूर तक है । इस पैसे से जीपें आई, वे गंगानगर में चलीं, तिजारा में भी पहुंचीं और कई स्थानों पर पहुंची । इलेक्शन में ये काम आई । मेरी मांग है इन स्कैण्डलों की हाई पॉवर जुडिसियरी से जांच करावें । फिर सारे भेद खुल सकते हैं कि यह लाखों रुपयों की रकम कैसे तो स्वीकार की गई और किस तरह के भ्रष्टाचार में यह काम आई ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसके बारे में हमारे गंगानगर के साथी ने कहा ही था। पर जब इसकी प्रिलिमिनरी जांच रिपोर्ट आ गई और जांच अधिकारी ने यह कह दिया कि दीज पेमेन्ट्स आर फिक्टिशियस, इमेजिनरी एण्ड फाल्स । तो एक महकमा यह कहता है और मुख्य मन्त्री के पास यह महकमा है वह इस तरह से चार्ज होते हुए भी और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के होते हुए भी उसे दबाए बैठा है । मैं पूछता हूं यह सब किस कारण से दबाया जा रहा है जब कि जांच रिपोर्ट बिलकुल स्पष्ट है । क्यों नहीं स्पष्ट एक्शन लिया जा रहा है ? क्यों नहीं मामला एण्टी करप्शन विभाग को देकर अपराधी अधिकारियों को कानून के घेरे में लिया जा रहा है ? आखिर एण्टी करप्शन विभाग किसलिए है ? इसमें अगर पोलिटिकल करप्शन भी है तो उन पोलिटिशियन्स को भी पकड़ा जावे । मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि डी० आई० जी० से एन्क्वायरी करा दी । मैं कहता हूं इसे एण्टी करप्शन को दे दिया जाय ।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आपसे एग्री करता हूं । इस मामले को मैं एण्टी करप्शन विभाग को दे दूंगा ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक रिपोर्ट एक अमरजीतसिंह ने प्रधान मंत्री जी को भेजी है । जिसमें डी० आई० जी० दत्ता के और एस०पी० पुरी के खिलाफ भी आरोप थे ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रॉन ए पॉइन्ट, ऑफ ऑर्डर सर। माननीय सदस्य यदि चाहें तो भ्रष्टाचार के मामले सदन में ला सकते हैं, पर यदि किसी व्यक्ति का नाम लें तो पहले सूचना देनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से उस व्यक्ति की मानहानि होती है और इस बारे में वक्ता महोदय का कोई कटौती प्रस्ताव भी नहीं है इसलिए उत्तर देना कठिन है क्योंकि इसके बिना वे पूर्व तैयारी करके नहीं आ सकते। तो यह अच्छी बात नहीं है। न डेमोक्रेटिक तरीका ही है यह।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो माननीय सदस्य ने मात्र यह कहा है कि उनके विरुद्ध कोई शिकायत भेजी गई है। यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया है। इसलिए आपका पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर इस स्टेज पर उचित नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कुछ अधिकारियों का नाम लिया है। नाम नहीं लेना चाहिए।

श्री केदारनाथ : डी०आई०जी० के यहां रेड हुई है, यह तो फैक्ट है। इसका नाम ले सकते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने तो सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष : पर चूंकि इन्होंने केवल यह कहा है कि इन तीन अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत केन्द्रीय सरकार को भेजी है, ऐसी स्थिति में इस स्टेज पर आपका ऐतराज पैदा नहीं होता।

श्री गुमानमल लोढा : मैं सामान्य प्रशासन के स्वरूप के बारे में निवेदन कर रहा था। सदन में कई बार घोषणा की गई कि इन डी० आई० जी० के खिलाफ रेड डाली गई है। इसकी भी एण्टी करप्शन विभाग से जांच करा ली जावेगी। मैं निवेदन कर रहा था कि जो अमरजीतसिंहजी की तरफ से माननीय प्रधान मन्त्री को रिपोर्ट भेजी गई और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दो व्यक्तियों के खिलाफ जांच करवाई। लेकिन तीसरे व्यक्ति के खिलाफ क्यों नहीं जांच करवाई? मैं यह तो नहीं कहता कि भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हैं या सिद्ध माने जावेंगे। लेकिन यदि हम प्रशासन की इमेज बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का करप्शन नहीं है हम उसे इससे लिक्विडेट कर रहे हैं तो अमरजीतसिंह ने जिन अधिकारियों के खिलाफ लिखा है और जो आम चर्चा का विषय है, मुख्य मंत्री उसकी जांच करवाएं। वह पत्र 30-4-72 का है। उसके अन्दर लिखा है:

"These are only a few of the concrete instances. S. P. Puri has amassed huge assets which can be enquired into when everything will come clear. He is openly alleging that they gave a number of jeeps and huge amount to Shri Barkatullakhan, Chief Minister, for fighting assembly elections from Tijara seat. On the spot enquiry secret or open will bring out all these facts."

मेरा निवेदन करना था कि तीन में से दो के खिलाफ आप जांच करावें और एक के खिलाफ न करावें तो इससे आरोप लगाने वाले की भी और आम जनता की भी यह धारणा बनती है कि इस आरोप में तथ्य होगा। अब यह माननीय मुख्य मन्त्रीजी पर है कि वे इसे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

समझें । मैं अधिक इसमें नहीं जाऊंगा पर यह आशा जरूर करता हूं कि वे अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिये जनता के समक्ष स्पष्टीकरण जरूर करेंगे ।

मैं यह भी निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमने जैसा कि पहले भी कहा था कि इन्ट्रोडक्शन ग्रॉफ प्रोसीक्यूशन के सिलसिले में एक हमारे यहां पर इनेक्टमेंट लोकायुक्त का लाया गया था । उस पर विवाद भी हुआ । पारित भी उसे हमने किया । उस समय हमारे सदन को यह बताया गया था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का जहां तक सम्बन्ध है केन्द्र में इस प्रकार का बिल ग्रा रहा है जिसमें केन्द्रीय मन्त्रियों ग्रौर मुख्य मन्त्रियों के खिलाफ ग्राये एलीगेशन ग्रौर भ्रष्टाचार के ग्रारोपों की जांच कराने का प्रावधान होगा ग्रौर इसलिये इस बिल में उनको शामिल किया जाना उपयुक्त नहीं रहेगा । हमने भी इसे ठीक समझा ग्रौर चुप रह गये । पर मैंने केन्द्र में लोकसभा में प्रस्तावित लोकपाल ग्रौर लोकायुक्त के बिल को जब मंगा कर ग्रध्ययन किया तो उसमें मुख्य मन्त्रियों की बात मुझे कहीं नहीं मिली । मैंने उसे पूरा देख लिया है । इसमें कहीं पर भी कोई प्रावधान मुख्य मन्त्रियों के लिये नहीं है । इसमें जो संक्शन दो है उस का एच० जो है उसमें मिनिस्टरों को डिफाइन किया गया है :

"Minister" means a member other than the Prime Minister of the council of Ministers by whatever name called......"

इस तरह से कहीं पर भी किसी भी प्रदेश के मुख्य मन्त्री को इन्क्लूड नहीं किया गया है इसमें यह स्पष्ट है । फिर भी यदि मैं गलती पर होऊं या इसके ग्रागे कोई ग्रमेण्डमेन्ट ग्रा गया हो ग्रौर मेरी जानकारी में न हो तो मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी मुझे दुरुस्त करें ग्रौर इस बारे में स्पष्टीकरण दें ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके । ग्रौर ग्रगर यह नहीं है तो यह गम्भीर विषय है ।

श्री बरकतुल्ला खां : यह भी क्लीयर हो जावेगा । मैंने जिस दिन बात की थी उसके दो-तीन दिन बाद ही मैंने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा कि जो करप्शन के चार्जेज मेरे खिलाफ ग्रावें ग्राप उसे प्रेसीडेण्ट को भेज दें । वे जांच करालें ।

दूसरा यह कि मुझे यह बताया गया था कि सेन्टर में लोकपाल का बिल ग्रा रहा है उसमें सेंटर के मिनिस्टर ग्रौर स्टेटों के चीफ मिनिस्टर कवर होंगे । ग्रब ग्रगर चीफ मिनिस्टर इनमें नहीं हैं तो मैं चाहूंगा कि मुझे जरूर कवर कर लिया जावे । या मेरी शिकायत ग्रावे तो जैसा मैंने पहले कहा मेरी भी एन्क्वायरी करलें । Now I think, it will satisfy you.

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मेरा किसी के प्रति कुछ नहीं कहना है । न व्यक्तिगत रूप से मेरी किसी के प्रति कोई भी तरह की दुर्भावना है । बरकत साहब के प्रति मेरे बहुत ऊंचे विचार हैं । पर यहां व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, यहां तो कानून बनाने की बात है । कानून किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के लिये नहीं बनता । ग्रौर ग्राज मैं यहां पर विधायक हूं, ग्राज वे मुख्य मंत्री हैं, कल रहें मेरी शुभ कामना है लेकिन रहे ही यह कोई ग्रावश्यक नहीं है । लेकिन जब कानून को बनाते हैं तो वह इतिहास की छाती होती है, वह इतिहास की एक देन होती है चाहे ग्रच्छी हो या बुरी, यह ग्रलग बात है

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा जो भ्रम हुआ है। मैंने सारे नियमों को देखा, न कहीं चीफ मिनिस्टर का नाम आता है और न कहीं चीफ सेक्रेटरी का नाम आता है और केन्द्र के ऑफिसर्स लोकपाल कानून जो अभी 1971 में बना है, मैं प्रार्थना करूंगा और इतनी अवश्य अपेक्षा करूंगा हम तथ्य बोलते समय, कार्यकर्ताओं से, समाचार पत्रों से, तार से बोल देते हैं लेकिन बाद में खेद भी होता है बात ठीक नहीं निकले तो। कानून विभाग है वह अपने ढंग से कार्य करता है। सदन में यह कहें चीफ मिनिस्टर कवर्ड है और कवर्ड नहीं है तो जो इस बात पर डिसिजन लिया गया है वह माननीय मुख्य मंत्री जी के सोचने का विषय है।

यह मैंने इसलिये कहा मेरे दिमाग में मन्थन चल रहा है, इस बिल को देखने के बाद। मैंने सोचा अमेन्डमेंट हो गया या नहीं लेकिन इसमें कहीं भी चीफ मिनिस्टर साहब नहीं आते हैं। इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा हम लोकायुक्त के बारे में जब ऑर्डिनेन्स के द्वारा निर्णय ले चुके हैं। मैं समझता हूं उसको भी तीन माह हो चुके हैं। क्या कारण है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमेटी कई व्यक्तियों की बैठ चुकी है, सन्थानम साहब की बैठ चुकी है, हनुमन्तैया साहब की बैठ चुकी है, मोरारजी साहब की बैठ चुकी है, हमारे यहां के एम० पी० हरिशचन्द्र माथुर साहब की भी बैठ चुकी है। सबने अपना चिन्तन, मनन किया और उसके बाद उसमें निर्णय लिये लेकिन एक भी इम्पलीमेंट करने के लिये नहीं हुई। लोकपाल की नियुक्ति के लिये इतना लम्बा समय लगाया जाय जबकि उसमें टाइम बाउंड का भी प्रावधान है। हो सकता है यह गलत हो लेकिन जनता में आम चर्चा होती है। क्या ऐसा कोई इन्सीडेन्ट है या कोई ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है, पांच साल में नहीं आया अथवा प्रशासन की शिथिलता है अथवा उसमें गंभीरता का अभाव है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर परिस्थिति में मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मंत्री महोदय और न्याय प्रशासन से शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लें। किसी भी व्यक्ति को करें, जिस प्रकार प्रावधान है। उसमें सारा प्रोसीजर है लेकिन केवल एक बार ऑर्डिनेन्स लाकर जनता में छोड़ दें, बिल को लाकर छोड़ दें तो निश्चित रूप से यह भावना बनती है कि इस राज्य में घोषणायें होती है-हर आदमी को काम मिलेगा, हर आदमी को रोजगार मिलेगा, हर आदमी को शिक्षा मिलेगी लेकिन ये घोषणायें 20-25 साल से करते आये हैं। जो सीरियसनेस, गंभीरता होनी चाहिये वह बहुत अटकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा लोकायुक्त का कानून बनाकर हमने अच्छी दिशा में काम किया है लेकिन इम्पलीमेंट नहीं करेंगे या नियुक्ति नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जनता में अनेक प्रकार के संशय और अनेक प्रकार के संदेह पैदा होंगे। एक बात इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी और ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कही और राज्यपाल महोदय के भाषण में यह बात आई है। आज प्रशासन में हजारों व्यक्ति काम करते हैं, उनकी सिनियोरिटी के मामले, उनके प्रमोशन के मामले, उनके पनिशमेंट के मामले, उनकी नियुक्तियों के मामले में भ्रष्टाचार होता है, भाई भतीजावाद होता है। कई व्यक्ति अन्याय के कारण पीड़ित होते हैं। लेकिन वे घोषणायें जो

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

राज्यपाल महोदय के भाषण में की गई हैं आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। न बिल लाया गया है और बिल के अलावा संविधान की धारा 309 और 310 में रूल्स बनाये गये या अन्य प्रकार इम्प्लीमेंट करने के लिये किसी भी प्रभावशाली बनाने के लिये कार्यवाही की गई।

मुझे दुःख है भ्रष्टाचार उन्मूलन की जितनी घोषणायें करते हैं उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। सारा प्रदेश उससे पीड़ित है और इतना पीड़ित है कि सुबह से शाम तक लोग इतने परेशान होकर आते हैं। उनके दुःख की गाथायें सुनने के बाद न्याय दिलाने की बात आती है। आज उनको न्याय दिलाना भी दूभर हो रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा हमारा प्रशासन असफल रहा है और प्रशासन की यह कितनी बड़ी असफलता है वह चाहे आज मंत्री मण्डल की है या प्रशासन की और चाहे एक मंत्री से दूसरे मंत्री की है। हमारे यहां राजस्थान की जनता को एक महीने में दो किलो अनाज मिलता है चाहे वह ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, गेहूं हो और चाहे धतूरा मिश्रित माइलो हो। कितनी बड़ी विडम्बना है। एक महीने में केवल दो किलो अनाज। उपाध्यक्ष महोदय, आज के युग में इससे बढ़कर प्रशासन की दुर्गति क्या होगी। वे विचार मन्थन करते रहे और उनके विचार करते करते लाखों लोग अनाज से वंचित रह जायं, यह कितने दुर्भाग्य की बात है। हमारे प्रदेश के अन्दर और दिल्ली के अन्दर राजस्थान की लाबी कमजोर होने के कारण और बल न मिलने के कारण दो किलो धान उपलब्ध न करा सके तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं इससे बढ़कर एक माह में दो किलो और वह भी पूरे व्यक्तियों को नहीं मिलता है हमारे यहां यह कहा गया कि हमने 8 किलो की डिमान्ड की है लेकिन 10 किलो चाहिये। बात इस तरह की करके हम केवल दो किलो का प्रावधान करें और वह भी उपलब्ध न करा सकें इससे बढ़कर शर्म की बात किसी प्रशासन के लिये नहीं है।

आज राशन की दुकानों से वापिस खाली कार्ड पकड़ा दिये जाते हैं। शहरों में, गांवों में जाकर देखिये भीड़ लगी रहती है। मातायें और बहिनें राशन कार्ड लेकर अपनी रसोई को छोड़कर भिखारी की तरह राशन की दुकानों पर खड़ी रहती हैं। कितना दर्दनाक दृश्य है। हमारे प्रशासन की कितनी शिकायतें हमारे पास रोज आती हैं। मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय यह राज्य की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्य है, और राज्य इसके लिये ड्यूटी बाउन्ड है कि राजस्थान की जनता को जीने के लिये धान दे। वह धान कहीं से भी लाकर दे। कहीं से भी प्रशासन को गियर-अप करना पड़े और चाहे आमूल चूल परिवर्तन करना पड़े लेकिन राजस्थान के हर नागरिक को 10 किलो धान उपलब्ध नहीं करा सकती है तो वह प्रशासन असफल है, वह प्रशासन अकर्मण्य है और वह प्रशासन निकम्मा है और वास्तव में वह शासन में रहने लायक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे सारे प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार मैंने पहले भी निवेदन किया था महाराष्ट्र के अन्दर, गुजरात के अन्दर लाखों और करोड़ों की केन्द्र से रेल्वे लाइन जुड़ गयीं। इसलिए जुड़ गयी कि वहां का प्रशासन आश्वस्त था, उन्होंने जाकर दिल्ली में अपनी लाबी क्रियेट की और वह उसमें....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No 99

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सफल हो गए लेकिन यहां रेल्वे लाइन की बात तो छोड़िये, बड़े कामों की बात छोड़िये जो साधारण काम होने चाहिए उनको भी हम नहीं करवा सकते और इससे अधिक प्रशासन की शिथिलता का क्या उदाहरण होगा ? पिछले अकाल में पाली में या सांचोर में या और कई स्थानों पर जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुए उसकी जांच बैठाई गई और अब कहा गया कि क्योंकि अधिकारियों का स्थानान्तरण हो गया है इसलिए जांच नहीं की जा सकी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन की ओर से, केन्द्र के प्रशासन की ओर से, मनचन्दा कमेटी हो या अन्य कोई कमेटी हो वह बराबर कहते रहे हैं कि राजस्थान के प्रशासन को कसना चाहिए, वह असफल है, वह भ्रष्ट है, इसलिए हम वहां पर अनुदान नहीं दे सकते। और हमारे यहां पर जांच बैठाई गयी वह दो-तीन साल में भी जांच नहीं हो पाई कि कितना भ्रष्टाचार हुआ अकाल के समय में। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं । यहां पर कहा गया कि उदयपुर में छंगानी कमीशन की रिपोर्ट आ गयी है और सदस्यों को मिल जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस घोषणा को हुए आज 15 दिन हो गए लेकिन वह रिपोर्ट आज तक हमको नहीं मिली। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी उसके बाद तो मिलनी चाहिए थी, मगर नहीं मिली ।

यहां पर कहा गया कि मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट को हमने स्वीकार कर लिया है लेकिन वह रिपोर्ट भी आज तक उपलब्ध नहीं हुई। स्वर्णकारों के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने आज्ञा दी थी कि एक साल के लिए अकाल के समय में उनसे कोई वसूली नहीं की जाये लेकिन वह कागज आज तक सेक्रेटेरियट में एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं और स्वर्णकारों की कुर्की के द्वारा वसूलियां की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी की आज्ञा हो जाने के बाद भी इतने समय तक कभी स्पेशियल सेक्रेटरी, कभी फाइनेन्स सेक्रेटरी और कभी वित्त मंत्रीजी के पास में कागज घूमते रहते हैं । लगता ऐसा है कि एक साल का समय तो यों ही निकल जायेगा और वह आज्ञा उसी तरह से लाल फीताशाही में फंसी रहेगी। आज लाल फीताशाही हमारे राज्य में अधिक बढ़ गयी है और बढ़ती जा रही है और उसको रोकना हमारा फर्ज है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हूजा कमीशन बैठाया उसकी रिपोर्ट आज तक प्रस्तुत नहीं हुई, एयरलाइन काण्ड के अन्दर जब कि एक हवाई जहाज को रोक लिया गया एक घन्टे तक सिर्फ इसलिए कि एक आई० ए० एस० आफिसर को टिकट नहीं मिला और सारे यात्रियों को दो घन्टे तक पड़ा रहना पड़ा, 2 साल हो गए आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई । छंगानी कमीशन की, हूजा कमीशन की, मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट्स नहीं आई और जितनी भी कमेटीज और कमीशन्स बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा मुख्य मंत्रीजी से कि इसका एक श्वेत पेपर पब्लिश करें । आज राजस्थान में कितने टोटल कमेटी और कमीशन किन-किन समस्याओं को लेकर कितने कितने देर के लिए बैठे और उनकी रिपोर्ट्स कब मिल जानी चाहिए इसका वह एक व्हाइट पेपर निकालें। यह तो आज सागर है जिसमें कितने ही गोते मारे पता ही नहीं लगता । आज सेक्रेटरी किस कमेटी में है, किस कमीशन में है और वह कहां सेक्रेटरी है इसका उसे खुद को ही पता नहीं है। इन सब के बारे में एक व्हाइट पेपर पब्लिश होना चाहिए कि किन किन समस्याओं को लेकर यह कमेटीज

Page No 100

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और कमीशन बैठे और क्या उनका इम्पलीमेन्टेशन हुआ है। यहां पर गिरधारीलाल व्यास की पंचायत के बारे में रिपोर्ट राज्य सरकार को देने के बाद और मंत्री महोदय ने उसका जिक्र किया लेकिन सदस्यों को वह रिपोर्ट आज तक नहीं मिली कि उसने क्या क्या सुझाव दिये हैं और यह पंचायतें किस प्रकार से चलनी चाहिएं। बैरी कमीशन की रिपोर्ट दो साल पहले प्रस्तुत हो गयी। उसके इम्पलीमेन्टेशन के बारे में एश्योरेन्स दिया गया लेकिन आज तक उसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं किया गया। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा इसके बारे में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यदि प्रशासन की इमेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि जनता को सही प्रशासन मिले तो हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सेक्रेटरीज पर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। इम्पलीमेन्टेशन का काम नौकरशाही का है वह चाहे वही करें यह कहने से काम नहीं चलेगा। यह मंत्रिमण्डल काम नहीं कर रहा है और यह स्टेपनी गवर्नमेंट है जो लड़खड़ाती हुई अपनी अन्तिम श्वासें गिनती हुई चली जा रही है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : स्टेपनी का मतलब कहें क्या हुआ ?

श्री गुमानमल लोढा : गाड़ी का पहिया नहीं होता पीछे का लगा दिया जाता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्टेपनी लगा देते हैं तो कार चलने लग जाती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्टेपनी गवर्नमेंट के बारे में अर्ज कर रहा था। इस बारे में एक निवेदन कर रहा था कि एक बहुत बड़ा प्रश्न आया कि राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी के मामले में कटौती की गयी और आधी कटौती की गयी। पहले 1/3 की कटौती की गयी और फिर 1/2 की की गयी और इसके बाद जगह जगह राजस्थान में कहीं इन्डस्ट्रीज बन्द हो रही हैं, कहीं शिफ्टें बन्द हो रही हैं, मजदूर बेकार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यदि गांवों की ओर जायें तो वहां पर अकाल है और शहर में आयें तो शिफ्टें बन्द हो रही हैं, तालाबन्दी हो गयी और यह इसलिए हुई कि बिजली में कट हो गया। ऐसी परिस्थिति में वह कहां जायेंगे हमें इन प्रश्नों के ऊपर विचार करना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा और वह महत्वपूर्ण है और प्रशासन से संबंधित है। मेरी यह मान्यता है कि आज के युग के अन्दर, प्रजातंत्र के युग के अन्दर जनतंत्रीय तरीकों से समस्याओं के समाधान के लिए चाहे किसी भी दल के लोग हों वह जाते हैं तो उनके साथ में दमन की कार्यवाही की जाती है, यह प्रशासन के मुंह पर काला धब्बा है। मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज फिर बताना चाहता हूं कि उदयपुर के अन्दर एक स्थान के ऊपर हमारे राजस्थान उदयपुर विभाग के मंत्री श्री कौशल किशोरजी जैन--उन्होंने कहा कि यहां पर पानी भरा हुआ है और किसानों का धान सूख रहा है और उनकी पिलाई के लिए पानी उपलब्ध करायें। उनकी इस आन्दोलन में गिरफ्तारी की जाये। यह गये गुजरे ब्रिटिश जमाने की बात थी कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं को हथकड़ियां डालकर घुमाया जाये। मैं कहना चाहता हूं कि पहले भी इस सदन में घोषणा हुई थी जबकि यहां पर गृह मंत्री श्री माथुर थे कि किसी भी राजनैतिक नेता को जो आम

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
जनता की बात को लेकर आन्दोलन करता है उसको हाथों में हथकड़ी नहीं डाली जायेगी। हम कहा करते थे कि 'चलकर कारागार में हम सत्र करें अपना कार्यक्रम, हाथ में हो हथकड़ी और जिव्हा पर हो बन्दे मातरम्'। लेकिन आज तो बन्दे मातरम् के विरुद्ध बम्बई के अन्दर चुनाव जीते जाते हैं। बन्दे मातरम् का विरोध करके मुस्लिम लीग ने 16 सीटें लीं और वही मुस्लिम लीग आज राजस्थान में पनप रही है और वह जोधपुर में प्रारम्भ हुई। जहूर मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने जिन्होंने फार्म भरा समर्थन देने के लिए ....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जोधपुर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ उसमें ज्यादातर जनसंघ के लोग थे मैं साबित कर सकता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसके बाद इनको नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुस्लिम लीग इन्होंने ही बनाई।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह साधारण बातें नहीं हैं। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने इसको उठाया था और उस समय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि यह बुलबुला है इसको नहीं बढ़ने दिया जायेगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जहूर मोहम्मद जिसने कांग्रेस के समर्थन में अपना नाम वापिस लिया 1972 में। यही मुस्लिम लीग जो कि देशद्रोही संस्था है और जिसने भारत के टुकड़े करवाये, जहां इस देश के अन्दर जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान का निर्माण हुआ, कलकत्ता में, दिल्ली में और अन्य स्थानों में खून की नदियां बहीं आज वह लोग राजस्थान में सक्रिय हैं और कितने सक्रिय हैं इसका उदाहरण नागौर में मिल सकता है। हमने स्थगन प्रस्ताव रखा था बहुत पहले, दुर्भाग्य से आ नहीं सका, नागौर के अन्दर मुस्लिम लीगी तत्वों ने हिन्दू लड़के का कत्ल कर दिया और वहां आज आम हड़ताल है, धारा 144 लगी हुई है, और आज वहां पर जीवन अस्तव्यस्त है। यह सत्य है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हमने छुपाने का प्रयास किया - यह तो ठीक है मुख्य मंत्रीजी की व्यवस्था है वह केरल में हाथ में हाथ मिलाकर, गले में गला मिलाकर मंत्रिमण्डल बनाकर बैठे। इसलिए आज उनके लिए कुछ नहीं कह सकते और कम्युनिस्ट भाई भी कहते हैं क्योंकि यह तिरंगा मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट और सत्तारूढ़ दल इनके साथ केरल में है। सत्ता की भूख के कारण से, सत्ता को रखने के लिए यह तीनों साथ में हैं। इसलिए आज उनका विरोध नहीं कर सकते लेकिन यह तीन तिरंगे जब दंगा करने लग जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको जितने साधारण तरीके से लिया जायेगा इस मामले में जितनी गम्भीरता की कमी रखी जायेगी उससे प्रदेश की शांति, प्रदेश की व्यवस्था खतरे में है।

और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री महोदय ने यह कह कर

(समय–समाप्ति–सूचक–अनवरत घण्टी)

छोड़ दिया कि यह बुलबुला है जो शांत हो जाएगा। यह बुलबुला नहीं है, यह बढ़ गया है। इतिहास की ओर देखिए। आज से पचास साल पहले जब जिन्ना आए और लियाकत अली खां आए तो भी यही कहा गया था बुलबुला है, इनके साथ में दो चार

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लोग हैं, कुछ होने वाला नहीं है लेकिन वही लोग आगे आए और हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ। यह बुलबुला नहीं है जो शांत हो जाएगा। यह राक्षस है। यह भूत है, यह दानव है। यह हिन्दुस्तान का विभाजन कराने के लिए, यह हिन्दुस्तान की अखण्डता को समाप्त करने वाला सबसे बड़ा पाप है। कैंसर की बीमारी है, इसको समाप्त करना चाहिए। मुख्य मंत्री महोदय क्यों नहीं जोधपुर के मोहल्ले मोहल्ले में जाकर, जनतांत्रिक तरीके से समझाते कि यह अभिशाप है, इसके साथ मत रहो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब उसकी मीटिंग ओर्गेनाईज की गई, जुलूस निकाला गया तो उसमें वही लोग थे जो मुख्य मंत्रीजी के साथ घूमा करते थे। उनके ही हाथ में मुस्लिम लीग का झण्डा, मुस्लिम लीग का डण्डा और मुस्लिम लीग की टोपी लगा कर वही लोग इसमें शामिल हुए थे जो मुख्य मंत्रीजी के चुनाव के समय उनके साथ थे। आज वहां का जन-जीवन शांति को खतरे से भरा हुआ है। वहां की शांति को खतरा पैदा हो गया है और आप कहते हैं कि बुलबुला है जो शांत हो जाएगा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी पवित्र संस्था को, सांस्कृतिक संस्था को, व सामाजिक संस्था को जिसने कि एक तरफ जब हमारे देश पर हमला हुआ, कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला हुआ तो रात रात भर उसके स्वयं सेवकों ने काम करके उसकी रक्षा की और अपने जीवन की बाजी लगा दी। बाड़मेर में जब बम पड़ रहे थे, पाकिस्तान के हवाई जहाज बम गिरा रहे थे और सिविल गार्ड के लोग अलग हो गए, सिविल डिफेंस के लोग अलग हो गए तो इन्हीं लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा कर रक्षा व्यवस्था में हाथ बंटाया और देश की सम्पत्ति की रक्षा की। लेकिन आज इन्हीं लोगों को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। मैं इस प्रकार की स्थिति में मंत्रिमण्डल को, मंत्रिमण्डल के साथियों को, प्रशासन को कहना चाहता हूं कि यह मुस्लिम लीग मिटने वाली नहीं है, आज यह छूत की बीमारी के रूप में फैल रही है। आज यह जोधपुर नगर के अन्दर बढ़ती जा रही है तो कल दूसरी जगह बढ़ेगी, इसको समाप्त करना आपका और हमारा कर्तव्य है। यदि देश की अखण्डता को, प्रदेश की अखण्डता को और राजस्थान और देश को आगे बढ़ाना है तो इस बीमारी को समाप्त करना होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

वरना मुस्लिम लीग ऐसा आर्गेनाईजेशन है जो चाहता है कि देश की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए। जो चाहते हैं कि देश के अन्दर किसी भी प्रकार से चाहे रूस हो, चाहे चीन आए, चाहे अमेरिका आए या अन्य देश आए, यह देश उनका गुलाम बन जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर मुख्य मंत्री महोदय को और उनके साथियों को वार्न करना चाहूंगा और इस बारे में यह भी कहना चाहूंगा कि यदि उनके खिलाफ सक्रिय कदम नहीं उठाया गया तो नागौर में जो कुछ हुआ है वैसी ही दुर्घटनाएं दूसरे स्थानों पर भी हो सकती हैं। इससे मुस्लिम लीग को और बढ़ावा मिलेगा और बढ़ावा मिलने का कारण यह है कि केरल के अन्दर कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग सत्ता में है·····

श्री उपाध्यक्ष : यह आप पहले कह चुके हैं।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लेकिन मैं आपके माध्यम से इस बारे में चेतावनी देना चाहूंगा और साथ में एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर इस सदन में जब एक साल में कई तरह के डवलपमेंट हुए और एक वर्ष में मैंने देखा कि यहां पर जहां एक और प्रशासन में स्वच्छता लाने के लिए, जहां एक ओर जनता के अन्दर गरीबी को मिटाने के लिए बातें की गईं वहां साधारण कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की जो स्थिति है उसमें उनकी पे स्केल्स में इम्प्रूवमेंट किए जाने के लिए जो तत्परता होनी चाहिए थी उसकी कमी रही। यह नहीं कहा गया जो कहा जाना चाहिए था। राज्य सरकार क्यों नहीं यहां के कर्मचारियों की पे-स्केल सेंटर के पे-स्केल के बराबर कर देती? क्यों विषमता रखी जाती है? राजस्थान में काम करने वाले एल. डी. सी. को, राजस्थान के एक चपरासी को क्यों आधा हिस्सा, पौन हिस्सा दिया जाता है जब कि सेंटर के लोगों को पूरा दिया जाता है। यहां पर लाबी क्रियेट हो रही है। कभी कहा जाता है कि पुलिस की तनख्वाहें कम हैं, कभी पुलिस को संरक्षण देने की बात कही जाती है। मुख्य मंत्री द्वारा कहा गया कि जबरन कबूल नहीं कराया जा सकता। मुजरिमों से यह नहीं कहा जा सकता कि आओ भाई, बैठो भाई, चाय पीओ। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप उन देश द्रोहियों के साथ ऐसा वर्ताव करते हैं तो निश्चित रूप से करना चाहिए, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन जिन राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उसके लिए उनको सदन में खेद प्रगट करना चाहिए। यदि उदयपुर में और चौहटन में राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं हथकड़ियां लगा कर घुमाया जाता है तो मैं समझता हूं कि इस बारे में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मुख्य मंत्री अथवा अन्य व्यक्ति जिसको उत्तरदायी वे कहें कि यह गलती हुई है और भविष्य में नहीं होगी। वह गल्ती भविष्य में नहीं दोहराई जावेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक बात और कहना चाहूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। इस समय के अन्दर जब सारे प्रदेश के अन्दर अकाल की स्थिति, है सारा प्रदेश अकालग्रस्त है, उस समय हम चाहे घोषणायें कितनी ही करें, कल घोषणायें की गईं, परसों घोषणायें की गई, हम धान का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, मैं अभी इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि आप राष्ट्रीयकरण करें या न करें लेकिन कम से कम एक बात अंतिम रूप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के लिए कम से कम दस बारह किलो अनाज उपलब्ध कराना चाहिए। यह आपका परम पुनीत कर्त्तव्य है और यह कर्त्तव्य हम सबका भी है जो यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज दो दो किलो अनाज तक उनको नहीं मिलता है। यह दुर्दशा समाप्त होनी चाहिए, यह भूखमरी समाप्त होनी चाहिए। आज लोगों को दस दस मील तक पानी लाने के लिए जाना पड़ता है, यह दुर्दशा समाप्त होनी चाहिए। जहां दस दस मील से लोगों को पानी लाना पड़े, दो दो किलो धान न मिल सके वहां हमारे अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड की मशीनें दूसरे प्रदेशों में घूमती रहें। कभी हरियाणा में तो कभी पंजाब में, कभी कश्मीर में तो कभी बंगला देश में। बंगला देश की बात दूसरी थी क्योंकि वहां की विशेष परिस्थितियां थीं वह अपवाद के रूप में हो सकती हैं लेकिन राजस्थान के लोग प्यासे मरें और हमारी मशीनें दूसरी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जगह घूमती रहें। राजस्थान के लोग भूखों मरें और राजस्थान के गोडाऊन्स में भरा हुआ लाखों टन अनाज महाराष्ट्र में जाय, गुजरात में जाय या अन्य स्थानों पर जाय। राजस्थान के लोग पानी पीने के लिए तरसते रहें, दाने दाने के लिए तरसते रहें और भूखों मरते रहें तो यह स्थिति मैं समझता हूं कि असहनीय है। इस स्थिति को सुधारना पड़ेगा और आज मैं प्रशासन से, मंत्रिमण्डल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह सदन के अन्दर यह रोज रोज की घोषणा करना छोड़ें। हम एक ही साथ में सारी घोषणाओं के लिए हमारे मुख्य मंत्री महोदय को घोषणा वीर चक्र की पदवी से सुशोभित करने को तैयार हैं लेकिन यह घोषणा वीर चक्र धारण कर ये रोज रोज की घोषणायें करना समाप्त करें, इन घोषणाओं से कुछ होने वाला नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घंटी)

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो किसी बात को छोडा नहीं है।

श्री नानालाल ।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन मांगों पर विचार हो रहा है उनमें मैं पहले शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है और सरकार का इस ओर अधिक ध्यान है वह भी महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा की तरफ राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार नए स्कूल बराबर खोलती जा रही किन्तु प्राथमिक शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो स्कूल खोले जाते हैं उनकी व्यवस्था ठीक करना आवश्यक है। जो बच्चे प्राथमिक शालाओं में जाते हैं तो उनको अधिक सुविधा मिलनी चाहिए तो उससे अधिक लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ स्त्री शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा का अगर अधिक प्रचार होगा तो बच्चों को अधिक शिक्षा मिल सकेगी। स्त्री शिक्षत होने के बाद वह बच्चों को शिक्षा दे सकेगी। इसलिए स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाना यह राज्य सरकार का और हमारा सबका कर्त्तव्य है।

राज्य सरकार ने इस समय बेसिक स्कूलों में केवल छः स्कूलों का प्रावधान रखा है। यह बहुत ही गलत है। आज स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है। जगह जगह अध्यापक नहीं हैं किन्तु आपने कहीं पर प्रशिक्षण स्कूल नहीं खोले हैं। सिर्फ छः स्कूल रख कर 200–250 अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। तो यह बहुत ही कम है। इसलिए मैं राज्य सरकार को निवेदन करता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उदयपुर जिला इतना बड़ा है किन्तु आज उसमें एक भी एस. टी. सी. स्कूल नहीं है तो आगे जाकर बड़ी भारी गम्भीर समस्या हो सकती है इसलिए राज्य सरकार को इसे ध्यान में रखने की जरूरत है।

जो प्राईवेट स्कूल खोले जाते हैं, प्राईवेट इण्डीजुअल स्कूल जो चल रहे हैं उसमें और राज्य सरकार की तरफ से स्कूल खोले गए हैं उसमें काफी अन्तर है। इसमें लोगों को काफी भ्रम होता है। तो इसमें जो अन्तर है वह अन्तर मिटा देना चाहिए जिससे लोगों में यह भ्रान्ति पैदा नहीं होगी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

(श्री नानालाल)

के लिए शिक्षा की व्यवस्था नि:शुल्क होनी चाहिए । साथ ही साथ इनको वजीफा भी मिलना चाहिए ताकि ये लोग बराबर आगे पढ़ते रहें ।

इस समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लड़कों को सिर्फ स्कालरशिप मिलती है । इससे इन लोगों का बराबर पूरा नहीं पड़ता है । इसलिए राज्य सरकार को नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ भोजन व्यवस्था और दूसरी व्यवस्था भी इनके लिए करना चाहिए । माध्यमिक स्कूलों में उद्योग के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि छात्र बाद में अपने काम में लग सकते हैं और वे बेरोजगारी महसूस नहीं करें । इस ओर अब अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । भूतपूर्व नरेशों की मांगें भी पेश की गई हैं । इस पर भी मैं अपने विचार रखना चाहता हूं । आज करोड़ों व्यक्ति बेरोजगार हैं, भूखे रहते है, उनके पास अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, रहने के लिए मकान की व्यवस्था नहीं है । एक तरफ तो ऐसी स्थिति है दूसरी तरफ हम इन राजाओं की विलासिता के लिए प्रावधान कर रहे हैं तो यह अन्याय है । यह नहीं होना चाहिये देश में कई लोगों के पास मकान नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है और इधर नरेशों के पास दुनियां भर की विलासिता की वस्तु है । वह हर काम सुख, ऐशो-आराम के लिए करता है । ऐसी स्थिति में उनके लिए और व्यवस्था करना न्याय सगत नहीं है । इसके सिवाय प्रशासन के सम्बन्ध में भी थोड़ा विचार व्यक्त करना चाहता हूं । प्रशासन आज थोड़ा ढिलाई से चल रहा है । इसके लिए माननीय सदस्यों ने यहां पर बताया भी है । मैं भी यह विचार रख देना चाहता हूं कि प्रशासन कुछ मायनों में गलत काम कर बैठता है तो उसके ऊपर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस तरह से प्रशासन को पूरे कन्ट्रोल में रखना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी ।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की अनुदान की मांग 56 करोड़ 15 लाख 12 हजार रुपया है । यह धनराशि हमारी भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए व्यय होगी । अब हमें यह देखना है कि वास्तव में इससे हमारी भावी पीढ़ी का सर्वांगीण विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है । यदि हम सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो विदित होगा कि हमारी यह जो शिक्षा प्रणाली है भारत की भूमि में उगाया गया वह पौधा है जो कभी डेढ़ हजार वर्ष पहले विदेश से लाया गया था । यह पौधा यद्यपि यहां की जलवायु के अनुकूल नहीं था फिर भी हमने कृत्रिम जलवायु देकर इस पौधे को बड़ा किया चाहे इसके फल आते हैं या नहीं आते हैं । अर्थात यहां की जो शिक्षा प्रणाली है, वह उपयोगी है या नहीं है फिर भी उसी पुरानी लकीर पर हम चल रहे हैं, चले जा रहे हैं । शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए कई आयोग बिठाए गए, राधाकृष्णनन् विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन तथा श्रीमाली कमेटी, इस क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई । मैं यह पूछना चाहती हूं कि इतना अधिक श्रम और धन व्यय हुआ, उसने जो परामर्श दिया, उसने जो सुझाव दिए, वह अभी तक क्यों नहीं क्रियान्वित किए गए । मुझे बोलते हुए कुछ मायूसी हो रही है

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

पिछली विधान सभा में भी मैंने कई प्रकार के सुझाव दिए थे, शिक्षा के लिए जो कमेटी बनी है, उसके भी हम सदस्य हैं परन्तु केवल एक ही बार उस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। उसके बाद इस कमेटी से किसी प्रकार का परामर्श नहीं लिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि यह प्रदेश शिक्षा के ऊपर निर्भर है अपनी तरक्की के लिए, यदि उस प्रदेश की शिक्षा दोषपूर्ण होगी तो वह प्रांत कभी समृद्ध नहीं हो सकेगा, तरक्की नहीं कर सकेगा। हमारे राजस्थान को आप देखिए, यदि इस शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं लाया गया तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमें खाद्यान्न जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। तब प्रश्न उठता है, शिक्षा का प्रारूप कैसा हो ? न तो हम अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक हैं, हम उसके विरोधी हैं। साथ ही साथ जो मध्यकालीन शिक्षा है उसको भी हम नहीं मानते हैं वह आज आउट ऑफ डेट हो गई है। महात्मा गांधी ने जो बुनियादी शिक्षा की बात कही थी उसको भी हमने असफल करार देदिया है। फिर आखिर शिक्षा का प्रारूप क्या हो ? मैं तो यह कहूंगी, शिक्षा का प्रारूप वही होना चाहिए जो कि गरीबी और बेकारी को दूर कर सके। हमारी शिक्षा वह हो जो कि व्यवसायिक हो। आज शिक्षा के ऊपर दृष्टिपात करें तो प्रतीत होता है कि जो शिक्षा है वह ऊपर से लेकर नीचे तक दोषपूर्ण है जिसके बारे में मैं इस विधान सभा में कई बार निवेदन कर चुकी हूं। हमारे यहां पर प्री-प्राइमरी एजूकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यद्यपि समाज कल्याण विभाग द्वारा या कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं के द्वारा कुछ स्थानों पर प्री-प्राइमरी एजूकेशन है परन्तु मैं पूछना चाहती हूं कि हमारी जो असली भावी पीढ़ी है, जो कि गांव में निवास करती है, उन गांवों के लिये क्या आपने कोई प्री-प्राइमरी एजूकेशन के लिये प्लान बनाया है ? प्री-प्राइमरी एजूकेशन जो है वह बच्चों में स्वस्थ आदतें डालने के लिये है। बच्चे में सृजनात्मक प्रवृत्ति जाग्रत करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है खास तौर से राजस्थान जैसे प्रान्त में। राजस्थान में अधिकांश माता-पिता अशिक्षित हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को प्राइमरी एजूकेशन के पहले प्री-प्राइमरी एजूकेशन की ओर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है।

प्राइमरी एजूकेशन का क्या हाल है ? प्राइमरी एजूकेशन के बारे में यदि मैं यह कहूं कि यह शिक्षा जो है वह अन्धकारपूर्ण है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा है, उसका उद्देश्य है—जीवन में प्रकाश लाना। हम आज तक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं ? यह प्रश्न पैदा होता है। यद्यपि यह कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति के कारण यह नहीं कर पाए हैं। परन्तु यह महत्वपूर्ण बात है। आज भारतवर्ष में करीब 38 करोड़ 60 लाख व्यक्ति अशिक्षित हैं जबकि सम्पूर्ण विश्व में इन अशिक्षितों की संख्या केवल 70 करोड़ है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा भार हिन्दुस्तान पर है और वह अधिकांश राजस्थान में निवास करती है। यद्यपि राज्य सरकार की इस नीति का मैं स्वागत करूंगी कि उसने इस साल एक हजार प्राथमिक पाठशालाऐं खोलने का निर्णय लिया है परन्तु केवल प्राथमिक पाठशालाएं खोल देने से कुछ नहीं होगा जब कि हम इस ढांचे को आमूलचूल नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

लायेंगे तब तक केवल पाठशालाएं खोल देना पर्याप्त नहीं होगा। सब से बड़ी त्रुटि जो हमें प्राथमिक पाठशालाओं में दिखाई देती है, वह यह है कि इसका प्रशासन ठीक नहीं है। हमने इसका सारा का सारा प्रशासन स्थानीय संस्थाओं को उनके हाथों में सौंप दिया है, जिला परिषदों, पंचायतों के हाथों में सौंप दिया है। इन परिषदों के पास कार्यक्षमता, अभिरुचि और धन का अभाव है। सरपंच लोग शिक्षा के लिये टैक्स लगाने से डरते हैं कि कहीं हमें अगली बार वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति में, मैं यह पूछना चाहती हूं कि इन अशिक्षित सरपंचों के हाथ में हम कब तक इस प्राथमिक शिक्षा को थमाये रखेंगे। कब तक हम इस भावी पीढ़ी का भविष्य अन्धकार में डुबोते रहेंगे।

दूसरी त्रुटि जो इस क्षेत्र में मुझे दिखाई देती है, वह यह कि अध्यापकों का चयन ठीक तरह से नहीं किया जाता है। शिक्षक वास्तव में वह दीप है जिससे कई दीप जलाए जा सकते हैं, परन्तु जब शिक्षक का चुनाव ठीक ढंग से नहीं होता है तो उस स्थिति में वह जो शिक्षा देगा उसको हम उचित नहीं कह सकते। प्राथमिक शिक्षा के लिये अधिक योग्य अध्यापक आकर्षित हों इसके लिये हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पहला काम तो यह करना पड़ेगा कि प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक का वतनमान बहुत अच्छा बनाना होगा तभी अधिक शिक्षित, प्रशिक्षित और योग्य व्यक्ति वहां पर आएगा।

दूसरा सुझाव यह है कि प्राथमिक शालाएं जो बनाते हैं उनके साथ ही साथ प्राथमिक शालाओं के टीचर्स के लिये कोई क्वार्टर्स नहीं बनते हैं। वहां पर टीचर, शिक्षक दो मील पैदल चलकर स्कूल में आता है तो सारी की सारी शक्ति उसकी उसमें व्यय हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह सरस्वती की आराधना कैसे कर सकता है? मुझे यह समझ में नहीं आता है। उसके बाद पुनः उसे वापिस जाना पड़ता है। कम से कम जहां पर प्राथमिक शालाओं की इमारत खड़ी करें वहां शिक्षकों के लिये भी हमें क्वार्टर्स जरूर बनाने चाहिये।

एक शिक्षक की जो शालायें हैं, जहां एक ही शिक्षक, टीचर होता है और बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं, ऐसे स्कूल जहां पर एक अध्यापक हो वहां कम से कम दो अध्यापक अवश्य होने चाहियें जिससे गड़बड़ी से उनको बचाया जा सके क्योंकि एक व्यक्ति सभी विषयों को नहीं पढ़ा सकता।

इसके अतिरिक्त मुझे एक और बात दिखाई देती है कि हमारे यहां प्राथमिक स्कूलों में प्लेग्राउन्ड की व्यवस्था ठीक तरह की नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको बताया व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है अथवा उसके द्वारा शारीरिक विकास हो और मानसिक विकास हो। तो शारीरिक विकास की ओर कम ध्यान देते हैं। प्लेग्राउन्ड जब तक नहीं होंगे तब तक व्यक्ति में एक प्रकार का व्यक्तित्व, संगठन और प्रशासन की कुशलता जो खेलों के द्वारा ही आती है, वह नहीं आयगी। इसलिये इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक और बात मैं इस क्षेत्र में निवेदन करना चाहती हूं, वह यह है कि मोबाइल लाइब्रेरी जो है इन प्राथमिक शालाओं में होनी चाहिए। हम यह देखते हैं कि बच्चे जो हैं वह केवल पाठ्य पुस्तकें ही रखते हुए बच्चे

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

जाते हैं। उनकी रुचि को बढ़ाने के लिये एक मोबाइल लाइब्रेरी प्रत्येक जिलास्तर पर या ब्लाक स्तर पर हो जो वन्स ए वीक जाकर बच्चों में बाल-साहित्य वितरित करे, और इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी तो इससे बच्चों का भविष्य आगे बढ़ सकता है। यदि आर्थिक कमी इस समय है तो इस समय स्कूटर या माइकल रिक्शा द्वारा इस तरह की मोबाइल लाइब्रेरी है वह चलाई जा सकती है।

भाषा की तरफ प्राथमिक शालाओं में, बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, और खासतौर से हिन्दी जो कि एक तरह से हमारी राष्ट्रीय भाषा कही जा सकती है उसकी तरफ ध्यान नहीं देकर अधिक स[...]िक पुस्तकें रखी जाती हैं। इतना अधिक कोर्स रखा जाता है कि बच्चे किसी के अन्दर कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते।

एक और प्राथमिक शालाओं में कमी दिखाई देती है वह है अपव्यय और अवरोध। अपव्यय का अर्थ है बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं और अवरोध वह है जो बच्चे निरन्तर एक ही शिक्षा में रहते हुए चले जायं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए टीचर्स जिम्मेदार हैं। टीचर्स अच्छे नहीं रखेंगे तो यह व्यवस्था सुधर नहीं सकती। इसके संबंध में मेरा एक सुझाव यह है कि प्रत्येक जिलास्तर पर और खण्ड-स्तर पर जो कि प्राथमिक शालाओं के अच्छे शिक्षक हैं उन्हें 15 अगस्त या 26 जनवरी को विशिष्ट पुरस्कार देने चाहिए। प्रान्तीय स्तर पर तो दिये ही जाते हैं परन्तु इन्हें जिला-स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर दिये जायं तो संभव है कि इस क्षेत्र में हम प्रगति कर सकें।

यदि शिक्षा के माध्यमिक स्तर को लें तो उसमें भी कई प्रकार की कमियां दिखाई देती हैं। माध्यमिक शालाओं में जब बच्चे आते हैं तो उस समय वह किशोर अवस्था में पदार्पण करने वाले होते हैं। उन में शक्ति, स्फूर्ति और जिज्ञासा होती है। उसकी तुलना हम आटोमेटिक एनर्जी से कर सकते हैं। वास्तव में यदि आटोमेटिक एनर्जी का प्रयोग खराब कामों में किया जाय तो वह सारे राष्ट्र को विध्वंस कर सकती है। अच्छे कामों में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। तो हमें जो हमारी किशोर और युवा पीढ़ी है इसकी शक्ति का सदुपयोग करना है। आज हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वह सृजनात्मक कार्यों में नहीं लगते हैं या किशोर सृजनात्मक कार्यों में नहीं लगते हैं और विध्वंसात्मक कार्यों में लगते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? उसका बड़ा कारण तो यह है कि हमारी शिक्षा उद्देश्यहीन है। बच्चा जो माध्यमिक शाला में आता है वह कोई एम (Aim) लेकर नहीं आता है। शिक्षा केवल शिक्षा के लिए यही उद्देश्य वह लेकर चलता है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा का स्तर व्यवसायी अवश्य होना चाहिए। जब तक हम व्यवसायी शिक्षा माध्यमिक स्तर पर नहीं करेंगे तब तक उद्देश्य हीनता बनी रहेगी और इसकी लगातार श्रृंखला चलती रहेगी।

इसके अतिरिक्त दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की माध्यमिक शिक्षा में एक कमी हमें दिखाई देती है। अधिकतर ऐसा पाठ्यक्रम रख दिया जाता है जिसकी बच्चों में रुचि नहीं होती है। वह पढ़ते हैं केवल इम्तिहान पास करने के लिए और उसके बाद में उस विषय को भूल जाते हैं। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि प्रयोगात्मक हो। थ्योरिटिकल पाठ्यक्रम के स्थान पर

Page No 109

(श्रीमती निर्मला कुमारी) विटकल ऐसा रखा जायगा तो ऐसी स्थिति में उसके प्रति अधिक रुचि पैदा होगी।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी कई वार पुस्तकों के चयन में वह गलत तरीके से कर लिया जाता है। कल एक क्वेश्चन था जो कि नाहर साहब के द्वारा पूछा गया था उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर में है वहां पर हायर सैकेन्डरी स्कूल की मैथेमेटिक्स की शिक्षा के लिए परीक्षा हुई और चार पुस्तकें चयन की गई। उनमें से तीन जो पुस्तकें थीं तो तीसरी पुस्तक ऐसी थी जिसमें कि 500 मिस्टेक्स थीं फार्मूले के सम्बन्ध में। तो उस प्रश्न के बारे में जब मैंने शिक्षा राज्य मंत्री से प्रश्न किया तो उन्होंने यह कहा कि केवल दो पुस्तकें उसके अन्तर्गत रखी गई हैं तो मैंने उनसे यह कहा कि जब तीन पुस्तकें चयन की गई उस समय तो केवल यह प्रश्न पूछने के आधार पर एक पुस्तक को हटा दिया गया और उस समय तीन पुस्तकें रखी गई थी तो चौथी पुस्तक को क्यों नहीं लिया गया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय उपाध्यक्ष, एक मिनिट और निवेदन करना चाहती हूं यदि आप आज्ञा दें तो।

श्री उपाध्यक्ष : फरमाइये।

श्रीमती निर्मला कुमारी : इस प्रकार से चयन किया जाता है। इस तरह से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वह पुस्तक इसलिए चुनी गई थी गोकुल भोला जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है तो भोला जो हैं वह अजमेर के तोपदड़ा हायर सैकेन्डरी स्कूल में टीचर हैं तो एस. पी. शर्मा वहां के हैडमास्टर होने की वजह से उन्होंने उसका चयन कर लिया। मैंने एक उदाहरण दिया है। असंख्य उदाहरण ऐसे न मालूम कितने भरे पड़े हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में इस प्रकार के उदाहरण भरे मिलते हैं।

दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के बारे में कई प्रकार की बातें कही गई हैं और सभी कहते रहे हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी दोषपूर्ण है कि कुछ समय के लिए विद्यार्थी पुस्तकें पढ़ लेते हैं और परीक्षा में पास हो जाते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि इसको परिवर्तित क्यों नहीं करते हैं, चेन्ज क्यों नहीं करते हैं ? चेन्ज की बात कहते हैं और चेन्ज लाना है तो आन्तरिक परीक्षा का जो सिस्टम है जो स्कूल में ली जाती है उनको भी देखना है, विद्यार्थियों की वार्षिक रिपोर्ट को देखना है, समय समय पर उनके टैस्ट होते हैं उनको देखना है तभी जाकर परीक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। केवल तीन घन्टे में उनकी बुद्धि या विकास के बारे में आंकना बहुत बड़ी गलती है।

आज छात्रों में अनुशासनहीनता के शिकार बहुत देखने को मिलते हैं। आखिर यह पैदा क्यों हुई ? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि विद्यार्थियों में जो इन्स्टिन्क्ट है उनका सब्लीमेशन ठीक तरह से नहीं होता है। यदि उनका मार्ग दर्शन ठीक तरह से किया जाय तो ऐसी स्थिति में उनके इन्स्टिन्क्ट को सृजनात्मक कार्यों की ओर मोड़ सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने देना चाहती हूं। युगोस्लाविया में विद्यार्थियों ने 7 महीनों में काम करके एक होटल का निर्माण किया था। हमारे एम. बी. एन. कॉलेज, उदयपुर में जहां पर मैं विद्यार्थी थी 56-57 में हमने एक ओपन एयर थियेटर

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम से बनाया था। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति विद्यार्थियों में जागृत करना है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इस प्रकार की प्रवृत्ति जागृत करेंगे तो सब्लीमेशन के बारे में हम कुछ कर सकेंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) शिक्षा के बारे में.....

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : इसके बाद में अयोग्य शिक्षकों के....

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा का लम्बा सब्जैक्ट है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : बारे में निवेदन करना चाहती हूं। अभी हड़ताल हुई थी अध्यापकों की वह परीक्षा के समय हड़ताल हुई थी। जब स्वयं शिक्षक हड़ताल कर सकते हैं तो एक तरह से वह आग में घी डालने के समान है। बच्चे क्यों नहीं हड़ताल करेंगे। बच्चों में अनुशासन हीनता अवश्य आयेगी। इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, अयोग्य अध्यापक जो हैं उनके बारे में जब तक हम कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक यह प्रवृत्ति जारी रहेगी।

उच्च शिक्षा के बारे में संक्षिप्त में ही मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी युवा शक्ति का विस्फोट दूसरी ओर हो रहा है। वह सृजनात्मक कार्यों में न होकर ध्वंसात्मक कार्यों में होता है। किसान का लड़का विश्वविद्यालय में जाकर कृषि से नाता तोड़ लेता है। आज हम चौथा विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में मैं यह सुझाव दूं कि रूरल युनिवर्सिटी बनानी चाहिये। जोबनेर में एग्रीकल्चर कॉलेज, उदयपुर में विश्वविद्यालय तो इसके अधीन रहेगा ही। ऐसे कालेज और स्थान स्थान पर खुलें जो इस युनिवर्सिटी के अधीन हों जैसे डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, रूरल होम साइन्स, रूरल सोशियोलोजी, Rural Industry की शिक्षा के ऐसे कुछ कॉलेजेज चलायें जिससे आने वाली पीढ़ी को आप रास्ता दिखा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीन युनिवर्सिटी बनाई हैं। मैं एक मिनिट से ज्यादा समय नहीं लूंगी।

तीन युनिवर्सिटी बनाई हैं। उनके कॉलेजेज हैं उनके आस-पास के क्षेत्र के जो कॉलेज हैं, वह उन्हीं से जोड़ दिये जायें तो अधिक उपयुक्त होगा। युनिवर्सिटीज को रेजीडेन्शियल युनिवर्सिटीज में बदल देना चाहिये। राजस्थान युनिवर्सिटी में ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, जिनमें बच्चों को पास होना जरूरी नहीं है। उसके नम्बर भी उसमें नहीं जुड़ते हैं। इससे इस प्रकार बेफिक्री की एक प्रवृत्ति इस प्रकार की टेण्डेंसी बच्चों में डवलप करते हैं। जनरल एज्युकेशन है। अंग्रेजी है, हिन्दी है। हिन्दी भी उसके साथ रखदी है। वह विद्यार्थी कॉलेज में आते हैं, तो उनको न तो हिन्दी का ज्ञान है, न अंग्रेजी का ज्ञान है। न हिन्दी लिखना जानते हैं, न अंग्रेजी लिखना जानते हैं। इसका सुधार किया जाये, नहीं तो भावी पीढ़ी का भविष्य अन्धकार में चला जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट आप से पूछ रहा हूं।

Page No 111

श्रीमती निर्मला कुमारी : जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वह बहुत ही कम पीरियड लेते हैं। जो हैड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वह तो पीरियड ही नहीं लेते हैं। उनको 10 पीरियड लेने चाहियें। वन मेन डिपार्टमेंट कॉलेजों में नहीं होना चाहिये, इससे एक व्याख्याता को बहुत पीरियड पढ़ाने पड़ते हैं।

इसी प्रकार से जो एन०सी०सी० की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके स्थान पर मिलेट्री साइन्स की शिक्षा शुरू कर दें। इससे अच्छे सैनिक तैयार हो सकेंगे। इससे जो व्यय कर रहे हैं, उसका अच्छा उपयोग होगा। ऐसी स्थिति में युवकों को मार्ग दर्शन की अत्यन्त आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यदि भविष्य में बिना प्लान बनाये ही चलते रहे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सुजानगढ़ के आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज के संबंध में कट मोशन दिया है। मैं पहले उसी पर बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, 1966 में वहां पर आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज बिल्डिंग का शिलान्यास उस समय के मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था। उस समय दोनों के लिये दानदाता की ओर से 4 लाख रुपया आर्टस एण्ड कामर्स कालेज के लिये और 4 लाख साइन्स कालेज के लिये दिया था। उनके संबंध में निर्णय हुआ कि तत्काल काम आरम्भ करेंगे। उसकी डिटेल में देना नहीं चाहता हूं। पर उपाध्यक्ष महोदय, दोनों कालेज के बारे में एक साथ निर्णय हुआ। साथ कार्य शुरू हुआ। उसके बाद में आज तक यह पता नहीं चल सका, साइन्स कालेज बनकर तैयार हो गया। आर्टस एण्ड कामर्स कालेज आज तक तैयार नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में यह भी कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने एक अनुबन्ध किया था दानदाता के साथ में, उस अनुबन्ध के अनुसार जो शर्तें थीं वह दोनों ओर से मान्य थीं। उसके बाद साइन्स कालेज पर साढ़े 7 लाख रु० की राशि सरकार ने व्यय की। आर्टस एण्ड कामर्स कालेज 67 में शुरू हुआ और एक महीने बाद बन्द हो गया। 4 साल तक हम बारबार शिक्षा विभाग और सम्बन्धित अधिकारियों को कहते रहे, आखिर इस कालेज का निर्माण क्यों बन्द है? परन्तु हमें कहीं पर कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूं, जहां पर मैं कह सकता हूं कि कोई भी शिक्षण संस्था, अस्पताल या सार्वजनिक उपयोग का कोई भी स्थान नहीं है, वहां अलग-अलग विभाग हैं, उनके जो मकान हैं, वह सब हम डोनेटर्स से बनवाते हैं और राज्य सरकार को देते हैं। ऐसी विशेष स्थिति के कारण उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि न केवल जलील होना पड़ा बल्कि स्थिति यहां तक आ पहुंची कि कालेज सुजानगढ़ में चालू हुआ। टूटी हुई बिल्डिंग में कालेज चलता रहा। कालेज के लड़कों ने हड़ताल नहीं की तब तक सरकार ने यह पता चलाने की कोशिश नहीं की। दानदाता से जो रुपये आये उसके बारे में शिक्षा विभाग ने यह पता चलाने की कोशिश नहीं की कि यह रुपया कहां है। बड़ी मुश्किल से यह पता चला कि आपका यह रुपया ए० जी० आफिस में गलत एण्ट्रीज के पड़ गया। इसको ठीक करा लें। परन्तु शिक्षा विभाग को कोई चिन्ता नहीं थी। कालेज का भवन निर्माण बन्द रहा इसकी

(श्री फूलचन्द जैन)

शिक्षा विभाग को कोई चिन्ता नहीं थी। हमारे मुख्य मंत्रीजी वहां पर गये। उनके सामने भी यह प्रश्न आया परन्तु कुछ नहीं हुआ। मैं बार बार यह कहता रहा कि डोनर ने 4 लाख रुपये दिये हैं। 4 लाख की बिल्डिंग बनवा दी जाये। बाद में कॉलेज तो चला, पर कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर गत वर्ष में जब वहां पर आन्दोलन हुआ तब बड़ी देचेदगी पैदा हुई। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उस समय शिक्षा मंत्री महोदय ने अपने इनीशियेटिव पर यह जरूर आदेश दिया कि जो डोनर का रुपया है, उससे जितना भवन बन सकता है, उससे तुरन्त भवन बना लिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो जानकारी मिली है, कुछ समय तक वहां का काम चला, पर उसके बाद वह काम भी बन्द हो गया। मैं यह भी कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1971 के अन्दर जसवन्तगढ़ कॉलेज बिल्डिंग के नाम पर 1 लाख 88 हजार रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सेंक्शन दी, उस राशि का कोई उपयोग नहीं हुआ। पी० डब्ल्यू० डी० वाले पूछते रहे, यह कौनसी बिल्डिंग है, कौनसा कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कागज इधर से उधर घूमते रहे। हमने जब कहा, मेहरबानी करके, जो सेंक्शन मिली है, उससे काम शुरू करिये तो कहा गया, अब काम शुरू नहीं हो सकता। अब धनराशि नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट एस्टीमेट्स, जो बजट एस्टीमेट्स के अन्दर आपने उस साल के अन्दर बताये हैं, कन्स्ट्रक्शन कॉलेज बिल्डिंग एट जसवन्तगढ़, इसमें है पहले 1 लाख 88 हजार, 1971-72 में 54,056 और 1972-73 के अन्दर 50 हजार, 1973-74 के अन्दर 10 हजार। मेरी समझ में नहीं आया, यह किस कॉलेज बिल्डिंग के लिए है। इसमें यह रखा गया है और इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं किया गया है। आगे जाकर जसवन्तगढ़ में महाविद्यालय (विज्ञान) आदि का निर्माण कार्य, इसमें शुरू में 6 लाख 80 हजार, 1971-72 में 7,54,973 और 1972-73 में 3 हजार। मैं समझ नहीं पाया हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो डोनर एक कॉलेज के लिए एक साथ एक प्रकार का अनुबन्ध करके दान दे, है, राज्य सरकार उनसे अनुबन्ध करती है। राज्य सरकार अपने अनुबन्ध की कोई कीमत नहीं समझती और यह चाहती है कि लोगों के अन्दर यह भावना पैदा हो कि जो एग्रीमेंट हमने किया है, वह कागजों पर किया है, उसकी कोई कीमत नहीं है तब तो जो राज्य सरकार ठीक समझे, करे—मुझे कुछ नहीं कहना है। पर अगर राज्य सरकार समझती है कि उनके साथ जो एग्रीमेंट करते हैं, चाहे कोई एग्रीमेंट हो, उसकी तमाम जिम्मेदारी, तमाम पाबन्दी उसके ऊपर आती है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को बहुत गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिए और इस तरह का वातावरण नहीं बनाना चाहिए जिससे जो दानदाता हैं वह आपके पीछे पीछे फिरें और इतने परेशान हों कि वह सोचें, इन लोगों को दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन्हें लेने की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एग्रीमेंट के मुताबिक यह बिल्कुल निश्चित हो गया था कि इतनी अवधि के अन्दर गवर्नमेंट इसका काम शुरू करके कम्प्लीट करेगी। कम्प्लीट नहीं करती है तो डोनर उसे रुपया नहीं देगा। फिर भी उसके आधार पर इसका काम शुरू हुआ, 1 लाख रुपये की राशि दी। उसके बाद मुझे एक जानकारी मिली, शिक्षा

(श्री फूलचन्द जैन)
विभाग से, बाकी की एक लाख रुपये की डोनर से कह कर जल्दी भिजवा दीजिये। एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है, आपकी बिल्डिंग का काम कम्प्लीट जब हो जायगा तो एक लाख की राशि दे दी जायगी। पर, उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार यह इत्मिनान भी हमें दिला दे कि वह अपने प्लान के मुताबिक, जो अनुबन्ध हुआ है उसके मुताबिक उस कॉलेज की बिल्डिंग का काम कम्प्लीट कर देगी निश्चित अवधि के अन्दर तो इसी समय एक लाख रुपये, जो डोनर का बाकी है, वह राज्य सरकार को देने को तैयार है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीब स्थिति है, इतना ही, उपाध्यक्ष महोदय, उस समय वहां पर एक योजनाबद्ध तरीके से कॉलेज बिल्डिंग के काम का सारा सिलसिला चालू था, डो डोनर ने डेढ़ लाख, डेढ़ लाख पुस्तकालय के लिए देने की घोषणा की थी, पुस्तकालय के लिए एक लाख की और पुस्तकों के लिए पच्चीस हजार देने की घोषणा की थी, पोलीटेक्निक कॉलेज के लिए 12 लाख वहां पर देने की घोषणा की थी, उस घोषणा के होने के बाद उसका शिलान्यास उस समय के मुख्य मंत्री, श्री सुखाड़िया द्वारा किया गया था, उपाध्यक्ष महोदय, छात्रावास के बारे में कहा, आज तक उस पार्टी से गवर्नमेंट ने न अनुबन्ध किया, न उसके साथ एग्रीमेंट हुआ, और न छात्रावास बनने की सूरत दिखाई देती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह लाइब्रेरी बिल्डिंग के अलावा लाइब्रेरी के लिए, पुस्तकों के लिए पच्चीस हजार रुपये दान की राशि दी थी, उसके बारे में गवर्नमेंट ने तवज्जह नहीं दी उस घोषणा के बाद, जिस का मुख्य मंत्री ने शिलान्यास किया और जिस समय एज्यूकेशन मिनिस्टर मौजूद थे, उसके बारे में क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमने भी बहुत कहा, राज्य सरकार वह एग्रीमेंट करे आकर, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पोलीटेक्निक कॉलेज के बारे में जैसा मैंने कहा, बारह लाख दानदाता ने देने की घोषणा की थी। उन्होंने व्यक्तिगत: कई दफा शिक्षा विभाग से सम्पर्क किया कि मेरी दान की राशि ले लीजिये और जो उस समय तय हुआ था उसके अनुसार काम कीजिये। वह रुपया लिये लिये फिरते हैं लेकिन राज्य सरकार को उस रुपये को लेने की आवश्यकता नहीं है। कह दिया कि पोलीटेक्निक कालेज शुरू करने की स्थिति राज्य सरकार की नहीं है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से बात की, वह यह अवश्य मानती है, एक जिले में एक पोलीटेक्निक कालेज होना चाहिए। उसके बाद यह कहा, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन पाइन्ट ऑफ व्यू से और दूसरे प्रेक्टिकल व्यू से, लोगों को एम्प्लायमेंट देने की दृष्टि से, यूटिलिटी की दृष्टि से कोई प्रोजक्ट तैयार करें, तो उसके आधार पर बारह लाख की राशि को उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार का आपस में बैठ कर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। मैं कहना चाहता हूं राज्य सरकार को, जिस बिल्डिंग के अन्दर आज वहां आर्ट्स और कामर्स कॉलेज चल रहा है, जुलाई के पहले वहां पर आर्ट्स और कामर्स कालेज का निर्माण कार्य चालू हुआ था, वह वहां पर एक रिवाइज्ड प्लान के मुताबिक किया गया था, लेकिन उतना भी राज्य सरकार नेक्स्ट सैशन के पहले तैयार नहीं करती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। इसको लेकर जोरों का आन्दोलन होगा। हम इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष

(श्री फूलचन्द जैन)

महोदय, जैसा आपने फर्माया, शिक्षा का विषय है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। काफी इसके ऊपर कहने की बात है, परन्तु मैं मोटी मोटी कहना चाहूंगा। खास तौर से यह कहना चाहता हूं, सुजानगढ़, बीकानेर डिवीजन के अन्दर हमारे यहां इस प्रकार की व्यवस्था थी, म्युनिसिपिलिटी प्राथमिक शालायें वहां चलती थीं, उन प्राथमिक शालाओं को अस्सी पर्सेंट अनुदान राज्य सरकार का शिक्षा विभाग देता है और बीस पर्सेंट म्युमिसिपैलिटी देती है। वर्षों से, बीकानेर के एक्ट के तहत वहां शालायें चलती थीं। उनको राज्य सरकार ने ले लिया और राज्य सरकार के लेने के बाद आज छोटी छोटी बातों के अन्दर हमारा दृष्टिकोण कितना प्रेक्टिकल है - उस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ एरिअर्स टीचर्स के थे, उस एरिअर के बारे में म्युनिसिपैलिटी कहती है, हमारा हिस्सा बीस पर्सेंट है, हम देने के लिए तैयार है, 80 पर्सेंट राज्य सरकार का, शिक्षा विभाग का है, वह दे दे। शिक्षा विभाग कहता है, पहले सैन्ट पर्सेंट म्युनिसिपैलिटी दे, फिर अस्सी पर्सेंट गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी को देगी। अजीब बात है, हण्ड्रेड पर्सेंट एरिअर वह दे। उसकी ऐसी हालत होती तो वह दे सकती थी। ऐसी स्थिति में क्या गवर्नमेंट सोचती है कि हण्ड्रेड पर्सेन्ट म्युनिसिपैलिटी दे देगी। जब टेक ओवर कर लिया लिया इन्स्टीट्यूशन को, उसके बाद अस्सी पर्सेंट अपनी ओर से दें तो म्युनिसिपैलिटी बीस पर्सेन्ट दे देगी। क्या राज्य सरकार किसी तरह से इस मामले का निपटारा नहीं कर सकती। इस तरह से जिन जिन स्कूलों को, खास तौर से बीकानेर के अन्दर, और बीकानेर के साथ कुछ बाद में और जगहों के अन्दर इस प्रकार स्कूल म्युनिसिपैलिटी द्वारा चलाई जा रही थीं, उनको राज्य सरकार ने लिया। उसके बाद में जो वहां शिक्षक हैं, उनकी बराबर यह मांग चली आ रही है कि हमारी जो सेवायें हैं, उनके बारे में उनकी निरंतर मांग चलती रही है उसके बारे में फाइनल डिसीजन होना चाहिए, उस बारे में सरकार कुछ भी फाइनल नहीं कर पाई है। तो ये सारी असंतोष की छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम एक साथ बैठकर नहीं निपटा सकते तो इन चीजों से निश्चित रूप से जहां एक ओर हम चाहते हैं कि आज शिक्षक बदले हुए वातावरण के अन्दर ठीक ढंग से काम करें वहां पर उनके रीजनेबल ग्रीवेन्सेस के जो कारण हैं उनको टाइमली डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं तो रिपरकशन्स निश्चित रूप से होते हैं।

बी० एस० टी० स्कूल खोलने के बारे में निर्णय लिया गया। सुजानगढ़ में वर्षों से बी० एस० टी० स्कूल चल रहा था उसके बाद बंद हो गया। बाद में नियमानुसार एक सही स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि यह स्कूल जब वापस खुले तो सुजानगढ़ में ही खुले। वहां पर हमने कहा कि यदि भवन की दिक्कत आती है तो हम सहयोग करने को तैयार हैं। आदेश हो गए, चालू हो गया उसके 4 दिन बाद दूसरा ऑर्डर पहुंचता है कि सुजानगढ़ के बजाय चूरू ट्रांसफर किया जाए। क्यों कर दिया जाए ? ठीक है, राज्य सरकार कर सकती है लेकिन सरकार को बताना पड़ेगा कि सुजानगढ़ के ऑर्डर्स पहले क्यों हुए, किसने कराए और जब मेरिट पर कर दिया तो 4 दिन के बाद क्यों ट्रांसफर किया गया ?

इस तरह से हमारी जो डिफेक्ट प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा। राजस्थान साहित्य अकादमी के मामले में पिछले दिनों

(श्री फूलचन्द जैन)

काफी सुनने को मिला है। श्री लक्ष्मीनारायण कौशिक को इस अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री निरंजननाथ आचार्य, इस तरह से शिक्षाविदों को अध्यक्ष बनाकर काम चलाया जाता था। परंतु आज साहित्य जगत के अंदर इस बात को लेकर बहुत बड़ी चर्चा है कि लक्ष्मीनारायण कौशिक कौन हैं। आज राजस्थान का साहित्य जगत जिसको जानता ही नहीं, तो मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप बतायें कि इन लक्ष्मीनारायण कौशिक की क्या साहित्यिक प्रतिभायें हैं, इनका दिग्दर्शन तो करायें तो राजस्थान का साहित्य जगत समझेगा कि ऐसी विभूति भी राजस्थान में पड़ी हुई थी जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह नई विभूति कहां से आ गई?

श्री फूलचन्द जैन : ऊपर से आ गई। ऊपर पैराशूट से उतरी है। जो कुछ मान्यतायें व प्रवृत्तियां आज चल रही हैं, यह हमारे सारे वातावरण को दूषित कर देंगी। यदि किसी क्षेत्र में राज्य सरकार को डिस्क्रिशन है कि किनको चुने तो भले वह किसी को भी चुने, लेकिन जिसका साहित्यिक क्षेत्र में कोई नाम नहीं हो, जिनके बारे में कोई जानता नहीं कोई साहित्यकार नहीं कह सकता कि यह लक्ष्मीनारायण कौशिक कौन हैं, उनको राजस्थान साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बना दिया। आज तक किसी अध्यक्ष ने ऑनरेरियम नहीं लिया लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि इस लक्ष्मीनारायण कौशिक के बारे में कोशिश की जा रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 1,200 रुपए।

श्री फूलचन्द जैन : और कहीं ले जाकर उनको बिठाइए। अगर उनका सोशियल कन्ट्रीब्यूशन है, उनकी सोशियल सर्विसेज हैं, तो सोशियल सर्विसेज का विभाग खोल दें लेकिन संगीत अकादमी, साहित्य अकादमी, आपने किन भावनाओं से बनाई थीं। आप आज इस तरीके से गलत आदमी लाकर बिठाते हैं तो साहित्य जगत के साथ अन्याय करते हैं।

राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग की वार्षिक प्रगति विवरण में लिखा है कि विश्वविद्यालय की आवश्यकता को वह अनुभव करती है और इस बारे में पहले बहुत कुछ वातावरण राजस्थान में बना था उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि श्रीमाली कमेटी बिठाई है और वह कमेटी मेरिट्स के आधार पर इसका निर्णय करेगी। वह इस पर सजेशन्स भी देगी और दूसरे भी उसके फंक्शन्स हैं वह हम राज्य सरकार से जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि श्रीमाली कमेटी रिपोर्ट कब तक दे देगी और दूसरी बात, इस कमेटी के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उनके अन्दर विश्वविद्यालय के बारे में जो वह अपनी सिफारिशें करेगी उनको सरकार मानने या न मानने के आधार पर क्या स्थिति होगी और क्या उन्होंने कुछ निश्चित दृष्टिकोण के साथ में उनसे कहा है या राज्य सरकार कहती है कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन द्वारा जो निर्धारित क्राइटेरिया है उसके अनुसार जो रिकमंडेशन्स आयेंगे वह हम इन टोटो मन्जूर करेंगे? कोई पोलिटिकल डिसीजन तो इस पर नहीं लेंगे ताकि शिक्षण जगत में इस प्रकार पोलिटिक्स की बातें हैं उनसे इस क्षेत्र को दूर रखो और जो माहौल बना था, दुबारा बनने की नौबत न आए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री फूलचन्द जैन)

एक मिनट सिर्फ। प्राथमिक शिक्षा, सैकेन्डरी शिक्षा और उससे ऊपर की शिक्षा पर राज्य सरकार जो व्यय कर रही है उस बारे में इस रिपोर्ट में दिया है। पर मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से शिक्षा के बारे में हमने जागृति पैदा पिछले वर्षों में की है और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र भावना नवयुवकों में बढ़ी है, उसको देखते हुए, इसमें जैसी भी सुविधा हो सके अनुसार कुछ कन्डीशन्स हमें तैयार करनी चाहिए। जहां पर हमको अगर कोई उससे फाइनेन्शियल लायबिलिटी नहीं आती है कुछ समय के लिए तो उसके आधार पर हम कहीं कॉलेज खोलने के बारे में निर्णय ले सकेंगे क्योंकि ये डिमांड्स तो निश्चित तौर पर आज कल आती हैं और आती रहेंगी परन्तु इस बारे में जो हमारा दृष्टिकोण है कि हम एक जगह कहते हैं कि तुम्हारे यहां खोल देंगे, दूसरी जगह कहते हैं कि 20 साल तक नहीं खुल सकता है। इससे विद्यार्थियों के अन्दर रिजेंटमेंट पैदा होता है। इसलिए निश्चित नीति हमें अपनानी चाहिए कि हमारे कौनसे रिसोर्सेज पर इस तरह से कॉलेज खोल सकेंगे। प्राईवेट रिसोर्सेज हमको मिलते हैं तो उन कन्डीशन्स पर हम खोलने के बारे में विचार कर सकते हैं। हम डिस्क्रिशन को एडमिनिस्ट्रेटिवली जहां पर आवश्यकता हो, वहां एक्सरसाइज करें तो मैं समझता हूं कि हम ज्यादा अच्छी तरह से सुधार कर सकेंगे और लोगों को संतोष दिला सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सावरमल मोर।

श्री सावरमल मोर (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में पहले मैं अपने विचार रखूंगा। सबसे पहले शिक्षा मंत्री महोदय को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पिछले साल एक हजार प्राथमिक शालायें और एक हजार प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया। राजस्थान के इतिहास में शिक्षा जगत में इतनी स्कूलों का एक साथ खोलने का पहला मौका था। जैसे कि उन्होंने घोषणा की है इस साल एक हजार प्राइमरी स्कूल और 1,500 माध्यमिक स्कूलों को खोलेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। जब हम उनकी इस बात की सराहना करते हैं तो मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि अपनी प्राथमिक शालायें जो पंचायत समितियां चला रही हैं, जिनसे बच्चों का निर्माण हो रहा है, उनका क्या होता है?

हमारा सीधा गांवों से संबंध है। हम गांवों में जाते हैं और उन बच्चों को जो जब स्कूलों में बैठे हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि घर वाले बच्चों को इस वजह से स्कूल भेजते हैं कि वे घर के लोगों को परेशान करेंगे और शाम को घर वापस आ जायेंगे। आप जाकर स्वयं पता लगायें अध्यापक टेबल पर बैठा हुआ है, बच्चे कोने में बैठे हैं, 5 क्लासेज चल रही हैं और अध्यापक बैठा बैठा मौज कर रहा है। आप प्रोग्राम तय कर लें मैं आपका बच्चों की इस दुर्गति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां भी इस तरह की पढ़ाई की दुर्व्यवस्था है तो वे क्या प्रगति करेंगे लेकिन प्रगति तो दूर रही, उन बच्चों को जिस तरह अपने पशुओं को दवाखानों में भर्ती करते हैं उस तरह वहां भी होता है इसको तो कम से कम आप रोक दो।

पंचायत समितियों के अध्यापकों के बारे में भी मुझे कुछ निवेदन करना है। आज उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के जितने भी अध्यापक हैं उनका स्थानान्तरण

(श्री सांवरमल मोर)

राजनैतिक आधार पर किया जाता है। किसी को कहीं भेज देते हैं किसी को कहीं लगा देते हैं। आज अगर कोई अध्यापक से सरपन्च नाराज हो गया तो उसको किसी दूसरी जगह स्थानान्तरण कर देंगे। इसी तरह अगर कोई प्रधानजी किसी अध्यापक से नाराज हो गया तो प्रधानजी उस अध्यापक को वहां से हटा कर दूसरी जगह भेज देते हैं। आज उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के अन्तर्गत जो भी अध्यापक हैं उनकी बहुत ही दुर्गति है। बहुत ही दयनीय स्थिति है उन अध्यापकों की। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह काम पंचायत समितियों से लेकर इसे शिक्षा निरीक्षक को दिया जावे। श्रीमान जी इन पंचायत समितियों के अध्यापकों के स्थानान्तरण वाले मामले की ओर विशेष ध्यान राज्य सरकार को देना चाहिये।

इसके अलावा भी मैं कुछ उपाध्यक्ष महोदय आज पंचायत समितियों की स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वह यह कि वहां पर उन बच्चों के पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उन छोटे छोटे बच्चों को पीने के पानी की व्यवस्था तो की जाय। आज स्थिति यह है कि छोटे छोटे बच्चे जो कि 6-8 साल के हैं या सात-सात साल के हैं वे बच्चे कुए पर बाल्टी लेकर जाते हैं और पानी कुए से खींच कर बाल्टी भर कर लाकर रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके लिये तुरन्त व्यवस्था करने की कृपा करें। बच्चों की कितनी दुर्दशा आज वहां हो रही है कि छोटे छोटे बच्चों को जिन्हें हम पढ़ने भेजते हैं वे 9-9 और दस-दस साल के बच्चे अपने पीने के लिये पानी भरकर लाते हैं। कितनी दुर्दशा है उन बच्चों की जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे आगे बड़े होकर हमारे देश की बागडोर अपने हाथ में सम्भालेंगे। उपाध्यक्ष महोदय वह हमारे भारतवर्ष की भावी पीढ़ी है जिन पर हमारे हिन्दुस्तान का भविष्य निर्भर करता है। आज उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पंचायत समितियों की शिक्षा एक तरह से पोलीटिकल गेम है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन स्कूलों में बच्चों की हालत सुधारी जाय। इसके अलावा मैं कुछ इस बारे में निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने वैसे पिछले साल भी काफी पाठशालाओं को खोला और इस साल भी खोलने जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि आप जो स्कूलें खोल रहे हैं वे किस आधार पर खोल रहे हैं? क्या आप उन्हें जन संख्या के आधार पर खोल रहे हैं या उस क्षेत्र में जो पिछड़े हुए उन इलाकों में हैं खोल रहे हैं? इसके बारे में मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि वे निश्चित आधार पर काफी सोच विचार कर खोली जायें। अभी राज्य सरकार द्वारा जैसी कि यह घोषणा की गयी कि 1,000 प्राथमिक शालायें खोली जायेंगी और 1,500 प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत किया जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आप कम से कम 500 कन्याओं के लिये स्कूल जरूर खोलें। आज हमारे यहां पर कन्याओं की बहुत ही कम स्कूलें हैं। आज हमारे हिन्दुस्तान की जितनी भी जनता है उसमें आधे पुरुष हैं और आधा स्त्री समाज है। तो इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार जो 1500 स्कूलों को क्रमोन्नत करने जा रही है उसमें बालिकाओं की 500 स्कूलों को भी क्रमोन्नत करने की व्यवस्था करे। मैं उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र थोई में एक उच्च

(श्री सावरमल मोर)

प्राथमिक स्कूल कन्याओं का चल रहा है जिसे इस साल क्रमोन्नत किया गया है। लेकिन वहां पर जो अध्यापिकाओं की संख्या है वह सिर्फ दो है। आज कई पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर कि मिडिल स्कूल हैं वहां पर सिर्फ दो अध्यापिकाओं द्वारा ही काम चलाया जा रहा है। तो उपाध्यक्ष महोदय, आज इतना समय हो गया है अब सैशन खतम होने को आया है किस तरह से मिडिल स्कूल की बालिकाओं को पढ़ाया होगा। मेरे ख्याल से कोई पढ़ाई नहीं हुई है। तो माननीय उपाध्यक्ष, मेरा निवेदन है कि जहां पर स्कूलें खोलें वहां पर कम से कम स्टाफ तो पूरा भेजें ताकि जिस उद्देश्य से हम स्कूलें खोलते हैं उनको पूरा किया जा सके। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज सीकर में एक सैकेन्डरी स्कूल कन्याओं की है लेकिन उनके मकान की व्यवस्था पूरी नहीं है। वहां पर बरसात में पानी भर जाता है। एक बार राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी, श्री सुखाड़िया साहब और चीफ सैक्रेटरी साहब सीकर आये थे तो उन्हें यह स्थिति बतायी गयी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप भवन बना दें तो हम इसको हायर सैकेण्डरी स्कूल बना सकते हैं इसके लिये राज्य सरकार भवन के लिये कुछ अनुदान भी दे देगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर के अन्दर के एक प्रतिष्ठित मारू परिवार था जो इसके लिये तैयार होगया और उसने ढ़ाई लाख रुपये लगाकर उसका भवन निर्माण कराया लेकिन राज्य सरकार ने एक भी पैसा आज तक सहायता के रूप में नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, कितने दुख की बात है। जो प्रतिष्ठित परिवार 2 लाख रुपये लगाकर भवन बना दे और आपको जो एक लाख रुपये देना था वह भी नहीं दिया वह मकान काफी बन गया और उस पर सिर्फ छत डालनी है लेकिन राज्य सरकार की सहायता के अभाव में वह भवन अधूरा पड़ा है और वहां पर लोग शादि करते हैं। इससे कितनी तकलीफ उन लोगों को होगी जिन्होंने कि इतने रुपये लगा कर भवन बनाने की व्यवस्था की वह बेकार हो गयी है। जिन्होंने ढ़ाई लाख रुपया लगाया उन्हें दुख तो होता ही होगा। वे तो अब भी यह कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वह अब भी डेढ़ लाख रुपये लगाने को तैयार है। राज्य सरकार को शीघ्र अनुदान देना चाहिये। आखिर एक प्रदेश का मुख्य मंत्री जिसने यह कहा था कि भवन बनाया जायेगा तो राज्य सरकार अनुदान देगी। लेकिन वह आज तक शर्त पूरी नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय इसी प्रकार सीकर जिले में कासी बास का ग्राम है वहां पर भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर ने एक शिलान्यास रखा था और उसको जल्दी पूरा करने की बात थी, वह एक ही नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज अगर हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री किसी भवन की आधार शिला रखे और वह मकान नहीं बने इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। मेरे ख्याल से उस भवन को पहले पूरा किया जाना चाहियें। राज्य सरकार के माननीय मुख्य मंत्री का दायित्व हो जाता है कि वह माननीय प्रधान मंत्री के हाथ से जिस महिला शिक्षा भवन की आधार शिला रखी जाय उसे पूरा कराये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह आज जो शिक्षा विभाग के अन्दर कई अध्यापक हैं वे खुलकर राष्ट्रीय संघ में भाग लेते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगना चाहिये। या तो आप उन्हें खुली छूट दें दें कि

(श्री सावरमल मोर)

आप पार्ट ले सकते हैं वरना आप उन्हें शीघ्र रोकिये। हमारे बच्चों पर इसका काफी असर पड़ता है। हमारे देश का नुकसान हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है, राज्य सरकार से कि इन पोलिटिकल पार्टीज को इसमें घुसने से रोका जाय। इसके अलावा मैं मेरे जिले की कुछ संस्थाओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सीकर, चूरू, झुन्झुनू जिले में काफी संख्या में प्राईवेट शिक्षण संस्थायें हैं। वहां से हर साल हजारों की तादाद में छात्र पढ़ कर इन संस्थाओं से निकलते हैं। मेरा इसके बारे में यह निवेदन है कि इन स्कूलों में जिनके रिजल्ट अच्छे आते हैं उन स्कूलों को आप अनुदान तो पूरा दें। आज कई कालेजेज, कई हाई स्कूल हैं जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकलते उन प्राईवेट संस्थाओं के लिये मेरा निवेदन है कि जहां कोई अच्छे कार्य वहां होते हैं, और हमारी राज्य सरकार की स्कूलों के मुकाबले में बड़ी अच्छी पढ़ाई होती हो, अच्छा रिजल्ट उनके मुकाबले में निकले तो मेरा आग्रह है कि इन प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये। इसके अलावा मैं पंचायत समिति के अध्यापकों से मेडीकल बिलों के बारे में कहना चाहूंगा कि आज उपाध्यक्ष महोदय, हजारों ऐसे टीचर्स हैं राजस्थान में जिनके मेडीकल के बिल और ट्रान्सफर्स के टी० ए० बिल की रकमें प्राप्त नहीं हुयी हैं कई वर्ष हो गये हैं। वैसे तो राज्य सरकार ने यह घोषणा कर दी कि हमें उन्हें 31 मार्च, 1973 तक भुगतान कर देंगे। अब यह देखने की बात है कि राज्य सरकार कितने लोगों को पेमेंट कर सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय इस तरह के आज महंगाई के जमाने में अगर आप किसी को मेडीकल बिल नहीं दें और किसी के टी० ए० वगैरह पेमेन्ट नहीं करें तो कैसे काम चल सकता है। यह सोचने की बात है। इसके अलावा इसी तरह आज पंचायत समितियों के जो टीचर्स हैं उनको भी यात्रा भत्ता बिल वगैरह बाकी हैं लेकिन नहीं दिये जा रहे हैं इसलिये मेरा यह भी निवेदन है कि उन्हें भी जल्दी से जल्दी भुगतान किया जावे। मेरा निवेदन है कि पंचायत समितियों के नीचे जो टीचर्स हैं उनके जो मेडीकल के बिल हैं उन्हें भी जल्दी भुगतान करावें। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में और मोन्टेसरी-एजूकेशन की एक शिक्षण संस्था है उसे काफी समय हो गया। उनके व्यवस्थापकों ने शिक्षा मन्त्रीजी से उसकी मान्यता के बारे में बात की और शिक्षा मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि उन्हें मान्यता मिल जायेगी लेकिन उन्हें अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई है। इससे उनको काफी दिक्कत महसूस हो रही है। क्योंकि थोड़े दिन बाद वहां से जो छात्र उस शिक्षण संस्था से निकलेंगे जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है तो फिर आगे चल कर उन्हें नौकरी मिलने या हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने में दिक्कत आ जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी स्कूलें जो कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थायें, प्राईवेट शिक्षण संस्थायें हैं जिनका कि पढ़ाई का स्तर अच्छा है, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिनके बहुत अच्छे भवन हैं, जिनके यहां की शिक्षा का अच्छा स्टैण्डर्ड है उन शिक्षण संस्थाओं को हमेशा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये उन संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अच्छा अनुदान देकर उनकी बढ़ोतरी की जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र शर्मा।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में जितना कहा जाय उतना ही कम है। हमारी

(श्री सुरेन्द्र शर्मा)

शिक्षा पद्धति जैसी आज है वह एक ऐसी पद्धति है कि जिससे न विद्यार्थी संतुष्ट है, न अध्यापक संतुष्ट हैं, न समाज संतुष्ट है और न राष्ट्र संतुष्ट है। वर्षों से हमारी यह शिक्षा पद्धति चलती आ रही है और साधारण शिक्षक से लेकर हमारे राष्ट्रपति तक ने यह कहा है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आता कि आज इसमें कौन आमूलचूल परिवर्तन लायेगा? कितने ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री यह कहते हुए चले गये कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये मैं नहीं समझ पाता कि आखिर वर्तमान शिक्षा पद्धति में कौन आमूलचूल परिवर्तन लावेगा।

आज हमारी इस शिक्षा पद्धति के कारण देश में बेकारी और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और शिक्षा के स्तर में निरंतर गिरावट आती जा रही है। हमारी सरकार पिछले वर्ष और इस वर्ष भी अधिक स्कूल खोलने के लिए कहती रही है। यह हो सकता है कि सरकार का गांव गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने का सरकार का विचार हो। यह अच्छा प्रयास है। लेकिन हमें स्कूल खोलने के साथ साथ शिक्षा के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा में गिरावट आयी है उसके कारण को हमें ढूंढना पड़ेगा और आज भावी पीढ़ी के अनुरूप ही हमें अपनी शिक्षा को बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारे यहां बेरोजगारों की संख्या बढ़ती न चली जाय और लोगों को अन्य काम धन्धों में लगने का अवसर प्राप्त होता रहे। आज शिक्षा पद्धति के कारण हम देख रहे हैं कि निरंतर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इसलिये इस ओर हमें तुरन्त ही प्रयास करना चाहिये। वरना तो एक समय ऐसा आ सकता है कि जब हम बेरोजगारों की संख्या को नियन्त्रित भी नहीं कर सकेंगे। जहां स्कूल बढ़ाने की बात करते हैं वहां शिक्षा के प्रारूप पर भी विचार करना होगा। आज विद्यार्थियों की लम्बी कतार की कतार खड़ी है। आये दिन हड़तालें और आन्दोलन होते हैं। जिस देश में इन्जीनियर बेकार हों, जिस देश में डॉक्टर्स बेकार हों, उसकी कल्पना की जा सकती है। इस ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिये, चिन्तन करना चाहिये। शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री केवल घोषणा करने में ही अपना समय न गुजार दें किन्तु उनको अपनी घोषणाओं की क्रियान्विति भी करनी चाहिये और इसके लिये प्रयास करना चाहिये कि देश में एक सबल शिक्षा पद्धति हो और राजस्थान में शिक्षा को नयी दिशा दी जा सके। इस सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा क्योंकि अन्य माननीय सदस्य भी इस सम्बन्ध में कहेंगे।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, को पूतली डिग्री कॉलेज को क्रमोन्नत करने के विषय में एक प्रश्न भी रखा था। मैं निवेदन करूंगा कि इस डिग्री कॉलेज को स्थापित हुए दस साल हो गये। अलवर और जयपुर के बीच में यह एक ही कॉलेज है। हजार से अधिक यहां पर विद्यार्थियों की संख्या है और काफी अर्से से इस कॉलेज को पोस्ट डिग्री कालेज में क्रमोन्नत करने के लिये मांग करते आ रहे हैं। बार बार यह निवेदन करते जा रहे हैं कि इस कॉलेज को पोस्ट डिग्री कॉलेज बनाना चाहिये और यहां की मांग को, जो बहुत ही उचित है, उसको पूरा करना

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

चाहिये । यहां पर जो कालेज भवन और छात्रावास भवन बने हैं वे सब जन सहयोग से बने हैं । सरकार ने उसको चलाने की जिम्मेदारी ले रखी है । सरकार की ओर से भवन पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है । हम यह सोचते थे कि शिक्षा में राजनैतिक दृष्टिकोण से काम नहीं लिया जायगा । गत सत्र में जब ऐसे प्रश्न आये तो यहां यह घोषणा की गयी थी कि कोई भी कहीं भी पोस्ट डिग्री कॉलेज नहीं खोला जावेगा । लेकिन चूंकि शिक्षा मंत्री चूरू से आते हैं इसलिये वहां के चूरू डिग्री कॉलेज को क्रमोन्नत किया गया और वहां पोस्ट डिग्री कोर्सेज चालू कर दिये । जब कोटपूतली के लिये हम बराबर मांग करते आ रहे थे तो हमें यह कहा गया कि किसी कॉलेज को क्रमोन्नत नहीं किया जावेगा लेकिन चूरू को कर दिया गया । यह कहा गया कि चूरू में जन सहयोग प्राप्त होने से उसको क्रमोन्नत किया गया । शिक्षा जैसे क्षेत्र में निष्पक्षता से काम लेना चाहिये । कोटपूतली में भी जन सहयोग देने के लिये तैयार हैं लेकिन वहां पर यह नहीं किया गया । यदि वे कोटपूतली के लिये जन सहयोग के लिये कहते तो वह भी उनको उपलब्ध हो जाता और अभी भी उपलब्ध है । हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि चूरू कॉलेज को क्रमोन्नत न करें । जरूर कीजिये । लेकिन जहां की वाजिब मांग है और जहां छात्रों की संख्या भी काफी अधिक है और जो प्रथम कॉलेज है, ऐसे कॉलेजों को आप प्राथमिकता देंगे और उनके साथ आप अन्याय नहीं करेंगे । शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रीजी का राजनैतिक दृष्टिकोण रखना अनुचित और खतरनाक है । किसी शिक्षा मंत्री को यह पसन्द नहीं करना चाहिये । मौजूदा स्थिति जो चल रही है वह आपके सामने है । जो गुजर गई है स्थिति उसके लिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जहां भी कॉलेज को क्रमोन्नत करने की बात करें तो कृपया कोटपूतली को न भूलें ।

इसी प्रकार से कोटपूतली का सैकेण्डरी स्कूल । वहां पर 1,200 लड़के हैं । कितने ही आपने नये नये हाई स्कूल खोल दिये लेकिन आपने कोटपूतली को हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं दिया । उसको आप हायर सैकेण्डरी करने की कृपा कीजिये । राज्य मंत्रीजी का एक वक्तव्य पढ़ने को मिला उससे उन्होंने बताया कि उनका इन्टर कॉलेजेज खोलने का विचार है । यदि उनकी ऐसी स्कीम है तो कोटपूतली सैकेण्डरी स्कूल को कृपा कर इन्टर कॉलेज बनायें । जनता बार बार आपके दरवाजे खटखटाती है लेकिन आप कृपा नही करते हैं । यदि आप इन्टर कॉलेज नहीं खोल रहे हैं तो कृपा कर आप इस स्कूल को हायर सैकेन्डरी में क्रमोन्नत कर दीजिये । इसी प्रकार नयाल गांव में हाई स्कूल है । वहां पर कामर्स का विषय नहीं है । वहां आर्ट्स ही खोला गया है । कामर्स के लिये काफी दिलचस्पी है विद्यार्थियों की इसलिये वहां कामर्स का विषय भी खोला जाय । वहां कृषि का क्षेत्र है और दो साल से बराबर मांग की जाती रही है लेकिन आज तक उस ओर आपने ध्यान नहीं दिया । कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वहां कुआ भी मौजूद है, जमीन भी मौजूद है यदि कृषि सम्बन्धी वहां लोगों को बच्चों को शिक्षा दी जाय तो काफी उन्नति होगी, इसी प्रकार पावटा में ट्रेनिंग स्कूल था । वहां पर एग्रीकल्चर फार्म भी है । 40 बीघा का फार्म है । वहां के भवन बेकार पड़े हुए हैं । लम्बे चौड़े भवन हैं । फार्म बेकार पड़ा है । यदि आप एक स्कूल

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

और खोलना चाहें तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी । आप को वहां कृषि ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहिये जो कि पहले था । वहां पर सब सामान उपलब्ध है । सब तरह की सुविधायें भी मौजूद हैं। कृषि विद्यालय वहीं चल सकते हैं कि जहां इस प्रकार की फार्म आदि की सुविधायें उपलब्ध हों । यहां पर सब प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं और यहां पर यह खोला जा सकता है ।

जहां जहां आप स्कूल खोलते हैं वहां यह देखना चाहिये कि भवनादि पर्याप्त हैं या नहीं । लेकिन आप मिडिल स्कूल खोल देते हैं लेकिन न बच्चों के बैठने की सुविधा है, न अध्यापक के लिये साधन हैं और न ही बच्चों के लिये टाट पट्टी है । आप चाहें स्कूलों की संख्या कम कर दें । हजार से पांच सौ ही कर दें लेकिन आप कम से कम बच्चों के बैठने के लिये तो टाट पट्टी की व्यवस्था करें । अध्यापक के बैठने की व्यवस्था हो, भवन की व्यवस्था हो । राजस्थान जैसे विशाल क्षेत्र को देखते हुए आप इस ओर विचार कीजिये । सरकार ने घोषणा की है इस साल 1 हजार प्राइमरी स्कूल खोलने की और 1,500 मिडिल स्कूल खोलने की । सरकार की इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि उचित व्यवस्था हो ।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अन्तर रखा गया है । शहर में आप स्कूल वगैरह के लिये कॉलेज वगैरह के लिये सब ही सुविधायें उपलब्ध कराते हैं, यहां पर आप भवन देते हैं, बिजली देते हैं, पानी की सुविधायें देते हैं और अन्य सुविधायें भी उपलब्ध कराते हैं लेकिन गांवों में आप जन सहयोग की मांग करते हैं इनके लिये आपको हर तरह से जन सहयोग देने के लिये तैयार हैं लेकिन आपने गतवर्ष भी और इस वर्ष भी हाई स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूल और कॉलेज खोलने की कोई घोषणा नहीं की । ऐसा लगता है कि खोलने का इरादा नहीं है । शिक्षा मंत्री जी के इशारे से ऐसा लगता है कि वे मना कर रहे हैं । बैक डोर से बन्द कर देंगे ।

दूसरी बात सामान्य प्रशासन के बारे में निवेदन करूंगा । आज जो प्रशासन चल रहा है आशा तो उससे यह की जाती थी कि उसमें से भ्रष्टाचार कम होगा, पर आशा निराशा ही साबित हुई । हम जानते हैं भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता इस तरह से । आज तो भ्रष्टाचार जनजन में व्याप्त है । भ्रष्टाचार इस प्रशासन की नस नस में व्याप्त है । इस प्रशासन से भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, यह सोचना ही गलत है । नहीं होगा यह कम । इसके विपरीत मुख्य मंत्रीजी की घोषणा सुनने को मिली कि भ्रष्टाचार मेरे शासन में कम हुआ है । किस में कम हुआ यह मैं नहीं समझ पाया । कैसे कम हुआ ? क्या जो पहले पांच रुपया लेते थे वे अब एक रुपया लेने लग गये हैं । पांच सौ रुपया जहां वे पहले लेते थे अब पचास रुपया लेकर ही सन्तुष्ट होने की गारन्टी दे दी है या मुख्य मंत्रीजी ने इन सब भ्रष्ट अधिकारियों की ओर प्रशासन में काम कर रहे लोगों की कोई मीटिंग बुलाई जिसमें उन अधिकारियों ने यह अनाउन्स कर दिया हो कि अब से पहले वे जहां पांच रुपया लेते थे अब उसकी जगह एक ही रुपया लेंगे और पचास लेते थे जहां पांच लेंगे और पांच सौ लेते थे वहां अब पचास ही लेंगे । चलिये अब पहले जहां हजार लेते थे अब दो सौ ही लेंगे, आपके लिये इतनी रहम हमने कर दी है । हमने अपनी भ्रष्टाचार की रेट घटा दी है । ऐसी बात हो तो मैं इसके लिये मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

पर आज लगता ऐसा है कि महंगाई के साथ भ्रष्टाचार और रिश्वत की रेटें भी बढ़ गई हैं। सरकारी कर्मचारी कहते हैं महंगाई बढ़ गई है इसलिये सरकार उनका महंगाई भत्ता बढ़ावे या तनख्वाह बढ़ावे। सरकार अकाल से ग्रस्त है। कर्जदार अलग है। भत्ता बढ़ावेंगे कहां से खजाने में रुपया ही नहीं है इस सरकार के पास। अब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी यह कहते हैं कि सरकार अगर जाब्ते में हमारा महंगाई भत्ता और तनख्वाह नहीं बढावेगी तो हम बेजाब्ते में बढ़वा लेंगे, रिश्वत में, भ्रष्टाचार में। उनको पैसा चाहिये अपने स्त्री बच्चों, बंगलों, कारों और ऐशो आराम के लिये। इनके लिये पैसा ये अधिकारी और कर्मचारी कहीं से भी लाकर देंगे, अगर सरकार नहीं देगी और जाब्ते में नहीं देगी तो बेजाब्ते से वसूल करेंगे। तो इस तरह से यह भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होने वाला है। यह आशा करके आप मत चलिये। अगर चलते हैं तो लोग कहेंगे कि आप मूर्खों के स्वर्ग में हैं।

अब प्रशासन ने एक बात और शुरू कर दी है कहनी। प्रशासन की ओर से यह कहा गया कि वे राजनैतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह जन प्रतिनिधियों के लिये एक चुनौती है। मैं स्पष्ट राय का हूं कि जन प्रतिनिधियों द्वारा यह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिये। मैं पूछता हूं मुख्य मंत्रीजी से और इस तरह से कहने वाले मुख्य सचिवजी से कि आप भूल जाइये इस बात को। आप को याद रखना चाहिये कि आप मुख्य मंत्री किन कारणों से बने हैं, और मुख्य सचिव। अगर राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होता तो आप मुख्य सचिव नहीं बन सकते थे। ऐसी दशा में आपका यह कहना कि राजनैतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, यह अनुचित है। तर्क संगत नहीं है। इसलिये जो लोग राजनैतिक हस्तक्षेप की बात करते हैं वे जन प्रतिनिधियों का मखौल करते हैं, जनता का सीधे निरादर करते हैं। राज्य आज चीफ सैक्रेट्री का नहीं है, इस नौकरशाही तबके का नहीं है, राज्य कर्मचारियों का नहीं है। जनता का राज्य है एक लाख जनता ने चुन कर यहां एक एक प्रतिनिधि को भेजा है। एक एक प्रतिनिधि विधायक एक एक लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी यह मखौल उड़ाई जाय नौकरशाही के एक पुर्जे द्वारा और हम सब उसे बर्दाश्त करते रहें। यह उचित नहीं है। गम्भीरता से इस पर सोचना चाहिये। हम सब से यह सम्बन्धित प्रश्न है। इसमें कांग्रेसी विधायकों को भी सोचना चाहिये। वे उपयोग करें अपने प्रभाव को और इस मखौल को चुनौती के रूप में स्वीकार करके इसका जवाब दें। इस तरह से बात चलने वाली नहीं है कि ये नौकर लोग जनता का जनता के प्रतिनिधि की मखौल करें और कहें कि राजनैतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जावेगा। जन प्रतिनिधि क्या उनसे कोई दुर्व्यवहार करते हैं जो बर्दाश्त नहीं किया जावेगा। मैं कहूंगा अगर हमने अपनी शक्ति को नहीं समझा, जन प्रतिनिधि होने के महत्व को नहीं समझा तो आगे चल कर ये अधिकारी लापरवाह हो जावेंगे। लापरवाह आज भी बनते जा रहे हैं। वे कहते भी हैं, गरूर से कहते हैं कि हम चाहे जिसका ट्रान्सफर कर सकते हैं चाहें जिसको नौकरी दे सकते हैं, किसी को रख सकते हैं, चाहे जिस किसी को हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता हमारे हाथ में है, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पर जन प्रतिनिधि उसे कुछ

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

कहता है, जनता का दुख दर्द वहां तक पहुंचाना चाहता है तो कहते हैं राजनैतिक हस्तक्षेप है यह। आज सचिवालय में बैठकर कौन अधिकारी यह जान सकता है बैठा बैठा कि दूर दूर तक काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों में कौन अच्छा काम करता है, कौन नहीं करता है, कौन जनता के साथ कैसा बर्ताव करता है, कौन कैसा चाल चलन का है ? यह सब जन प्रतिनिधि ही जान सकता है क्योंकि वह वहां रहता है जनता के बीच में रहता है, जनता अपना रोना उनके पास आकर रोती हैं । सरकारी कर्मचारी अगर अच्छा काम नहीं करता है तो उसकी शिकायत करते हैं । अब अगर इन सब बातों को जन प्रतिनिधि नहीं कहेगा तो कौन कहेगा । जन प्रतिनिधि यह सब जानकारी अच्छी तरह से दे सकता है। वह देगा भी क्यों कि यह उसका कर्त्तव्य है । इसको आप राजनीति का हस्तक्षेप कह कर टालना चाहते हैं, उस भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी को शील्ड करना चाहते हैं । यह कोई तरीका है । आप अपना प्रभाव हमारे पर डालना चाहते हैं ? यह अफसरों का राज बनाना चाहते हैं । इसे बर्दाश्त नहीं किया जावेगा । करना भी नहीं चाहिये ।

इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में कुछ और निवेदन करना चाहूंगा । पहले भी कहा । इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी कहते हैं चिन्ता करने की बात नहीं। गंगानगर वालों ने सवाल उठाया । अतिरिक्त अधिकारी रमेशचन्द्र मिश्रा ने भ्रष्ट आचरण किया । पंचायत मंत्री ने आदेश दिया । उसे मुअत्तिल कर दिया । अब जहां तक मेरी जानकारी है उसके साथ और तो कुछ नहीं किया गया, न एन्टीकरप्शन में दिया गया न कोर्ट में मामला दिया गया, एक रामनारायण माथुर करके अधिकारी हैं उनको जांच करने के लिये जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । ये अलवर रहे हैं । वहां उनका कैसा तरीका रहा और कैसा आचरण रहा । कितने ये जिम्मेदार हैं, कितने निष्पक्ष हैं इस बात का सबको पता है । रामानन्दजी को पता होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर वालों को तो पता है ही ।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : रामानन्दजी जानते हैं । मैं भी कुछ अलवर के पास ही हूं, इसलिये मुझे भी कुछ इनके बारे में आभास है । जिसके कार्य-कलाप स्वयं के ऐसे रहे हों उसे जांच अधिकारी आपने नियुक्त किया। चोर के लिये डकैत जांच कर रहा है । चोरों की जांच आप डकैतों से करवाना चाहते हैं और फिर आशा करते हैं कि वह जांच निष्पक्ष होगी ? और आप चाहते हैं कि आप इस तरह से रिश्वतखोरी मिटा देंगे । इसी तरह से आप रिश्वतखोरी के कम होने की बात कहते हैं । यह मेरी समझ में नहीं आ सकता ।

मिश्रा साहब पटाने में एक नम्बर हैं । वे कोटपूतली में जिलाधीश थे । लाखों रुपया उन्होंने बटोरा । डेपूटेशन उनका मुख्य मंत्री ने किया । लोगों ने शोर मचाया इनका ट्रान्सफर किया जावे । आन्दोलन किया । जन आन्दोलन हुआ । कोई जांच नहीं हुई । लोगों ने खुले चार्ज लगाये । दो महीने तक कुछ नहीं हुआ । दो महीने के बाद ट्रान्सफर हुआ और वह भी हुआ तो कैसे हुआ प्रोमोशन के साथ और वह भी दो तीन लोगों के हक को मार कर, उनको सुपरसीड करके । और भेजा कहां गया ? गंगानगर । यह आपका जांच करने का

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

तरीका है ? वह अधिकारी वहां से गंगा-नगर गया, लोगों ने कहा हमारी जीत हुई, इस भ्रष्ट अधिकारी का ट्रान्सफर आखिर हुआ, पर सीना तान कर वह भ्रष्ट अधिकारी कहता है मैं भ्रष्ट नहीं हूं। मुझको तो सरकार ने इनाम दिया है। प्रमोशन दिया है। मैं ईमानदार हूं। जो पैसा लेता हूं, अकेला ही नहीं खाता हूं, ऊपर तक पहुंचाता हूं। सबको बांट कर खाता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सब का हिस्सा बंधा हुआ है। उस के पद पर ईमानदारी का लाइसेंस इश्यू किया जाता है। लाइसेंस है उसके पास ईमानदारी का। वह कहता है, मैं बिना लाइसेंस कोई काम नहीं करता। अब बरकत साहब फरमावें भ्रष्टाचार कहां कम हुआ, कैसे यह समाप्त होगा। और वह अधिकारी जो खुद डकैत है चोर की क्या जांच करेगा। यह मेरी समझ में नहीं आता। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की जांचों से कोई लाभ नहीं है। सरकार का समय, पैसा व्यर्थ नष्ट करना है ऊपर से। उसको तो ईमानदारी का लाइसेन्स मिला हुआ है। उसे आप रिकग्नाइज कर लीजिये। इस बारे में मेरा आपको सुझाव है कि शराब की तरह जैसे आप ने लाइसेंस इश्यू कर दिये हैं उसी तरह से भ्रष्टाचार के भी लाइसेंस इश्यू कर दीजिये। खुले बाजार, खुले दफ्तर टेबल पर सौदा होना चाहिये। घर पर बैठ-कर लुक-छिप कर डरते डरते करने में क्या तुक है। इससे समय और श्रम अधिकारी, कर्मचारी व लोगों का, जनता का व्यर्थ नष्ट होता है। टाइम खराब होता है। खुले आम सौदा होना चाहिये और तुरत-फुरत काम होना चाहिये। यह अब रुक नहीं सकता तो आप इसे लीगलाइज कर दीजिये जैसे कई चीजों को आपने लीगेलाइज कर दिया, शराब को लीगलाइज कर दिया, और जुए को भी लीगलाइज कर दिया। अब यही शेष बचा है। इस भ्रष्टाचार को भी लीगलाइज कर दीजिये। इसे क्यों अछूता छोड़ रखा है। नहीं तो यह आपके लिये हमेशा का सिरदर्द और चुनौती रहेगी, आपका मन काम में नहीं लगेगा। जनता अलग परेशान होगी। इस भ्रष्टाचार को खतम करने की बात सोचना गलत है। फिर आपके तरीके गलत हैं इसे नष्ट करने के। आपकी दिशा गलत है और यही कारण है कि आपकी दशा खराब हो गई है। दशा सुधारनी है तो दिशा बदलें, ठीक दिशा पकड़ें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि यह ऐसा मसला है जो लम्बा-चौड़ा चलने वाला है, फूलने-फलने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : आज दोनों ही व्यापक सब्जेक्ट हैं। विस्तृत हैं।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : आपका संकेत है। समाप्त करूं या विस्तृत करूं ? आज जिलाधीश मालिक बना बैठा है। उसे खाने पीने की चीजें और गेहूं तक बांटने का काम दे दिया गया है। अनेक संस्थाओं के वे अध्यक्ष बना दिये गये हैं, और अनेकानेक कमेटियों के मेम्बर। काफी बड़ी भारी जिम्मेदारी। इस प्रकार जिलाधीश पर जिम्मेदारी काफी है। अगर आप चाहें कि मुकद्दमें लोगों के जल्दी से निपटें तो आपको चाहिये कि इसके लिये अलग से एक इस रैंक के अधिकारी की नियुक्ति करें। मुकद्दमों के लिये अलग अधिकारी हो और प्रशासनिक कामों के लिये अलग।

दूसरे जो कागज चलते हैं पटवारी के

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

कलेक्टर तक और कलेक्टर से गवर्नमेंट तक जाते हैं। इसमें काफी समय लगता है। लालफीताशाही में आज भी कुछ अन्तर नहीं आया है। तो इस तरह से जो प्रोसीजर है कागजों के निपटाने का एक टेबल से दूसरी टेबल और दूसरी टेबल से तीसरी चौथी, पांचवी तक कागजों के आने जाने में, इसमें काफी समय नष्ट होता है। इसमें कमी की जानी चाहिये, कागज जल्दी से जल्दी कैसे निपटे, ऐसा रास्ता निकालना चाहिये।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, घंटी बजाने का आपको पुनः मौका नहीं देना चाहता, अतः इतना ही कह कर अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, काल अटेन्शन नोटिस भी इसमें शामिल है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर तो आप बोल गये थे।

श्री फूलचन्द जैन : आप हम सहमत हैं। इसमें क्या बात है ?

श्री लूणाराम : आपकी लिस्ट छोटी हो गई है। सीरियल नम्बर में मेरा नाम नहीं है। रूल्स में कहीं छूट हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स में कोई छूट नहीं है।

श्री लूणाराम : मेरे गांव के मामले हैं। मैं बार बार खड़ा होकर निवेदन कर रहा हूं। मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है। दूसरों के नाम आते जा रहे हैं। यह समझ में कम आता है।

श्री उपाध्यक्ष : धीरे धीरे आपका नाम भी आवेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र को समाप्त करके इसके भी राष्ट्रीयकरण के लिये सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये क्योंकि यह प्रश्न आज सभी प्रान्तों में बहुत तीव्र गति से उठाया जा रहा है। विद्यार्थियों की ओर से भी, शिक्षकों की ओर से भी और आम जनता की ओर से भी। आप जानते है इस प्रश्न पर केरल में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में और कितने ही प्रान्तों में तीव्र संघर्ष हुआ है और यह बात आज मैं समझता हूं उन प्रान्तीय सरकारों के सामने भी गंभीरता से है कि शिक्षा जैसे पवित्र कार्य, में निजी क्षेत्र जो अन्ततोगत्वा प्राइवेट प्राफिट्स-निजी मुनाफा को अख्तियार कर लेते है। चाहे शुरू में उनका कितना ही पवित्र अच्छा दृष्टिकोण क्यों न हो। यह एक अनुभव की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने राजस्थान में भी जहां शिक्षा का प्रसार काफी कम है और इस रूप में निजी शिक्षण संस्थाओं ने अपनी भूमिका अदा की है परन्तु जिस रूप में निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है।

(2.52 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति,पदासीन)

जिस तरह इन शिक्षण संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय हमारे जो कार्यकलाप हैं उनके विरुद्ध और राष्ट्रीय घटनायें, राष्ट्रीय इस प्रकार की हरकतों को इन शिक्षण संस्थाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन शिक्षण संस्थाओं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में किन्हीं विशिष्ट वर्ग द्वारा अपने वर्गों को एक विशेष फायदा दिलाने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है जो आम जनता में असन्तोष का कारण है ।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस सदन में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं द्वारा किस प्रकार से अराष्ट्रीय कार्यों के अन्दर शिक्षण संस्थाओं का इस्तेमाल हुआ उसका उदाहरण आदर्श विद्या मंदिर के रूप में इस सदन के सामने आया है । मैंने इस सम्बन्ध में एक अलग से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिया था । इस सदन में इसके सम्बन्ध में कुछ चर्चा भी हुई । राज्य सरकार ने इस शिक्षण संस्था की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर इसकी ऐड भी बन्द करने की घोषणा भी की । परन्तु सभापति महोदय, मैं इस सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं यह शिक्षण संस्था लगातार बाकायदा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको भारत सरकार एक प्रकार की राजनैतिक पार्टी के रूप में मान चुकी है । जिस में भाग लेना सरकारी नौकरों के लिये उसमें पाबन्दी लगा दी है और जो इस प्रकार के राज्य कर्मचारी हैं उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय – इस प्रकार के परिपत्र जारी किये गये ।

सभापति महोदय, इस शिक्षण संस्था की मैनेजिंग कमेटी पूरी की पूरी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी या स्वयं सेवकों की है । मेरे पास उनकी जो वर्तमान मैनेजिंग कमेटी है उसकी लिस्ट है, 20 लोगों की यह लिस्ट है । इसके अध्यक्ष डा० हरि कृष्ण जावा हैं – कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं और राष्टीय स्वयं सेवक संघ विभाग के संचालक जयपुर के हैं । दूसरे सदस्य डा० खुशीराम जो इस स्कूल के उपाध्यक्ष हैं लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उप–नगर संघ संचालक हैं, जयपुर के । श्री मोहनलाल जोशी जो इस स्कूल के व्यवस्थापक हैं लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक हैं । मूलक राज प्रणामी अध्यापक हैं, जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के है इस तरह 20 लोगों की लिस्ट है । कम्परेटिव लिस्ट है, इस मैनेजिंग कमेटी में वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जयपुर के कोई न कोई पदाधिकारी हैं या स्वयं सेवक हैं ।

सभापति महोदय, इस स्कूल में जो डा० हरिकृष्ण जावा हैं इस स्कूल में एक केम्प जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शिविर लगता है, ये खुद उसके अध्यक्ष हैं डा. जावा इस स्कूल को पूरी तरह आर० एस० एस० की गतिविधियों के लिये इस्तेमाल करते हैं और यह नहीं, डाइरेक्टली करते हैं वे खुद अध्यक्ष के नाते इस संस्था को इस्तेमाल कर रहे हैं । मेरे पास एक परिपत्र है जो कि हरिकृष्ण जावा हैं, वे इस विभाग के संचालक के रूप में हैं । वे इस परिपत्र के अन्त में कहते हैं यह शिक्षण जयपुर में, आदर्श विद्या मन्दिर, आदर्श नगर में 24 मई के प्रातः से आरम्भ होगा । इसलिये 23 मई को सब लोगों को अपने वस्त्र, कपड़े, साबुन, तेल आदि आदि आवश्यक सामान लेकर एक मास के लिये पहुंच जाना चाहिये । जो मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर इस आदर्श विद्या मन्दिर को एज शिक्षण संस्था चलाने की जिम्मेदारी है वे स्वयं इस स्कूल को इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक्टीविटी लगाने की बात करते हैं । यह परिपत्र उनके हस्ताक्षर से मेरे पास मौजूद है । सभापति महोदय इस प्रकार से इस स्कूल में ....।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक टीचर है, टीचर को बाकायदा छुट्टी दी जाती है – इस तरह के संघ की शाखायें या शिविर में शामिल होने के लिये जिन टीचर्स की छुट्टी ड्यू नहीं हो उनको भी विशेष अवकाश के रूप में छुट्टी दे रहे हैं और छुट्टी दी जाती है। मेरे पास फोटो कापी है। एक नारायण सिंह टीचर है। यह प्रार्थना-पत्र लिखा है 8-5-69 का है। श्रीमान, प्रधानाध्यापक महोदय, आदर्श विद्या मन्दिर, मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है मैं संघ की शिक्षण शाखा में जा रहा हूं अतः आप मुझको 22-5-69 से 25-6-69 तक का अवकाश सवैतनिक दिलाने की कृपा करें। मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। इस पर लिखा कार्यालय रिपोर्ट करे। कार्यालय में आत्माराम ने इसकी रिपोर्ट लिखी इनकी नियुक्ति 16-5-68 को हुई है। सात पी० एल० ले चुके हैं। एक माह चार दिन का विशेष अवकाश स्वीकृत करें। तो यह जावा के दस्तखत हैं। एक माह चार दिन का सवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर दिया गया फोटो कापी है।

इसी तरह इस विद्यालय में एक टेम्पो है। 71 में कोई केम्प लगा तो इसमें सभापति महोदय आदर्श विद्या मन्दिर के उस टेम्पो का इस्तेमाल संघ के इस्तेमाल के लिये मांगा गया। 2-6-71 को लिखा है। आज सुबह श्री बृज लाल बंसल आये जिसके अनुसार उन्होंने टेम्पो शिक्षण संस्था का मांगा है तब उन्होंने कहा इस संबंध में उनकी बातचीत हो चुकी है। शिव नारायण और हरिकृष्ण जावा ने दस्तखत कर दिये और टेम्पो चला गया। इस तरीके से उनका सामान, उनके टीचर्स का उपयोग और इतना ही नहीं सभापति महोदय, स्कूल के अंदर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं जिस प्रोग्रेस रिपोर्ट में विद्यार्थियों की प्रोग्रेस लिखी जाती है उसमें एक विशेष कॉलम है कि विद्यार्थी ने संघ की शाखा अटेण्ड की या नहीं की। तो संघ की शाखा अटेण्ड करने का यहां पर छपा हुआ है। उच्चतर माध्यमिक आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर इसमें जो इसका कॉलम है पुस्तकालय, फोटोग्राफी, प्रौढ़ शिक्षा, तरुण गोष्ठी और फिर है शाखा। इसका रेकार्ड इस तरह से रखा जाता है कि विद्यार्थी शाखा अटेण्ड करता है या नहीं करता है।

इसी प्रकार से सभापति महोदय, इस स्कूल में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से जो राष्ट्रीय कलैण्डर है, गवर्नमेंट की तरफ से मन्जूरशुदा है, शिक्षा विभाग की तरफ से मन्जूरशुदा है उन छुट्टियों को मान्यता नहीं दी जाती है। ईसाइयों की, मुसलमानों की जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों को इस स्कूल में नहीं मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लीडर हैं, डॉक्टर हैडगेवार उनका जन्म दिवस मनाया जाता है और उसकी छुट्टी सामान्य तौर से मनाई जाती है। यह मेरे पास कलैण्डर है और इसमें 4 अप्रेल बुधवार प्रतिपदा अवकाश डॉक्टर हैडगेवार का जन्म दिवस है 1973 में जिसको मनाया जा रहा है। इसी तरह से गुरु दीक्षा....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई छुट्टी नहीं है। वहां बाकायदा सब छुट्टियां मनाई जाती हैं। यह गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपको बोलने का मौका मिले उस समय जो कुछ कहना हो कहें लेकिन बीच में इन्टरप्ट न करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लेकिन इस तरह से गलत त यों को रखकर सदन को गुमराह किया जा रहा है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य इन्टरप्ट न करे। ऑर्डर प्लीज। आपस में बातचीत नहीं करे और शांति से माननीय सदस्य के विचार सुनें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप (श्री रामानन्द अग्रवाल) झूठ बोलते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सच्चाई तलख होती है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं तो कहता हूं कि किसी महापुरुष का जन्म दिन हो तो उसको मनाने में आपको क्या आपत्ति है?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सारी संस्थायें कोई सरकारी नहीं हैं। अजमेर में मुस्लिम लीग का स्कूल चलता है, यहां चलता है, ईसाइयों का कॉलेज चलता है। अग्रवाल कॉलेज चलता है, सुबोध कॉलेज चलता है, दयानन्द कॉलेज चलता है और वहां पर आर्य समाज के भी शिविर लगते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां भी लगते हैं गलत लगते हैं। अग्रवाल कॉलेज में लगते हों या आर्य समाज में लगते हों गलत लगते हैं। जो भी ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स हैं और वह लगाते हैं तो गलत लगाते हैं। यह राष्ट्रीय-घातक जो भी कार्यवाही है यह किसी भी संस्था में नहीं होनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर लगना चाहियें जो कि देशद्रोही पार्टी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो आपके बुजुर्ग पचते पचते मर गए और उनसे कुछ नहीं हुआ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि भाषण के बीच में इन्टरप्ट नहीं करें। आपको बोलना है या कोई बात कहना है तो आपको आजादी है जो भी आप कहना चाहते हैं वह स्वतंत्रतापूर्वक कह सकते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इनका तो समय भी चला गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : समय तो आपका चला गया पूरा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, यहां पर जो भी विद्यार्थी हैं उनकी इच्छाओं के खिलाफ, टीचर्स की इच्छाओं के खिलाफ उनकी शाखाओं में सम्मिलित होना, उनके शिविरों में शामिल होना आवश्यक है और कम्पलसरीली मजबूर किया जाता है उनको इसके लिए। टीचर्स ऐसी एक्टीविटीज में हिस्सा नहीं लें तो उनको विक्टिमाइज किया जाता है और कई टीचर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। सभापति महोदय, स्टुडेन्ट्स का एजीटेशन हुआ और उन्होंने पर्चे निकाले। उसमें एक मांग यह भी की कि स्वतंत्रता की रजत जयन्ती पर उच्चतर माध्यमिक आदर्श मन्दिर में परतंत्रता समाप्त करो। यह छात्रसंघ की तरफ से है और यह 12 वीं मांग है अध्यापकगण संघ की शाखा में जाने हेतु अनुचित दबाव नहीं डालें। यह छात्रसंघ की ओर से मांग करके उनको आन्दोलन करना पड़ता है। तो साफ यह बात जाहिर है कि इस तरीके से उनको मजबूर किया जाता है और इसके लिए मैंने

(ओ र मानन्द अग्रवाल)
जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वह आप के सामने पेश की थी।

अब दूसरी बात कि इस स्कूल में जो अकाउन्ट्स हैं, इस स्कूल का एक ग्राउण्ड बनाया हुआ है जिसमें स्कूल के नाम पर, शिक्षा के नाम पर फण्ड लोगों से लिया जाता है और दो तरह के अकाउन्ट्स रखे जाते हैं-एक तो एक नम्बर का और एक ब्लैक मनी का। फीस आदि का जो अकाउन्ट दिखाते हैं, ऑडिट कराते हैं वह अकाउन्ट मेनेजिंग कमेटी के नाम में है लेकिन दूसरा अकाउन्ट जिसका कभी ऑडिट नहीं कराया वह अकाउन्ट रखते हैं प्रिन्सिपल के नाम में। राजस्थान बैंक के अन्दर एक अकाउन्ट मौजूद है जो कि प्रिन्सिपल आदर्श विद्या मन्दिर के नाम से आपरेट होता है। सभापति महोदय इस अकाउन्ट से जो मनी निकाला जाता है वह मनी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए इस्तेमाल होता है और इसके अन्दर जो मनी लिया जाता है चन्दे के रूप में या और रूप में, उनकी रसीदों वगैरह का कभी ऑडिट वगैरह बिलकुल नहीं होता। मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग की तरफ से इसका आडिट होता होगा। इसका मंत्री जी उत्तर देंगे। उत्तर देते समय बतायेंगे कि क्या यह जो राजस्थान बैंक में प्रिन्सिपल आदर्श विद्या मन्दिर के नाम से जो अकाउन्ट चल रहा है इसकी क्या स्थिति है, कितने रुपये इसके अन्दर हैं और कहां कहां गये और इनका किस तरह से इस्तेमाल होता है और आज तक इसको स्कूल के अकाउन्ट में क्यों नहीं दिखाया गया? सभापति महोदय, नाम आदर्श रखा है और आदर्श विद्या मन्दिर के संस्था के नाम में शिक्षा जैसी पवित्र जगह में इस प्रकार के नम्बर 2 के अकाउन्ट्स रखना और काला धन रखने की एक्टीविटीज हो रही हैं समझता हूं कि यह किसी तरह से वांछनीय नहीं कहा जा सकता।...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह वही रकम है जो कि बाहर से अभिभावकों द्वारा भेजी जाती है। यह कोई ब्लैक मनी नहीं है। बाहर से आने वाले छात्रों की रकम जमा कराते हैं उस अकाउन्ट में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य मैनेजिंग कमेटी में भी नहीं हैं, प्रिन्सिपल भी नहीं हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आर० एस० एस० के वालिन्टियर रहे हैं इसलिए जरूरी है।

श्री गुमानमल लोढा : सदन के अन्दर झूठी बातें करके क्यों गुमराह करना चाहते हैं? आप बतायें बैंक में कहीं काला धन भी रखा जाता है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। जब आप बोलें तो कह सकते हैं, बीच में इन्टरप्ट क्यों करते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय सभापति महोदय, कोई सीमा होनी चाहिए झूठ की। जो लोग गद्दारी करते हैं उन्होंने नेताजी को गद्दार बताया...

श्री सभापति : माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें।

श्री गुमानमल लोढा : इन्होंने चीन को कहा कि आओ, वह आज देश के अन्दर गद्दार हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह अनर्गल बातें करते जा रहे हैं। इनकी बातों का कोई आधार ही नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा : यहां कितना बड़ा झूंठ बोला जावे · · ·

श्री सभापति : आप काफी बोल चुके हैं और फिर भी जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। अगर झूंठ है तो भी आप बाद में कह सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : सदन का समय वेस्ट किया जा रहा है, माननीय मंत्री महोदय बोल सकते हैं इस बारे में · · · ·

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्य दोनों पक्ष से निरन्तर एक साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, यह लोग जो रामनाम की माला पहन कर और किस प्रकार के कृत्य करते हैं, वहां क्या क्या काण्ड होते हैं उसका पर्दाफास करते हैं तो · · ·

श्री गुमानमल लोढा : वह देश भक्त लोग हैं, वहां पर वन्दे मातरम् के गीत गाए जाते हैं · · · ·

(श्री लोढा और श्री रामानन्द एक साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

(व्यवस्था-सूचक-अनवरत घण्टी)

(मा० स० लोढा और श्री भार्गव निरन्तर एक साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 221 आई० ए० एस० अफसरों के बच्चे वहां पढ़ते रहे हैं उन्होंने इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की।

श्री सभापति : मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि आसन की ओर से जो कुछ भी कहा जाय उसको माननीय सदस्य ध्यान से सुनें और अपनी बारी आने पर जो कुछ भी कहना हो कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राक्षसों के यज्ञ भी होते हैं लेकिन राक्षसों से यज्ञ सफल नहीं होते। इतिहास साक्षी है कि विध्वंसक हमले होते रहे हैं और वे असफल हुए हैं। अब पर्दाफास होता है · · · ·

श्री गुमानमल लोढा : पर्दाफास आपका होता है हमारा नहीं।

(मा० स० श्री लोढा, भार्गव एवं रामानन्द निरन्तर एक साथ बोलते रहे-अश्रव्य)

(व्यवस्था-सूचक-अनवरत घण्टी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा · · ·

श्री सभापति : आपने काफी उत्तेजना पैदा करदी है। अब आप संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्यों में जो ठण्डक आ रही थी थोड़ी सी गर्मी आ जाय तो · · ·

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लेकिन गलत तथ्य पेश मत करो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो रिकार्ड के आधार पर तथ्य हैं।

(शोरगुल- अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : झूठे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी तरह से इस स्कूल के लिए न केवल आर० एस० एस० की एक्टीविटिज के लिए पैसा इकट्ठा करना, आर० एस० एस० के अकाउन्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना, दूसरे अकाउण्ट में रख कर उसके लिए इस्तेमाल करना बल्कि सामान्य तौर पर जो इण्टीग्रिटि और ओनेस्टी जो होनी चाहिए वह नहीं है।

पांच सौ रुपये एक सज्जन से दान के लिए गए आदर्श विद्या मंदिर की लाइब्रेरी के लिये। उसके लिए पुस्तकें ले आए और उन पुस्तकों के बिल को जो कि चन्दे से ली गई थी, उनके बिल को शिक्षा विभाग को देकर और शिक्षा विभाग से उसकी एड भी ले लो कि हमने यह किताबें खरीदी हैं इनकी एड दी जाय। तो यह मेरे पास उसकी फोटो स्टेट कापी मौजूद है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फोटो स्टेट कापी उड़ाने वाले वहां के कर्मचारी हैं जिन्होंने चोरी से फोटो स्टेट कापी उड़ाई है और इसके लिए उनको सस्पेंड किया गया है, निलम्बित किया गया है।

(भारी शोरगुल—कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे—अश्रव्य)

चोरी करने वालों की तारीफ करें, यह अच्छी बात नहीं है। उनको हटाया गया है। वहां का रिकार्ड गायब है।

(शोरगुल - अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पोइन्ट आफ आर्डर। मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई है। आपके पास इस प्रकार के कोई आधारभूत तथ्य हैं तो सरकार को दे दें। अच्छी तरह से जांच हो जाएगी।

श्री सभापति : यह आपका कोई पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। इतना मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ भी माननीय सदस्य कह रहे हैं उसके बारे में आप विस्तार से जानकारी करके आपको जो कुछ कहना हो कह सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : यह सदन का टाइम बर्बाद किया जा रहा है....

(भारी शोरगुल - अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। अब कोई माननीय सदस्य कुछ नहीं बोलेंगे।

(निरन्तर शोरगुल - अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पुस्तकें इन्होंने मलिक एण्ड कम्पनी से खरीदी हैं और उनके बिल्स इन्होंने एक तरफ दान दाता को दिए हैं और दूसरी तरफ इन्हीं पुस्तकों के बिल शिक्षा विभाग को दिए हैं और उसके ऊपर उन्होंने दुबारा एड ली है और इस प्रकार की घटना हुई है।

इसी तरीके से इस सदन के अन्दर भी एक क्वेश्चन आया था कि किस तरह से इन्वीजिलेशन के नाम पर यूनिवर्सिटी से फिक्टिशियस ग्राउण्ड पर, जो इन्वीजिलेटर रहे ही नहीं उनके नाम पर बिल बना कर पैसा ह्रा

(श्री रामानन्द अग्रवाल) किया गया है और उसको डाईवर्ट किया गया है संघ के लोगों को फीड करने के लिए। यह मामला पहले भी इस सदन के अन्दर लाया जा चुका है।

इसी तरीके से सभापति महोदय, यहां पर चपरासियों की फर्जी ड्यूटी दिखा कर उनका वेतन लिया गया और आर० एस० एस० के प्रचारकों के काम में वह रुपया लाया गया। इस तरह से यूनिवर्सिटी से झूठे बिलों के आधार पर रुपया लिया गया।

अब सभापति महोदय, कुछ टीचर्स के खिलाफ, उनको विक्टिमाइज करने के लिए, केवल इस वजह से कि उन्होंने आर० एस० एस० की एक्टीविटिज में हिस्सा लेने से मना कर दिया, उनको विक्टीमाइज किया गया। इन टीचर्स ने अपील की तो उनको री-इंस्टेट किया गया लेकिन इनकी मैनेजिंग कमेटी गवर्नमेंट के उन आर्डर्स को नहीं मानती और उनको री-इंस्टेट नहीं किया। मुझे आश्चर्य है गवर्नमेंट की तरफ से जब कि कोई सैकिंड अपील का प्रावधान नहीं होता, कई वर्षों के बाद और फिर जब कि आदर्श विद्या मंदिर की एक अपील पहले रिजेक्ट हो चुकी थी, उनकी सैकिंड अपील को आउट आफ दी वे जाकर एन्टरटेन किया गया, तो इस प्रकार किस आधार पर उनकी अपील को एण्टरटेन किया गया यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और इन प्रेम तिवारी जिनका कि री स्टेटमेंट आर्डर हो चुका था वह दरदर फिर रहे हैं बेरोजगार होकर, न उनको तनख्वाह दी गई और न कोई और। और इसी तरह से कई अन्य टीचर्स के साथ भी किया गया है।

श्री पियारीलाल भार्गव : जोइन्ट डायरेक्टर के यहां पर अपील चल रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कांस्टीट्यूशन के मुताबिक, एक तरफ आर० एस० एस० की एक्टीविटिज, दूसरी तरफ फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रियेशन आफ फण्ड्स और तीसरी तरफ कांस्टीट्यूशनल तरीके से भी जो इसका संचालन होना चाहिए वह संचालन भी इसके अन्दर नहीं हो रहा है। इस मैनेजिंग कमेटी के विधान के अनुसार चुनाव होने चाहिए उन चुनावों को लगातार, जो कि टाइम बार हो चुके हैं और जो अब तक हो जाने चाहिए थे, उन चुनावों को नहीं कराकर लगातार टालती जा रही है।

इसमें इसी तरीके से उन्होंने कोई एक टीचर है जो कि मैनेजिंग कमेटी का मेम्बर था उनको इल्लीगल तरीके से मैनेजिंग कमेटी की मेम्बरशिप से हटा दिया जब कि हटाने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने अपील की है जो डिस्प्यूटेड है। एक और टीचर को जो कि वेतन भोगी है और जिसको मैनेजिंग कमेटी में लिया नहीं जा सकता था उसको ले लिया गया है। उनके खुद के विधान के अनुसार इस तरह से इनकी मैनेजिंग कमेटी के बारे में डिस्प्यूट चल रहा है। इलेक्शन ओवर ड्यू हो चुके हैं। जो ग्राण्ट इन एड रूल्स हैं या ग्राण्ट इन एड रूल्स के मुताबिक भी अगर इलेक्शन डेलीबरेटली नहीं कराए जाते हैं तो गवर्नमेंट इण्टरफियर करके उस पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती है, मैनेजमेंट अपने हाथ में ले सकती है। मैं कहना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि आपने जो उनकी एड बन्द की है वह तो दुरुस्त किया है। हम ये चाहते हैं कि यह शिक्षण संस्थायें वास्तव में विद्यार्थियों के हित में और शिक्षा के हित में चलें। अगर राजनीति ही करना है तो बहुत से अलग फील्ड हैं। इसलिए इस शिक्षण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

संस्था को जो इस प्रकार का आर० एस० एस० का फील्ड है, गवर्नमेंट को इसको अपने हाथ में लेकर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर देना चाहिए। इस प्रकार की जो इर्रेगुलरिटीज हैं, जो गड़बड़ियां हैं उनके बारे में मुझे जानकारी है कि अभी तक भी गवर्नमेंट ने जो यह कहा था कि इसकी इन्क्वायरी वगैरा करायेंगे या तो सी० आई० डी० से या एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हिन्दुस्तान की तवारिख में कभी शिक्षण संस्थाओं पर एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट हुए हैं?

(शोरगुल - अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी संस्था राजनीति में खुले रूप से भाग लेती है। · · ·

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसका कोई सदस्य राजनीति में भाग नहीं लेता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपको आधे घंटे का समय हो गया है इसलिये संक्षेप में कह कर जल्दी समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया था। उन्होंने कहा था, कॉल अटेन्शन नोटिस का समय भी इसके साथ मिल जाएगा। इसलिए · · ·

श्री सभापति : वह ठीक है किन्तु समय काफी हो गया है। कृपया समय का ख्याल रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब मैं अपने कट मोशन पर थोड़ा थोड़ा बोल कर खतम करूंगा।

सभापति महोदय, एक तो मुझे दूसरी बात यह निवेदन करनी है कि राजस्थान शिक्षक संघ जिन्होंने कि नोटिस दिया है कि वे 27 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके सम्बन्ध में मैंने कट मोशन भी दिया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। आज मंत्रीजी ने मुझे बताया है कि इन लोगों को 26 तारीख को बातचीत के लिए बुलाया है। सभापति महोदय, मुझे इस पर यह निवेदन करना है कि बाहर कुछ लोग राजस्थान शिक्षक संघ का नाम लेकर बैठे हुए हैं, वे लोग हैं जो कि चुनाव में हार चुके हैं। ये लोग कोर्ट में भी अपना केस हार चुके हैं। अब जबर्दस्ती शिक्षा विभाग की गलती के कारण, उसके प्रोत्साहन के कारण इस शिक्षक संघ के संगठन के स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है। एक तरह से इललेजीटिमेंट इनको मान्यता दी जा रही है। इससे शिक्षकों में असन्तोष है। मेरा यह निवेदन करना है सभापति महोदय कि गवर्नमेंट तुरन्त इस ओर ध्यान दे। पिछले सदन में भी माननीय हरिदेव जोशी ने, जो कि इस सदन के उप-नेता हैं, उन्होंने यहां पर साफ तौर से कहा है, डिक्लेयर किया है यह जो राजस्थान शिक्षक संघ है, जिसके बिशनसिंह शेखावत अध्यक्ष हैं, वही मान्यता प्राप्त है। यही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सब कमेटीज में मौजूद हैं। फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि एज्यूकेशन डिपार्टमेंट ने यह कमेटी किस लिए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मुकर्रर की है। यह अननेसेसरी है, इसको भंग कर दिया जाना चाहिए। एक तरह से कन्ट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। इसलिए इसको खतम किया जाकर शिक्षकों को बुलाकर उनकी मांगों के बारे में विचार किया जाना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह आपका प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसकी तरफ से किताबों की अदलाबदली बड़ी तेजी से की जा रही है। मुझको सूचना दी गई है उसने करीब 32 पुस्तकें बदली हैं। इसी प्रकार से इस बोर्ड ने करीब 39 पुस्तकें पिछले साल बदली थीं। इस साल वह 32 पुस्तकों को बदलने जा रहा है और इन पुस्तकों में छोटे मोटे चेन्जेज कर के बदला जा रहा है। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं इसमें वेस्टेड इन्टरेस्ट काम कर रहा है। आज के जमाने में शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है, इधर राजस्थान में अकाल है। इतनी किताबों को आप बदल देंगे तो उन्हें बच्चों को खरीदना पड़ेगी और इनकी कीमत करोड़ों में चली जाएगी। मैंने सुना है कि कितनी ही तादाद में ये छपती हैं-- प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट को इस मामले को देखना चाहिये और शिक्षा मंत्रीजी को खुद को इसे देखना चाहिए। मेरे नोटिस में इस तरह का मामला लाया गया है। इन पुस्तकों के चयन करने के लिए जो बोर्ड है या जो सिलेक्ट कमेटी है उसके सदस्य ही ये किताबें लिखवाते हैं और उनको प्रेस्क्राइब करवाते हैं। यह घोर करप्शन है। इसको सख्ती के साथ देखना चाहिए। अभी मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, शिक्षा मंत्रीजी नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन छोटे छोटे बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न किया जाए। इस तरह से पुस्तकें बदलने की बात नहीं होनी चाहिए।

मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि लॉ-कालेज के अन्दर पार्ट-टाइम लेक्चरार का अपाइन्टमेन्ट किया गया था। इनमें से 32 लेक्चरार का दुबारा, रिअपाइन्टमेंट हो गया है केवल एक माइनोरिटी के जो लेक्चरार थे उनका रिअपाइन्टमेंट नहीं किया गया है। वे हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट थे और उनका रिजल्ट भी सेन्ट परसेन्ट रहा है। प्रिन्सिपल ने भी कहा कि इनका काम सेटिसफेक्टरी रहा है परन्तु फिर भी केवल एक इस माइनोरिटी के लेक्चरार का अपाइन्टमेंट नहीं किया गया है। मैं सोचता हूं कि यह गलत किया गया है। आई एम नॉट इन्टरेस्टेड परन्तु इनका जो अपाइन्टमेंट किया नहीं गया है उसको भी जस्टिफाई करें। यह समझ में आने वाला नहीं है। जबाब भी यह दिया जाता है कि जो कर दिया वह कर दिया। मर्जी आवे वह करो। सभापति महोदय, डेमोक्रेटिक सेट अप में उत्तर देने का यह तरीका नहीं होना चाहिए। यह गलत है। सही तरीके से जवाब मिलना चाहिए। जहां तक मैंने देखा है यह एक कम्पलीटली डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन है जिसको निरस्त किया जाना चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री): यह राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में कह रहे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल: ये ब्यावर के ल कालेज के बारे में कह रहे हैं। इनका नाम चांद मोहम्मद है। इनके साथ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेटली ट्रीटमेंट हुआ है।

सभापति महोदय मैं यह निवेदन करूंगा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि हमारे अलवर में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनके अन्दर स्थानों की जबरदस्त कमी है। वहां पर देवी की गली में एक सैकेन्डरी स्कूल है जहां पर कि 700-800 लड़कियां पढ़ती हैं। यह बिल्डिंग पांच मंजिली है। पर दिन में भी वहां रोशनी नहीं है। बल्ब जलाकर पढ़ाया जाता है। भयंकर बदबू आती है। इस तरह का कालेज है, जगह की कमी है। गवर्नमेंट हायर सैकेन्डरी स्कूल में भी लड़कियों के लिए जगह कम है। जबकि अलवर में कितनी ही बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं। आपको इसके लिए नई बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ेगी। वहां पर महाराजा अलवर की जनानी ड्योढ़ी है। उसको लेने के लिए आपकी हिम्मत नहीं है तो आप उसको पी० डब्ल्यू० डी० से रिक्वीजीशन करा सकते हैं। पी० डब्ल्यू० डी० रेट पर किराया दे सकते हैं। अरबन सीलिंग को पता नहीं आप कब लागू करेंगे। इसके लिए आपके पास कानून मौजूद है। उसमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरह से सभापति महोदय वहां पर एक जयकिशन क्लब है जिसमें आफिसर और पब्लिक के कुछ लोग खेलते हैं। खेलने से पहले शिक्षा को मौका दिया जाना चाहिए। छोटी जगह पर भी खेला जा सकता है। यहां पर गर्ल्स होस्टल बनायी जा सकती है। इसके लिए भी एक-दो लाख के डोनर आपको दिलवा सकता हूं। इस बिल्डिंग को एक होस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। इस तरह की अलवर में कई बिल्डिंग्स खाली पड़ी है। शिक्षा मंत्री चन्दनमल जी बैद को भी इन्हें देखने के लिए मैंने इनवाइट किया था। परन्तु पिछले साल उनको टाइम नहीं मिल सका। अब फिर उनको इनवाइट करता हूं कि वे अलवर आएं। इसके लिए उन पर कोई फाइनेन्शियल बर्डन नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह की एक और बिल्डिंग है जिसमें मवेशियों का अस्पताल है। यह बिल्डिंग शहर के बीच में है। शहर के बीच में गाय और भैंस के टीके लगाए जाते हैं और दूसरी तरफ लड़कियों को, बच्चों को पढ़ने के लिए शहर से दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। शहर के बाहर बच्चें जावें और शहर के बीच में गाय भैंस के टीके लगाए जाए। इस तरह गांव वालों को भी दिक्कत, बच्चों को भी दिक्कत होती है। इस तरह की यह समस्या है। अलवर में काफी बिल्डिंगस मिल सकती हैं और उनसे इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। ऐनीमल हस्बेण्डरी वाले भी यहां पर बैठे हैं। मिनिस्टर साहब एक बार दौरा कर के इन सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं।

सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एक इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स है नेपालसिंह तंवर। वे खुद स्काउट कमिश्नर हैं। इन्स्पेक्टर आफ स्कूल होते हुए भी स्काउटिंग के लिए उनको एक नजर बगीची दी गई है। इस नजर बगीची को इन कमिश्नर साहब ने अपनी बीबी के नाम पर ठेके पर दे दिया है। यह ठेका एक हजार रुपया साल पर दिया गया है जबकि उससे पन्द्रह हजार रुपये सालाना की आमदनी होती है। अब वहां पर उनकी बीबी खेती करती है। यह एक प्रकार से खुला करप्शन है। इसकी शिकायत मैंने विजिलेन्स कमिशनर को भी की है। इसके लिए क्वेश्चन भी रखे हैं। परन्तु लम्बे चौड़े प्रश्न होने के कारण इसका नम्बर नहीं आ पाता है। आज तक इस पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है। अब वहां पर फसलें कट रही हैं। कितनी ही दफा यह प्रश्न यहां पर आया है। यह एक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
तरह से खुला करप्शन है....

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा....

श्री सभापति : पांच मिनिट में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दस मिनिट।

चीफ मिनिस्टर साहब को भी मौका बहुत कम मिलता है। आज उनका डिपार्टमेंट भी है।

श्री सभापति : आपका फरमाना है उनसे बात कर लें। वह तैयार हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पब्लिकली कहना ही ज्यादा अच्छा होगा। एक तो यह शिकायत है माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि आप अपने मंत्री-मण्डल के गठन पर सीरियसली विचार करें। यह जो आपकी टीम है इसमें कुछ लोग सक्षम नहीं हैं, और जो सक्षम हैं उनके अन्दर आपकी नीतियों के प्रति आस्था नहीं है। इसलिए पूरे तरीके से इसका दुबारा गठन होना चाहिए। बहुत से लोग आपके अन्दर हो सकते हैं जो आपकी नीतियों का पालन कर सकें। यह निश्चित तौर से ही आपकी पार्टी में से होने चाहिऐ। आप चूज करें। यह च्वाइस आपकी है। इनके अलावा और कोई नहीं मिलते हैं तो यह च्वाइस आपकी बहुत पूअर हैं और आपके पर्सनल जजमेंट के प्रति आस्था लोगों की बहुत ज्यादा घटने वाली है, और घट भी रही है और आप देख रहे हैं अखबारों में यह फीलिंग हम लोगों की वह दिन प्रति दिन घटती जा रही है उम्मीद जो हम करते थे, लेकिन उस उम्मीद में आखिर व्यक्ति का महत्व नहीं होना चाहिए। आपकी च्वाइस की कमजोरी है। आपको ताश का शौक है तो ताश के शौक को भी हटाना पड़ेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : ताश खेलना बन्द कर दिया। जिस दिन रिटायर होऊंगा उस दिन जरूर खेलूगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इनको भी मिनिस्टर बना दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बड़ी खुशी की बात है कि आपने ताश खेलना बन्द कर दिया है। आप कमजोरी को हटायें और अपने मंत्री-मण्डल को पूरा इफेक्टिव बनायें। यह जो पालिसीज हैं इनको एग्जीक्यूट करें। काफी इस बात को हमने कहा है। इसको गम्भीरता से विचार करें। हम व्यक्ति में इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं। यह बात आपको देखना है। हमें तो काम चाहिए।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको बुनियादी परिवर्तन यह जो आपकी एन्क्वायरीज की कार्यवाह है, इसके सम्बन्ध में करना चाहिए। एन्क्वायरी वही डिपार्टमेंट करे जिनकी शिकायत होती है तो उसमें एक बनी हुई है। यह एक पर्टीक्यूलर इन्डिविजुअल केस का सवाल नहीं है। यह नेचरल है कि जब तक उस डिपार्टमेंट का आफिसर काफी होस्टाइल न हो खास तौर से तब तक एडवर्स रिपोर्ट होना मुश्किल है। यह एक बुनियादी चैन्ज की बात है, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट एक सेल बनाया जाय, लेकिन यह जो एन्क्वायरी का सिस्टम है और उसी डिपार्टमेंट को देने की बात है उसको खत्म किया जाना चाहिए।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ी हाउस में फीलिंग है कि हमारे दल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में ही नहीं आपके दल के लोगों की भी फीलिंग है और आम लोगों की फीलिंग है कि इलेक्टेड मेम्बर्स के बजाय, राज्य सरकार के मंत्री-मण्डल के बजाय आज नौकरशाही ज्यादा पावरफुल हो रही है, और इस बात को मैं समझता हूं लाजिमी तौर पर मंत्रीमण्डल या स्वयं आपके दल के माननीय सदस्य अपने नेता से बात करते होंगे। मुझे इस बारे में निराशा नहीं है। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजों से लड़े उनको हटाया, राजाओं से लड़े उनको हटाया, जागीरदारों से लड़ें उनको हटाया, और आज बड़े बड़े पूजीपतियों से और बड़े बड़े सटोरियों से लड़ रहे हैं तो माननीय सदस्य (जनसंघ की बैंचेज की ओर देखते हुए) कितनी ही मदद करें वह इतिहास के अन्दर उनके लिए असफलता ही रही है और असफलता का सेहरा ही उनके साथ में लेकर जायेंगे।

इसी तरीके से यह कहना चाहता हूं कि आप चाह इस लड़ाई में नौकरशाही के साथ हो रहे हैं डेमोक्रेटिक मूवमेंट का यह चैलेन्ज है और चैलेन्ज आ चुका है। कोई भी पार्टी हिन्दुस्तान में आय हिन्दुस्तान की जनता उसका मुकाबला करेगी। हिन्दुस्तान में फार्मल डेमोक्रेसी बन गई, फार्मल तरीके के एम० एल० एज० बन गये, कुछ भी कहें, लेकिन फार्मल तरीके के पंच सरपंच बन गये, लेकिन जब तक इफेक्टिव पावर आर्डर करने की, एक्जीक्यूट करने की एडमिनिस्ट्रेशन में अथवा दूसरी जगह पर रहेगी तो उसको रूलिंग डेमोक्रेसी नहीं मानेंगे। रूलिंग पावर को ट्रान्सफर करें चाहे उसके लिए आपको कान्स्टीट्यूशन में चैन्ज करना पड़े, कान्स्टीट्यूशन के आर्टीकल 311 और 309 को चैन्ज करना पड़े, चाहे नया कान्स्टीट्यूशन ही क्यों न बनाना पड़े, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप को जो कि इण्डिपेन्डेन्ट नहीं बल्कि इम्पीरियेलिज्म की गुलामी करने वाला रहा है, इम्पीरियेलिज्म की मदद करने वाला रहा है इसको तोड़ना पड़ेगा। इन आफिसरान ने, इन हुक्कारानों ने यह समझा कि वह पावर होल्डर हैं, लेकिन पावर इनमें कितनी है हम वह जानते हैं। एक जरा से ट्रान्सफर से घबराने लगते हैं। इनसे घबराहट की कोई बात नहीं है कि कोई बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं कि जिनका मुकाबला नहीं कर सकते। इनके पैरों के नीचे गीली मिट्टी है। इसका मुकाबला हिम्मत के साथ करें, रोष के साथ करें और उनको रूट आउट करना है तो यह बड़ी आसानी से रूट आउट हो सकते हैं और इनमें लायल्टी भी जल्दी ही आ जायेगी। इसलिए मैं निवेदन करता चाहूंगा कि इस दिशा में आपको कदम उठाना पड़ेगा। अपोजिशन के बजाय आपके दल वालों की आवाज तेजी से उठी हैं, और इस बात पर आप सीरियसली विचार करेंगे।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक आपका स्वयं का संबंध है आपको अपने टाइम का एडजस्टमेंट और ज्यादा ठीक तरीके से करना है। मेम्बर साहबान की शिकायत है आपसे मिलने का समय देने के बारे में। मेम्बर साहबान आपसे न कहते हों, लेकिन यह बात सही है कि माननीय सदस्यों को आपसे मिलने में दिक्कत होती है, और इस तरीके से मैं समझता हूं कि पार्टी के लीडर्स को भी दिक्कत होती है। सबको दिक्कत होती है। इस सदन के अन्दर इसलिए कहता हूं कि आपको हम अपने में समझते हैं। मेम्बर्स अपनी जिम्मेवारी समझते हैं और जिम्मेदारी के कारण पब्लिक के काम से आते हैं, लेकिन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मिलने से आपको गुरेज नहीं करना चाहिए। कई बार इस तरह के जबाव मिलते हैं जिसमें शक होता है कि यह सही जबाब नहीं है आप वहां हों न हों। कई बार एमरजेन्सी के मामले आते हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर से बात करना बहुत आवश्यक होता है और रात के वक्त भी बात करते हैं और आपका ट्रंक काल के ऊपर केच करने की कोशिश करते हैं लेकिन ट्रंककाल तो दूर रहा यहां जयपुर के अन्दर रहते हुए मेरा खुद का भी अनुभव है कि कई बार दिन भर बैठा रहा, दो दिन बैठा रहा पर मुलाकात नहीं हो सकी। कई बार हरिजनों की हड़ताल हुई। इस प्रकार इस तरह की दिक्कत है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी मेम्बर आपको इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहता, और अगर उस तरह की बात हो तो आपको मजबूती के साथ कह देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक बार आर० एस० एस० का और कह दें।

श्री सभापति : आप से गाइड नहीं होते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजनैतिक हस्तक्षेप की बातें बहुत कही गई। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अखबार तो इस समय साइट नहीं कर सकता लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है जिसमें किसी सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी साहब का एक बयान था कि राजनतिक हस्तक्षेप और बरदास्त नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि यह पोलिटिकल लीडर्स पर रिफ्लेक्शन है The Chief Secretary has no business to issue such statements. He should be taken to task if he does that. To whom is this statement directed ? M.L.A.s ? The Chief Secretary is subordinate to the M.L.A.s and not their boss. So he must mind his own business and should not issue such statements.

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी हमारे साथी हैं, और हमारी तरह चुनकर आये हैं। इस सदन की इज्जत हम सब पर निर्भर है। हम अपने आदर्शों के कामों को ठीक तरीके से करें। यह हमारी जिम्मेदारी है और हरेक पार्टी लीडर की जिम्मेवारी है। अगर मेरी पार्टी का कोई सदस्य गड़बड़ करता है, हस्तक्षेप करता है नाजायज तरीके से तो उसको मेरे नोटिस में लायें, स्वतन्त्रपार्टी का करता है तो महारावल साहब के नोटिस में लायें। हम उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन राजनैतिक हस्तक्षेप का क्या मतलब है ? गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ, एक्ट आफ लेजिस्लेचर के खिलाफ कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर गलती करें, बिल्कुल उसका वायलेशन करे Every M. L. A., every Pradhan has a right to go.

उनका यह दिमाग बन गया है और कहते हैं कि आप किसके वकील हैं, आप क्यों आये, हम अपने आप कर लेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक मूवमट में पोलिटिकल पार्टीज आयेंगी और रिप्रेजेन्टेशन करेंगी, बगैर चुने हुए लोग भी आयेंगे तो आपको उनकी बात को सुनना पड़ेगा। आप सुनकर मानें या न मानें उसके लिए आप मजबूर नहीं है, पाबन्द नहीं है। आप कानून के मुताबिक बात करें, आप कानून के मुताबिक एक्ट कीजिये, लेकिन अगर आप उसकी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

शिकायत मान कर यह कहें कि आप किसके वकील हैं ? चाहे चुने हुए हों या बिना चने हुए हों वह किसी भी पोलिटिकल पार्टी के हों जो कि रिकॉगनाईज्ड हैं और जिनको चनाव लड़ने का अधिकार है उनको रिप्रेजेन्टेशन करने का अधिकार है । आज वह कहते हैं इस तरह से तो यह अपनी गलती नहीं है । मैं समझता हूं कि इसको अगर राजनैतिक हस्तक्षेप समझा जाता है तो यह गलती उनके दिमाग में है। चुने हुए नुमायन्दों के दिमाग में नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) ।

गलत तरीके से ट्रान्सफर करें। वहां बैठे-उठे टेलीफोन करें और सेक्रेटरी एक दूसरे की दोस्ती निभायें, गलत कानून बनायें, गलत नियम बनायें, उनके मुताबिक ट्रान्सफर कर दें । इस तरह की चर्चाएं एम०एल०एज० में उठी हैं, इस सदन में उठी हैं। सदन में ही नहीं आपके दल में भी इस तरह की चर्चाएं उठी हैं, अखबारों में चर्चाएं उठी हैं । वह नहीं मानेंगे तो दफ्तरों में जाकर उठायेंगे, दफ्तरों में नहीं मानेंगे तो प्रदर्शन और घेराव करके उठायेंगे। उसके ऊपर वह पाबन्दी नहीं लगा सकते हैं । वह हमें सबक सिखाने वाले नहीं है । वह हमारी कुर्बानियों की बुनियाद पर बैठे हैं। हम जानते हैं कि जिनको 150 मिलते थे अलवर स्टेट में वह आज ढाई-तीन हजार रुपये महीना पा रहे हैं तो वह उनकी कुर्बानियों की वजह से नहीं पा रहे हैं वह हमारी कुर्बानियों की वजह से पा रहे हैं। वह पोलिटिकल लोगों की महरबानी से कमा रहे हैं वह उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से दो-ढाई हजार रुपये कमा रहे हैं।

मैं इन्ही शब्दों के साथ अपने कट मोशन्स को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सभापति : श्री लूणाराम ।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे स्कूलों के खोलने में जो राजस्थान के पश्चिमी भाग के गांवों में है, जहां जनसंख्या की बात कही जावे तो वहां पर कई गावों को मिलाकर भी जो गांव छोटे छोटे हैं, उनकी एक दूसरे से जन संख्या का ख्याल किये बिना ही बहुत दूरी होने के कारण ऐसे गांवों के अन्दर स्कूल खोलना जरूरी है । जो शालाएं राजस्थान में खोली जाती हैं, उनका जन संख्या के अनुपात से जिलेवार बंटवारा किया जाता है । मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत अधिक है । ऐसे गांवों में जन संख्या के अनुपात के बजाय विशेष व्यवस्था करके, ऐसे गांवों में स्कूल खुलवादें । आज कन्या पाठशालाओं का अभाव है । जिससे लड़कियों को शिक्षा मिले । जो कम से कम भी शिक्षा लेकर भावी गृहस्थी को निभाने में सक्षम हो सकें बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, उनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है । जहां तक बालकों का सम्बन्ध है, उनके लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा होनी चाहिए । जो अनिवार्य शिक्षा देने का प्रचार सरकार का है। 6 से 11 साल के बच्चों के लिए अगर अनिवार्य शिक्षा हाथ में लेंगे तो घरेलू आर्थिक मामलों को लेकर जो बच्चों को शाला में नहीं भेज पाते हैं, तो अनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे तो यह भी देखना है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है । इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा । दूसरी बात मैं उन लोगों को कहूंगा जो प्राईवेट शालाओं को चलाते हैं, ऐसी शालाएं या तो सहायता के आधार पर चलती हैं । जो कि सही ढंग से नहीं चलाये जाते हैं ।

(श्री लूणाराम)

मैं तो यह मानता हूं कि उनका राष्ट्रीयकरण किया जाये या फिर कम से कम ऐसी शालाओं को अनुदान दिया जाता है, उनके हिस्से में जो राशि बनती है, वह सरकार अपने खजाने में जमा करवाले और जो भी खर्चा हो तनख्वाह है स्टेशनरी है— रेकरिंग या नान रेकरिंग और अपनी शाला की तरह के यह जो दिया जाता है, इस प्रकार के हरएक खर्च को सरकार हाथ में ले ले। आज जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनकी जेब कट रही है। सरकार की कट रही है और गरीब अध्यापकों की उसमें सुधार आयेगा। इसी प्रकार से मिडिल स्कूलों के बारे में कहूंगा। सभापति महोदय, जो हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले गये हैं, उनमें कामर्स व साइन्स का विषय नहीं खोला जाता है कामर्स व साइन्स खोले, वह नहीं खोला गया है। उसकी जरूरत आप शहरों में समझते हैं। तो ग्राम की शालाओं के उन बच्चों को या तो घर में बैठाना पड़ता है या उनको बहुत खर्च करना पड़ता है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में दुलरासर बिग्गा है और दूसरे स्थान भी हैं, उनमें कामर्स और साइन्स विषय खोलने की कृपा करें। जो हाई स्कूल, दुलरासर-बिग्गा में और पोमासर में हैं, उनके बारे में विचार किया जाये हायर सेकेण्डरी बनाने का. इसी प्रकार से जो संस्कृत भाषा है, उर्दू भाषा है, ये आजकल लुप्त हो रही हैं। संस्कृत माध्यमिक शालाओं में और उर्दू की हर तहसील स्तर में एक एक शाला स्थापित की जायें। जिससे कि जो पुरानी भाषाएं हैं, विद्यार्थी उसके अन्दर [illegible] पढ़ सकें। इसी प्रकार से सभापति महोदय मैं यह भी कहूंगा, कम से कम एक जिले में, एक जिले में नहीं तो दो जिलों को मिला कर एक सैनिक स्कूल खोला जाये। जिससे कि ऐसी शालाओं में सैनिक शिक्षा की वृद्धि कराई जा सके। सभापति महोदय, 5 और 10 सेकेण्डरी स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल के बीच में एक कालेज की व्यवस्था होनी चाहिए। आज इसका बड़ा अभाव है। मैं चाहूंगा, हमारे डूंगरगढ़ में कालेज खोला जाये। सभापति महोदय, आज गांवों में और शहरों में जो शिक्षा है, वह दोषपूर्ण होती जा रही है। जो भी युवक शिक्षित होता है, वह नौकरी करने के लिए ही इच्छा रखता है। मिडिल स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाये। उनको जमीन दी जाये जिससे कि वह कृषि डेयरी, और उद्योग की व्यवस्था कर सकें। उस विषय के—इनमें अध्यापक दिये जायें। जिससे कि वह किसी प्रकार से उनको ही धन्धे में रुचि लगावे।

सभापति महोदय, अध्यापकों की भी कुछ कठिनाईयां हैं। अगर हम उनकी मांगों के बारे में समय पर सुन लेते हैं, और निर्णय ले लेते हैं तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आती जो कभी कभी सरकार के सिर दर्द बन जाती है। इसके लिए गांवों में जो रहने वाले अध्यापक हैं, ऐसे अध्यापक चाहते हैं कि शहरों में रहकर अधिक से अधिक पैसा कमायें। गांवों में न पानी का इंतजाम है, न रहने का इन्तजाम है। तो उनके यह दिमाग में आता है। तो सभापति महोदय मैं यह चाहूंगा कि जो अध्यापक गांवों में काम कर रहे हैं, उनको विशेष भत्ता दिया जाये। जिससे कि उनमें से असन्तोष समाप्त हो सके। इसके अलावा सभापति महोदय, उनके स्थनान्तरण की व्यवस्था हो, उनकी नियुक्ति की व्यवस्था हो।

(श्री लूणाराम)

जहां तक हो सके, उसी जिले के अन्दर होनी चाहिए। किसी प्रकार से जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वह बेकारी के शिकार नहीं हों यह भी देखना होगा सभापति महोदय, अध्यापकों के जो इण्टरव्यू लिये जाते हैं, इस प्रकार से जो काम हरिजन और के हैं, उनको अधिक रखने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आज यह मांग है कि हर स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल–इन स्कूलों के साथ छात्रवास होना अत्यावश्यक है। अगर छात्रावास नहीं है तो बाहर के छात्र इर्द गिर्द गांवों के छात्र शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि गांवों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहां वह रह सकें। इसलिए छात्रों के साथ में अन्याय नहीं किया जाय।

इसके साथ (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) पांच सात मिनिट और लूंगा।

श्री सभापति : आपको दस मिनिट हो गये हैं।

श्री लूणाराम : छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में हम चाहेंगे कि केवल हरिजन छात्रों का ही अधिकार नहीं हो, जो भी ऐसे छात्र हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको छात्रवृत्ति दी जाय और उनकी सहायता की जाय।

इसी प्रकार से आज हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र के गांवों में पुस्तकालयों का बड़ा भारी अभाव है। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में जो पुस्तकालय हैं रखे हैं, वह भी सार्वजनिक नहीं हैं और उनके अन्दर अलग अलग पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं रखे गये हैं। एक पुस्तकालयाध्यक्ष एक स्कूल के लिए नहीं रखते हैं। मैं चाहूंगा कि पुस्तकालयों का विकास किया जाय और उनमें एक एक पुस्तकालयाध्यक्ष लिया जाय और सार्वजनिक रूप से पुस्तकालय रखा जाकर ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे अधिक फायदा लोगों को मिल सके। इसी के साथ दूसरी बात यह चाहूंगा कि आज अच्छी पुस्तकों का खास तौर पर प्राइमरी स्कूल में जो पुस्तकालय हैं, उनमें इन्तजाम नहीं है। वहां पर अच्छी अच्छी किताबें शिक्षा विभाग की ओर से रखी जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था भी की जाय गांवों के सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहों पर ऐसे बोर्ड बनाये जायं जिस बोर्ड पर नित्य नई खबरें, देश विदेश की, राजस्थान के इलाके की लिखने की अध्यापक की ड्यूटी लगा दी जाय जिसमें ग्रामीणों के देश–विदेश की गति–विधियों का पता लग सके। इसकी भी व्यवस्था सरकार करे।

इसी प्रकार से खेल–कूद का गांव में बड़ा महत्व है। खेल–कूद में देखते हैं कि यह प्रायः समाप्त होते जा रहे हैं। इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले जो खेल थे, उनको लोग भूलते जा रहे हैं, नये खेलों को वहां प्रारम्भ करने की तो बात दूर है मैं चाहूंगा, शालाओं के अन्दर अधिक से अधिक इन चीजों की व्यवस्था की जाय। इससे छात्रों पर अच्छा असर पड़ सकता है।

इसी प्रकार से पंचायत समितियों को जो शालायें दे रखी है, उन्हें आज अध्यापकों के भत्ते के लिए कोई राशि नहीं दी जाती है। स्कूलों की मरम्मत के लिए राशि नहीं दी जाती है। पुस्तकालय तथा खेल–कूद

(श्री लूणाराम)

के लिए नाम मात्र की राशि दी जाती है या नहीं दी जाती है। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा, जो इस प्रकार से पंचायत समितियों में स्कूलें चलती हैं उनके लिए अधिक से अधिक राशि दी जाय।

इसके साथ साथ प्राथमिक शालाओं के अन्दर जो सबसे बड़ी दिक्कत है, उनका सही निरीक्षण नहीं होता है। मैं चाहूंगा, जिलों के अन्दर निरीक्षक महोदय हैं, उनके साथ दो तीन उप-निरीक्षक महोदय हों, जो कम से कम एक बार साल में पचास प्रतिशत प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण करें। शालाओं का निरीक्षक, उप निरीक्षक निरीक्षण कर लें तो उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित निवेदन करूंगा, पिछले समय के अन्दर बीकानेर यूनिवर्सिटी का मामला चला था बीकानेर डिविजन में, आन्दोलन चला था। उस सिलसिले में डूंगरगढ़ शाला के छात्र अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले थे और शिक्षा मंत्री महोदय के सामने दो तीन मांगें रखी थीं – एक तो हायर सेकेण्डरी शाला के साथ होस्टल निर्माण की, दूसरी बात रखी थी, कालेज की, तीसरी मांग थी कि जो हाल है हायर सेकेण्डरी शाला का, वह टूटा हुआ, जीर्णशीर्ण अवस्था में है, उसका सुधार करने की। शिक्षा मंत्री महोदय ने उनकी मांग के ऊपर यह आश्वासन दिया था कि जो हाल है, उसकी मरम्मत अगले बजट से निश्चित रूप से करवा देंगे। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा, आप इसके लिए पैसा रखें और अपने जवाब में इसकी घोषणा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में थोड़ा सा सामान्य प्रशासन के बारे में, सभापति महोदय, निवेदन कर दूं। देरी के कारण आज हम देखते हैं कि अदालतों के अन्दर मुकदमे बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहा है और अव्यवस्था फैल रही है और लोगों की आस्था शासन के प्रति गिर रही है। इसका कारण यह है, एक तो दफ्तरों में देखेंगे, काम का बड़ा भारी दबाव है, प्रसार है, दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कई कामों के लिए हैड क्वार्टर छोड़ कर दूर करना पड़ता है। दिन प्रति दिन काम बढ़ता जा रहा है। मेरा सुझाव है कि आज सब-डिविजनल आफिसर की पोस्ट है, तो एक तरफ तो जहां पंचायती राज का सवाल आता है, थ्री टायर से टू टायर करने का सुझाव आ जाता है लेकिन ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक जो अदालत हैं उनमें चार टायर मिलते हैं। कहां टू टायर और कहां चार टायर। मैं चाहूंगा, उप-खण्ड अधिकारी का कार्यालय हटाया जावे उसके स्थान पर आर० ए० एस० के आफिसर की तहसील में नियुक्ति की जाय, जिससे पंचायत समिति और तहसील के क्षेत्र में विकास और प्रशासनिक जिम्मेदारी उस आर० ए० एस० आफिसर की जाय। तहसीलदार व विकास अधिकारी पर आज जितने विभाग तहसील स्तर और जिला स्तर पर जो प्रशासनिक व विकास के कार्य कर रहे हैं, उप खण्ड अधिकारी तहसील स्तर पर देखते हैं, और जिला स्तर पर देखता है जिलाधीश, कलेक्टर उसे सब तरह के विकास और प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार है। आज देखते हैं कि पुलिस, पंचायत समिति, तहसील–इनके अलावा दूसरे विभागों

Page No 144

(श्री लूणाराम)

का काम है, उसमें कोई गति नहीं है और न जिलाधीश व उप-जिलाधीश उनको देखते व मुआयना करते है क्योंकि उनकी देखभाल नहीं होती हैं। उनका निरीक्षण नहीं होता है। अगर होता है तो हमें उसकी जानकारी नहीं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं चाहूंगा, जितने विभाग हैं उनका कलेक्टर महोदय के द्वारा निरीक्षण होना चाहिए जिससे हर एक डिपार्टमेंट में गतिशीलता आ सके और काम में स्फूर्ति आये।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, बीकानेर के अन्दर अपीलेट आथोरिटी स्थापित हैं। उनका हाल यह है कि पन्द्रह दिन बीकानेर और पन्द्रह दिन जयपुर रहते हैं, न यहां का काम कर पाते हैं, न वहां का काम कर पाते हैं क्योंकि दोनों डिविजन बड़े हैं, किसी का काम हो नहीं सकता। इस कारण मुकदमे बढ़ रहे हैं। आज सस्ता और जल्दी मुकदमों के निर्णय की आशा करते हैं लेकिन तीन चार साल तक न्याय नहीं मिल पाता है। मैं चाहूंगा कि वहां अपीलेट आथोरिटी का कार्यालय समाप्त कर दीजिये या कम से कम ऐसा कीजिये कि बीकानेर डिविजन के लिए पूरे टाइम के लिए अपीलेट आथोरिटी का आफिस स्थापित किया जाय, जिससे लोगों को शीघ्रता से न्याय मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार...

श्री सभापति : पन्द्रह मिनिट से अधिक समय दिया जा चुका है।

श्री लूणाराम : अभी समाप्त कर रहा हूं।

इसी प्रकार नियुक्ति के मामले में चाहूंगा, जिला स्तर पर नियुक्ति होती है किसी विभाग में नियुक्ति की जाय, उन सब के अन्दर पक्षपात की बात करते हैं। किसी विभाग की नियुक्ति हो, उसके अन्दर जिलाधीश को इन्टरव्यू के अन्दर शामिल होना चाहिए, जिससे पक्षपात का सन्देह नहीं रहे। इसी प्रकार हर विभाग के अन्दर व्यवस्था करने की मांग करूंगा।

श्री सभापति : और मौका भी मिलेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

(अनुपस्थित)

श्री भगराज चौधरी!

श्री मीठालाल : हमारी पार्टी की तरफ केवल दस मिनिट मिले हैं।

श्री सभापति : दूसरी तरफ से और काफी आये हैं, आपको भी मिलेगा।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, शिक्षा का हमारे समाज में बहुत ही महत्व है। शिक्षा हमारे समाज का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा के माध्यम से ही, दूसरे जो साधन हैं, जिनसे समाज की हालत अच्छी बने, खुशहाली बढ़े – वह काम करते हैं। जिस शिक्षा की इस प्रकार की उपयोगिता है और महत्व है, हम गहराई से विचार करें, और इसमें जो भी हमें सुधार करना है, वह सुधार करना चाहिए। आजादी के बाद शिक्षा का फैलाव काफी हुआ है, स्कूलों में जाने वाले बच्चों की काफी संख्या बढ़ी है। इसके साथ साथ जितना फैलाव हुआ, उसी अनुपात में शिक्षा के

(श्री भगराज चौधरी)

स्तर में गिरावट आई है। मैं समझता हूं कि समाज को साक्षर बनाने की दृष्टि से, विद्यार्थियों को साक्षर बनाने की दृष्टि से शिक्षा का फैलाव ज्यादा महत्व रखता है। तो साथ साथ हम ख्याल रखें, जो भी विद्यार्थी, जो समाज के आगे अंग बनने जा रहे हैं, वह इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करें जिससे आगे आने वाले समय के अन्दर समाज की अच्छी कड़ी साबित हो सकें। वह अच्छा नागरिक बन सके उसका ठीक ढंग से मानसिक व बौद्धिक विकास हो, इन सारी बातों पर विचार करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने चाहिए। इस पर हम काफी वर्षों से विचार कर रहे हैं, पर अभी तक ऐसा कोई निश्चय हम नहीं कर पाए जिससे कि इस दिशा में कुछ हुआ हो। शिक्षा के फैलाव के साथ साथ अधिकतर लोगों की मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है कि जो विद्यार्थी हायर सेकण्डरी अथवा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद में पैतृक कार्य छोड़कर सरकारी नौकरी में घुस जायं तो अच्छा है। इस प्रकार की धारणा के कुछ कारण हैं। एक तो यह कि पाठ्यक्रम में इस बात का समावेश नहीं किया गया कि जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करें, वह बौद्धिक विकास के साथ साथ शिक्षा समाप्त करने के बाद अपना स्वयं का कोई न कोई व्यवसाय ढूंढ लें। इस स्थिति में हम विद्यार्थी को लेकर नहीं खड़ा करते हैं। आम तौर पर हमारी शिक्षा किताबी ज्ञान है। इस प्रकार साहित्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद में विद्यार्थी साहित्यकार तो बन जाता है, एक अच्छा ज्ञानी बन जाता है, मगर केवल ज्ञानी बन जाना, साक्षर बन जाना, दार्शनिक बन जाना, यह देश की प्रापर्टी नहीं है। देश की प्रापर्टी टेक्निशियन्स हुआ करते हैं, मैकेनिक्स व आर्टीजन्स हुआ करते हैं और इन सारी बातों पर जब हम विचार करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अपने पाठ्यक्रम के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन लेने चाहिए जिनसे हमारा विद्यार्थी सैकण्डरी स्टेज अथवा उच्च शिक्षा के बाद में कोई न कोई जीवन निर्वाह का धंधा ढूंढ सके जिससे समाज को भी फायदा पहुंचता हो। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद में विद्यार्थी अपना खुद का विकास–मानसिक और बौद्धिक विकास–प्राप्त करने के बजाय समाज के लिए, सरकार के लिए एक भार बन जाता है, यह बुरी बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार करे और हमारी शिक्षा में इस प्रकार के कोर्सेज की व्यवस्था करे जिससे कि वह पाठ्यक्रम वोकेशनल हो, प्रोफेशनल अथवा बिजनेस ओरियण्टेड हो। जब तक पाठ्यक्रम में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक पढ़ा-लिखा व्यक्ति समाज का अच्छा अंग नहीं बनेगा बल्कि माता-पिता और समाज पर बोझ बनेगा। इसलिए इस दृष्टिकोण से हमें विचार करना चाहिए।

अलग अलग प्रांतों में जहां साक्षरता का प्रश्न है उसमें राजस्थान ने काफी प्रगति की है। पहली जो योजना बनी थी उस समय प्राथमिक शालाओं और शिक्षा का जो अनुपात था, केवल कुल 6–11 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले छात्रों की 16 प्रतिशत संख्या थी मगर उसके बाद में हमने इस क्षेत्र में प्रगति की ओर काफी संख्या में बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। इससे निश्चय ही एक अच्छे समाज के निर्माण हम करने जा रहे हैं बलिपने घर के निर्माण के लिए,

(श्री भगराज चौधरी)

माता-पिता के लिए, समाज के लिए और सरकार के लिए एक अच्छी नींव डाल रहे हैं, परन्तु साथ साथ एक सुधार करने की जरूरत है। पहली योजना में 6-11 आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या जो 16 प्रतिशत थी वह बढ़कर 1968-69 में करीब 55 हो गई, 1969-70 में 57 हो गई और चौथी योजना में हमारा लक्ष्य है वह 64 प्रतिशत का है। इस प्रकार मिडिल स्कूल जाने वाले बच्चे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों में वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी शिक्षा फैलाव के लिहाज से तो अच्छी है। यह तो रही क्वान्टिटी की बात। इसके साथ साथ क्वालिटी का जहां तक संबंध है, स्तर में बहुत गिरावट आई है। 20 साल पहले की जो प्रणाली थी उसको पढ़कर ये माननीय सदस्य विधान सभा में बैठे हुए हैं। यदि इस पर नजर डालें तो हमें स्पष्टत: मालूम पड़ेगा कि आज एक सेकेण्डरी पास विद्यार्थी, एक हायर सेकेण्डरी पास विद्यार्थी पहले के चौथी-पांचवीं कक्षा पास विद्यार्थी के बराबर ज्ञान नहीं रखता। क्या कारण है ? कारण यह है कि हम लोग शिक्षा का फैलाव केवल शिक्षित बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिहाज से कर रहे हैं लेकिन स्तर में जो गिरावट आई है उस तरफ हमारे समाज, माता पिता और सरकार का कतई ध्यान नहीं। यह बुरी बात है। इसके लिए हमें सुधार करना चाहिए।

हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें आवश्यक परिवर्तन के साथ साथ 3-4 स्टेजेज में हमारा जो शिक्षा का माध्यम है, प्राइमरी स्टेज, माध्यमिक स्टेज, सेकेण्डरी अथवा हायर सेकेण्डरी स्टेज उसके बाद में कालेज स्टेज, इस प्रकार के स्टेजेज में भी तालमेल बिठाना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि आवश्यक मात्रा में हम जिस स्टेज के लिए, हमको सामान जोड़ना आवश्यक हुआ, वह नहीं जुड़ पाए। पिछले साल एक हजार प्राथमिक शालायें और एक हजार माध्यमिक शालायें खोलीं इससे प्रत्येक जिले में जहां जरूरत थी खोल दी। इस साल फिर स्वयं के बजट से तो नहीं लेकिन केन्द्रीय सरकार का बजट है, उसमें से राज्य सरकार ने एलान किया है कि एक हजार प्राथमिक शालायें और 1500 माध्यमिक शालायें खोलेंगे। वैसे देखा जाए तो यह अच्छी बात है। मैं समझता हूं इतनी बड़ी मात्रा में मिडिल स्कूल खोलने के बाद में मिडिल स्कूलों के अंदर बच्चों की जो संख्या है वह कम हो जाएगी। पिछले वर्ष अधिक स्कूल खोलने के बाद में बहुत से स्कूलों में किसी में 60 किसी में 70 किसी में 80 बच्चे हैं जबकि एक मिडिल स्कूल में एक हैड मास्टर, 5-7 अध्यापक कुछ सैकिन्ड ग्रेड के कुछ थर्ड ग्रेड के, एक क्लर्क, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी याने एक मिडिल स्कूल के पीछे इतना बड़ा भारी खर्चा हो तो हमें देखना है कि सब कुछ होने के बावजूद भी इन स्कूलों से कितने विद्यार्थियों को फायदा मिलता है तो देखेंगे कि एक स्कूल में ऐवरेज 80-90 छात्र हैं और एक स्कूल पर इतना खर्चा बढ़ता जा रहा है। इस बात पर विचार करने के लिए हमें नजर दौड़ानी चाहिए और मेरा सुझाव है कि इस वर्ष आप 1500 मिडिल स्कूल्स खोलने जा रहे हैं उनको कुछ कम करके 200 अथवा 300 सैकेन्डरी अथवा हायर सैकेन्डरी खोलने चाहिए। सरकार कह सकती है कि सारा पैसा केन्द्रीय सरकार से मिलने वाला है, वह नहीं मानेंगे। दूसरी स्कीम्स में डाइवर्ट नहीं कर सकते और शिक्षा का पैसा शिक्षा पर खर्च हो रहा है, हम मद परिर्तन नहीं चाहते। केवल माध्यमिक शिक्षा

(श्री भगराज चौधरी)
के लिए जो खर्चा होने वाला है उसमें कटौती करके नए सैकेन्डरी स्कूल खोलने के लिए लगा दें तो इसमें दूसरी बात नहीं होगी और यदि केन्द्रीय सरकार मंजूर न भी करे तो जरूरत पड़े तो खुद के पैसों से स्टेट प्लान में सैकेन्डरी अथवा हायर सैकेन्डरी स्कूल खोलने चाहिएं जिससे इम्बेलेन्स क्रिएट न हो।

इनमें से एक जसवन्तपुरा है। उसमें 100 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 15 मिडिल स्कूल्स हैं। मगर 100 प्राइमरी स्कूल्स और 15 मिडिल स्कूल्स के पीछे केवल एक ही सैकेन्डरी स्कूल है और वह भी एक ऐसे कोने में आ गया है जो 20 मील के अन्दर और कोई हायर सैकेन्डरी स्कूल नहीं है। केवल मेरे ही क्षेत्र में नहीं, और भी ऐसे जिले होंगे जहां पर भी वैसी ही स्थिति होगी। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये और कुछ सैकेन्डरी और हायर सैकेन्डरी स्कूल्स खोलने चाहिये। ताकि प्राइमरी स्कूल्स की ऐज्युकेशन, मिडिल स्कूल्स की एज्यूकेशन और हाई स्कूल और हायर सैकन्डरी स्कूल्स की ऐज्यूकेशन के बीच तालमेल बैठ सके। वरना यह होता है कि मिडिल स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद पांच सात मील तक तो बच्चा जा सकता है लेकिन ज्यादा दूरी पर भेजते हैं तो पहले तो मां बाप इतना खर्चा सहन नहीं कर सकते और बच्चे भी जाना नहीं चाहते। इन बातों पर सरकार को विचार करना चाहिये और केन्द्र सरकार को राजी करके, मनवा करके, स्कूल खोलने चाहिये, और अगर केन्द्र सरकार नहीं मानती है तो राज्य सरकार को खुद अपने पैसे से ही कुछ हायर सैकेन्डरी और सेकेन्डरी स्कूल्स खोलने चाहिये ताकि इस मसले का कुछ न कुछ तो हल निकल सके और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण फैलाव हो सके।

श्री सभापति : श्री मीठालाल।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मेरा नाम भी तो है।

श्री सभापति : आपका नाम भी आयेगा। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मनोहरलाल (कामां) : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

प्रश्न यह है कि प्रशासनिक बजट, वित्त विधेयक और धन विधेयक पर अगर कोई व्यक्ति कटौती प्रस्ताव पेश करता है और अगर वह कटौती प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो कानूनी परम्परा यह है कि सरकार गिर जाती है। इसलिये यह केवल विपक्ष का ही अधिकार है कि वह कटौती प्रस्ताव पेश करे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सदन के हर माननीय सदस्य को कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है और इसके बारे में आसन से पहले ही निर्णय दिया जा चुका है।

श्री मनोहरलाल : आप सुन तो लें।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और फिर सरकार के पक्ष में हाथ उठाते हैं, तो यह तो लोकतन्त्र की हत्या है। प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं और फिर पक्ष में हाथ उठाते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री मनोहरलाल : प्रधान मंत्री ने भी मना किया है कि कांग्रेस के सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश नहीं करें। यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है।

(शोर गुल)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मीठा लाल।

श्री मीठालाल मीणा (दौसा) : सभापति महोदय, शिक्षा के बिना मानव एक प्रकार से पंगु है, जो शिक्षा प्रणाली आज हमारे राज्य में और देश में चल रही है उसके बारे में सभी विद्वानों को भ्रांतियां हैं, सरकार को भी भ्रांतियां हैं और चाहे केन्द्र सरकार के मंत्री महोदय हों चाहे राज्य सरकार के मंत्री महोदय हों, सब शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन इसके आगे किसी ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया कि शिक्षा किस ढंग की होनी चाहिये।

(4.15 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज की शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि जिसके द्वारा लाखों की संख्या में अनएम्प्लायड लोग पैदा होते हैं। हमें ऐसी शिक्षा का प्रावधान करना चाहिये जिससे स्कूल और कॉलेज से निकला हुआ युवक कुछ न कुछ काम कर सके।

इसके अतिरिक्त आज हर माननीय सदस्य ने अपने अपने क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज की मांग की है। आज देहाती और शहरी क्षेत्र में भी मतभेद है और फर्क है। आज गांव में कहीं भी सेकेन्डरी स्कूल खोलने की बात करते हैं तो कहा जाता है कि मकान बनाकर दो और उसके लिये पैसा दो, लेकिन शहर में कॉलेज खोलने के लिये भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग सरकार खुद तैयार कराती है।

शिक्षा विभाग से मिडिल स्कूल और सैकेन्डरी स्कूल के लिये 15 हजार और तीस हजार मिलेंगे लेकिन जिले के लिये 6 लाख अलॉट कर दिये कि आपस में तकसीम कर लीजिये। जहां जन सहयोग मिलता है वहां खोलने की बात करते हैं। इस प्रकार आपने अपना वचन भंग और किया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, शहरों के साथ साथ गांवों में भी शिक्षा के लिये ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ जो प्राइमरी स्कल और मिडिल स्कूल आप इस साल और अगले साल खोलने जा रहे हैं वहां पर व्यवस्था की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। गये साल जयपुर में भी कई स्कूल खोले गये लेकिन वहां पर आज तक प्रधान अध्यापक नहीं है, कई जगह मास्टरों को नहीं भेजा। कई स्कूलों में सामान की तंगी है। टाट पट्टी के लिये आपने आदेश दिया कि वह जेल से ही लेनी है, अब जेल से नहीं मिल सकती तो आपको दूसरी जगह से लेने की व्यवस्था करनी चाहिये। चपरासियों के लिये आपने व्यवस्था दिसम्बर में की और उनको 15 फरवरी तक नियुक्ति दी और उसके बाद हटा दिया जायेगा, उसके बारे में भी आपने कोई निश्चित निर्णय नहीं दिया और अब गर्मी आने वाली है, और बिना चपरासी के बच्चों को पीने का पानी कौन पिलायेगा ?

सारे स्कूल जो आज मान्यता प्राप्त हैं, उनका आप राष्ट्रीयकरण करें। मैं यह कहूंगा कि कई ऐसे स्कूल हैं जो ऐड से चलते हैं, यह सरकारी स्कूलों से अच्छे चलते हैं, वहां अच्छी पढ़ाई होती है। इनमें से कई ऐसे स्कूल हैं जो बिना सरकारी ऐड के नहीं चल सकते। आप ऐसे स्कूलों को सम्हालें।

तलाव में एक संस्कृत विद्यालय है, उनके पास बिल्डिंग भी है। वह आपसे कुछ मांगते

(श्री मीठालाल मीणा)

नहीं हैं। उस संस्कृत विद्यालय को आप ले ले तो अच्छा होगा।

जहां तक आदर्श विद्या मंदिर का सवाल है, वहां पर जो बुराइयां हैं वह अवश्य दूर होनी चाहिये लेकिन यह जरूर जयपुर में चर्चा है और कांग्रेस के सदस्य भी कहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन पढ़ाई के लिहाज से आदर्श विद्या मंदिर बहुत अच्छा है। तो जो बुराइयां हैं उनमें अवश्य सुधार करना चाहिये लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जयपुर की अच्छी से अच्छी शिक्षण संस्थाओं में से आदर्श विद्या मंदिर एक है। यह उनका पुराना रेकार्ड देखने से भी मालूम पड़ता है।

श्री चन्दनमल वैद : बहुत अच्छा है तो हमको दे दीजिये, हम चलायेंगे।

श्री मीठालाल मीणा : जो सरकार चला रही है उनका दिवालापन तो आप रोकें। आपकी वित्तीय स्थिति तो यह है।

श्री चन्दनमल वैद : कुछ भी वित्तीय स्थिति हो, आज शिक्षा के क्षेत्र में 56 करोड़ का खर्चा होगा। उन 56 करोड़ के बावजूद भी यदि दस बीस लाख और लग गये तो भी कर देंगे। आप उनको तैयार कर लीजिये।

श्री मीठालाल मीणा : आपकी स्थिति सही है तो सारे राजस्थान के स्कूलों को ले लीजिये हम तैयार हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके पास अधिकार है क्या सारे राजस्थान के स्कूल देने का ?

श्री मीठालाल मीणा : रोज के रोज इसको तूल देकर एक अच्छी शिक्षण संस्था को खराब न करें। उसका जो आदर्श नाम है और आदर्श ही उसका रेकार्ड रहा है, उसकी आप एड बन्द करदें और लड़कों का भविष्य बीच में लटक जाये तो यह अनुचित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय मंत्रीजी और बड़े बड़े नेता भी कहते हैं कि राज्य में केन्द्रीय स्कूल अच्छी हालत में चलते हैं। उनका स्टैंडर्ड भी ऊंचा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार से कह कर आप प्रत्येक जिले और तहसील में एक एक ऐसा केन्द्रीय स्कूल खोलें।

प्रौढ़ विद्यालय चला करते थे। आपने उसको समाप्त कर दिया। प्रौढ़ शिक्षा से काफी फायदा था। किसान लोग काफी प्रौढ़ शिक्षा से फायदा उठा सकते हैं। आपका दिवालिया बजट है फिर भी आप यदि प्रौढ़ शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था कर सकें और उसको चालू रखें तो बहुत अच्छा है।

मिडिल स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूलों में छात्रावास हैं। वहां व्यवस्थापक रहता है। एक कर्मचारी दे दीजिये। आप प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल में छात्रावास खोलिये। नो लोस नो प्रोफिट पर शुरू कर दीजिये। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको छात्रावास के बिना बहुत ही परेशानियां होती हैं।

इसके अतिरिक्त खेल-कूद के सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा। स्कूलों में टूर्नामेंट्स आयोजित किये जाते हैं, खेल-कूद प्रतियोगितायें की जाती हैं। कई जगह न तो सामान रखने के स्थान हैं और न ही खेलने और बैठने के स्थान हैं। इस ओर उचित व्यवस्था की जाय। इस ओर मंत्री महोदय विशेष ध्यान देंगे। टूर्नामेंट्स में जो अच्छा प्रदर्शन करें उनको विभाग की ओर से कुछ न कुछ अवश्य ही प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

(**श्री मीठालाल मीणा**)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त, जयपुर के शिक्षा निदेशक महोदय का जो कार्यालय है वह पुराने पागल खाने में है। कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ बात बोल जाते हैं।

श्री चन्दनमल बंद : मैं मानता हूं आपका उसके लिये ज्यादा अधिकार है।

श्री मीठालाल मीणा : उसमें एक आध नया भवन बना कर या दूसरा बदल दें तो अच्छा है। भार्गव साहब का कहना है कि दरवाजा ही बदल दें। आप इसको दूसरी ही जगह ट्रान्सफर कर दें जिससे इसमें सुधार आ सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के बारे में कुछ एक बातें आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आपने घोषणा की थी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय आगे नहीं खोले जावेंगे लेकिन इन्टर कॉलेज खोले जावेंगे। 52 ऐसे कॉलेज खोले जावेंगे। लालसोट हायर सैकेन्डरी के बारे में, जो भी नेता लोग जाते हैं, मंत्री लोग जाते हैं यह घोषणा करके आते हैं कि अब हायर सैकेन्डरी नहीं खोल रहे हैं और इन्टर कॉलेज खोलने जा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि वहां मेहरबानी करके आप इन्टर कॉलेज खोलें।

उपाध्यक्ष महोदय, मिडिल स्कूल आपने खोले हैं उसके लिये तो धन्यवाद। लालसोट में मिडिल स्कूल और प्राईमरी स्कूलों में भवन की आवश्यकता है। इस ओर आप ध्यान दें और अधिक से अधिक खोलें।

टू टायर थ्री टायर सिस्टम चलाने के कई अर्से से विचार चल रहा है। जिलाधीश और तहसीलदार करदें जिससे प्रशासन पर जो बर्डन है वह कम हो। आपने अभी तक इस ओर निर्णय नहीं लिया है अतः इस ओर आप निर्णय शीघ्र लें।

भ्रष्टाचार के मामले में मैं निवेदन करूंगा कि सारे कार्यालयों में है। आज तो इसके लिये बात करना ही बेकार है। इसको यदि कम नहीं कर सकते हैं तो बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को तो कम से कम अवश्य रोकना पड़ेगा।

एक-एक माननीय मंत्रीजी के पास दो-दो तीन तीन बड़े बड़े विभाग हैं जिससे वे उनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकते हैं। या तो दस नम्बरी सरकार में ट्रान्सफर कर दीजिये और यदि इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दें। हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने यह कहा था कि शिक्षा विभाग को मैं देख नहीं सकता क्योंकि इसके मुतल्लिक बहुत काम है। या तो आप अलग से व्यवस्था करें और यदि आप नहीं देख सकते हैं तो आपको इसे करने का अधिकार भी नहीं है। इस सेशन में ही यह भी घोषणा हो जाय। मैं फिर दुबारा निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरतलाल।

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन दो विषय हैं। शिक्षा शिक्षा-शास्त्रियों का और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासकों का विषय है। लेकिन इस सदन के एक सदस्य की हैसियत से मैं इन दोनों ही

(श्री रामनारायण चौधरी)

विषयों के बारे में जन भावना का इजहार आपके माध्यम से यहां करना चाहता हूं।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से काफी कहा गया है। इन दिनों तो हम सब ही जगह से, बड़े-बड़े व्यक्तियों से, अधिकारियों से, शिक्षा के बारे में सुन रहे हैं कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये लेकिन कहीं से भी प्रशासकों की ओर से, शिक्षा शास्त्रियों की ओर से, विधायकों और सांसदों की ओर से, कहीं से भी यह सुनने को नहीं मिल रहा है कि आमूलचूल परिवर्तन करने के लिये उनके पास क्या फार्मूला है। यह अमूलचूल परिवर्तन एक तकिया कलाम शब्द आज भारतवर्ष में हो गया है। मैं समझता हूं कि यह देश के लिये बड़ा खतरनाक नारा है कि आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये। जिस विषय में हमारी जानकारी न हो उस विषय में हम कहते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये। यदि हम कहते हैं तो हमको साथ में बताना भी चाहिये कि ऐसे आमूलचूल परिवर्तन होता है। यह नेगेटिव प्रोपोजिशन समाज और देश के लिये अच्छा नहीं है जिससे मायूसी फैलती है। जो राष्ट्र तरक्की कर रहा है उसमें इस प्रकार निराशाजनक भावना पैदा होती है जो खतरनाक है।

अब मान्यवर, इस सदन में मैंने गत वर्ष भी कहा था और उसको पुनः दोहराता हूं। रोजमर्रा के जो प्रश्न आपके सामने आते हैं कभी आदर्श विद्या मंदिर का मामला आ रहा है कहीं दूसरे मंदिर का मामला आ रहा है उसका एक ही सुधार है और वह यह है, मान्यवर, क राज्य सरकार को एक फेज्ड प्रोग्राम बना कर सारी निजी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने की नीति की सदन में घोषणा करनी चाहिये जिससे तमाम बुराइयां जो शिक्षा क्षेत्र में फैलायी जा रही हैं और प्रदेश में प्रकट हो रही हैं, हम और आप देख रहे हैं और आपके और हमारे सामने हैं उसका और कोई इलाज नहीं है। मैं नहीं कहता कि अपनी एक कलम के झटके से प्राइमरी से कालेज तक की एजूकेशन का राष्ट्रीयकरण करें। आप हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं।

इसमें खर्च का कोई प्रश्न नहीं है। जहां शिक्षा के द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है तो इसमें रुपया बीच में नहीं आता। राष्ट्र के उत्थान के लिये ही सारा पैसा होता है। पैसा यहां महत्व नहीं रखता। पैसा यहां गौण हो जाता है। तो मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें। मुझे खुशी है कि शिक्षा की तरफ चालू बजट में ध्यान दिया गया है। काफी तादाद में 1,500 मिडिल स्कूल और एक हजार प्राइमरी स्कूलें खुली हैं, जो राजस्थान के अबतक के इतिहास में कभी नहीं खुलीं एक साथ। मैं इसे शिक्षा का सत्र मानता हूं। यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप अकेला यही काम कर लीजिये तो इतिहास बना देंगे कि राजस्थान में हायर सैकेन्डरी तक की तमाम संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। पड़ोसी प्रदेशों में ऐसा हुआ है, आप इसमें संकोच न करें। साहस से काम लेंगे तो यह देश के लिये एक बड़ा काम कर जावेंगे।

दूसरी बात मैं अपने क्षेत्र में जन भावनाओं को सुनता हूं तो यह पाता हूं कि हमारे प्रदेश में दो तरह की शिक्षाएं चल रही हैं। एक सामान्य स्कूलों के द्वारा, जिनको राज चलाती है और राज से एड लेकर कुछ दूसरी शिक्षण संस्थाएं चलाती हैं। दूसरी

(श्री रामनारायण चौधरी)

वह जो पब्लिक स्कूल और मिशन ईसाई मिशनरी स्कूलों द्वारा चल रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि दूसरे प्रकार की शिक्षा क्यों चलें। यह अच्छी है तो जरूर चलाई जानी चाहियें। इसे प्रोत्साहन मिलना चाहिये। यही नहीं समाजवादी देश में अगर यह अच्छी शिक्षा गिनी जाती है तो हर बच्चे को यह शिक्षा मिलनी चाहिये और मुफ्त मिलनी चाहिये। साधनहीनों को भी मिलनी चाहिये। यह नहीं हो कि जिनके पास अच्छे साधन हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वे ही इनमें पढ़ें। पर आज दोनों में आकाश पाताल का अन्तर है। यह अन्तर हमें तोड़ना है और हर कीमत पर तोड़ना है। तभी समाजवादी कहलाना हमारा सार्थक होगा। अन्यथा नहीं। इस शिक्षा की व्यवस्था सरकार को सबके लिये करनी चाहिये। हर जिले में एक पब्लिक स्कूल हो जिसका संचालन सरकार करे और उनमें वे बच्चे भरती हों, जो दूर देहातों से आते हों और प्रतिभाशाली हों पर जो साधनहीन हैं, गरीब हैं खाने पीने तक के साधन जिनके पास नहीं हैं। अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो यह अभाव, सरकार को चाहिये कि उसको खटकना नहीं देना चाहिये, इस अभाव के बिना पर वह इस शिक्षा से वंचित न हों, यह सरकार को देखना चाहिये। जो इन्कम टैक्स नहीं देते और जो साधन सम्पन्न नहीं हैं उनके बच्चों को इन स्कूलों में मौका मिलना चाहिये और इसका सारा खर्चा जो इन पब्लिक स्कूलों में हो वह सरकार को वहन करना चाहिये।

वरना उपाध्यक्ष महोदय, क्या होगा, जो आज प्रशासन में बैठे हैं, जिनके हाथ में आज सारा प्रशासन है और जो नेता वर्ग है, सेठ है ठेकेदार हैं, साधन सम्पन्न हैं, राजा हैं, जागीरदार हैं, वे इस प्रशासन पर इन पब्लिक स्कूलों के बल पर जमे हुए हैं और जमे रहेंगे क्योंकि आज मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि 99 पर्सेन्ट इनमें से वे ही लोग हैं जो इन स्कूलों में से पढ़कर निकले हैं और प्रशासन पर कब्जा जमा लिया है। अब चाहे उनको जनता मत न दे, चुनाव में उनको खड़े होने की जरूरत नहीं, खड़े हों तो जनता परास्त कर दे उनको, पर इन पब्लिक स्कूलों के माध्यम से वे सिविल प्रशासन में जमे रहेंगे। आप कितनी ही फिर समाजवाद की बातें करें। आप कभी भी समाजवाद नहीं ला पावेंगे, जबतक कि जड़ में बैठे हुए इन पुरातनवादियों को इस प्रशासन से धकेल कर बाहर न कर देंगे। हम भाषण दे देंगे जनता के वोट हासिल कर लेंगे और सब कुछ प्रतिभा के काम कर लेंगे पर जिले के एस० पी० नहीं हो सकेंगे, जिलाधीश नहीं बन सकेंगे। प्रशासन में सिविल अधिकारी नहीं हो सकेंगे जबतक इन पब्लिक स्कूलों में जाकर वहां की शिक्षा नहीं लेंगे। आज सामान्य स्कूलों में पढ़े बालक इनके आगे कम्पीटीशन में नहीं ठहर सकते आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आर० ए० एस०, आर० पी० एस० आदि ये जितनी परीक्षाएं हैं इनमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आज प्रशासनिक सेवाओं में यही क्रम चला आ रहा है। जो आज इस में बैठे हैं उन्हीं के लड़के बच्चे इसमें आते हैं। इनके अलावा साधारण लोगों में से जो 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन है शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों को छोड़कर मैं सोचता हूं मुश्किल से एक पर्सेन्ट भी नहीं आ पाते। जो वीकर सैक्शन आफ सोसायटी है विलेज आर्टिजन हैं जो काफी प्रतिभाशाली भी हैं, पर फिर भी चूंकि साधनहीन हैं। इसलिये वे इस प्रशासन में आ नहीं पाते।

(श्री रामनारायण चौधरी)

यह एक विशियस सर्किल बन गया है। इस विशियस सर्किल को अगर हमें समाजवाद देश में लाना है तो लाजिमी तौर पर तोड़ना होगा। मैं पूछता हूं कि इस 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन को छोड़ कर बाकी के 85 पर्सेन्ट वीकर सैक्शन आफ दी सोसायटी के कितने लोग आपके प्रशासन में हैं ? अथवा कितनों की आने की सम्भावना है ? लिस्ट निकाल कर देख लीजिये।

यहां तक कि देहात के पढ़े लिखे लड़के छोटी मोटी सर्विस में भी नहीं आ सकते। आपने टाइप का प्रतिबन्ध उन पर और लगा दिया है। देहात के पढ़े लिखे होने पर भी उनको टाइप नहीं आता क्योंकि गांवों में टाइप सीखने के साधन नहीं मिलते और चूंकि शहर वालों को मिल जाते हैं तो वे आगे आ जाते हैं ये पिछड़ जाते हैं इस में भी। क्लर्क की नौकरी भी उनको भारी पड़ जाती है। आज तो वे हर तरफ से वंचित हो गये हैं। इसलिये निवेदन करता हूं कि आप इन पब्लिक स्कूलों को और ईसाई मिशन स्कूलों को रखें या न रखें आपकी मर्जी है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं। पर गरीब का लड़का जो प्रतिभाशाली है, अमीर और अधिकारी के लड़के से किसी भी बात में कम नहीं है प्रतिभा के मामले में, पर साधन हीन है उसको अवसर मिलना चाहिए। साधनहीन होने के कारण वह प्रशासन में आने से और उसकी प्रतिभा का लाभ लेने से सरकार वंचित रह जाय यह बात आज के समाजवादी समाज में सहन नहीं की जायगी। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आपको इसके लिये काम चलाऊ कोई फार्मूला भी जब तक आप ठोस और स्थायी योजना ऐसी न बनावें तब तक निकालना होगा कि इतने पर्सेन्ट लड़के जो गरीब हैं इन्कम टैक्स नहीं देते जिनके माता-पिता जो वीकर सैक्शन आफ सोसायटी में से हैं इन पब्लिक और मिशनरी स्कूलों में इन स्कूलों के अधिकारियों और संचालकों को लेना लाजिमी होगा। अलावा उन शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के 28 पर्सेन्ट लड़कों के। यह अहम प्रश्न है। जो हमें रात दिन एजीटेट करते रहते हैं। ऐसे बच्चों का भार वे ही वहन करेंगे।

दूसरी बात मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा में निःसन्देह काफी वृद्धि हुई है लेकिन राजकीय कॉलेज और महाविद्यालय हर जिले में अनिवार्य रूप से हैडक्वार्टर पर सरकार अपनी तरफ से खोले। इसमें झुंझुनू जैसा शायद ही दूसरा अनफोरचूनेट जिला होगा जहां सरकारी कॉलेज न हो। मेरे झुंझुनू जिले में न तो जिला हैड क्वार्टर पर कोई सरकारी कॉलेज है न कहीं आस पास है। मेरे जिले की यह समस्या है।

श्री फूलचन्द जैन : है तो सही आपके जिले में हैडक्वार्टर पर कॉलेज....

श्री रामनारायण चौधरी : वह सेठों का है। इसमें बड़े झगड़े हैं एडमिशन वगैरह के जो रात दिन चलते रहते हैं। सेठ इन को अपनी घर की बपौती समझते हैं। मनमाने तरीके से सिफारिशों पर यहां भरती होती है। आज यहां की जनता इन सेठों से और इनकी संस्थाओं से उकता चुकी है। आज लोग जाना पसन्द नहीं करते इनकी संस्थाओं में। देहात के लड़कों को इन सेठों की स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि चुनावों

(श्री रामनारायण चौधरी)

में इन सेठों की इच्छा के अनुसार लोगों ने वोट नहीं दिये। हकीकत है यह। इसी कारण लोगों को भी इनसे नफरत हो गई है। आप कहीं भी जाइये उधर। सब जगह यही जन मानस आपको मिलेगा।

मान्यवर, आप देखेंगे कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में इन्दिरा गांधी की नीतियों का तहे दिल से समर्थन दिया और पूरी पूरी विजय भी दी एक भी सेठ साहूकार को उधर से आने नहीं दिया क्या उन इलाकों के लोगों से क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि वे लोग एडमिशन के लिये इन सेठों के सामने हाथ पसार कर भीख मांगेंगे। कदापि नहीं मागेंगे। स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ हो जाय। यही कारण है कि आस पास के इलाके के लड़के नीम का थाना, झुंझुनू आदि से जयपुर जाना अधिक पसन्द करते हैं, चूरू, सीकर चले जावेंगे पर इन सेठों की संस्थाओं में एडमिशन लेना पसन्द नहीं करेंगे।

इसलिये निवेदन करूंगा कि आने वाले सत्र से आप झुंझुनू जिले के लिये एक कॉलेज खोलने की व्यवस्था करें। इसके लिये यह कहने की मुझे आवश्यकता नहीं कि उपयुक्त स्थान कौनसा होगा? जिला हैड-क्वार्टर ही उपयुक्त स्थान हो सकता है। आप कह सकते हैं कि वहां आलरेडी सेठों का कॉलेज है। पर वह कैसा है, उसके फंक्शन्स देखिये आप। कॉमर्स कॉलेज रहा फिर वह। तो इससे क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माइक का प्रयोग तो रखियेगा आप?

श्री रामनारायण चौधरी : तो मैं सदन से निवेदन करूंगा सरकार से भी करूंगा कि यह हमारे लिये एक अहम् मसला है। इस तरफ आप ध्यान दीजिये। दूसरा यह है कि हमारे जिले में पंचायत समितियां हैं। पंचायतें हैं उनकी संख्या 232 हैं। उनकी स्कूलें हैं। यही नहीं सारे राजस्थान में इनमें लगभग पांच करोड़ के आसपास बकाया है तनखा वेतन आदि का। मैंने डेवलपमेंट के बजट के वक्त यह प्रश्न भी उठाया था। तो सरकार को इन पंचायत समितियों की बकाया से छुटकारा दिलाया जावे। इनकी बकाया पूरी हो जावे, ऐसा कुछ करना चाहिये।

दूसरे झुंझुनू जिले में इन्सपैक्टर आफ स्कूल्स के टी. ए., डी. ए. के बारे में निवेदन करूंगा और तीसरा निवेदन झुंझुनू 10 लाख की आबादी का है। विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां वहां चलती हैं। सोशियल वैल-फेयर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं। इसके कारण मान्यवर, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा सोल्जर्स उस जिले में हुये हैं। सबसे ज्यादा वहां रिटायर्ड पर्सनल्स हैं। मान्यवर, मैं आपकी जानकारी और सदन की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं झुंझुनू जिले के लोगों इन्डो-पाक युद्ध के अन्दर सबसे अधिक शहीद हुये हैं जो पूरे सम्पूर्ण राजस्थान में नहीं हुये उससे तिगुनी और चौगुनी अकेले हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुई है। हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया है। उनकी एक्टि-विटी इस मायने में बहुत ज्यादा है और इस कारण कलेक्टर पर ज्यादा जिम्मेदारी है। 10 लाख की आबादी का जिला है। मैंने सामान्य प्रशासन के संबंध में एक कटौती प्रस्ताव रखा है।

जिले की बढ़ती हुई स्थिति को देखकर एक एडीशनल कलेक्टर का पद दिया जाना चाहिये। दूसरी मेरी कान्सटीट्यूएन्सी को

Page No 155

(श्री रामनारायण चौधरी)

महत्वपूर्ण मसला है। मेरी कान्स्टीट्युएन्सी में एक भी राज्य का हायर सकेण्डरी स्कूल नहीं है। वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय ने यहां हायर सैकेण्डरी स्कूल को अप-ग्रेड करा दिया। यह प्राइवेट संस्था द्वारा ही चल रहा है, जिसके अनुदान का मामला है। मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था मान्यता इस समय दे दी जाय और अनुदान का मामला बाद में तय कर दिया जायगा। मैं निवेदन करूंगा उस स्कूल की आर्थिक स्थिति खराब है। मैनेजमेंट वाले चाहते थे वह अप-ग्रेड न हो। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय से बात होने के बाद अप-ग्रेड किया गया है। मैं निवेदन करूंगा इस स्कूल के अनुदान के संबंध में विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : इसके बाद मेरे कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं पांच मिनिट बोलूंगा नाथू भाई। बाद में बोल लेना...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम : हम चेयर से न्याय चाहते हैं। जो मेरे कटौती के प्रस्ताव है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हम भी जाना चाहते हैं, हमें भी बोलने का मौका दे दें...

श्री चन्दनमल बैद : इसका मतलब आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो क्रम है कटौती प्रस्ताव के मैं उसी क्रम से चल रहा हूं।

श्री नाथूराम : सूची में 83वां मेरा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : जो सदन की मेज पर क्रम है मैं उसी से चलूंगा।

श्री नाथूराम : वह सूची किसके द्वारा तैयार की गई है। 150-200 कटौती प्रस्ताव तक पहुंच गये और मेरे कटौती प्रस्ताव नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप तशरीफ रखिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा के बारे में कुछ कटौती प्रस्ताव दिये है और उसके संबंध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि.....

एक माननीय सदस्य : मेरे कटौती प्रस्ताव 48 नम्बर पर थे.....

श्री उपाध्यक्ष : 48 नम्बर पर श्री बद्री प्रसाद गुप्ता के कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री चन्दनमल बैद : लिस्ट दूसरी होगी।

श्री नाथूराम : यह सूची गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा मेरे पास सदन की मेज पर जो सूची है मैं उसी क्रम से चलूंगा।

श्री नाथूराम : हम न्याय चाहते हैं। यह गलत सूची आपके पास कैसे बनाई गई ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा विभाग के संबंध में कुछ कटौती प्रस्ताव दिये हैं और उसके संबंध में मैं निवेदन करूंगा–सर्व प्रथम तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बात के लिये मुबारकबाद देना चाहता हूं कि लक्ष्मी और सरस्वती

(श्री श्रीराम गोटेवाल)

दोनों का हाथ वे बड़े अच्छे ढंग से वहन कर रहे हैं। पिछले वर्ष उन्होंने एक हजार प्राइमरी स्कूलों को क्रमोन्नत किया था और एक हजार नये स्कूल खोले और लगभग 6 हजार शिक्षकों को कार्य पर लगाया और एक बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया। उपाध्यक्ष महोदय, आज ये अप्रोच पेपर मिला है, उस अप्रोच पेपर द्वारा उन्होंने 78 तक जितने बच्चे जो करीब 45 लाख के करीब हैं, प्रारम्भिक शिक्षा देने का संकल्प किया है। इसके लिये मुबारकबाद देना चाहता हूं लेकिन साथ ही यह निवेदन भी करना चाहता हूं जिस समय हमने संविधान का निर्माण किया था, हमने कहा प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में और 14 साल के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान संविधान में किया था और यह प्रावधान करके इस ब्यूरोक्रेसी को निर्देश दिया था कि वह क्रियान्वित करें, लेकिन मुझे खेद है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम असफल रहे। 6 हजार अध्यापकों के बारे में जो घोषणा की गई थी जितने ट्रेन्ड टीचर्स है और जो बेकार घूम रहे हैं उनको रोजगार दे दिया लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं लगभग 45 लाख बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा देनी है उसमें एक हजार शिक्षक चाहिये। उसके लिये आपने क्या व्यवस्था सोची।

अभी जो शिक्षकों का अभाव हुआ, आपने 1-2 एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल खोले लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अगर हम योजना बद्ध तरीके से आगे नहीं बढ़े तो निश्चित रूप से असफलता का सामना करना पड़ेगा। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा जिस प्रकार और प्रदेशों के अन्दर जहां पर यह माना है कि साक्षरता पहला कर्त्तव्य है और कुछ नहीं कर सके तो हमारे लोगों को साक्षर कर दें तो इसके लिये पार्टी के लोगों का भी उपयोग किया और जितनी ताकत हो सकती थी, उसका उपयोग किया। मैंने पढ़ा है रूस में सोये हुये बच्चों को जगा जगा कर कहा तुम्हें प्रारम्भिक शिक्षा देनी है। 36-36 घंटे तक सोये नहीं और बच्चों को बैठा कर पढ़ाया गया।

हमारे यहां गर्मियों की छुट्टी होती है। हमारे यहां अंग्रेजों के जमाने से यह चलती आ रही है। हम सब विधायक भी उसमें शामिल हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी उसमें शामिल हैं। हम सब उन गर्मियों की छुट्टियों में काम करते हैं। हमको इस प्रकार का कार्यक्रम बनाना चाहिये कम से कम प्रारम्भिक शिक्षा के लिये और साक्षरता अभियान को योजना बद्ध तरीके से करना चाहिये और उसमें हजारों लाखों ऊंची कक्षा के जो स्टूडेन्ट्स निकलते हैं उनका भी इस कार्य के लिये उपयोग करना चाहिये। अभी झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की बात कह रहे थे। वे बहुत ज्यादा जानते हैं, मैं जानता नहीं हूं और न अनाधिकार अपनी चेष्टा ही करूंगा। परसों कृषि मंत्री जी बहस का जबाब दे रहे थे तब एक बात कही जो हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स निकल आते हैं वे खेती का काम नहीं करना चाहते हैं, हाथ का काम करना कतई पसन्द नहीं करते है। हमको इस सारी बात को सोचना होगा। अगर हमारा सारा झुकाव सरकारी नौकरियों की तरफ गया तो यहां जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनकी तो पांच साल की म्योरिटी है और उन्हें 30 साल की गारन्टी दी है। जिस ढंग से उपयोग हो सके चाहे वे किसी दल

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

से संबंधित हो, चाहे जिस ढंग से बात करते है और जो कार्यक्रम बनाया, हमने जो लक्ष्य तय किया उसको प्राप्त करने में जो असफलता रही है उसका मुख्य कारण मैं यह मानकर चलता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, नौकरशाही केवल इस उद्देश्य से पांच बजे तक दफ्तर में बैठे रहना और उल्टे-सीधे काम करते रहना। हमने सवालों के समय में भी यह प्रश्न उठाया था आपने श्री टी. एन. चतुर्वेदी को 12,000 रुपये मेंटल शाक लगने के कारण दे दिये। इसी तरह एक और डायरेक्टर को दे दिये। किस किस के नाम को बताऊं, बहुत सारे नाम हैं। ये आपस में बैठकर सारे उन्ताले किये जाते हैं लेकिन जो असली बुनियादी उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में विफल रहते हैं।

हमारी इस पद्धति में शिक्षा के बारे में तो विद्वान लोग कहेंगे, मुझे जानकारी नहीं है लेकिन इतना अवश्य कहूंगा आज जो श्रम के प्रति नफरत हो रही है और श्रम से लगाव नहीं है उसको पैदा करने वाली बात को शिक्षा में जोड़ना चाहिये, इसको कम्पलसरी करना चाहिये वरना निरुद्देश्य से काम किया तो निश्चित रूप से हमारा सारा कार्यक्रम विफल हो जायगा।

एक बात और ग्रान्ट-इन-एड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान की सरकार इन निजी शिक्षण संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिये सन् 1963 में ग्रान्ट-इन-एड रूल्स बनाये थे इन रूल्स का कितना पालन हुआ, किस किस जगह पालन हुआ यह बात विभाग के सोचने की बात है लेकिन मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि जहां तक सरकार की तरफ से इनकी पालना की बात है उसमें कम्पलसरी किया गया क्योंकि उसमें इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स मेम्बर होगा और उसकी मौजूदगी में सारे फैसले होंगे। अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक शिक्षण संस्था के बारे में चर्चा की थी। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं किसी शिक्षण संस्था के बारे में कोई बात करता हूं लेकिन उस सत्य को मना नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1947 के अन्दर इस देश का विभाजन हुआ और साम्प्रदायिकता के आधार पर हुआ और आज भी अगर साम्प्रदायिकता के आधार पर शिक्षण संस्थायें चलती हैं, उन्होंने पढ़ कर सुनाया था डाक्टर हरि किशन जावा जो कि इस संस्था के संचालक है और इस शिक्षण संस्था के अध्यक्ष भी हैं, जिस व्यक्ति के नाम का बैंक अकाउन्ट बताया था श्री खेमचन्द जी और जो प्रिन्सिपल हैं उस आदर्श विद्या मन्दिर के उनके सरकुलर की पहली लाइन मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

सर्वप्रथम हमारे लिए आवश्यक है कि हम समझें कि हिन्दुस्तान अपना देश है और वह इसलिए है कि इस पर लाखों वर्षों से जीवन हिन्दू समाज ने या हमारे पूर्वजों ने व्यतीत किया है और अपने जीवन के प्रभाव से यहां हजारों तीर्थ स्थानों का, मन्दिरों का निर्माण किया है, यहां की मिट्टी को पवित्र माना है, और भारत भूमि को इतना पवित्र माना है कि यदि किसी को मोक्ष लेना है तो उसका भारत में जन्म लेना अनिवार्य है। यहां के पहाड़ों और नदियों को भी पुण्य प्राप्ति का साधन मान लिया गया है। इस प्रकार से हिन्दुस्तान अपना देश है, राष्ट्र है, यह भारत माता है। इसका इस प्रकार से पवित्र माता के रूप में मानने वाले हम हिन्दू ही हैं और इसलिए हम ही

(श्री श्रीराम गोटेवाल)

इसके पुत्र के नाते इसके प्रति उत्तरदायी हैं। यह शुरूआत है और उसके बाद में सारा भरा पड़ा है। जिस साम्प्रदायिकता की वजह से देश के टुकड़े हुए और देश के लाखों नर नारी चाहे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिक्ख हों, चाहे ईसाई हों और जिनका खून इस पवित्र धरती पर बहा, इस साम्प्रदायिकता की वजह से और आज हमारे सरकार के खर्चे से अगर साम्प्रदायिकता पलती है तो हमारे लिए इससे बढ़कर और ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती।

हमने जब इस बारे में आवाज उठाई, इसकी ग्रान्ट-इन-एड दो तीन दफा बन्द की गयी और उसमें ऐसा लेकुना रखते हैं कि जिससे ग्रान्ट-इन-ऐड पुनः चालू हो। रूल्स में कहा गया है कि जिसकी ग्रान्ट-इन-एड बन्द करते है तो उसके लिए आपको शो काज नोटिस देना होगा लेकिन वह खाना पूर्ति नहीं की और उपाध्यक्ष महोदय मैं आरोप लगाता हूं कि यह सांठगांठ का परिणाम है, षड़यंत्र का परिणाम है कि हमारी ब्यूरोक्रेटिक सेट-अप के कुछ लोग और हम लोग जो आज शासन करते हैं, जनता ने जिनको शासन करने का अधिकार दिया है और जनता ने कांग्रेस की नीतियों में आस्था प्रकट करके कार्यक्रम के रूप में और उसकी क्रियान्विति के रूप में कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताकर लाये हैं, वह संस्था में जाते भी नहीं हैं। जब शिक्षा मंत्री होते हैं तो उनको किसी न किसी बहाने से पकड़ कर ले जाते हैं। वहां का रिजल्ट भी अच्छा है मुझे उसके बारे में शिकायत नहीं हैं, वहां का अनुशासन अच्छा है यह भी मैं जानता हूं लेकिन मैं इस बात के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस आर० एस० एस० के ऊपर हम प्रतिबन्ध लगाते हैं, जिन शाखाओं के अन्दर भाग लेने के लिए हम सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं उस आर० एस० एस० का अगर खुला प्रशिक्षण होता है और जैसा कि अभी रामानन्द जी ने बताया था और सारे तथ्य देकर साबित किया था कि वहां पर छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाती है उसमें लिखा जाता है कि कितने दिन और कितनी बार शाखा को अटेण्ड किया। अध्यापकों के लिए कम्पलसरी था। तो मैं उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि और तो सारी बातें हो गयी, सारी बातों को मानता हूं लेकिन जो सबसे मुख्य बात है जिसने देश के टुकड़े करवाये और जिस साम्प्रदायिकता के खिलाफ हिन्दुस्तान अपनी आजादी के बाद लगातार कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ता आ रहा है और जिस पाकिस्तान ने साम्प्रदायिकता का सहारा लेकर अपने आपका निर्माण किया था उस पाकिस्तान के टुकड़े हो गये। आपने और मैंने सब ने उसको देखा है। यह धार्मिकता व्यक्ति के जीवन में अच्छी है लेकिन धार्मिकता का पुट अगर राजनीति में लगाया जाता है और केवल यह कहा जाता है कि हिन्दू ही इसके अधिकारी है तो क्षमा कीजिए कि आप उन्हीं पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, उन्हीं कदमों पर चलना चाहते हैं जिसके ऊपर चलने की वजह से देश का विभाजन हुआ और जिन्ना के अनुयायी कहने की बात भी मैं आपसे कर सकता हूं। मुझे इस बात की घोर आपत्ति है कि सरकारी खर्चे से यह शिक्षण संस्था चले। इसको 80 प्रतिशत अनुदान मिलता है। जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी प्रश्नोत्तर काल में और कहा था कि हमने उसका ग्रान्ट इन-एड रोक दी है उस समय भी मैंने कहा था कि आप ग्रान्ट-

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

इन-एड रोककर वहां के अभिभावकों के ऊपर अधिक भार मत बढ़ाइये क्योंकि वह तो फिर फीस बढ़ा देंगे। मैं तो यहां निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रान्ट-इन-एड रूल्स के अन्दर ही एक क्लाज है :

The Government after giving them a show cause notice may suspend the Governing body/Council or the Managing Committee and appoint an administrator to exercise control over the assets and to run the institution till a new Governing body/Council or the managing Committee is formed according to rules or the dispute is settled otherwise.

यह उसमें लिखा हुआ है और आगे चुनाव कैसे हो इस के ऊपर भी ग्रान्ट-इन-एड रूल्स में लिखा हुआ है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं और आज शिक्षा मंत्री जी से इसका आश्वासन सदन के अन्दर चाहता हूं कि वह घोषणा करें क्योंकि क्वेश्चन अवर में कहा था कि उसके लिए शो काज नोटिस देना पड़ता है और श्रीमती जोशी से जांच करवाई है और वह भी रखने की बात कही थी, मुझे पता नहीं कि वह सदन की टेबल पर रखेंगे या नहीं लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा।

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय जब तक आज की मांगें पास न हो जायें तब तक के लिए बढ़ा दिया जावे।

(सदन की अनुमति से सदन का समय बढ़ाया गया)

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो मैं निवेदन कर रहा था कि वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जाये।

मैं यह भी जानता हूं कि शिक्षा मंत्री जी और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जो कि साम्प्रदायिकता के कट्टर शत्रु हैं और जो स्वयं जानते है कि यह साम्प्रदायिकता इस देश का नाश कर देगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

4 मिनट में खतम कर दूंगा।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर की घोषणा की जावे ...

श्री उपाध्यक्ष : इस पर तो आप काफी कह चुके हैं। जल्दी समाप्त करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक बात कह कर समाप्त करता हूं। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो केटेग-राइजेशन के संबंध में मैंने एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न के उत्तर में सूची दी गयी थी और केटेगराइजेशन का जो तरीका बताया गया था मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जिनका 80 परसेन्ट परिणाम है उनको 50 परसेन्ट अनुदान और जो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बीस बीस साल से शिक्षण संस्थायें चल रही हैं उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। वह लगातार बीस बीस वर्षों से मान्यता के लिए निवेदन कर रही हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन ग्रान्ट-इन-एड रूल्स को फोलो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
करवाया जाये और कम से कम उस शिक्षण संस्था के बारे में जिसके ऊपर साम्प्रदायिकता के कई बार आरोप प्रमाणित हो चुके हैं उसके अन्दर तुरन्त एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : यह तो दोनों एक थे।

(व्यवधान – अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटवाला : जोधपुर के इश्यू पर अलग हैं।

(व्यवधान – अश्रव्य)

श्री मोहन लाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक तफसील में नहीं जाकर शिक्षा विभाग का जो प्रगति विवरण आया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों की भावना की कदर करते हुए आप जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री मोहन लाल छंगाणी : तफसील में नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं यह मानकर चलता हूं कि जो आंकड़े आते हैं कि एनरोलमेंट कितना होता है और लिट्रेसी कितनी बढ़ गई, उसके बारे में एक बात बताता हूं। इस एनरोलमेंट और लिट्रेसी के बारे में गोनारमोडल जैसे महान चिंतक को भी कहना पड़ा कि ये सब आंकड़े झूठे होते हैं। क्योंकि एनरोलमेंट किस तरह से होता है और कितनी लिट्रेसी बढ़ती है इसके आंकड़े वास्तविकता से मेल नहीं खाते। इसलिए उसको भी इसका माप-दण्ड बदलना पड़ा आशय और केलकुलेशन के लिए, एनरोलमेंट और लिट्रेसी के माप-दण्ड के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, नए मापदण्ड और नए तरीके क्या हैं मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। लेकिन मूल प्रश्न पर आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार हम इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करके नफे नुकसान का लेखा जोखा करके हिसाब लगाते हैं उस प्रकार का हिसाब किताब कम से कम एजूकेशन में नहीं लगाया जाय। थोड़े दिन पहले मैंने एक नोट लिखा कि आज की एजूकेशन पद्धति का इम्पेक्ट शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब और वनरेबल सेक्शन पर कितना पड़ता है उसका अन्दाजा लगाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में मिस्टर जे० पी० नायक जो काफी बड़े एजूकेशनिस्ट हैं और जो एजूकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट बनी थी उसमें भी वे मेम्बर थे। उन्होंने यह लिखा :

'Largest beneficiaries of our system of education are in the urban areas..........

This benefit haves more than the have nots.'

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस ढंग के परिणाम आते हैं, मैं जाता हूं गांवों में तो पता चलता है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एनरोलमेंट के बारे में जो यहां आंकड़े दिए जाते हैं वह वहां पर पाई भर भी सत्य नहीं उतरते। हमारे लिए प्रश्न यह नहीं है कि हमने स्कूलें कितनी खोली, हमारे लिए

Page No 161

(श्री मोहन लाल सुखाड़िया)

प्रश्न यह भी नहीं है कि एनरोलमेंट कितना हुआ, प्रश्न यह है कि वनरेबल सेक्शन, गर्ल्स, जो पिछड़ी जाति और जन जाति के लोग हैं उनको आप पढ़ाई के अन्दर कितना हिस्सेदार बना चुके हैं, यह पहला प्रश्न है। अगर इस वास्तविकता को हम अच्छी तरह से समझ नहीं पायेंगे और उसके अनुसार कार्य नहीं कर पायेंगे तो मेरे खयाल से एजूकेशन में जो हम प्रयत्न कर रहे हैं वह सारा का सारा बेकार जाएगा और शहर के बच्चे, धनी लोगों के बच्चे, अफसरों के बच्चे पढ़ते रहेंगे, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के लोग इसका मुनाफा नहीं पा सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हम जब से यहां आए हैं तब से एक बहुत बड़ा प्रश्न प्राईवेट स्कूलों के बारे में उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं और मेरी निश्चित मान्यता है कि प्राईवेट स्कूलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। लेकिन वह राष्ट्रीयकरण इसलिए नहीं किया जाता कि जो एजूकेशन की नीति निर्धारण करने वाले हैं उनके लिए गैर बराबरी रखनी जरूरी है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण ऐसा है, इसलिए यह राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाता। फिर भी मैंने पिछली बार भी यह सजेशन दिया था कि अगर आप राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते तो कम से कम जो टीचर्स हैं प्राईवेट स्कूल्स के, उनको बैंक के जरिये तो तनख्वाह दिला दें। जिससे जो इसमें भ्रष्टाचार होता है जो मेनूपुलेशन्स होते हैं, जो गडबड़ घोटाले होते है वे तो कम से कम बन्द हों वह भी सजेशन अभी तक नहीं माना गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका सबसे बड़ा कारण मैं मान कर चलता हूं, मैं एजूकेशन मिनिस्टर को दोषी नहीं मानता क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण की मुझे वाकफियत है। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें दो क्लासेज बताई हैं। एक एजूकेटेड और दूसरी सेमी एजूकेटेड। एजूकेटेड में वे लोग हैं और सेमी एजूकेटेड में आप और हम लोग हैं। उनका दृष्टिकोण कुछ भी हो, वे जो कहते हैं कि हम तो फ्री ली काम करते हैं किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। किसी के दबाव की बात के लिए एक नमूना पेश करूंगा। एक बार जब नारायणसिंह जी मसूदा मंत्री थे तो उन्होंने कोई फाईल मंगानी चाही। उस टीचर की फाईल तीन महीने तक लगातार लिखने के बाद भी उनके पास नहीं पहुंची। यह मैं उनके दृष्टिकोण का नमूना बता रहा हूं। हम यहां सदन में नीतियां बनायें, हमारी पार्टी नीति बनाये लेकिन वह नीति अमली रूप ले सकेगी यह सबसे बड़ा प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो पहला नोट लिखा वह इस प्रकार था .

You will go into the matter and see that the grievance is redressed.

वह था 18-4-72 का। इसके बाद 11-5-72 को जैसे साधारण आदमी रिमाइंडर देता है, उन्होंने भी रिमाण्डर दिया :

I shall be glad to hear from you soon and see that the grievance is redressed.

इसके बाद 16-6-72 को एक और नोट लिखते हैं जिसमें वे क्या कहते हैं, सुनिए :-

I had desired comments in the matter and I am at least entitled to receive such information.

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

इस तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, एटलिस्ट एण्टाइटल्ड ट रिसिव इ फोर्मेशन - इस तरह से उनको लिखना पड़ता है तब एज्युकेशन कमिश्नर सोचते हैं कि इनके पास फाईल भेजी जाय। मेरा उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना है और खास तौर से शिक्षा मंत्री से कि यह जो भिति और दीवार एजूकेशन कमिश्नर की है, उस भिति और दीवार को, माननीय चन्दनमलजी तेज हैं, तर्रार हैं, जोश भी हैं नीतियों के प्रति कमिटमेंट भी है। वे इस दीवार को कितना तोड़ पायेंगे, वे काम निकालना जानते हैं तो काम निकाल लेंगे, लेकिन जो स्थिति है वह मैंने आपके सामने रखी है। शिक्षा के मामले में भी सबसे ज्यादा आमूल चूल परिवर्तन की आज कितनी आवश्यकता है, यह देखना है।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा का ऐसा आदर्श विद्या मंदिर का केस है। आदर्श विद्या मंदिर के बारे में काफी लोग बोल चुके हैं। मैं तो संक्षेप में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आदर्श विद्या मंदिर निश्चित तौर से आर० एस० एस० और जनसंघ का अड्डा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गलत।

श्री मोहनलाल छंगाणी : और गिरधारीलालजी भार्गव को ही खास तौर से कह रहा हूं और इसके बारे में हम प्रमाण-पत्र पेश कर चुके हैं। वह शाखाएें लगती हैं और यहां तक कि बच्चों की डायरी भरी जाती है और वे शाखा में नियमित रूप से जाते हैं इसका प्रमाण पत्र पेश करना पड़ता है। और भी घोटाले हैं। मेरा प्रश्न था उस दिन घोटालों के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, हम इलाज चाहते हैं मलेरिया का और दवा वैदिक को दे देते हैं हैडमास्टर के खिलाफ जो हमारे चार्जेज थे उस चार्जेज के हिसाब से हैड मास्टर के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी और ऐड बन्द नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि हमारे रूल्स में प्रावधान है कि हमें शो काज....

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन से एक सूचना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि हाई कोर्ट में रिट दायर हुई है उन लोगों की तरफ से जिनको हाउस ने सजा दी है तीन दिन की और उस सिलसिले में हाई कोर्ट द्वारा गवर्नमेंट एडवोकेट को कहा गया है कि साहब तुम हाउस का रिकार्ड सबमिट करो और अभी जानकारी मिली है कि गवर्नमेंट एडवोकेट यहां आए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह हाउस की सोवरनिटि का प्रश्न है कि हम ज्यूडिशियरी को अपना रिकार्ड सबमिट करें। इस बारे में कांस्टीट्यूशनल क्या स्थिति है, क्या हम रिकार्ड सबमिट करने के लिए बाउण्ड है या क्या स्थिति है। क्या गवर्नमेंट एडवोकेट रिकार्ड मांगने आए हैं या क्या स्थिति है सदन को आप अवगत करावें।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में तो अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जानकारी मैं दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जानकारी दे रहे हैं तो अभी इस सम्बन्ध में एक घण्टे के बाद में कार्यालय से जो कुछ भी जानकारी है वह प्राप्त कर सदन को सूचना दे दी जाएगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस सम्बन्ध में तो सदन ही निर्णय कर सकता है कि रिकार्ड भेज दिया जाय या नहं । यह हाउस सोवरन है और हाउस की सोवरनिटि के बारे में हम ही डिसिजन कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि मैंने जैसा आपको कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि रिकार्ड भेजा जा रहा है या क्या किया जा रहा है । कार्यालय से मालूम करके सदन के सम्मुख स्थिति प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जेल में अच्छा व्यवहार नहीं होने के कारण उन्होंने · ·

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिए ।

श्री भानुकुमार शास्त्री: ····· कल से भूख हड़ताल कर रखी है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, आदर्श विद्या मंदिर के बारे में हम काफी लम्बे अर्से से बाते कह रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो भी कम्युनल विद्यालय हैं और जिन विद्यालयों के कारण कम्युनलिज्म पनपाया जा रहा है उन विद्यालयों के शिक्षा जैसे पवित्र स्थान से उनको हटाया जाय और न हटा सकें तो किसी तरह से भी उसको चलाने के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए । हमारा जो केस था वह केस यह था कि इस पर जल्दी से ल्दी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाय, नई मैनेजिंग कमेटी बना दी जाय ताकि बच्चों की शिक्षा का नुकसान न हो और अभिभावकों को चिन्ता न हो । यह एक्शन नहीं ले करके ग्राण्ट इन-एड बन्द की गई । ग्राण्ट-इन-एड के बारे में अभी जैसा माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि ग्राण्ट-इन-एड रूल्स के अनुसार बिना शो-कॉज नोटिस दिए एड बन्द नहीं कर सकते । इस बारे में मंत्री महोदय को भुलावे में रखा गया । इसलिए रखा गया है कि हमने गलत तरीके से ग्राण्ट बंद कर दी है । इसलिए वे हाई कोर्ट जाकर स्टे ले आयेंगे और सारा का सारा कार्य करा कराया है वह टाय टाय फिस हो जाएगा· · · ·

श्री गिरधारीलाल भार्गव : होगा ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हम यहां पर बैठे हैं कैसे हो जाएगा । निश्चित रूप से नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं इनके यहां पर जो केस है. एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का वह काफी मजबूत है । लीगली परमीसेबल है, लीगली सेंक्शन है । वहां की जो मैनेजिंग कमेटी है एक तो वह है जिसको सरकार जानती है जो मैनेजिंग रूल्स के तहत कि हमारी मैनेजिंग कमेटी के फलां फलां मेम्बर हैं । यह सूचना पिछले साल भी चाही गई थी परन्तु वह अभी तक नहीं आई है । परन्तु सूचना मैनेजिंग कमेटी की दी गई है, और वह सूचना जो आदर्श विद्या मंदिर की पुस्तिका में प्रकाशित की गई है उसमें अब यह विवरण दिया गया है कि यह हमारी कार्य समिति है । इस कार्यकारिणी समिति में उपाध्यक्ष महोदय 6 मेम्बर ऐसे हैं, जिनके नाम मैं यहां पर बतला देना चाहता हूं - देवेन्द्र भटनागर, सुरेशचन्द्र माथुर, रामजीलाल वकील, जगन्नाथ उपाध्याय, धर्म प्रकाश, द्वारका प्रसाद पारोदिया ये छः मेम्बर हैं, जो सरकार के पास सूची है, उनमें इनके नाम दर्ज हैं और जो एक्चुअल सूची प्रकाशित की गई है उनमें दस आदमी दूसरे हैं । इनके तीन साल से चुनाव नहीं हुए हैं । एक साल और गुजर गया है । इस ढंग से स्कूल चलता है । जो घपला वहां पर हो रहा है, उस पर यह केस है । साम्प्रदायिक है या नहीं यह दूसरी

(श्री मोहन लाल छंगाणी)

बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र इस पर कदम उठाया जाए और शो काज नोटिस देकर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाना चाहिए। चूंकि मैं जल्दी में हूं और आज जाऊंगा इसलिए थोड़े संक्षेप में ही निवेदन कर देना चाहता हूं। दूसरा किस्सा है जिसको मैं कम्युनल एप्रोच एजूकेशन डिपार्टमेंट का मानता हूं, वह किस्सा है चांद मोहम्मद एडवोकेट का। चांद मोहम्मद के बारे में यहां पर कहा जा चुका है। यह ऐसा किस्सा है जो कि इलीजीबल होते हुए भी उसको हटाया गया है जानबूझकर। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। थोड़े ही में कहूंगा कि इस पर कोई न कोई सोच-विचार करके जल्दी से जल्दी कदम सरकार को उठाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनिट में जी० ए० डी० के बारे में बोल लेना चाहता हूं। इसके बारे में मैंने पिछली बार भी यहां पर प्रश्न उठाया था। एक का तो में नाम लेकर कहना चाहता हूं वह है मिस्टर रेना का केस। यह आई० पी० एस० है जिनको रेप के केस के अन्दर सस्पेन्ड किया गया था। यह प्राइमा फेसी केस था। सस्पेन्ड किया गया। ऐसे केस के प्रिसेडेन्ट मौजूद हैं, प्रेसीडेन्ट ऑफ इंडिया ने ऐस केसेज के अन्दर जिनको कि कोर्ट ने एग्जोनेरेट कर दिया था, हटवाया है। ऐसा ही केस मिस्टर रेना का है। यह कहा गया है कि आपकी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होगी - यह कह कर इनको वापिस रिइन्सटेट कर दिया गया है। दूसरा केस उपाध्यक्ष महोदय मिस्टर महेन्द्रसिंह के बारे में, यह शीघ्र ही सदन में आने वाला है इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूंगा हे बगैर से ये अभी धरातल पर नहीं उतरे हैं। यह सारा मामला यहां पर आएगा। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट इन सारे के सारे मामलों को कम्प्लीट करे। हम लगातार घोषणाएं करते जा रहे है कि भ्रष्टाचार को खतम करेंगे। इसलिए इस भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री मोहन राज।

(अनुपस्थित)

श्री नारायण सिंह चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री करणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बनवारीलाल।

श्री बनवारीलाल (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिन विषयों पर चर्चा हो रही है उनमें शिक्षा भी एक विषय है। यह काफी महत्वपूर्ण विषय है। जिस समाज का ढांचा हम तैयार करना चाहते हैं यह उसकी रीढ की हड्डी है। इसमें कहीं कमजोरी वाली बात होगी तो वह हम सब लोगों के लिए काफी दुखदायी बात होगी। इस सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो शिक्षा इस समय हमारे देश, प्रदेश में दी जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। इसके अंदर कहीं कुछ इस किस्म की कमी है जिससे कि बहुत अच्छे रिजल्टस् नहीं आ रहे हैं। आज से बीस,

(श्री बनवारीलाल)

पच्चीस साल पहले जो मैट्रिक पास करता था उसको लोग यह समझते थे कि यह काबिल आदमी है, पढ़ा लिखा है। उसके मुकाबले आज के ग्रेजुएट को देख लीजिए अंग्रेजी तो क्या हिन्दी में भी अच्छी तरह से दरख्वास्त नहीं लिख सकता। इस तरह आज क्वान्टीटी बढ़ती जा रही है लेकिन क्वालिटी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। यह डे बाय डे गिरती ही जा रही है। यह दिन दूर नहीं जब ग्रेजुएट अपनी दरख्वास्त लिखवाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के पास जाएगा। यह बड़ी शोचनीय स्थिति है। इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए कि इस कमी को किस तरह से दूर किया जा सकता है। इसके अन्दर जो मुख्य बातें हैं लेकिन अपनी तरफ से मैं मानता हूं, शिक्षाविद तो बहुत-सारी बातें कहते हैं, इनकी बुनियाद में कमजोरी है। ये खुद अपने आप में कमजोर है और इसी प्रकार की व्यवस्था हमारी शिक्षा में चल रही है। यह हमारे लिए दुःखदायी है और इससे ढांचा खराब होता जा रहा है। इसलिए सरकार के शिक्षा विभाग को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस कमजोरी को किस तरह से निकालना है।

एक बात इसी संदर्भ में उपाध्यक्ष महोदय और निवेदन करना चाहता हूं। पढ़ने-लिखने के बाद यह आशा की जाती है कि वह सुसंस्कृत होगा। ऐसे पढ़े लिखे लोगों के बारे में मान्यता होती है। लेकिन आज के हिसाब किताब को देखते हैं, तो आए दिन आन्दोलन होते रहते हैं और इनमें जो कार्यवाहियां होती हैं वे खेदजनक होती हैं। इसके लिए भी हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते हैं। हमारे टीचर्स का कन्ट्रोल नहीं है या फिर हमारे एजुकेशन में कोई गड़बड़ी है या बच्चों के अभिभावकों द्वारा उनको संभालने में गड़बड़ी है। आप देखेंगे कि जो शिक्षा दी जा रही है उसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके अन्दर सभ्यता, शिष्टाचार और आदर्श की बात उनके सामने रखी जाती हो। इस प्रकार के एक सब्जेक्ट की कमी महसूस की जाती है। जिस प्रकार पहले धर्म शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। वह आज के युग में फिट नहीं बैठती है तो ऐसा कोई सब्जेक्ट ठूंस देना चाहिए जिसके हिसाब से विद्यार्थी का एक करेक्टर बन कर हमारे सामने आता हो और जिससे समाज को भी लाभ हो और उनका अपना चरित्र भी बने। यह शिक्षा के बारे में सामान्य रूप से मैंने बात कही है। जहां तक मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं उसके संदर्भ से मैं निवेदन करना चाहता हूं। टोंक जिला काफी बड़ा जिला है। परन्तु उसके अंदर एक ही डिग्री कॉलेज है और वह है टोंक प्रोपर में। इसके अलावा देवली के अन्दर डोनेशन से एक बिल्डिंग अर्से दराज से बनी हुई है और सरकार की तरफ से इसके लिए पहले भी आश्वासन दिया गया था लेकिन आज तक इस पर विचार नहीं किया गया है। यह अफसोस की बात है। जहां तक हमारे निवाई क्षेत्र का संबंध है उस कस्बे में हायर सेकण्डरी स्कूल काफी पहले से है। बहुत पुराना स्कूल है और 900 के करीब वहां छात्र हैं एक शिफ्ट के अन्दर। वहां के जो विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहते हैं उनको जयपुर जाना पड़ता है या टोंक के लिए जाना पड़ता है या दूसरी जगह जाना पड़ता है। ग्रेजुएशन तक की शिक्षा उनको वहां पर ही देना चाहिए। उनको अपने घर में उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए। तो निवाई एक ऐसी जगह है जहां इस बात की आवश्यकता जरूर है कि वहां पर डिग्री कॉलेज की स्थापना

(श्री बनवारीलाल)

होनी चाहिए। देवली और निवाई दोनों जगह ऐसी हैं जहां बड़ी आवश्यकता है डिग्री कॉलेज की। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी इन दोनों जगहों के लिए गम्भीरता से विचार करके यहां पर डिग्री कॉलेज खुलवाने की कृपा करेंगे।

लास्ट ईयर से हम लोग यह निवेदन कर रहे हैं कि हायर सेकण्डरी स्कूल निवाई में केवल एक ही है और वह बहुत नाकाफी है। इसके लिए हमने दो-तीन जगहों के लिए निवेदन किया था। लास्ट ईयर ऐसी बात बतलाई थी कि हायर सेकण्डरी स्कूल नहीं खुलेंगे और शायद इस साल भी कोई प्रोवीजन नहीं रखा है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा था कि जो मिडिल स्कूल और सेकेण्डरी स्कूल पहले से खुले हुए हैं उसके लिए भारत सरकार से ऐसा प्रबन्ध किया जाय ताकि वहां पर हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जा सकें तो काफी उपयुक्त हो। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : उपाध्यक्षजी, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देश के साथ-साथ हमारे प्रदेश के अन्दर भी शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति और प्रसार हुआ है। काफी मात्रा में गांव गांव तक शिक्षा पहुंच गई है, लेकिन इस विषय में यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्वालिटी एज्युकेशन की जो पद्धति होनी चाहिए उस रूप में शिक्षा की पद्धति का प्रसार नहीं हुआ है। केवल मात्र साक्षरता का प्रसार, गांवों के बच्चों को पढ़ना आ जाता है इसी उद्देश्य की पूर्ति आज तक हम कर पाये हैं। देश में हर जगह, हर वर्ष इस बात की चर्चा होती है कि आखिर देश के अन्दर शिक्षा का कौन-सा ढांचा लागू किया जाय, कौन-सी शिक्षा-पद्धति लागू की जाय कि जो समस्याएं हैं बेरोजगारी, स्टुडेन्ट्स अनरेस्ट, इन्डिसिप्लिन इस तरह की जो सारी बातें आज देश के अन्दर एक बहुत उग्र रूप धारण करती जा रही है उनका समाधान कर सकें। इसके बारे में कई चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आज तक हम किसी निश्चित प्रोग्राम पर नहीं पहुंच पाये हैं। आप देखिये पहले हाई स्कूल सिस्टम था। बड़े सडन चैन्जेज हम करते जाते हैं सेट अप और हमारा पैटर्न ऑफ एज्युकेशन के अन्दर और हर साल दो साल में शिक्षा को बदलते हैं। पहले हाई स्कूल की स्कीम थी, फिर हायर सेकण्डरी स्कूल की स्कीम करी, फिर थ्री इयर्स का कोर्स किया और अब सोचा जा रहा है कि इन्टर कालेजेज जैसे पहले चलते थे उस तरह की स्कीम फिर लागू की जाय। दो साल, तीन साल बाद फिर और कोई स्कीम कर देंगे। इस तरह से एक निश्चित पैटर्न आज तक शिक्षा के बारे में नहीं बन रहा है। आज की जनतान्त्रिक प्रणाली जो कि किसी भी समाज की एक मूलभूत आवश्यकता है उसके बारे में हर कोई यह कहता है और जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और करना चाहिए, लेकिन वह आमूलचूल परिवर्तन क्या हो, कब हो, कैसे हो, इसको कौन करेगा इसके बारे में आज तक भी हम कोई तय नहीं कर पाये हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पॉलिसी बनाना चाहते हैं, जो ढांचा अपनाना चाहते हैं, जो माध्यम अपनाना है वह एक बार राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बनाया जाकर उसको लागू किया जाय। उससे बहुत कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं।

(श्री जगमोहनसिंह)

शिक्षा के संबंध में दूसरी बात मैं यह निवेदन करूं कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर उतनी मात्रा में आज भी हम प्रसार नहीं कर पाये हैं जितना कि होना चाहिए, और उसके अन्दर भी राजस्थान के अन्दर पहले से ही बहुत बड़ा काम किया जाना चाहिए। मेरा जो क्षेत्र है जिसके बारे में मैंने कटमोशन भी दिया है, छबड़ा का, जो विधान सभा क्षेत्र है उसके अन्दर सिर्फ एक हाई स्कूल है। करीब 50 हजार की आबादी की सारी तहसील के लिए एक हाई स्कूल है जो कि सन् 50 का बना हुआ है। कई बार हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्रस्ताव करके मांग की है। माननीय शिवचरणजी शिक्षा मंत्रीजी थे पहले पधारे थे, माननीय सुखाड़िया जी पहले पधारे थे और कई बार आश्वासन दिया गया, हमने भवन के लिए राशि कर दी लेकिन आज तक उसको रेज नहीं किया गया। बड़ी मुश्किल से दो साल पहले पता नहीं दया-दृष्टि हो गई मेरे क्षेत्र के ऊपर कि एक सेकेण्डरी स्कूल एक सुदूर गांव के अन्दर तलाई में खोला गया। सारे इलाके ने इमदाद की, गांव वालों ने बहुत श्रम किया, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस स्कूल को पता नहीं क्यों आर्टीफिशियल कारण पैदा करके तोड़ दिया। टीचर्स को कह दिया कि लड़कों की भर्ती मत करो और उनसे रिपोर्ट करा दी कि यहां पर बालक नहीं आते हैं। इस तरह से बहाना बनाकर स्कूल तोड़ दिया गया। इससे वहां के टीचर्स, छात्र और लोगों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। आज जो फर्नीचर आया था स्कूल के लिए उस फर्नीचर को ले जाना चाहते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में चार-पांच पंचायतें लगी हुई हैं तो वहां की जनता इस बात पर अड़ी हुई है कि फर्नीचर को जाने नहीं देंगे और स्कूल कायम करवाकर रहेंगे। स्कूल खोल दिया और उसमें कोई कमियां थीं तो उसका सुधार किया जाना चाहिए था लेकिन उसको तोड़कर बहुत बुरा काम किया गया है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो उस पिछड़े हुए इलाके को नुकसान पहुंचा है उसकी पूर्ति करने की कृपा करें।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो बजट है उसके अन्दर बड़े स्कूल्स का ही हिसाब रखा गया है। पिछले वर्ष भी मांग की गई थी और इस वर्ष भी यह मांग है कि सन् 1950 से है वहां पर हाई स्कूल है वहां पर हायर सेकण्डरी स्कूल भी हम नहीं कर पाये हैं और कई दूसरी जगहों पर जहां पर केवल मिडिल स्कूल्स थे उनको हायर सेकण्डरी स्कूल बना दिया गया है। इस बात से वहां पर जनता में बड़ा रोष है और इस बात के लिए एक बड़ी मांग वहां पर है। इसलिए मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि जहां पर सन् 50 से सेकेण्डरी स्कूल थे और उनको आज तक हायर सेकेण्डरी स्कूल में रेज नहीं किया गया है तो यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र छबड़ा के अन्दर जो सेकेण्डरी स्कूल है उसको हायर सेकेण्डरी स्कूल में रेज किया जाय।

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक प्रश्न है बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि अंग्रेजी के जमाने में जिसको हम रेड-टेपिज्म कहते थे, अंग्रेजों के जमाने में लाल फीताशाही कहते थे उससे भी बढ़कर आज वह चीज हम देख रहे हैं और उस फीताशाही

(श्री जगमोहनसिंह)

का नजारा हमारे सामने है। उसमें बहुत कुछ सुधार करने का और उसको परिवर्तित करने का सरकार की ओर से बराबर प्रयास किया जाता रहा, लेकिन मेरी तो यह मान्यता बन गई है कि यह ब्यूरोक्रेसी आज इस रूप में खड़ी हो गई है और इसने यह इरादा कर लिया है चाहे मुख्य मंत्रीजी कुछ कहें, चाहे मंत्रीजी कहें हमें तो जो करना है वह करेंगे। हम जो आर्डर पास करना चाहते हैं।

एक मैंने नाम रखा है। हमारे यहां 4,5 कुओं को गहरा कराया जाये। तो कलेक्टर कोटा को लिखा गया कि इस मामले की रिपोर्ट हमारे पास भेजी जाये, ताकि उस पर कार्यवाही हो। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज 6 महीने हो गये हैं। उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दूसरा क्रैश प्रोग्राम की बात में आप को बताता हूं। क्रैश प्रोग्राम का कार्यक्रम हमारे यहां चालू है। उसके अन्दर जो कमेटी बनी हुई है, उसके विधायक भी सदस्य हैं। पिछली बार जब कलेक्टर महोदय ने क्रैश प्रोग्राम तय किया था उस वक्त सैशन चल रहा था। हमने लिखा कि अभी मीटिंग नहीं रखी जाये। लेकिन चुपचाप कार्यक्रम तय कर लिया गया। अभी शिक्षा मन्त्री महोदय ने जो बजट में प्रावधान रखा। उसके लिये बताना चाहता हूं कि वह 9.30 बजे मीटिंग रखी। हमने कहा कि यह कैसे रख ली है। उन्होंने अपने मनमाने ढंग से तय कर लिया। अकाल के लिए जो कमेटी बनी हुई है तो सब से प्रस्ताव मांगे गये। पंचायत समितियों के प्रधान और विधायक प्रस्ताव लेकर पहुंचे। जो प्रस्ताव मैंने दिये थे, उनको एक को भी नहीं किया गया है। तो इस तरह से शासन का रूप चल रहा है। इनसे हम क्या उम्मीद करें कि समाजवाद के लक्ष्य में या पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में कामयाब हो सकेंगे। मुझे इस बात में सन्देह है। मुझे इस सम्बन्ध में गम्भीरता से सोचकर चलना होगा। इस पर विचार करना पड़ेगा। इसके बिना हमारा प्रगति और लक्ष्य पर पहुंचना असम्भव मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानसिंह चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री हरलाल मीणा !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल के पांच, सात मिनट ही बाकी हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : मैं पांच, सात मिनट ही अर्ज करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के बारे में बहस हो रही है। शिक्षा का क्या उपयोग है और वह किस प्रकार से दी जाये। यह उनके विचार करने के लिए है। उनको जब समय मिलेगा तो वह खुद करेंगे लेकिन मैं एक आवश्यक निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र में, खासतौर से दौसा में जो कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग के बारे में सरकार का रुख काफी भिन्न रहा है। वह सदैव उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे हैं। आज भी हायर सेकेण्डरी स्कूल और कॉलेज के बच्चों को उसी बिल्डिंग में पढ़ाया जाता है। हायर सेकेण्डरी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

स्कूल की बिल्डिंग में पढ़ाया जाता है। उसका नतीजा यह हुआ कि आपस में मारपीट और झगड़ा हुआ। गांव का वातावरण दूषित हुआ। इसके अलावा जो मुझे पता चला है, बिल्डिंग के लिए 4 लाख 48 हजार रुपया स्वीकृत किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि आपकी जो सैंग्शनिंग

(5.34 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

ओथोरिटी है, वह इस बारे में देखें कि कहां पड़ा है। जल्दी से उस रूपया को उधर भेज दिया जाये ताकि निर्माण कार्य चालू किया जाये। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि दौसा के आस-पास कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिससे लड़कों को कोई जगह नहीं मिलती है। जयपुर के कॉलेजेज में वार्डन होता है। उनको स्थान नहीं मिलता है। इसलिए निवेदन करूंगा कि दौसा में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चालू किया जाये ताकि वहां के लड़कों को कोई असुविधा नहीं हो। और वह अपनी पढ़ाई को आगे चालू रख सकें। इसके अलावा जो माध्यमिक कन्या-शाला है, वह बहुत ही खराब स्थिति में है। किसी समय में राधारी और कस्टम के दरोगा लोगों के लिए वह बनी हुई है। चारों तरफ लेट्रीन और बैठने को स्थान नहीं है। इसको शिक्षा मन्त्रीजी ने भी स्वीकार किया है। तो मैं निवेदन करूंगा उनके लिए अलग से कन्याशाला बनाकर रखने की आवश्यकता है। यह महिलाओं के साथ में आपकी उदारता होगी। वहां संस्कृत कॉलेज की एक रो खड़ी है। बाकी उनको पढ़ने के लिये कोई ठीक ढंग की जगह नहीं है। इसके लिये सरकार विचार करेगी। मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करूंगा कि आज शिक्षा में चरित्र के बारे में जोर दिया जाये तो आये दिन जो विद्यार्थियों के झगड़े होते हैं। जिससे कि वातावरण दूषित रहता है। उसके लिये इतना निवेदन कर सकता हूं कि प्रारम्भ में ही उनको करेक्टर की शिक्षा से प्रारम्भ किया जाये। अक्षर ज्ञान से पहले ही उनको करेक्टर की शिक्षा दी जाये। माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि हायर सैकण्डरी स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने वालों लड़कों में आज कैसी प्रवृत्ति हो गई है। उनको बेकारी का भी शिकार होना पड़ता है। आये दिन झगड़े होते हैं। उसका क्या परिणाम होता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसके अलावा लड़कों का जो सलेक्शन होता है, उसमें गरीबों के बच्चों को नहीं लिया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि प्रतिभा के आधार पर बच्चों को लिया जाये। जो बी. ए., बी. कॉम. और एम. ए. करने वाले साधारण परिवारों के लड़के होते हैं, उनके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। इसके अलावा मैं सामान्य प्रशासन की रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता था। उससे पता चला है कि आदिवासियों में ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर 2 प्रतिशत भी आदमी नहीं हैं। जब कि आये दिन 28 प्रतिशत की बात करते हैं। मुख्य मंत्री ने घोषणा की है। मर्जी आपकी है। धोखा देते हैं तो दीजिये। यह मन्त्री महोदय के साथ बैठने वाले भाइयों के काम हैं। मैं एक निवेदन यह भी करूंगा, आपने ज्यूडिशियरी के सेपरेशन के लिये एक कमेटी बनाई थी। 'ज्यूडिशियरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम दी एडमिनिस्ट्रेशन' दोनों को बांटने के लिये आपने कमेटी बनाई थी।

(श्री मूलचन्द सांमरिया)
उसने यह रिपोर्ट दी थी कि दौसा के लोगों को जयपुर आना पड़ता है तो उसके लिये दौसा में एक सीनियर सिविल जज और एडीशनल जज की अदालत कायम की जाये। चूंकि दौसा का शासन में कोई दबाव नहीं है, इसलिए अक्सर उपेक्षा की जाती है। तो मेरा निवेदन है कि दौसा में सीनियर सिविल जज और एडीशनल जज की अदालत मुकर्रर की जाये।

श्री विजयसिंह (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मनुष्य मात्र के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि देश की समृद्धि और उसका उत्थान सारा शिक्षा के ऊपर मुनहस्सर करता है। सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, इन शिक्षा मंत्रीजी को और इनके प्रिडिसिसर शिक्षा मंत्री, जितने भी शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं—उन सबको। आजादी आने के बाद हमारे प्रान्त के अन्दर शिक्षा के अन्दर बहुत अधिक वृद्धि हुई है। मुझे अच्छी तरह वह जमाना याद है जब अच्छे अच्छे शहरों में स्कूल देखने को नहीं मिलते थे, कॉलेज देखने को नहीं मिलते थे और तहसील हैडक्वाटर तक प्राइमरी स्कूल का नाम नहीं था। आज कितने स्कूल खुले हैं और जगह जगह स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से लोगों को ज्ञानोपार्जन का मौका दिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को और इनके राज्य मंत्रीजी को और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी लगे हुए हैं उन सबको इस बात के लिए विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने गत वर्ष और इस वर्ष के बजट के अन्दर शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है क्योंकि एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलना और डेढ़ हजार प्राइमरी स्कूलों को अप ग्रेड कर मिडिल स्कूल बनाना–यह बड़ी बात है। मैं समझता हूं, पच्चीस साल की आजादी के जमाने में सबसे पहले शिक्षा मंत्री ने इस तरह का कारगर कदम उठाया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) मेरी तहसील की तरफ भी ध्यान देंगे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज छः हजार जो प्रशिक्षित अध्यापक थे, उनको एकदम रोजगार दिला देना–यह बहुत बड़ी बात है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह सब कुछ किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमने लड़कियों के स्कूल की तरफ ध्यान कम दिया है। इसके लिये विशेष तौर पर निवेदन करना चाहता हूं अब जब भी आपका हाथ खुला हो, आप वित्त मंत्री भी हैं और सक्षम हैं, क्योंकि यह विभाग आपके पास है इसमें फर्क अवश्य पड़ेगा। मैं विशेष रूप से स्त्री शिक्षा की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरा निवेदन है, अगर हम चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी प्रबुद्ध हो, अगर हम चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी का उत्थान हो और उसके साथ साथ देश का उत्थान हो तो स्त्री शिक्षा ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हमारी आने वाली पीढ़ियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। जिस अनुपात में इस वक्त स्त्री शिक्षा के लिये प्रावधान रखा है वह नाकाफी है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके अलावा, हमें शिक्षा का आधार यह नहीं मान लेना चाहिये कि आज स्कूल खोल दिये, यह आधार भी नहीं मान लेना चाहिये कि शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति केवल साक्षर हो जाय और उसको पढ़ना-लिखना आ जाय–यह काफी नहीं है। यह बहुत अच्छी धारणा

(श्री विजय सिंह)

नहीं है। शिक्षा का आधार यह हो कि शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, वह आत्मनिर्भर हो, उसमें ऐसे गुण आयें कि वह अनुशासित रहे, ऐसे गुण आयें जिनकी वजह से वह देश का एक अच्छा नागरिक बन सके माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, यह गुण जब तक हम शिक्षार्थी के अंदर नहीं भर पायेंगे, हम चाहे कितने ही स्कूल खोल दें, कुछ भी कर दें, देश का उत्थान होने में बहुत बड़ी नींव इससे नहीं पड़ सकती है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, यह बात कितनी ही बार दोहराई गई है कि आमूलचूल परिवर्तन करना है। यह आमूलचूल परिवर्तन की बात सदन के अंदर और पब्लिक प्लेटफार्म पर कहते रहे। यह हमारे लिये गोसपेल हो गया है। इसको दोहराते हैं कि आमूल चूल परिवर्तन करना है। लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। यह कहते रहे हैं, इस काम के लिये कमीशन बैठे हैं, शिक्षा पद्धति में तब्दीली की जायगी, रूप बदला जायगा, लेकिन यह आज तक नहीं कर पाये हैं। नतीजा यह हुआ है कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है, वह तो आई है लेकिन कॉलेजों और स्कूल के अंदर बेइन्तिहा अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता और उदण्डता आई है, हमारे देश के प्रति उनके दिमाग के अंदर कोई भावना नहीं है कि देश का उत्थान हमें करना है, यह भावना नहीं है कि हम देश के नागरिक हैं। इस तरह की शिक्षा जब तक चलती रहेगी, उससे कोई भला नहीं होने वाला है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज ज्योंही कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ कर बाहर आता है, कॉलेज छोड़कर बाहर आता है, सीधा नौकरी की तलाश में भागता है। हम उसे आत्मनिर्भर नहीं बना पाये हैं। हमने ऐसी शिक्षा का इन्तजाम नहीं किया है जिसके माध्यम से पढ़–लिख कर निकलते तब तक उन्होंने कोई अपने हाथ का काम सीख लिया होता और वह किसी धन्धे में लग जाते, धन्धे में लगने के लिये निपुण होकर निकलते। आज लिबरल एज्युकेशन है, इसका एण्ड इसी में होता है, वह एण्ड इस सारी बात का जिम्मेदार है कि आज अनुशासनहीनता का वातावरण है उसका कारण भी मैं इसी को मानता हूं। कॉलेजों के अंदर जो पढ़ने जाते हैं लड़के वह लक्ष्यविहीन ऐसे काम के लिये जाते हैं। वह समझते हैं, आज पढ़ना है लेकिन आगे क्या करना है, इसका पता नहीं, एम्प्टी माइण्ड इज डेविल्स वर्कशांप—उस वाली बात उनके दिमाग में रहती है। उनको नहीं मालूम, मुझे क्या बनना है। वह पढ़ते हैं और पढ़ने के अंदर सारी बदमाशी, गुण्डागर्दी, रात दिन की छुरेबाजी होती है, यह लिबरल एज्यूकेशन के कारण है....

श्री सुरेन्द्र व्यास: सब स्टूडेंट गुण्डे नहीं है।

श्री विजय सिंह: हो गये हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास: सब नहीं है, यह आपकी बात गलत है।

श्री विजय सिंह: मैं निवेदन करना चाहता हूं, लिबरल एजूकेशन को जब तक खत्म नहीं किया जायगा तब तक ऐसा होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास: यह ठीक है लेकिन सब स्टूडेंट गुण्डे नहीं है। आम स्टूडेंट छुरेबाजी नहीं करता है।

श्री विजय सिंह: आम तौर पर यह हो रहा है। मैं सबके लिये नहीं कह रहा हूं...

श्री सभापति: आर्डर प्लीज।

श्री विजय सिंह: आप भी विद्यार्थी रहे हैं...

श्री सुरेन्द्र व्यास: आप स्टूडेंट क्लास के लिये कह रहे हैं। सबका उपयोग मत कीजिये।

श्री विजय सिंह: आप भी विद्यार्थी रहे हैं, मैं भी रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास: आपका गलत ख्याल है। आपके वक्त में ऐसा रहा होगा। आज ऐसा नहीं है, यह आप सुधार कर लें।

श्री सभापति: ऑर्डर प्लीज, आपस में बात न करें।

श्री विजय सिंह: मैंने लेट एज्यूकेशन ली, मैं समझता हूं, अपने समकालीन रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास: आप बुजुर्ग विद्यार्थी रहे होंगे।

श्री विजय सिंह: माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर हम इस शिक्षा पद्धति के अंदर तब्दीली नहीं लाये तो देश के उत्थान की बात सोचते हैं, गरीबी मिटाने वाली बात सोचते हैं, यह डवलपमेंट, विकास की बात सोचते हैं वह पूरी नहीं होगी।

मैं निवेदन कर रहा था, प्राथमिक पाठशालाओं की आज इतनी दुर्गति है, इसका पहले भी माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, प्राथमिक पाठशालाओं में जहां लड़के बढ़ रहे हैं। लेकिन चार चार, पांच पांच क्लास के लड़के एक साथ बैठे पढ़ रहे हैं और मास्टर साहब टांग टेबल पर रखकर बीड़ी पी रहे हैं—इस तरह जहां पर शिक्षा का इन्तजाम हो, वहां पर आप यह उम्मीद करें कि वहां से अच्छे लड़के निकल कर आयेंगे और इन्टेलिजेंसिया हमारे देश के उत्थान के लिये आगे बढ़ कर आयेगा यह मैं उम्मीद नहीं करता। जैसा मडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, पब्लिक स्कूल का इन्तजाम गांव के विद्यार्थियों के लिये होना चाहिये। उस तरीके से जब तक इन्तजाम नहीं होगा तब तक बीड़ी पीने वाले मास्टर टेबल पर टांग रख कर पढ़ाते रहेंगे। बच्चों को ठीक तरह से नहीं पढ़ायेंगे तब तक नतीजा यह होगा कि वहां के बच्चे कालेजों में जाकर, हायर सेकेण्डरी स्कूलों में जाकर पढ़ने लायक नहीं बन सकेंगे। इसलिये प्राथमिक स्कूलों में अच्छे से अच्छे तबके के जो शिक्षक हैं वह हमें लेने चाहिये। हमें यह सोचना चाहिये, कम से कम जहां से बुनियाद डाल रहे हैं शिक्षा की, वहां अच्छे पढ़ने लिखे आदमी लाये जायें शिक्षकों में और उनके माध्यम से शिक्षा दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा नहीं तो जो अयोग्य तबका है, जो थर्ड रेट स्टूडेंट रहे हैं वह प्राइमरी स्कूलों में आते हैं। वह बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनमें खुद में ज्ञान नहीं होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके अलावा जो शिक्षा का स्तर गिरा है, वह यहां तक गिरा है कि आज हायर सेकेण्डरी स्कूल में पढ़ने वाले लड़के छुट्टी की दरख्वास्त नहीं लिख पाते हैं। यह गिरावट आई है, इसे हमें रोकना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं राजकीय सेवा के लिये थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। हम इसमें सुधार के लिये बात करना चाहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय सेवा के संबंध में जितना इस

(श्री विजयसिंह)
सदन में जो कुछ कहा गया है, शायद इस सदन के प्रांगण में पहले कभी भी नहीं कहा गया होगा ऐसा मेरा अन्दाजा है। माननीय सभापति महोदय, आज आम तौर पर सर्विसेज के अंदर स्वेच्छाचारिता आ गई है, यह बिल्कुल निरंकुश हो गई है, जनता की सेवा क्या करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आज नौकर शासक बन गया है और शासक नौकर की हैसियत में खड़ा कर दिया गया है। राजकीय सेवा ने इस डेमोक्रेसी में जनता की दुर्गति बनाई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कल एक रेडियो टाक थी, श्री विष्णुदत्त शर्मा,, जो रिटायर हो गये हैं या सर्विस में है, पता नहीं, उनकी रेडियो टाक थी · ·

श्री केदारनाथ : किसकी ?

श्री विजयसिंह : श्री विष्णुदत्त शर्मा।

उन्होंने कहा है, प्रशासनिक सेवायें हैं हमारी, वह किसी दल के, सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं है, वह संविधान के प्रति जिम्मेदार हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है, हम जनता की इच्छाओं के साथ घसीटे नहीं जा सकते। यह प्रशासनिक सेवायें जनता की भावनाओं के साथ लगी हुई नहीं हैं ? उसका उत्तरदायित्व है संविधान के प्रति, सर्विसेज का उत्तरदायित्व है खुशहाली के प्रति। मैं समझता हूं, ऐसी बात कह कर उन्होंने दूसरी बात पैदा कर दी। खुराना साहब के स्टेटमेंट के सीक्पुएंस में यह दूसरा स्टेटमेंट है जो सर्विसेज ने आज के वातावरण में उनसे कह कर दिलवाया है, हो सकता है, वह रिटायर्ड हो गए हैं। इस तरह की बात जब हो तो डेमोक्रेसी कहां रह जाती है। तो मैं मानकर चलता हूं कि ब्यूरोक्रेटिक आटोक्रेसी डेमोक्रेसी के लिये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। आज होता क्या है, जितने मंत्री हैं, उनके क्षेत्रों में हमारे सर्विसेज वाले जैसा चाहें वैसा काम करा सकते हैं लेकिन विधायकों के क्षेत्र में गिडगिड़ाने के बाद भी काम नहीं होता है बल्कि जनता से कहते हैं कि जो अपने एम० एल० ए० से करवा लें, यह आज हमारी हालत हो रही है। मैं मंत्रियों को सूचित करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर क्या 10 कॉन्सटीट्यूएन्सीज के भरोसे सरकार बना लेंगे ? उनको सोचना चाहिये कि एम० एल० एज० की इज्जत बढ़ाने के लिये पहले उनको प्रबन्ध करना चाहिये आज सैक्रेटेरियट में जाकर देखें कई सैक्रेटरीज हैं······

श्री केदारनाथ : नंबर कम करें।

श्री विजयसिंह : जोइंट सैक्रेटरीज, ऐडीशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, असिस्टेन्ट सैक्रेटरीज, सेक्शन ऑफिसर, इनका अंबार लगा रखा है। उतना ही अंबार कागजों का है। उनमें 60 प्रतिशत काम सर्विसेज के मुतालिक हैं, 40 प्रतिशत जनता का काम है। फिक्सेशन केसेज, सीनियोरिटी केसेज, लीव केसेज, ग्रेड केसेज, प्रमोशन केसेज, सारे के सारे टेबल्स इन कागजों से भरी पड़ी हैं। आज प्रशासन अपने ही कामों में उलझा हुआ है, काम बनता हो तो भी बिगाड़ देंगे, रिटार्डेशन जरूर करते हैं, बनते हुए काम को बिगाड़ने की पहल हमारी सर्विसेज करती है। दे आर रेमनन्ट्स ऑफ दोज ब्रिटिश ऑफिसर्स एण्ड आई० सी० एस० ऑफिसर्स, जिनका काम केवल इतना ही था कि अमन-चैन कैसे हो, उस जमाने में वेल्फेयर स्टेट नहीं थी, देश का उत्थान कैसे करना है, जीवन-स्तर कैसे बढ़ाना है, यह नहीं था। उन्हीं लकीरों पर आज की सर्विसेज चल रही है जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है।

श्री सभापति : श्री रावत राम।

(अनुपस्थित)

श्री दीपंकर।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव हैं—शिक्षा व प्रशासन के बारे में। पहले मैं शिक्षा के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। वर्तमान जो शिक्षा की पद्धति है वह ऐसी दोषपूर्ण है कि उससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। महात्मा गांधी चाहते थे कि शिक्षा की पद्धति स्वावलंबी हो और बेरोजगारी न बढ़े लेकिन आजादी के 25 साल बाद भी शिक्षा की पद्धति में शिक्षा शास्त्रियों या हमारी सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया। सभापति महोदय, वैसे राज्य सरकार ने शिक्षा के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए और अच्छी उन्नति हुई लेकिन वर्तमान शिक्षा पद्धति बेरोजगारी को बढ़ावा देती रही है। आज शिक्षा की जो उन्नति हुई है वह तमाम शहरों में हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम हुई है। आदिवासी क्षेत्र-डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो शिड्यूल्ड एरियाज घोषित हुआ है वहां की स्थिति मैं बताऊं कि कन्याशालाओं की उन्नति नहीं हुई, बांसवाड़ा में जगह जगह कन्याशालाओं के लिए मांग है लेकिन राज्य सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं हुई। आज कहीं भी गांवों की शिक्षा के लिए जो डिमांड करते हैं तो ज्यादातर शहरों व कस्बों के लिए ही स्वीकृति दी जाती है। सरकार ने इस साल एक हजार प्राइमरी स्कूल खोले और एक हजार मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत किया, लेकिन वह बड़े बड़े गांवों में किया जहां आदिवासी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं हो रही है। ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार की तरफ से विशेष शालाएं खुलनी चाहिएं और कन्याशालाओं के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं जहां आदिवासी क्षेत्र हैं, संविधान में प्रावधान है कि आदिवासी क्षेत्रों में कानूनन व्यवस्था करनी चाहिए जनहित की दृष्टि से। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में कोई प्राइमरी स्कूल खोला जाए या मिडिल स्कूल खोला जाए तो वहां भवन के लिए वहां के लोगों से मनवाते हैं कि 50 प्रतिशत रकम पहले जमा हो, फिर सरकार कुछ अनुदान देती है, वह भी नाम मात्र।

प्रायः आदिवासियों के लिए भयंकर दुष्काल आता रहता है, वे बच्चों का पालन-पोषण भी नहीं कर पाते, ऐसी हालत में आदिवासी लोग स्कूल भवनों की व्यवस्था कैसे करें? इसलिए मेरा निवेदन है कि शाला भवन चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो जिस तरह से शहरों में इनका निर्माण सरकार करवाती है उसी तरह जहां शिड्यूल्ड ऐरिया है वहां तो सरकार को विशेष प्रावधान रखकर भवन बनवाने चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आ सकेंगे। आज शिक्षा पद्धति में भी परिवर्तन नहीं हुआ और भवन निर्माण की नीति में भी परिवर्तन नहीं हुआ। आदिवासी क्षेत्र में जहां सैकेण्डरी या मिडिल स्कूल के भवन हैं, लोगों ने 50-50, 60-60 हजार रुपये चंदा करके पूरे किए फिर भी सरकार हाथ में नहीं लेती है, भवनों की मरम्मत भी नहीं होती है। इसलिये जहां आदिवासी हैं वहां ज्यादा से ज्यादा भवन बनाने की की कोशिश करनी चाहिये। और ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी या मिडलि स्कूल खोलने

(श्री नाथूराम)

चाहिएं। इस साल सरकार ने बजट में हाई स्कूलों से हायर सैकेन्डरी में क्रमोन्नत करने का प्रावधान नहीं रखा है। यह प्रावधान भी सरकार को करना चाहिए और खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में हायर सैकेन्डरी स्कूल खोलने चाहिएं।

आज शिक्षा की पद्धति ऐसी है कि इससे बेरोजगारी बढ़ी है। मैं कुछ आदिवासी क्षेत्रों के बारे में आंकड़े बताना चाहता हूं—राजस्थान में 31-12-72 को काम की प्रतिक्षा में 1,71,717 आशार्थी थे जिनमें से 98,299 शहरी आशार्थी थे और 72,918 ग्रामीण क्षेत्रों के जबकि 31-12-71 को इनमें से क्रमश :80,184 थे तथा 59,641 थे। इस तरह शिक्षा की पद्धति है। सरकार की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार शिक्षित बेरोजगारों के आंकड़े देता हूं :

मैट्रिक तक	30,161 बेरोजगार
हायर सैकेन्डरी तक	29,313 „
ग्रेजुएट	14,670 „
पोस्ट ग्रेजुएट	3,590 „
	78,354 बेरोजगार हैं।

अगर शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हुआ होता तो इस तरह से पढ़े लिखे बेकार नहीं होते। मेरे क्षेत्र में आदिवासी और हरिजनों के कई लड़के बी० ए० और हायर सैकेण्डरी मारे मारे फिरते हैं। आज विद्यार्थी या शिक्षक आंदोलन करते हैं तो उसका सारा दोष मैं सरकार पर थोपता हूं क्योंकि सरकार हर तरह से पक्षपात कर रही है। मैं एक-दो उदाहरण और आपके सामने रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आज जहां पर प्रमोशन का सवाल आता है वहां पर भयंकर रूप से पक्षपात हो रहा है। आज बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में कई ऐसे केसेज हुए हैं कि अध्यापकों की सीनियरिटी मार कर उनसे जो जूनियर अध्यापक थे उन्हें पक्षपात करके पदोन्नत कर दिया है। इसके लिये कई बार लिखा पढ़ी की जाती है पर कोई सुनवाई नहीं होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर में जो उप-निदेशक, शिक्षा हैं उसके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिये। इसके अलावा एक बात मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो अन्याय उप-निदेशक ने सैकन्ड ग्रेड टीचर्स के प्रोमोशन में किया है और उससे जिन लोगों की सीनियरिटी गलत हो गयी है उनके साथ न्याय होना चाहिये। और जिनको पक्षपात से प्रमोशन दिया गया है उन्हें वापिस रिवर्ट किया जाना चाहिये। इसी प्रकार सभापति महोदय, जो एस० टी० सी० और बी० एस० टी० सी० के अन्दर जिन लोगों को ट्रेनिंग में लेने की बात थी उनमें भी भयंकर पक्षपात हुआ है। आज डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सैकड़ों की तादाद में हरिजनों और आदिवासी केन्डीडेट्स हैं जो एस० टी० सी० और बी० एस० टी० सी० आशार्थी हैं, लेकिन उन्हें वहां नहीं लिया गया है। इसके लिये शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्रीजी को तार दिया और बाद में मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की जो हरिजन केंडीडेट्स हैं या आदिवासी केन्डीडेट्स हैं उनको उसमें लिया जाय। मुख्यमंत्रीजी के आदेश से उप-सचिव, एजूकेशन ने शिक्षा निरीक्षक, बांसवाड़ा को तार दिया कि इनको एक हफ्ते के अन्दर अन्दर उन्हें उसमें लिया जाय। सभापति महोदय, फिर भी राज्य के आदेशों की पालना नहीं हो

(श्री बापूराम)

रही है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आदिवासी छात्रों के चयन के लिये जब राज्य सरकार के आदेश हो गये हैं फिर भी अन्याय क्यों नहीं बन्द किया जा रहा है ? मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये । सभापति महोदय, आज राज्य सरकार के प्रशासन में बुरी तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और वह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज शिक्षा विभाग जैसे पवित्र महकमे में इस प्रकार का भयंकर भ्रष्टाचार फैल रहा है उसे तुरन्त रोका जाना चाहिये । इसी प्रकार आज वरिष्ठ अध्यापकों के साथ अन्याय हो रहा है और यही कारण है वे लोग हड़ताल करते हैं, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की जो पक्षपातपूर्ण नीति है, उसके कारण ही आज यह हड़ताल वगैरह होती हैं । आज सरकार विधान सभा में कानून बनाती है कुछ निर्णय लेती है लेकिन उसकी पालना नहीं होती है । इसलिये मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, यह जो पक्षपात हो रहा है और राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं हो रही है उसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे उनकी पालना हो जाय । इसके अलावा, सभापति महोदय, बांसवाड़ा में डिग्री कॉलेज है वहां पर लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद वहां पर चूंकि पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेज नहीं हैं इसलिये कई बालिकायें ग्रेजुएशन के बाद पढ़ नहीं सकती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेज खोली जायं ताकि बालिकायें, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकें । इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा, वह यह है कि बांसवाड़ा में डिग्री कॉलेज में गांवों से लड़के पढ़ने के लिये आते हैं लेकिन वहां पर लड़कों के लिये छात्रावास की व्यवस्था नहीं हैं उससे आदिवासी छात्रों को, जो कि बहुत ही गरीब हैं, बड़ी दिक्कत होती है। उनके लिये छात्रावास की व्यवस्था की जाये । इसके अलावा, सभापति महोदय, आज वहां जितने भी प्राथमिक, मिडिल और सैकेण्डरी स्कूलें लड़कों के, और लड़कियों के हैं उन्हें क्रमोन्नत किया जाना चाहिये । ताकि उस क्षेत्र के लोगों के बाल-बच्चों को, जो कि हमेशा से ही पिछड़े हुए हैं, विद्या अध्ययन कराया जा सके ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा सामान्य प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि आज प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । आज बांसवाड़ा जिले के बहुत से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जाति के ट्रेन्ड विद्यार्थी बैठे हैं, पर उन्हें आज नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं । राज्य सरकार ने रोस्टर सिस्टम लागू किया है लेकिन उसकी भी अच्छी तरह से पालना नहीं हो रही है । वहां पर पक्षपात हो रहा है, खुले आम रिश्वतें ली जा रही हैं । आज सरकार इस तरह से कानून बनाती है लेकिन कोई नहीं सुनता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये । हमारा वहां आदिवासी क्षेत्र है, बहुत ही मुश्किल से पढ़ते हैं, गरीब लोग हैं फिर भी जो लोग इस तरह से गड़बड़ियां करते हैं, और भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है इसके लिये मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि भ्रष्टाचारी लोगों को दण्डित किया जाना चाहिये । इसी तरह मैं कुछ सचिवालय के विभागों के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा

(श्री नाथूराम)
कि उनमें कमी की जानी चाहिये। आज वहां पर नॉन-टेक्निकल लोग भरे हुए हैं। जो विभाग टेक्निकल काम के हैं, मेरा निवेदन है कि उनमें स्टाफ कम किया जाये और टेक्निकल लोगों का सीधा सम्बन्ध मंत्री महोदय से हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। और इस पर व्यर्थ के खर्च को रोका जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, राज्य सरकार घोषणा करती रही है लेकिन कोई भी दुष्काल में प्रशासन के अन्दर भ्रष्टाचार नहीं रोका जा सका है। आज आप श्रम विभाग ले लें, एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज ले लें, सिचाई, एजूकेशन ले लें, कोई विभाग ले लें आपको सभी जगह भ्रष्टाचार और पक्षपात का बोलबाला मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन कि जो भ्रष्टाचारी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये। अगर इस तरह से कार्यवाही की जायेगी तो ही हम जनता का भला कर सकेंगे। बस यहीं समाप्त कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन चौधरी (लूनकरणसर) : सभापति महोदय, आज इस सदन में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग पर बहस हो रही है। सभापति महोदय, आज पिछले 20-22 वर्षों में हमने काफी तरक्की की है। हमारे प्रदेश में काफी शिक्षा का प्रसार हुआ है। पहले हमारे शिक्षा के लिये राज्य सरकार का बजट 50 लाख था वह अब बढ़ कर करीब 56 करोड़ हो गया है। इस तरह से हमें देखने से पता लगता है कि हम शिक्षा के अन्दर काफी प्रगति कर रहे हैं। हालांकि हमने प्राथमिक, माध्यमिक और मिडिल स्कूल काफी तादाद में खोले हैं फिर भी मैं समझता हूं कि अभी तक हमारे राजस्थान के क्षेत्र को देखते हुए स्कूलों की कमी है। आज जब कि हमारे यहां कम्पलसरी एजूकेशन है प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के बच्चों के लिये, लेकिन अभी उसको देखते हुए हमारी राज्य सरकार को बहुत कुछ करना बाकी है। आज हमारे उधर का उदाहरण देकर निवेदन करना चाहता हूं कि रेगिस्तानी इलाका है। लोग दूर दूर से पढ़ने के लिये आते हैं और अब वहां पिछले कई सालों से अकाल पड़ रहा है। लोगों की लाइफ एक तरह से नोमेडिक लाइफ है। उस एरिया के लोगों के लिये राज्य सरकार को विशेष रियायत देनी चाहिये। क्योंकि बच्चे अकाल की वजह से पढ़ नहीं सके हैं, वहां के लोग गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन इलाकों के बच्चों की फीस माफ होनी चाहिये। उन्हें मुफ्त पढ़ाने की व्यवस्था की जाय। अगर आप उन्हें यह रियायतें नहीं देंगे तो गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वे पढ़ नहीं सकेंगे और जो हमने मिशन रखा है अनिवार्य शिक्षा का वह पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि रेगिस्तानी इलाकों में जहां पर आपने दूर दूर स्कूल खोले हैं वहां ज्यादा तादाद में स्कूल खोले जायं और इसके अलावा वहां के क्षेत्र के बच्चों को विशेष रियायतें पढ़ाई के लिये दी जायं। इसी तरह अगर राज्य सरकार का शिक्षा के प्रसार की तुलना हम हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों से करें तो हमारे यहां पर लिट्रेसी की पर्सेन्टेज बहुत ही कम है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से

(श्री भीमसेन चौधरी)

निवेदन है कि इस ओर अधिक प्रयास किये जाने चाहिये । हालांकि राज्य सरकार इस ओर काफी सचेष्ट है ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपको एक बात महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे बीकानेर के अन्दर एक विश्व-विद्यालय को खोलने के बारे में चर्चा चल रही थी। यहां पर पहले विश्वविद्यालय कहां खोला जाय इस पर काफी चर्चा हुई, बीकानेर में खोला जाय अथवा कोटा में खोला जाय अथवा अजमेर में खोला जाय, इस बारे में काफी अर्से से बातचीत चल रही है। उसका फैसला करने के लिये इस समस्या का हल करने के लिये राज्य सरकार ने एक कमीशन बैठाया है। उस कमीशन को बैठाये हुए काफी समय हो गया है ज्यादा विलम्ब होने से हमारे बीकानेर का जो छात्र वर्ग है उसमें बहुत ही असन्तोष है। मेरा निवेदन है कि जो विद्यार्थियों में व्यापक असन्तोष है उसको शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जाना चाहिये। इस दिशा में जल्दी से जल्दी विचार करें अलग अलग क्षेत्रों में समस्यायें एज्यूकेशन को लेकर हैं उस सम्बन्ध में कमीशन की रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिये । खास कर बीकानेर क्षेत्र में जो इतना बड़ा क्षेत्र है, रेगिस्तानी इलाका है, कॉलेजों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या भी काफी है उस इलाके का विश्व-विद्यालय का क्लेम है उस ओर ध्यान देना चाहिये ।

अभी माननीय सदस्यों ने प्रशासन में भ्रष्टाचार के बारे में काफी बातें कहीं । इसके बारे में जनता और सरकार दोनों को मिल कर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। अकेली सरकार द्वारा चाहे वह कितनी ही नेक हो, कितनी ही दृढ़ संकल्पी हो यह ऐसा मर्ज है जसको दूर नहीं किया जा सकता है। सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ निर्भीकता से प्रयास किया जिसको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता । लेकिन हम यह मान कर नहीं चल सकते और सरकार भी दावा नहीं करती है कि भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया गया । इस ओर प्रयास किया गया और माननीय सदस्यों को सरकार के इस कार्य की ओर ध्यान देना चाहिये ।

इस तरह से मैंने रेगिस्तानी इलाकों की बात सामने रखी है । इन बातों को लेकर सरकार को सचेष्ट होने की आवश्यकता है । आज हमारे देश के विद्यार्थी वर्ग में और नव-युवकों में उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है उसके सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि यद्यपि हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म की शिक्षा न दी जाय । अलग अलग धर्मों में विशिष्ट गुण हैं, वे गुण मानव में आने चाहियें । यदि प्राथमिक शालाओं में यह शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय तो बच्चों में शुरू में ही अच्छे संस्कार पड़ सकते हैं और उनमें जो आज उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता दृष्टिगोचर होती है वह रुक सकती है । हमें आशा है सरकार इस ओर ध्यान देगी ।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

(अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास ।

श्री बनवारीलाल : दूसरे बनवारी-लालजी बोल गये थे । मेरा नम्बर नहीं आया ।

श्री बनवारीलाल ; मैं तो आपकी आज्ञा से ही बोला हूं ।

Page No 179

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, शिक्षा विभाग के अन्दर राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक संघ द्वारा मंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और अपनी मांगों को लेकर वे कई दफा मंत्री महोदय से मिलते रहे हैं। वर्तमान मंत्री महोदय से मिलते रहे हैं और पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे उनसे भी मिलते रहे हैं। पर, सभापति महोदय, आज तक उनकी मांगों पर सिवाय यह कहने के कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है मैं समझता हूं, और कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। सन् 1961 के बाद राजस्थान सरकार की सेवाओं में विभिन्न विभागों में वेतन वृद्धि हुई है लेकिन सीनियर टीचर्स की बदकिस्मती समझिये या राज्य सरकार का रवैया समझिये कि उनकी वेतन वृद्धि नहीं हुई बावजूद इसके कि वे बार बार राज्य सरकार से मिले हैं। उनकी मांगों के मेरिट पर निवेदन करूं उससे पहले आन्दोलन करने के लिये राज्य सरकार खुद उनको उत्तेजित करती है और आन्दोलन का उनको रास्ता दिखाती है कि कुछ आन्दोलन करेंगे, कुछ लॉ एन्ड ऑर्डर की समस्या खड़ी होगी तो समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे और उनकी मांगों को पूरा करेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के साथ, जो सन् 1961 से आज तक शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें सरकार के सामने रखते हुए आये हैं, सरकार का यह रवैया ठीक नहीं है। सीनियर टीचर एम० ए० सैकिन्ड क्लास। लेक्चरार एम० ए० सैकिण्ड क्लास। वर्क लोड सीनियर टीचर पर ज्यादा और लैक्चरार पर कम। सीनियर टीचर को ट्रेन्ड होना चाहिये, एक साल अधिक लगता है जब कि लैक्चरार को एक साल कम लगता है। उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। लेकिन सीनियर टीचर और लेक्चरार के वेतन में आकाश-पाताल का अन्तर है। उसको 221 रुपया मिलता है और 1961 से लेकर आज तक 25 रुपये की वेतन वृद्धि हुई है। वह भी डी० ए० 45 रुपया मिलता था वह काट कर मर्ज कर दिया वेतन में और इस दृष्टि से उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई। जब कि दूसरों के वेतन में वृद्धि देखिये :

तहसीलदार 100), लेक्चरार आयुर्वेद, कॉलेज 225), पुलिस इन्स्पेक्टर 125), पी० टी० आई० कॉलेज 175), असिस्टेन्ट सर्जन, वेटेरेनरी 175), कॉलेज व्याख्याता 175)।

सभापति महोदय, यह बराबर क्वालिफिकेशन रखते हुए बराबरी का काम करते हैं। राणावत वेतन कमीशन का कुछ भी रवैया रहा हो, बरकत साहब शिक्षा मंत्री थे तब उनका स्वयं यह नोट है :

"Ranawat Pay Commission has done less than justice to the cause of Senior Teachers. They possess more qualifications than Lecturers. They have a greater work load on their shoulders than the Lecturers. I am afraid if the genuine demands of the Senior Teachers are not met with at this juncture, there will be widespread dissatisfaction among them which all of us would like to avoid.''

बरकत साहब जब एजूकेशन मिनिस्टर थे तब का उनका नोट है। शिक्षा मंत्री सिद्धान्ततः उनकी मांगों को मंजूर करते हैं कि वाजिब है लेकिन फिर भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिये नहीं कि लॉ एन्ड ऑर्डर क्रिएट

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

करना है इसलिये नहीं करते हैं कि ये आन्दोलन नहीं करते हैं। यह रवैया ठीक नहीं है।

साथ ही यह भी निवेदन करता हूं कि सीनियर टीचर्स और टीचर्स की सीनियोरिटी लिस्ट आज तक नहीं बनी है। दो साल बाद एम० ए० करके आजाते हैं वे सीनियर हो जाते हैं। इसलिये सीनियर टीचर्स के लिये कोई ऐवेन्यूज होने चाहिये। जोन साहब के जमाने में यह हुआ था कि डिग्री कॉलेजेज में ऐवेन्यूज खोल कर उनको लेक्चरार डिग्री कॉलेजेज में एबजोर्ब करना चाहिये। मैं समझता हूं सरकार इस ओर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

दूसरा और निवेदन करना चाहता हूं कि आदर्श विद्या मंदिर के बारे में बहुत कुछ कहा गया। यह ऐडमिटेड बात है और सबूत की आवश्यकता नहीं है। जनसंघ के माननीय सदस्यों ने यहां कहा है कि यदि आर० एस० एस० का वहां केम्प चलता है तो उसको दोषपूर्ण नहीं माना है। यह स्थिति भी साफ हो जाती है कि उनका अनुदान बंद किया गया। इसका स्कूल के अभिभावकों और बच्चों पर असर पड़ेगा इसलिये इसको टेक ओवर कर लेना चाहिये। ये जितनी भी जातिवादी संस्थायें हैं चाहे सुबोध स्कूल हो, चाहे दिगम्बर स्कूल हो, जिनकी सेक्टेरियन एप्रोच है, चाहे हिन्दू कम्युनेलिज्म हो या मुस्लिम कम्युनेलिज्म हो, बच्चों को तालीम देते वक्त इस प्रकार से उनके दिमाग को पोइजन कर दें तो ऐसी संस्थाओं को टेक ओवर कर लेना चाहिये और बच्चों के दिमाग के ऊपर होने वाले इस असर को रोका जाना चाहिये।

सभापति महोदय, शिक्षा विभाग के ऊपर निवेदन करने के पश्चात् अब मैं राजस्थान के विश्वविद्यालय के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों के अन्दर बहुत समस्यायें और अनियमिततायें हैं। लेकिन फोरी समस्या राजस्थान के विश्वविद्यालयों के अधिनियम के बारे में है। चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे उदयपुर युनिवर्सिटी हो—गत अधिवेशन में स्टुडेन्ट्स के रिप्रेजेन्टेशन्स को लेकर के एजीटेशन्स हुए उससे मजबूर होकर कन्सीव किया और रिप्रेजेन्टेशन उनका सीनेट में दिया। लेकिन पुराने एक्ट्स के अन्तर्गत ही बोडीज गवर्न हो रही हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है। श्रीमाली कमेटी बनी हुई थी। आज तक कुछ सुझाव नहीं। मैं सुझाव देना चाहता हूं और बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी को समय कम मिलता है। वे बिजी हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में बिजी हैं। मैं यह भी कहूं तो मेरी गुस्ताखी माफ हो कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण और डेलीकेट मसले को वित्त मंत्रीजी समझते भी नहीं हैं। खैर, मैं व्यक्तिगत चर्चा में नहीं जाना चाहता। केवल इतना कहना चाहूंगा कि एजूकेशनिस्ट वर्ड क्या है इस वर्ड को भी वे समझने में असफल रहे हैं।

किस किस प्रकार के लोगों को राजस्थान विश्वविद्यालय में नोमीनेट किया गया है मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। दो एजूकेशनिस्ट नहीं हैं तो दो हैं। यही सन्तोष की बात है। वैसे दुर्भाग्य इस बात का है कि चारों एजूकेशनिस्ट होते तो अच्छा था। अन्यत्र वे योग्य हो सकते हैं, पर शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान कुछ नहीं है। ऐसे लोग जो शिक्षाविद् हों उनको ही यहां भेजा जाना चाहिये। उपयुक्त और शिक्षा के हित

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

मैं तो यही है। मोहनसिंह महता को शिक्षा-विद् कह सकते हैं। डा० मथुरा लाल को शिक्षाविद् गिन सकते हैं। तो ऐसे लोग अगर सीनेट में नोमिनेट होकर आते हैं तो इनके ज्ञान का लाभ मिल सकता है। इसीलिये एक्ट में प्रोवीजन भी है। पर दुर्भाग्य का विषय है कि शिक्षा मंत्री इसको एप्रीसियेट नहीं कर पाये। ऐसी स्थिति में मेरी मान्यता है कि इस ढांचे में परिवर्तन आवश्यक है। यह ढांचा बदला जाना चाहिये।

यह हमारे लिये बहुत चिन्तनीय और गहराई से सोचने का विषय है कि हमारे मूल में ऐसी क्या खराबी है कि कोई भी वाइस चान्सलर अपनी तीन साल की टर्म पूरी नहीं कर पाते। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं इस बारे में। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं है। जब तक कोई भी सिंडीकेट का पपेट बन कर नहीं रहेगा तब तक वह वाइस चान्सलर टिक नहीं सकेगा। आज तो यहां यह स्थिति बनी हुई है, अगर पपेट बन कर रहना प्रसन्द करेगा तो अनिच्छा होते हुए भी सिंडीकेट के कारनामों के लिये जिम्मेदार बन कर रहना होगा, उसकी इल्लीगेलिटीज का पार्ट बनना होगा। अपनी मर्जी के अनुसार चीजों को वह इन्ट्रोड्यूस नहीं कर सकता। अपनी स्कीम को इम्पलीमेंट नहीं कर सकता।

मैं इस सदन में विश्व-विद्यालय में किस किस प्रकार की अनियमितताएं होती हैं इसका उल्लेख कर चुका हूं कई बार और मैं समझता हूं कि यह सुखद बात नहीं है कि मैं बार बार उनको दोहराऊं। खास तौर से आज जब कि विधान सभा के एक सम्माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय की ओर से मौजूद हैं। तो इस तरह से ये इर्रेगुलेरिटीज चैक-अप होनी चाहिये। सदन की पूरी जानकारी के लिये दो एक प्रश्न निवेदन करना चाहूंगा।

एक, जूलोजी विभाग के पी० एन० श्रीवास्तव हैं। 1970 की जुलाई में ये आये। इन्होंने जब परमानेन्ट लेक्चरार की पोस्ट फिल-अप की तो एक डेविड थे, पी० एच० डी० थे, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च के एक्सपीरियेन्स्ड थे पर उनको यह कह कर रिजेक्ट कर दिया कि आप हिन्दी में लेक्चर नहीं दे सकते। यह नजरिया गलत है, यह मान कर हम नहीं चल सकते। हिन्दी भाषी प्रान्त में अगर वह हिन्दी में अपनी बात विद्यार्थियों को नहीं समझा सकें और विद्यार्थियों को उसका लाभ पूरा नहीं मिल सके तो यह मुद्दा गलत नहीं कहा जा सकता। पर उसी साल इसी बीच में एक उषा देवी को ले लिया गया जब कि हिन्दी में वे भी लेक्चर नहीं दे सकतीं। पी० के० डे को रख लिया। वे भी हिन्दी में लेक्चर नहीं दे सकते। पीएच० डी० भी नहीं हैं ये तो।

इस तरह से यह डबल स्टेण्डर्ड रखना उचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार दूसरी बात बताऊं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनिट लूंगा। इससे अधिक नहीं।

एक डाक्टर एस० कपूर हैं, एच० सी० सक्सेना और आर० एस० माथुर ये तीन आदमी रीडर प्रमोट हुए। तीनों पीएच० डी० पर जब प्रोफेसर के इन्टरव्यू हुए तब डाक्टर एच० सी० सक्सेना को रिजेक्ट कर दिया। एस० कपूर को ले लिया जब कि इनके पास एक भी पीएच० डी० नहीं हुआ। मुश्किल

Page No 182

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

से दस-बारह इनके पब्लिकेशन्स हैं, जब कि एच०सी० सक्सेना के 60 पब्लिकेशन्स हैं और 8 लड़कों ने उनके अण्डर में पीएच० डी० की। उस वक्त इनकी रिकमण्डेशन्स सिंडीकेट से टर्न डाउन हो गई। तो पी० एन० श्रीवास्तव ने काफी रिजेन्ट किया। इस्तीफा देने की धमकी दी। फेकल्टी वगैरह सब जगह अपनी मेजोरिटी रखते हैं इसलिये वापिस मैटर को रेफर करवाया। किसको? पुरानी सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरों को। तो उनको तो लाजिमी तौर पर कहना था कि फ़ेयर है यह सिलेक्शन।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय सदस्य को चाहिये कि हमारे नियम किसी व्यक्ति को लेकर आर्गूमेन्ट्स करने की इजाजत नहीं देते तो वे किसी व्यक्ति के बारे में यहां अधिक न कहें। सिद्धान्त की बात कहें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : व्यक्तिगत मामला नहीं है। आप एक मिनिट सुन लीजिये। आप भी मेरी ताईद करेंगे। यह सिलेक्शन फेयर था और सीनियोरिटी पर किया तो ऐतराज नहीं। पर रीडर के सिलेक्शन में पी० एन० सक्सेना को रिजेक्ट कर दिया। दूसरे को ले लिया। फिर कह दिया कि मैरिट से लेंगे। सीनियोरिटी से मैरिट पर कैसे जावेगा।

नाहर साहब, आप समझ रहे हैं कि इण्डिविजुअल को टेक-अप करना ठीक नहीं है, मैं भी समझ रहा हूं। मेरी मंशा भी यह नहीं थी। पर सिलेक्शन का क्या मकसद है। यह आपकी गवर्नमेंट के अन्दर भी होता होगा। पी एच० डी० में भी करते होंगे। टेलीफोन से भी तो कई काम होते होंगे। पर मैं एक लैटर पढ़ना चाहता हूं कि जो एक उच्चाधिकारी हैं, श्रीवास्तव, हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट, प्रोफेसर और जो सिलेक्शन कमेटी के चैयरमेन रहे उन्होंने लैटर लिखा मिस शीला कौल लखनऊ को।

"Dear Miss Kaul,

I had your letter of 13th July some days back and I regret that I could not reply to you earlier. I am really sorry that I could not accommodate you in the N. I. H. Project. But now I feel that whatever has been done is for the good. Now we have succeeded in getting a new permanent post in the Department of a Micro-Technician in the grade of 230-450. The post carries D. A. at the Central Government rates plus other allowances as house rent etc. The post is going to be advertised soon and I have put in the requirements such as that you will fit in. You ask for two advance increments so that your salary will be little over than Rs. 400/-. I shall do my best to get you here. Please keep it to yourself. I have a letter from Dr. so and will write to him."

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह कहां से ले आये आप? एक पुरुष ने स्त्री को लिखा है। ख्याल रखिये थोड़ा सा तो।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : सोर्स आप क्यों पूछते हैं? सोर्स डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है

"If you happen to come

Page No 183

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)
towards this side, do drop in the Department and see me.

With best wishes, yours sincerely, P. N. Srivastava."

सभापति महोदय, पहले से यह तय हो जाता है। क्वालिफिकेशन ही ऐसी रख दी हैं जो तुम्हारे लिये फिट होंगी। कहते हैं दो इन्क्रीमेन्ट भी मांग लेना। यह भी हम समझते कि कोई बात नहीं है। कल्पना होगी। पर जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है और बी. एस सी. थर्ड क्लास को एकोमोडेट करने के लिये जब कोशिश होती है तब पता लगता है कि यह मामला प्रीप्लाण्ड था। न एक मिलता है न तीन मिलते है।

सभापति महोदय, यह एक गम्भीर मसला है जो मैं सदन की जानकारी में लाया हूं और मैं समझता हूं कि इस पर अवश्य तुरन्त कार्यवाही की जावेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट का समय और लूंगा।

सभापति महोदय, यही बात नहीं है। सिंडीकेट ने प्रस्ताव पास किया कि अमेरिकन एड से चलने वाले रिसर्च सेन्टर को बन्द कर दिया जावेगा। पर फिर चालू कर दिया। अब उसमें पी.एन. श्रीवास्तव साहब को रख दिया। पांच साल की रिसर्च स्कीम चल रही है। अपनी तनख्वाह के अलावा 450 (चार सौ पचास) रुपया इससे भी मिल रहा है। यहां से भी ये ले रहे हैं। जब कि नियम यह है कि दूसरी जगह से अपनी तनख्वाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं ले सकते। मैं समझता हूं कि मैं कोई अमेरिका के खिलाफ बात कह कर इसको तूल देना नहीं चाहता। पर रूल्स बनने के बाद 450) यहां से ले रहे हैं, यह इर्रेगुलेरिटी है। इसको चैक करना चाहिये।

सभापति महोदय, इसी तरह से मैं एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं। राजस्थान में सरक्यूलर जारी किया गया कि उर्दू, सिन्धी गुजराती, पंजाबी माइनोरिटी लेंगवेज हैं। स्कूलों में इनके पढाने का प्रबन्ध भी किया जावेगा। अगर कहीं दस लड़के आप्शन लेना चाहते हैं तो उन्हें आज डिस्करेज किया जाता है। कहा जाता है यह सबजेक्ट नहीं है। मैं समझता हूं इस ओर भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सामान्य प्रशासन के संबंध में.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा और बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा अनाउन्समेंट न कीजिये जो अनाउन्समेंट अव्यवहारिक हो। राजस्थान सरकार के अन्दर कोई अफसर अपने प्राइवेट काम के लिये सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल न करें। सभापति महोदय, यह बिल्कुल अव्यवहारिक बात है। मैं यह कहूं और आरोप लगाऊं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, यह भी गलत है। आज कितनी रेड प्लेट की गाड़िया रोज देखते हैं। सब घूमती फिरती हैं, ह्यूमन नेचर हैं, कोई रोक नहीं सकता। दीपावली के दिन आप सांगानेरी गेट पर खड़े हो जाइये रेड प्लेट की गाड़ियों में सब आफिसर अपनी फेमिलियों को लेकर घूमते फिरते है। अब वहां अगर मुख्य मंत्री जी खड़े हो जायं तो यह तमाशा हो जाय, किसी सेक्रेटरी को उतारते हैं तो किसी आई. पी.. एस. आफिसर को उतारते हैं

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

सभापति महोदय, यह ए टाब्लिसमेंट हमारा है, इसके खर्चे को हम कटौती नहीं करना चाहते है। हमने इनको प्रिविलेज क्लास बना रखा है। आइ. ए. एस., आइ. पी. एस. क्लास प्रिविलेज क्लास है। नहीं रोकना चाहते हैं वे अपने इस प्रकार के रवैये को तो, सभापति महोदय, इस प्रकार के अनाउन्समेंट नहीं करने चाहिये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं इस प्रकार के अनाउन्समेंट से एक गड़बड़ ज्यादा होती है। जब सरकारी गाड़ी में कोई फेमिली जाती दिखती है तो जनता में उसके प्रति रोष उत्पन्न होता जाता है। अभी कुछ दिन पहले टोंक में एक अफसर की गाड़ी रोक कर उनकी वाईफ को रोक लिया। अब यह उन अफसर के साथ में बड़ी ज्यादती हो गई। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग को आप इस तरह रोक नहीं सकते हैं लेकिन इसका एक रास्ता निकल सकता है और वह यह है कि आप इन अफसरों को इन्टरेस्ट फ्री लोन दीजिये और उसका अलाउन्स दे दीजिये तो मैं समझता हूं घर की गाड़ी को अफसर ज्यादा अच्छी तरह रखेगा और उसका इस तरह दुरुपयोग होना रुक जायगा।

एक बात मैं समाप्त करने से पहले निवेदन करना चाहूंगा। यहां पर राजनैतिक हस्तक्षेप की और ब्यूरोक्रेसी व नौकरशाही की बहुत बात की गई है और बहुत बात पैदा आज यहां हुई है। मैं समझता हूं यह हमारा जो वर्तमान ढांचा है, इस ढांचे में नौकरशाही पर बार बार आरोप लगाये जाय भला बुरा कहा जाय उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने खुद ने हावी किया है। अब जो होलसेल ट्रेड लेंगे, इसको इम्पलीमेंट कौन करेगा,—एक आई. ए. एस. आफिसर। आई.ए.एस. होना, हर चीज में एक्सपर्ट होना हो जाता है, इनको हर चीज का तजुर्बा होता है। जनरेलिस्ट पर्सन होते हैं खुद जनरेलिस्ट एक्सपर्ट लोगों पर दो बैठे हुये हैं एक तो मिनिस्टर और एक आई. ए. एस.। बार बार माननीय सदस्य राम नारायण जी ने कहा शिक्षा के अन्दर, यह स्कूल बन्द कर देना चाहिये, यह खोल देना चाहिये...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो, सभापति महोदय, यह एक गलत नजरिया है। पब्लिक स्कूल बन्द करने चाहिये, यह गलत है। स्टेटस को नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप मौलिक दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं लायेंगे जब तक आई. ए. एस. आफिसर्स को यह नहीं कहेंगे You are meant for this particular work, this particular job. यह नहीं करायेंगे तो उनके दिमाग से यह भूत नहीं उतर सकता है इसलिये नौकरशाही हावी है। अगर सही दृष्टिकोण लें बल्कि मैं समझता हूं आई. ए. एस. आफिसर की छुट्टी कर दें तो कोई काम ठप्प होने वाला नहीं है। आई.ए. एस. को टेलीफोन दें चाहे जरुरत ही न हो। टेलीफोन और कई फेसिलिटीज आज उनको बेकार में दे देते हैं। और जिनका इन सुविधाओं से ताल्लुक होता है उनको आप नहीं देते हैं। थानेदार के पास टेलीफोन होना चाहिये, मजिस्ट्रेट के पास टेलीफोन होना चाहिये। वे 24 घंटे सर्विस देते हैं...

(समय समाप्ति सूचक–घंटी)

मैं समाप्त कर रहा हूं। यह कोई आवश्यक नहीं है। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा नम्र निवेदन है इन बातों पर गम्भीरता से विचार करना

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

चाहिये। एक सीमा आ चुकी है। रोज ब्यूरोक्रेसी के लिये कहेंगे तो कुछ कर नहीं पायेंगे। अभी क्या है, ये कौन से पढ़े लिखे हैं। अबके तो एम.एल.ए. ज्यादा पढ़े लिखे आ गये हैं। अगर ज्यादा ब्यूरोक्रेसी को कहा और किया कुछ नहीं तो महीने भर की निपट जायगी। मैं समझता हूं कुछ ठोस कदम उठाने चाहिये केवल भाषण से काम चलने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद बोहरा।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र भारतीया।

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री विद्यासागर।

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्र कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री देवीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री भुवनेशचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जो हैं उनके नाम नहीं बोल रहे हैं।

श्री सभापति : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आज शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने की बात बहुत बार उठी है। मैं आइडिलिज्म की बात नहीं मानता हूं। हम आज रियेलिस्टक होकर जो हमारे साधन हैं जो हमारी उपलब्धियां हैं उनको सुदृढ करें और उनको ही मजबूत बनायें ....

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : सभापति महोदय, मैं यह पत्र सदन की टेबिल पर रख देता हूं।

श्री किशन मोटवानी : मैं निवेदन कर रहा था आज जो भी उपलब्धियां है जो हमारे पास साधन है उसको सुदृढ करें तो हम लक्ष्य की प्राप्ति कर पायेंगे। मैं इस संदर्भ में निवेदन करूंगा, लास्ट ईयर एक हजार प्राईमरी स्कूल खोले और एक हजार की क्रमोन्नति की प्राईमरी स्कूलों की। और जब बढ़ोतरी का सवाल उठा-डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटीज बनी तो वहां पर जो प्रपोजल डिपार्टमेंट की तरफ से आये तो हरदम इस तैयारी से आये–अमुक मोहल्ले वाले तैयार रहे मकान देने के लिये। इसलिये वहां स्कूल खुल गये। अमुक अमुक जगह जहां नेसेसिटी है वहां के लिये क्या प्रावधान है? उनके पास भवन नहीं है तो आपका प्रावधान भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि जहां नेसेसिटी है वहां पर स्कूल खोले जाने चाहिये। आज हम हजार पन्द्रह सो स्कूल खोलने जा रहे हैं तो भवनों का प्रावधान भी रखना चाहिये। जहां मकान मिलते जायेंगे वहां खुलते जायेंगे और जहां मकान नहीं मिलेंगे, वहां नहीं खुलेंगे, यह कौन-सा तरीका है? और इससे उस लक्ष्य की

(श्री किशन मोटवानी)

प्राप्ति भी नहीं होगी। भवनों की तरफ भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। मकानों के बारे में मेरा मानना है पीजन होल टाइप निर्माण किया जाता है। मेरा निवेदन है प्राइवेट एडेड स्कूलों को देखते हैं, पब्लिक स्कूलों की बात करते है, वहां से बच्चे निकलते हैं, लड़के निकलते हैं वे आई.ए.एस. के लिये तैयार हो जाते हैं। मैं मानता हूं उसका कारण है वहां की जो भवन की व्यवस्था है वह ऐसा एटमासफियर क्रियेट करती है जिससे ईमानदारी से बच्चों का विकास होता है, और वेल डिसिप्लिन्ड बच्चे निकलते हैं, उनके दिमाग की व्यवस्था अच्छी होती है। और सही ढ़ग से बच्चे निकलते हैं। जो जीर्ण शीर्ण भवन हैं उनकी तरफ भी तवज्जह देनी चाहिये

मैं दूसरे कटौती प्रस्ताव के माध्यम से कहना चाहता हूं प्राईवेट एडेड स्कूलस के टीचर्स और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के बारे में।

(6-40 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मर्जर के बाद भी काफी अर्से तक हाउस रेन्ट अलाउन्स उनको मिलता रहा परन्तु किन्हीं कारणों से वह आज बन्द है प्राईवेट एडेड स्कूल के टीचर्स का। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या प्राईवेट एडेड स्कूल के टीचर्स और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की कार्य प्रणाली में कुछ फर्क है ? मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने इसी सदन में स्टेटमेंट दिया था कि प्राईवेट स्कूल के रिजल्ट्स गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट्स से अच्छे हैं। क्या मैनेजमेंट यह रिजल्ट्स लाता है ? मेरी मान्यता है कि वह अच्छे रिजल्ट्स टीचर्स की वजह से आते हैं। जब वह टीचर्स ईमानदारी से काम करते हैं तो उनको समानता के स्तर पर लाकर क्यों नहीं खड़ा करते ? मैं निवेदन करूंगा कि इस पहलू पर तवज्जह दी जाये और मैं मानता हूं कि फाइनेन्शल स्ट्रिन्जेन्शी है, कुछ फाइनेन्स के अभाव से आप नहीं करें लेकिन उनको समानता के स्तर पर लाकर खड़ा करें ताकि उनमें जो भावनायें उत्पन्न होती हैं कि हमें एक स्तर पर नहीं रखकर उपेक्षा की जाती है तो वह भावना उनकी दूर हो जाय।

दूसरा कटौती प्रस्ताव मेरा माइनोरिटी लैंग्वेज के विस्तार के ऊपर है। 1955 में गवर्नमेंट आफ इन्डिया की तरफ से एक आर्डर निकला था जिसमें 4 लैंग्वेजेज को माइनोरिटी लैंग्वेजेज मानकर उसके विस्तार के लिए एक प्रोग्राम दिया था जिसमें उर्दू, पंजाबी, गुजराती और सिंधी आ जाती है। मैं मानता हूं और मैंने देखा है कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया के आर्डर्स और जिन आर्डर्स को राजस्थान गवर्नमेंट ने भी माना है उन माइनोरिटी लैंग्वेजेज की तरफ कोई तवज्जोह नहीं दी है। यह माना गया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम से कम उस भाषा को पढ़ाने का प्रावधान किया जायेगा, वह व्यवस्था किसी जगह भी नहीं है। मैं इसी सन्दर्भ में अजमेर में हुई एक व्यवस्था के बारे में निवेदन करूंगा कि हमारे यहां एक राजेन्द्र हाई स्कूल है जो सबसे पुराना सिन्धी स्कूल है और शुरूआत का स्कूल है। यह स्कूल हाई स्कूल तक है और यहां पर सिंधी भाषा आप्शनल सब्जेक्ट की तरह पढाई जाती है। वैसे सही माने में उस स्कूल में सिंधी लैंग्वेज भी नहीं पढ़ाई जाती जैसी कि व्यवस्था सेन्ट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट ने मानी है लेकिन वहां एक आप्शनल सब्जेक्ट का प्रावधान रखा है। वहां से गत वर्ष 30 लड़के पढ़कर निकले।.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप तशरीफ रखिये। मैं एक व्यवस्था देना चाहता हूं

(श्री उपाध्यक्ष)

"आज जब शिक्षा विभाग की मांग पर विचार हो रहा था श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य विधान सभा ने एक प्रश्न इस आशय का सदन के समक्ष प्रस्तुत किया कि दिनांक 21 मार्च, 1973 की घटना से संबंधित सदन का कोई रिकार्ड गवर्नमेंट एडवोकेट को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि उनकी इस आपत्ति का आधार क्या था। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक ऐसा कोई निर्णय माननीय अध्यक्ष या विधान सभा सचिवालय द्वारा नहीं लिया गया। यदि माननीय सदस्य को इस संबंध में कोई शिकायत है तो उनको प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत विशेषाधिकार प्रश्न की विधिवत सूचना देनी चाहिये थी जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती। इस अवसर पर इस प्रश्न को उठाया है यह नियमानुकूल नहीं है न इसका कोई औचित्य ही है।"

आप (श्री किशन मोटवानी) प्रारम्भ कीजिये।

श्री किशन मोटवानी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि उक्त राजेन्द्र स्कूल से 30 लड़के आप्सनल सब्जेक्ट पास करके निकले। अब मसला उठा कि इनको 11वीं कक्षा के लिये कौन से स्कूल में एडमिशन दिया जाये, इन्सपेक्टर महोदय से कहा गया तो वह ससोपन्ज में पड़ गये, गवर्नमेंट हायर सैकेण्डरी स्कूल से बात की तो वह भी ससोपन्ज में पड़ गये और उनको लेने के लिये कोई तैयार नहीं था। एक प्राईवेट स्कूल से कहा 'ही केम टू अवर रेस्क्यू, वी टूक आल दोज बायज। और उनका एक साल बचा। उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था की बात है कि क्या हम उस स्कूल ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि इसे हायर सैकेण्डरी स्कूल बना दें। जब कि हम वचनबद्ध हैं कि माइनोरिटी लैंग्वेज को हम इस तरह से मरने नहीं देंगे। हम उनके उत्थान के लिये कुछ ठोस कदम उठायेंगे लेकिन इस संबंध में सरकार कुछ नहीं कर रही है लास्ट ईयर 30 लड़के एक साल बचाने में बड़ी दुविधा में पड़ गये थे और अब फिर वही होने जा रहा है क्योंकि उस स्कूल को हम 11वीं क्लास तक नहीं बढा रहे हैं। मैं साथ ही निवेदन करूंगा कि जैसे कि हम वचनबद्ध हैं हमको ईमानदारी से एक कमीशन या एक कमेटी का गठन करना चाहिये कि यह जो माइनोरिटी लैंग्वेजेज हैं वह कहीं खत्म नहीं हो जायें। चारों लैंग्वेजेज के लिये, जिनको गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने माना है राजस्थान गवर्नमेंट ने माना है, कोई कमेटी का गठन हो जिसमें एजूकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हो वह चैयरमेन के रूप में हो, हमें उसमें भी एतराज नहीं है। ऐसी कमेटी गठन करने का मेरा सुझाव है।

मेरा कटौती प्रस्ताव इस बारे में भी है कि गत वर्ष काफी टैक्स्ट बुक्स चैन्ज हुई थीं और इस साल फिर उन्हीं टैक्स्ट बुक्स में कहीं दो पैराज और कहीं एक पैज का अन्तर करके किताबों को चैन्ज किया जा रहा है। मेरी मान्यता है कि आज अकाल की स्थिति है उसमें जनता के ऊपर 4 करोड़ से कम बोझ नहीं पड़ने वाला है। ....

श्री चन्दनमल बैद : किस स्टेज की बुक्स के लिये कह रहे हैं ? सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरीया कौन सी स्टेज की बुक्स ?

श्री किशन मोटवानी : हायर सैकेण्डरी के लिये भी और 9 वीं, 10 वीं और 11वीं और प्राईमरी के लिये भी कम से कम 33

(श्री किशन मोटवानी)

बुक्स चैन्ज करने जा रहे हैं। आपके पास भी रिप्रेजेन्टेशन आ चुका है। आज हम तवज्जह दिलाते हैं कि इस किस्म की व्यवस्था कीजिये। अच्छी बुक्स लाइये लेकिन वही की वही बुक्स हैं और उनमें सिर्फ एक पैरा चैन्ज करके या एक पेज चैन्ज करके वही की वही प्रेस्क्राइब करें तो यह बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति हैं।

साथ ही साथ निवेदन करूंगा कि दो प्रणाली से किताबों को मान्यता दी जाती है एक तो प्रेस्क्राईब्ड सबमिटेड बुक्स और एक टेंडर से बुक्स मंगाई जाती हैं। जो टेण्डर के जरिये बुक्स मंगाई जाती हैं वह बिल्कुल सस्ती बच्चों को मिलती हैं और जो प्रेस्क्राइब्ड सबमिटेड बुक्स हैं वह महंगी पड़ती हैं। हो सकता है सबमिटेड बुक्स अच्छी हों, उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन हम इस तरह की व्यवस्था करें कि टेण्डर बुक्स में भी अच्छी बुक्स लेने की कोशिश करें और सस्ती उपलब्ध करने की कोशिश करें और यह जो बारबार चैन्ज करते हैं वह तो कम से कम इस पीरियड में नहीं करें।

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने कहा। मैं सुरेन्द्र भाई की बात से सहमत हूं कि बारबार कहने से उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। जहां तक करप्शन का सवाल है उसको दोहराना भी अच्छा नहीं लेकिन दूसरी बात एक और भी है कि हमारे सामने शिथिलता की बात आ रही है, इन-एक्टिवनेस की बात आ रही है उसके बारे में निवेदन करूंगा। आज जो हो रहा है उसका कल क्या परिणाम होगा उसकी एनेलेसिस नहीं हो रही है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आज आठ रोज से एक व्यक्ति कुछ पोस्टर्स लगाता है अजमेर में और उससे एक कम्युनल चीज सामने आ रही है। एक हिन्दु मुसलमान को लूट रहा है, काट रहा है इस तरह के वह आदमी पोस्टर्स लगा रहा है और अजमेर के एडमिनिस्ट्रेशन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, वह कोई कार्यवाही करने के लिये तैयार नहीं है। आज आये दिन पब्लिक मीटिंग करते हैं और यह कह रहे हैं मुसलमानों का शोषण हिन्दू कर रहे हैं, मुसलमान ने हिन्दू की लड़की भगा ली। इस तरह की चीजें हो रही हैं। यह मैं एग्जाम्पल इसलिये दे रहा हूं कि यह एक इनएक्टिवनैस की बात है। आगे क्या होगा इसका सोच नहीं है जो अजमेर के एडमिनिस्ट्रेशन पर बैठे हैं उनको। मैं सुरेन्द्र भैया के साथ सहमति रखते हुए, ज्यादा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के करप्शन के बारे में नहीं कह कर निवेदन करूंगा कि वह भी परिवर्तन लायें अपने दिमाग में। आज जनता परिवर्तन चाहती है। उसके परिवर्तन की वजह से आज कांग्रेस को इन्दिरा जी जिताकर लाई हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन सजग होकर उनकी आकांक्षाओं के प्रति कुछ आस्था रखे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर तो बधाई दूंगा शिक्षा मंत्री महोदय को कि उन्होंने यह नहीं कहा कि वह शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। जो भी शिक्षा मंत्री आता है आमूलचूल परिवर्तन की बात करता है। इससे पहले कि वे कोई परिवर्तन करें वे स्वयं परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिये यह अच्छी बात है कि आपने यह बात नहीं कही। आप बोले तो भी थोड़ा ख्याल रख कर बोले क्योंकि आप निकट भविष्य में नहीं बदल रहे हैं...

श्री चन्दनमल बैद : यह परिवर्तन की बात आप मुख्य मंत्रीजी के सामने कहें तो मेरा भी भला हो जाएगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उनके सामने ही कह रहा हूं।

मेरा निवेदन करना यह है कि यह जो पंचायत समितियों को आपने प्राईमरी स्कूल्स सौंपे हैं उनको पिटवाने के लिए ही खुला छोड़ दिया है। केवल टीचर्स को तनख्वाह दे दी टीचर्स में विद्रोह जगाने के लिये पंचायत समितियों के विरुद्ध आपने उनको सौंप दिये। न उसका कोई मेडिकल रीएम्बर्समेंट, न टी. ए. न डी. ए. और न अन्य सुविधायें। उन्हें कह दिया कि तुम तो तनख्वाह ले लो और बैठे रहो। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दोष किसका, मुझे नहीं मालूम है लेकिन आपने जो यह किया है और मंत्री की हैसियत से जो आप ऊपर के स्तर पर, ऊपर के स्टेट्स पर बैठे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा और इन जिला प्रमुखों और पंचायती राज के अधिकारियों को अगर आप पिटवाना नहीं चाहते हैं तो आपको इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो स्टेट आफ अफेयर है डेमोक्रेटिक सेट-अप में, यह मुझे समझ में नहीं आता है। जिला परिषद् का प्रमुख बैठे और कलेक्टर अध्यक्षता करे। प्रधान बैठे और तहसीलदार अध्यक्षता करे। यह जनतन्त्र चलेगा कैसे। इधर ब्यूरोक्रेसी की बात की जाती है लेकिन जिला प्रमुख के पास काम की जिम्मेदारी क्या है? प्रोडक्शन प्रोग्राम का इंचार्ज कलेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, अकाल राहत और दूसरे जितने भी काम उनको करें ब्यूरोक्रेसी और जनता के प्रतिनिधि झांकते रहें। जब कोई मिनिस्टर साहब किसी मीटिंग में जावें तो मिनिस्टर उसकी अध्यक्षता करें। चाहे कोई ऐरे गेरे नत्थूखेरे की मीटिंग हो और पहुंच गये मिनिस्टर अध्यक्षता करने के लिये। लेकिन जिला लेवल पर जिला प्रमुखों को कठपुतली बना कर छोड़ रखा है। यह जनतन्त्र चलेगा कैसे। आपको सोचना पड़ेगा कि जनतन्त्र आज किस ओर जा रहा है। मैं उनका दोष नहीं दूंगा जो ब्यूरोक्रेट हैं। अगर उनकी आंकाक्षाओं और उनकी पूर्ति के लिये, उसकी सुविधाओं के लिये वे प्रयास करते हैं तो करें लेकिन अगर आपको इन एम.एल.एज. को, इन विधायकों को और इन जन प्रतिनिधियों को पिटवाना नहीं हो, उनको कतल नहीं करवाना हो तो आपको सोचना पड़ेगा, उनकी इज्जत रखनी हो तो आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा और ऐसा परिवर्तन लाना पड़ेगा जिससे जनतंत्र पनपे और जनतन्त्र की भावना की वृद्धि हो और लोग यह नहीं कह सकें कि साहब जनतंत कुछ नहीं है। आज राज करने वाले हम लोग हैं। किसी की ताकत नहीं है कि राज करने वाले पर कोई हावी हो जाय। मैं यह मानकर चलता हूं कि जनतंत्र में ब्यूरोक्रेसी रहेगी और जन प्रतिनिधि भी रहेंगे लेकिन जब तक इनमें समन्वय नहीं होगा, जनतंत्र चलेगा नहीं। यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई बड़ी चेन्जेज अभी लानी हैं। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने शिफारिश की कि ब्यूरोक्रेटिक सेट अप के अन्दर चेन्जेज करो। मैं सन् 69 से इस बात को बराबर कह रहा हूं कि भगवान के नाम पर इस ब्यूरोक्रेटिक सेट अप के अन्दर सुधार करो लेकिन आप सुनते नहीं। एक क्लर्क, एल.डी.सी. के नोट लिखता है। मैंने फाइले देखी हैं। दुर्भाग्य से जो फाइले लटकर आती है ऊपर से, जिला प्रमुख की हैसियत से मैंने उनको

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

देखा है। एक एल. डी. सी. ने नोट लिखा, यू. डी. सी. ने उस पर दस्तखत किए। फिर सेक्शन ऑफिसर ने दस्तखत किये। उसके बाद असिस्टेन्ट सेक्रेटरी ने दस्तखत कर दिए, फिर उस पर डिप्टी सेक्रेटरी ने दस्तखत किये और सेक्रेटरी के दस्तखत के बाद मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर के बीच में और कोई हुआ तो उसने दस्तखत किए और फिर वह मिनिस्टर महोदय के पास पहुंची। इतना लम्बा समय इसमें लगता है। मुझे मालूम है हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी ने रिपोर्ट दी कि दो ही बीच में होने चाहिये। तो आपने सेक्शन ऑफिसर को या अण्डर सेक्रेटरी को हटा दिया। लेकिन यह डिसिजन मेकिंग पावर कौन है? डिसिजन लेने वाला कौन है? मिनिस्टर महोदय या सेक्रेटरी महोदय? आप यह सारा सेट-अप बदल दीजिये। मैं आपको 1969 से कह रहा हूं और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्मर्स कमीशन ने रिपोर्ट में भी यह बात कही है कि जो क्लासवाईज सेट-अप है इसको बदल दीजिये। यह क्या क्लास वन, टू, थ्री और फोर्थ क्लास। यह तो बिल्कुल सामन्ती प्रथा है। यह सामन्ती प्रथा बन्द होनी चाहिए। यह तो ओटोक्रेटिक परम्परा है जो राजाओं ने, ब्रिटिश राज ने शुरू की थी। अब तो दो ही कैटेगरी होनी चाहिए। एक टेक्निकल और दूसरी नॉन-टेक्निकल। आज सुबह ही मेरे से सीनियर टीचर मिले थे। वे कहने लगे कि साहब हम तो मारे गए। टीचर्स में से 50 पर्सेंट लेक्चरार लिए जायेंगे। अगर यह होता है तो थर्ड क्लास टीचर आपके कॉलेजेज का प्रिंसिपल क्यों नहीं बन सकता? यह जनतंत्र इस प्रकार कैसे चलेगा? राज करने वाले मिनिस्टर आप। सेक्रेटरी समझता है कि अपने को जो अधिकार मिला हुआ है वह हटे नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जनतंत्र को सही रूप में जिन्दा रखना है और जनतंत्र को पनपाना है तो वह तभी पनपेगा जब मेरिट के आधार पर लोगों की कदर करना सीखेंगे। एक मामले में मुझे कहा गया कि यह आई० ए० एस० अफसर की रिपोर्ट है। एक आई० ए० एस० अफसर की रिपोर्ट को एक चपरासी के लेवल का आदमी रिजेक्ट करें, यह कहां का जनतंत्र है। हम आज भी उसी सामन्ती युग की परिपाटी में चल रहे हैं। इसलिए भगवान के नाम पर इसको बदलने का प्रयत्न करिए और कम से कम यह जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट है उनका तो पूरा पालन कराइए। तभी जनतंत्र चलेगा नहीं तो जनतंत्र के नाम पर हम यहां बैठे रहेंगे, राजस्थान असेम्बली के अन्दर बैठ कर गाली देते रहेंगे। अच्छा हो कि समय आने से पहले, विद्रोह फूटने से पहले आप इसको समझ लें और समझ कर सही रूप में कार्य करने का प्रयत्न करें।

मैं एक बात और निवेदन करूंगा। आज आपत्ति उठाई गई सदन में। यह आपत्ति पहले भी उठाई गई थी लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उस दिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था। वह यह थी कि लोकपाल और लोक आयुक्त के परव्यू में से चीफ मिनिस्टर को एक्सक्लूड किया गया है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जनसंघ के नेता ने एक आपत्ति उठाई थी और वह आपत्ति यह उठाई थी कि चीफ मिनिस्टर को आपने इन्क्लूड नहीं किया। हमारे चीफ मिनिस्टर ने यह कहा था कि सेंटर का जो लोकपाल और लोक आयुक्त का बिल आएगा उसमें चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को लिया जाएगा, या ऐसी ही कुछ बात कही थी। और वहां आज वह बिल पेश हुआ है तो उस

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

बिल में यह लिखा हुआ है कि उसमें केवल मिनिस्टर्स ही हैं एक्सक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर का उसमें नाम नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा अधिकार इस असेम्बली का है। चीफ मिनिस्टर सदन का नेता है। मिनिस्ट्री फॉर्म करते हैं हम और मिनिस्ट्री डिजोल्व करते हैं हम। चीफ मिनिस्टर बनता है जब हम उसको नेता चुन कर भेजते हैं। आज जब सदन का इतना बड़ा अधिकार है उस अधिकार को हम लोकपाल और लोकायुक्त को दे देना चाहते हैं कि वह चीफ मिनिस्टर को हटा दे। यह हमारा जो मैजोरिटी का अधिकार है उस अधिकार को हम एक बिल के जरिए लोकपाल और लोकायुक्त को दे दें। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट में भी प्राईम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को इन्क्लूड किया गया है। जब यह प्रश्न आया तो बहुत हाई लेवल पर इसको एग्जामिन किया गया और इस निर्णय पर पहुंचे कि यह जो इतना बड़ा जुरिस्डिक्शन हमारे हाउस का है उसको कानून बना कर हम लोकपाल और लोक-आयुक्त को नहीं सौंप सकते। वह करेगा भी क्या। रिपोर्ट देगा और वह रिपोर्ट देगा गवर्नर को। उसके बाद गवर्नर हाउस को रिपोर्ट देंगे। चीफ मिनिस्टर हमारे नेता है, इस सदन के नेता है और इस नाते इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेन्ट की नेता है। उनको भी एक्स्क्लूड किया गया है। हमारे सदन के नेता ने इस सदन को विश्वास दिलाया है, वे कहते हैं उन्होंने प्रेसीडेन्ट आफ इंडिया को चिट्ठी लिख दी है, उनके खिलाफ चार्जेज आवें तो आप एग्जामिन करवावें। सदन के सामने उसके नेता की इतनी बड़ी चीज मौजूद है फिर क्या बात है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य या मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को यहां पर उठाया है। मैं भी उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। यह इतनी बड़ी डिमान्ड है। इतनी बड़ी बुद्धि है इस सर्विसेज के पास। यह इस गवर्नमेंट की मशीनरी है। हम बहुत चिल्लावें तो भी वह बुद्धि डिगमिगायेगी नहीं। घबरायेगी नहीं। हमारे प्रश्न होते हैं इसलिए बड़ी कठिनाई से यहां पर कहते हैं कि कहीं पर कोई रास्ता मिल जाए। एक कठिनाई सामने आती है तो बड़ी बुद्धिमानी से किसी का पक्ष लेने के लिए किसी रूल को अमेन्ड करने में यह बुद्धि देर नहीं करती है। इन्टरप्रिटेशन करना उनकी बुद्धि का काम नहीं है। पता नहीं क्या सोचते हैं। यह बहुत अच्छा है। यह समन्वय चलता रहे। जन प्रतिनिधि और सरकारी मशीनरी का समन्वय चलता रहे तो अच्छा ही है। मुझे आश्चर्य हुआ, दो-तीन बार एक मिनिस्टर साहब से मिलना हुआ। वहां देखा, कहने लगे यह तो इनको इन्हेरेन्ट पावर है। नीचे से मामला आ गया और उन्होंने दस्तखत कर दिए। यह हमारा दुर्भाग्य है। तो यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी और जनप्रतिनिधियों का समन्वय, दोनों का साथ मिलकर चलता रहे। ऐसा जरूर हो कि एडमिनिस्ट्रेशन इम्पार्शियल रहे। बहुत बड़ा काम हो रहा है। खाद्यान्न का व्यापार आप करने जा रहे हैं। हिन्दुस्तान और हमारे प्रदेश में कितनी ही गवर्नमेंट की अन्डरटेकिंग है। इन सब जगह आई० ए० एस० को हमने बिठा रखा है। सब जगह ये ही क्यों हैं। आप शिक्षा मंत्री बने हैं और शिक्षा मंत्रालय के ऊपर भी आपने एक आई० ए० स० को बिठा रखा है। एजूकेशन

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

डिपार्टमेंट में क्या और कोई कम्पीटेन्ट अधिकारी नहीं है। होल्कर स्टेट का किस्सा मुझे याद आ रहा है। वहां के राजा के सामने एक माली हाजिर हुआ और उसने हाजिर होकर कहा, हुजूर आपके लिए यह तोहफा लाया हूं। राजा ने कहा, बोलो तुमको क्या इनाम दें। उसने कहा, हुजूर मुझे किसी कालेज का प्रिन्सीपल बना दिया जाए। तो ऐसा आप मत कर दीजिए। यह मालीपने की बात आप मत कर दीजिए। वह कालेज का प्रिन्सीपल नहीं बन सकता है। मेहरबानी करके जहां पर जनरलिस्ट की जरूरत है वहां पर जनरलिस्ट को ही रहने दीजिए। कहीं आपको टेक्निशियन की जरूरत है तो वहीं पर उनको रहने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, भूख से, थकावट से घिरा हुआ विधायक शिक्षा की मांग के बारे में जस्टिस करके बोल सके, इसके बारे में मुझे शंका है। अभी जब मैं हाउस के अन्दर आ रहा था, दो वाच एण्ड वार्ड के व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे, यह हाउस कब तक चलेगा, जब तक कि आज की शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो जाए तब तक यह हाउस चलेगा। वे यह समझ रहे हैं कि आज के डिकशन से शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। यह नारा, यह शब्द बड़ा सुन्दर है। गत 15 / 20 वर्षों से हम इसके बारे में कहते रहे हैं परन्तु फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में यह आमूलचूल परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? यह न तो मुझे मालूम है और न मंत्री महोदय को मालूम है।

मान्यवर, मैं इसके बारे में पहले कुछ कहूं, उससे पहले मैं शिक्षा मंत्री की तारीफ करना चाहता हूं। पंचम् पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पत्र को पढ़ने से ऐसा विदित होता है कि इसके बारे में कुछ आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं और जो केन्द्र के सामने आपने अपनी पिक्चर को पेश किया है, उसमें आपने मेहनत की है। पिछले साल स्कूल के डिस्ट्रिब्यूशन के लिए जो तरीका आपने अपनाया है, एम० एल० ए०, प्रधान, प्रमुख अपने अपनी कान्स्टीट्यूऐंसी के लिहाज से इन स्कूलों का आपस में बटवारा कर लें, यह जो तरीका अपनाया गया है, वह अच्छा है। इसी तरीके से ग्रांट इन एड के बारे में, सन् 68 में जिन स्कूल्स को, प्राइमरी स्कूल्स को आपने मान्यता दे दी है, उनके लिए भी आपने एक पैटर्न तय कर दिया है। चार हजार, दो हजार, आठ हजार बीस हजार यह तय कर दिया है। इसके लिए आपने एक कमेटी भी नियुक्त कर दी है और जिन्होंने ग्रांट का मिसयूज किया है उसका प्राब करने के लिए भी आपने कमेटी बनायी है। मान्यवर, मैं यह मान कर चलता हूं कि राजस्थान के बनने से पहले और उसके बाद इन 19 सालों में काफी प्रोग्रेस हुई है। यह क्वान्टिटेटीव प्रोग्रेस है, फैलाव काफी हो गया है। राजस्थान सरकार तीस साल का एक प्रोस्पेक्टिव डवलपमेंट का प्लान बना लेती, और फिर आपके रिसोंसेज के लिहाज से और प्लान के लिहाज से एक प्रोग्राम बनाकर इस दिशा में चलती तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आ पाते। अगर आप पिछले सालों के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारा सारा का सारा एक्सपेन्डीचर बिल्डिंग्स पर हो रहा है। हमारी एनर्जी इस पर लग रही है कि एनरोलमेंट कितना हो गया है, 6 से 11 और 11 से 14 की ऐज के बच्चे कितने एनरोल हो गए हैं। इस

(श्री केदारनाथ)

प्रकार से एनरोलमेंट पर हम ओवर एम्फे-साइज कर रहे हैं। वही काफी नहीं है। एजूकेशन इतना ही करना उचित नहीं है। एजूकेशन का रास्ता अगर प्रोडक्शन से नहीं जुड़ता है, अगर हम एजूकेशन को मासेज की एस्पाय-रेशन से नहीं जोड़ते हैं, एजूकेशन के रास्ते से इमोशनल सोशल इन्टीग्रेशन से नहीं जोड़ते हैं तो हमारा जो आब्जेक्टिव है समाज में परिवर्तन लाना, इन उसूलों की मार्फत इस देश को आगे बढ़ाना, तो मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि एजूकेशन का जो पर्पज है वह फेल होगा। मान्यवर, कालेज में आप भी पढ़े हैं, आप बड़े अच्छे वकील रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पर आपकी विशेष मेहरबानी है . . .

श्री केदारनाथ : आज हमारे कालेज के लड़के चाइना के रिवोल्यूशन की बात, अमेरिका के रिवोल्यूशन की बात, रशिया के रिवो-ल्यूशन की बात ज्यादा जानते हैं उसके बनि-स्पत हिन्दुस्तान की अपनी बात, राजस्थान के लिबरेशन के बारे में, उसके कल्चरल हेरीटेज के बारे में कितना जानता है, यह उसको मालूम नहीं है। तो जिस बच्चे को हम कालेज में पढ़ा रहे हैं, वह बच्चा जब कालेज से पढ़कर निकलता है तो वह हिन्दुस्तान की मासेज के बीच में अपने को एक फॉरिनर मानता है। हम मासेज के साथ उसका रिश्ता कायम नहीं कर सके। यह एक बुनियादी मसला है। तो मान्यवर, एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। हमारे एजूकेशन डिपार्टमेंट में प्लानिंग सेल के ढंग का काम नहीं हो रहा है। हमारे यहां पर स्टेचुअरी काउन्सिल आफ एजूकेशन होनी चाहिए। उसमें यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेन्टेटिव, एजुकेशन के डाइरेक्टर, वाइस-चांसलर हों, इनकी एक स्टेचुअरी काउन्सिल आफ एजूकेशन हो और जो आफिसर्स एजूकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी एक स्टेन्डिंग काउन्सिल हो और मान्यवर एजूकेशनल कमिश्नर हो वह कोई एजूकेशनिस्ट ही होना चाहिए। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी एजूकेशन को डील नहीं कर सकता। मेरा किसी व्यक्ति से वास्ता नहीं है। मैं आपको अपनी बात को रखने के लिए कह रहा हूं। एज्युकेशन कमि-श्नर की पोस्ट पर किसी आई० ए० एस० को रख कर, किसी एडमिनिस्ट्रेटर को रख कर, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट रखकर आप चाहें कि उसके जरिए सारा का सारा इम्प्रूवमेंट हो जाए, वह यह इम्प्रूवमेंट कर पाएगा इन नये कार्यक्रमों को शिक्षा के क्षेत्र में इन्ट्रोड्यूज कर पाएगा, यह सोचना इनकरेक्ट होगा। वह शिक्षा का रिओरिएन्टेशन कर पाएगा यह नामुमकिन होगा। मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा प्लानिंग बने, इसके लिए वहां एक प्लानिंग सेल हो कि दस साल के लिए एजू-केशन का यह प्लान है। जो हमारा शार्ट-फाल है, बैकवर्ड क्लास है, जिनके अन्दर एजूकेशन नहीं है, जो हेन्डीकेप्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए जिला लेवल पर प्लानिंग हो, उनकी एजूकेशन के लिए एक पैटर्न बने, हमें इनको एजूकेशन देना है, अब इस गांव की तरफ देखना है, तो यहां पर यह जो शार्टफाल है उनको मेक-अप कर पाएंगे। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि जिला लेवल पर प्लानिंग का सेल लाजमी तौर से होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग 20 साल का हो तब जाकर पांचवीं योजना में टेलीविजन लगाने जा रहे हैं तो मालूम पड़ेगा कि राजस्थान की पिक्चर क्या है।

यहां प्राइमरी एजूकेशन की बात चली। मेरी अपनी मान्यतायें हैं। अगर आप चाहते

(श्री केदारनाथ)

हैं कि देश में सोशल और नेशनल इन्टीग्रेशन हो तो लाजिमी तौर से प्राइमरी एजूकेशन सैंटर को अपने हाथ में लेना चाहिए। पब्लिक स्कूल्स बंद होने चाहिए। अगर कभी घूमते घूमते सेंट जेवियर के पास पहुंचता हूं और आप वहां खड़े हो कर देखें–10-15 कारें व जीपें लोगों की आएंगी, बच्चे बैग्स लिए उतरेंगे, टाइ बंधी हुई, बूट पहना हुआ, भोजन के लिए अंडे, मीट, फल इत्यादि घुस गए अंदर और एक मजदूर का लड़का, पुरानी चप्पल पहना हुआ, फटे हुए कपड़े, बाजरे की रोटी, दोनों में मेल कैसे आएगा? नेशनल इमोशनल इन्टीग्रेशन कैसे पैदा हो सकता है? जो सिस्टम एनामली पैदा करता है, सोशल आस्ट्राइसिज्म, सेग्रीगेशन पैदा करता है, बुनियादी तौर से बच्चे के दिमाग में यह चीज है तो वह सफल नहीं हो सकता। वह फर्क कब मिटेगा? अमीर बच्चों की मैजोरिटी है। बच्चों में मेल नहीं हो सकता तो कालेज लेवल पर आप उस बच्चे को संभाल पायेंगे? नहीं। इसलिए प्राइमरी एजूकेशन, प्री स्कूल एजूकेशन बहुत इम्पार्टेन्ट रोल अदा करती है।

हमारे देश पर चीन का एग्रेशन हुआ। एकता दिखाई, एन्थूजिज्म दिखाया और नेशनल इन्टीग्रेशन दिखाया। पाकिस्तान के हमले हुए, हमने एकता दिखाई। मगर बुनियादी तौर पर नेशनल इन्टीग्रेशन नहीं पैदा कर पाए। इसमें दो राय नहीं एजूकेशन एक इन्सट्रूमेंट है जिससे नेशनल इन्टीग्रेशन बनना चाहिए, तो कामन स्कूल्स होने चाहिए। मैं उन पब्लिक स्कूल्स के लिए नहीं कहता जो अच्छे हैं लेकिन जो स्कूल्स कम्यूनल बायस पैदा करते हैं, स्नाबरी पैदा करते हैं, जहां पोलिटिक बायस हो, वे नहीं होने चाहिए। आदर्श विद्या स्कूल के लिए कहा गया, ऐसे बहुत ही स्कूल हैं। अगर हैड मास्टर सोशलिस्ट पार्टी का है तो मैं उनके लिए कहूं कि वह प्रोग्रेसिव है, दूसरी पार्टी का हैड मास्टर है तो मैं कहूं कि वह रीएक्शनरी है। मैं मानकर चलता हूं कि टीचर्स की एकेडेमिक लाइफ फ्री करें उनमें पोलिटिकल बायस न हो, कम्यूनल बायस न हो फिर चाहे वे आर० एस० एस० के हों, जनसंघ के हों, खालसा स्कूल हो चाहे आर्य समाज का हो, तो आपको दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। प्राइमरी स्कूल्स की बात मैंने इसलिए कही, पब्लिक स्कूल्स का आप कैसे इंतजाम करें, सारे देश का एक कोर्स हो, एक सिलेबस हो, सारे देश के बच्चों की ड्रेस हो, मिड-डे मील प्रोटीन ओरीयंटेड मील ताकि बिलो पावर्टी लाइन वाले भी उनके साथ मिल जायें, अगर ऐसा सिस्टम इवाल्व नहीं किया, तो 56 करोड़ की आप बात करते हैं अगर 256 करोड़ भी ले लें तो वह पर्सनलिटी, कैरेक्टर, कान्शसनेस, इन्टीग्रेशन और ताकत बच्चों के दिमाग में नहीं आएगी। हायर सैकेण्डरी स्कूल्स में जो डिटरमिन्ड हो जाते हैं, कन्डीशन्ड हो जाते हैं, उनको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। विद्यार्थियों की लीडरशिप कैसी है? यह रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूं कि यह स्नाबरी, सेग्रीगेशन की भावना आज मोस्टली 90 प्रतिशत लीडरशिप को देखेंगे तो पढ़ने नहीं, हाई क्लास के लोग हैं, दादागिरी में विश्वास करते हैं, वह लोग लीडरशिप करते हैं, हड़ताल करते हैं, फायदा उठाते हैं। एक देहाती आदमी आकर कालेज में एन्टर करता है, वह डरता है, तब इन्टर यूनियन राइवलरी में हाथापाई दिखाते हैं, कालेज बाउंडरी में आपने मर्डर्ज सुने। टीचर्स की पिटाई, एग्जामिनेशन्स में इविजी-

(श्री केदारनाथ)

लेटर्स को घायल किया गया। तो गरीब आदमियों की लीडरशिप नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि विद्यार्थियों में अच्छी लीडरशिप पैदा हो, टीचर्स अच्छी लीडर शिप दे पायें तो एजूकेशनल सिस्टम को बुनियादी तौर से बदलना होगा।

दूसरी बात मैं प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में कहना चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री की तारीफ करता हूं फाइनेन्स के साथ, हेल्थ के कास्ट पर उन्होंने इस विभाग में मेहनत की है। जितनी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं मैं उनके राष्ट्रीयकरण की नीति में विश्वास करता हूं। कम से कम जिला स्तर पर बोर्ड्स बनाए जायें ताकि वे कन्ट्रोल करें. महाराष्ट्र के पैटर्न पर वरना कन्ट्रोल नहीं हो पाएगा। एक प्राइवेट स्कूल टीचर की पोजीशन बहुत खराब है। कम से कम दो तीन बातें आप तय करें। जिनको आप ग्रांट-इन-एड देते हैं, उनकी सिक्यरिटी आफ सर्विस हो, पे-स्केल्स में फर्क न हो और एडमिशन पैटर्न में फर्क न हो। आज क्या होता है ? जिनके 55 प्रतिशत मार्क्स हैं प्राइवेट स्कूलों ने ले लिए। जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं नाइन्थ में सारे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग, बिलो पावर्टी लाइन, निकम्मे सबको गवर्नमेंट स्कूलों में भर्ती करना पड़ता है। तो उनके मुकाबले में रिजल्ट्स नहीं हो सकते। जहां तक एडमिशन्स का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट बेसिज पर इन्सपेक्टर के नीचे बोर्ड बनाया जाए और वह एडमिशन्स कन्ट्रोल करे। हरेक पब्लिक प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन में उसके नंबर के लिहाज से सारे लड़के सब कम्यूनिटीज के लोग एडमिशन लें। एडमिशन की रश के समय गरीब आदमी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं। फीस को भी कन्ट्रोल करें। मैं एक सजेशन देना चाहता हूं। टीचर्स के लिए एक ट्रिब्यूनल कायम किया जाए डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर चाहे डिविजनल बेसिस पर। इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में टीचर्स और एम्पलाईज के ग्रीवेन्सेज रिड्रेस हों, प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स ट्रिब्यूनल्स के पास ग्रीवेन्सेज ले जायें चाहे पे के बारे में, चाहे सिक्योरिटी आफ सर्विस, और चाहे सीनियोरिटी वगैरह वगैरह के बारे में। मामूली बात है, एक बहुत बड़ा ऐजीटेशन बंद हो जाएगा, बहुत बड़ी सरदर्दी बंद हो जाएगी। जब टीचर्स कन्टेन्टेड होंगे, कामीटेन्ट होंगे, एन्थ्यूसिएस्टिक होंगे तभी जाकर रिलेशन्स अच्छे होंगे विद्यार्थियों के साथ। कभी शेखावत, कभी दूसरा वक्त आता है, टीचर्स क्लास एटेंड करें, या यूनियन्स की मीटिंग अटेंड करें, मंत्री महोदय के पास जायें, विधायकों के पास जायें। टीचर्स के चारों तरफ सफोकेशन पैदा कर दिया। मामूली बात थी, कौनसी यूनियन के पीछे कितने आदमी हैं, वह अलग बात है, उनके ग्रीवेन्सेज मिटाने की घोषणा करते। प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के टीचर्स की सिक्योरिटी आफ सर्विस आपके हाथ में हो। आपकी ट्रिब्यूनल या बोर्ड की इजाजत के बिना किसी टीचर को सस्पेंड या टर्मीनेट नहीं किया जा सकता। यह विश्वास अगर उसको मिल जाए तो फिर यदि टीचर्स मैलप्रेक्टिसेज करते हैं तो हम जिम्मेदार हैं। तो एक तो पे स्केल्स में फर्क न हो और दूसरा एडमिशन पैटर्न तय करें। एक स्कूल आफ थाट देश में चल रहा है कि टीचर्स के नेशनल लेवल पर पे स्केल्स बनने चाहिए। इन्टर-स्टेट डिफरेंसेज बहुत कम हों। यूनिवर्सिटी टीचर हो, कालेज टीचर हो, हायर सैकेन्डरी टीचर हो, प्राइमरी टीचर हो, कम से कम फर्क हो। एक सीनियर टीचर की बात है, वे एजीटेशन कर रहे हैं। टीचर को एजीटेशन करते समय रिजर्वेशन आता है, उनके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि हम एक ऐसी

(श्री किशार भाय)

लाइनें पर चल रहे हैं, उनकी जायज बातें हैं। उनका इन्क्रीमेंट ड्यू है 15 साल से, एम० ए० सैकेन्ड क्लास, बी० एड० और करे, वर्कलोड ज्यादा, वर्किंग पीरियड्स ज्यादा। उनमें दोष किसका है। 1960 से लेकर आज तक जितने सर्विस क्लासेज व उनके ग्रेड्स बनाए क्वालीफिकेशन्स को देखते हुए। सैकेन्ड ग्रेड और सीनियर टीचर्स इनकी सीनियोरिटी लिस्ट दोनों की एक बनती है। एक सीनियर टीचर बनने के बाद वह रिटायर भी सीनियर टीचर ही होता है, हैड मास्टर कोई 2 बनता है, चान्सेज आफ प्रमोशन रुक जाते हैं, उनको यूनिवर्सिटी टीचर बनने का अधिकार होना चाहिए, प्रमोशनल तरीके निकालें। मैं समझता हूं मंत्री महोदय सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

दूसरी बात, टीचर्स ट्रेनिंग कालेजेज की हालत बहुत खराब है। केपीटेशन फीस लेते हैं विद्यार्थियों से 800) 1000) रुपए लेते हैं न दें तो एडमिशन कैसे हो? पंजाब, हरियाणा के स्टूडेन्ट्स भी आते हैं, कोई पैटर्न नहीं। कालेजों में फर्नीचर नहीं, वहां क्या टीचर्स ट्रेनिंग ले सकेंगे, क्या पढ़ेंगे? वहां की हालत बहुत खराब है। केवल यह कहना कि हम ऐड नहीं देते, उससे कुछ फल नहीं निकलता। तो मान्यवर, मैंने दो तीन बातें इसलिये कहीं कि एक हायर सैकेण्डरी और सैकेण्डरी स्कूल्स के लिये एक कमीशन नियुक्त हो जाता तो जितनी मैल प्रेक्टिसेज हैं, रूल्स की इर्रेगुलरिटीज हैं, उनके बारे में एक पैटर्न तय हो जाता, एक नया सिस्टम पैदा हो जाता और उनकी जो मिसअण्डरस्टेंडिंग्स हैं, वह मिट जातीं।

चौथी बात मैं यूनिवर्सिटी एजूकेशन के बारे में कहना चाहूंगा। प्रश्न चला श्रीमाली कमेटी का। राज्य सरकार को आज से छः माह पहले फैसला करना चाहिये था कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहां हो। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक क्राइटेरिया दिया, फिर इस कमीशन की जरूरत नहीं थी। हायर एजूकेशन क्या हो, क्या पैटर्न हो, बहुत कमीशन्स की रिपोर्ट्स हमारे सामने थीं फिर भी आपने कमीशन नियुक्त कर दिया। राजस्थान में दस साल से यह प्रश्न चल रहा है कि हायर एजूकेशन कहां हो। बीकानेर, कोटा और अजमेर को आपने एस्पायरन्ट बना दिया। मैं आज भी सुझाव देना चाहता हूं कि अजमेर और जयपुर यूनिवर्सिटी का पैटर्न एक हो। आज यह होता है कि जयपुर के एफिलीएटेड कालेजेज और यूनिवर्सिटी के कैम्पस कालेजेज हैं, उनमें कन्फ्लिक्ट है। सर्विसेज में फर्क है, टीचर्स के कैलीबर में फर्क है। जितने एफिलीएटेड कालेजेज हैं उनके लिये आप अलग से यूनिवर्सिटी बना दीजिये। अजमेर में 6 कालेजेज हैं, वहां मांग करते हैं कि अलग से यूनिवर्सिटी हो, तो वहां एक यूनिवर्सिटी कायम कर दो। कोटा एस्पायरेन्ट है, वहां आप टैक्निकल एजूकेशन का सेन्टर बना दें। बीकानेर में भी आप यूनिवर्सिटी कायम कर सकते हैं। वहां आप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का काम्प्लेक्स बना सकते हैं। जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में काम दे सकता है। अलवर और भरतपुर में पांच छः कॉलेजेज हैं, वहां पर आप यूनिवर्सिटी सेन्टर कायम कर सकते हैं, रीसर्च का सेन्टर कायम कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी कैम्पस और कालेज एजूकेशन में फर्क होता है।

(श्री केदार नाथ)

इन्टर युनियन राइवलरीज होती हैं, टीचर्स के झगड़े होते हैं, आपस में कोआर्डीनेशन नहीं है। स्ट्रक्चरल चेन्जेज करने में हमने डिले किया। तीन साल से बात चल रही है कि एक्ट में अमेंडमेंट लायेंगे, एक्ट में अमेंडमेंट्स लाये नहीं, और वहां पर एजूकेशन खराब हो रहा है, कोई रिसर्च की व्यवस्था नहीं। आप युनिवर्सिटी की आटोनामी की बात करते हैं। लेकिन आटोनामी केवल इस बात की है कि जो पावर्स उनको दे दिये हैं उनका वह इस्तेमाल करें। आटोनामी का यह मतलब नहीं है कि हमारा जो आब्जेक्टिव्ज है कान्स्टीट्यूशन के तहत उनको भी हम पूरा नहीं करें। युनिवर्सिटी एजूकेशन के बारे में एक स्टेच्यूअरी काउन्सिल आफ एजूकेशन बनाई जाती है, जिसमें एक युनिवर्सिटी का वाइस चान्सलर हो, एजूकेशन कमिशनर हो, ऐसी एक कमेटी बनाई जाती है तो मेरे खयाल से आज जो कमियां हैं, उनको दूर कर सकते हैं।

एक बात और कहता हूं एजूकेशन के बारे में हम लोग अगर थोड़ा सा सोचें कई स्टूडेन्ट्स एजीटेशन्स हुए, एग्रीकल्चरल स्टूडेन्ट्स का एजीटेशन हुआ, मैं निवेदन करता चाहता हूं कि एग्जामिनेशन्स आने वाले हैं, हो सकता है उन स्टूडेंट्स का हाथ किसी वायोलेन्स में हो, आर्सन और लूट में हो सकता है, मगर थोड़ा सा हम अगर यह चाहें कि उनके अंदर एक नया अवेकनिंग पैदा हो कि हमने यह गलत काम किया है और हमारा यह एजीटेशन का रास्ता सही नहीं था और हम डाइवर्ट कर गये, इसलिये उनके खिलाफ केसेज को अगर वापिस ले लें तो कुछ हम लोगों का क्रेडिट होगा।

मैं स्टूडेंट लीडरशिप से भी कहूंगा कि जो स्टूडेंट किसानों के लड़के हैं, स्मॉल ट्रेडर्स के लड़के हैं, छोटे एम्पलाइज के लड़के हैं, उनको चाहिये कि आज जो बुर्जुआ स्टूडेंट लीडरशिप कर रहे हैं उस लीडरशिप को स्क्रेप कर दें। जो दादागिरी करते हैं, स्केंडल्स करते हैं, आप उनके खिलाफ मोरल टर्पीट्यूड के नाम से एक्शन ले सकते हैं।

अगर आप स्टूडेंट्स में सुधार लाना चाहते हैं तो आप उनको डिग्री देने के पहले साठ दिन नेशनल सर्विस में काम ले, उनसे फील्ड में काम लें, वर्कशाप में काम लें, कहीं उनको काम दें, उसके बाद ही डिग्री दें। जब वह मासेज में काम करेंगे तो उनके सोचने का तरीका और एप्रोच टू वर्क बदल जायेगा।

मान्यवर, मान्टेसरी स्कूल्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मान्टेसरी की ट्रेनिंग लोग लेते हैं और उनको हमने मान्यता दे दी है। पहले एक यह साल का कोर्स था और अब हमने इसको दो साल का कोर्स कर दिया है। लेकिन जो पहले का कोर्स किये हुए हैं उनको तो आप ऐबजार्ब करिये। अगर उनको एक साल की ट्रेनिंग और देनी है तो दे दो, लेकिन उनको डिसप्लेस करने और एम्प्लॉयमेंट से बाहर फेंकने की बात तो मत करो।

श्री चन्दनमल बैद : कहां फेंक रहे है ? बाहर फेंकने का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री केदार नाथ : यहां एक कास्मिक सेन्टर आफ एजूकेशन है.......

श्री चन्दनमल बैद : उनको कह दिया है कि सन् 1973 की मार्च अप्रेल तक जो कोर्स खत्म हो जायेगा उसमें जो विद्यार्थी निकलेंगे

(श्री चन्दनमल बैद)
उनको तो एब्जॉर्ब करेंगे जैसे कि दो साल वालों को।

श्री केशरनाथ : लिंगुइस्टिक माइनॉरिटीज, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और सिंधी के संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आज इन भाषाओं के जो ऑर्गेनाइजेशन्स हैं उनकी मेम्बरशिप की एक काउन्सिल बना दीजिये। किस किस स्कूल में क्या क्या सब्जेक्ट इन्ट्रोडयूस किया जाये यह उनकी सलाह से किया जाये तो मेरा ख्याल है उनके ग्रिवेन्सेज दूर हो जायेंगे। हमने यह भी तय किया था कि इन विषयों में एम० ए० को क्लासेज भी खोलेंगे। और जब हम सिक्यूलरिज्म में विश्वास रखते हैं, तो इन भाषाओं के लिये जो आपने फैसले किये हैं, आप उन आर्गेनाइजेशन्स के नुमायन्दों को लेकर एक काउन्सिल बना दें जो यह फैसला करे कि कैसे उन भाषाओं का विकास हो और कैसे आपके फैसलों को इम्पलीमेंट किया जाये।

मान्यवर, अब मैं कुछ लाइब्रेरीज के बारे में कहना चाहूंगा। आज डिग्री कॉलेजेज की लाइब्रेरीज हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज की लाइब्रेरीज हैं, उनको आपने एक ही ग्रेड दे रखा है। जो पीएच० डी० करके आते हैं उनको हमने कोई वेटेज नहीं दिया? तीस साल के बाद वह किसी ऑफिस के लिये भी एलीजिबिल नहीं है। एज आप एक्सटेंड कर दें यह तो मामूली सी बात है। उनको आप सीनियर टीचर्स में काउन्ट कर दें वरना यह हायर एजूकेशन की तरह की जो बाडी है वह खत्म हो जायेगी। किसी न किसी तरीके से उनको आप कोई न कोई इन्सेन्टिव, कोई न कोई मदद इस तरह की दें ताकि लोगों का हायर स्टडीज में एप्टीट्यूड हो और वह बाद में कायम रहे।

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं इस बात को मानता हूं, सारे देश की हुकूमत, राजस्थान की हुकूमत का मोडल एक साल पहले था, उस वक्त जो इम्पेक्ट था, पार्टी का, सरकार का, वह मौजूदा मंत्रिमंडल का नहीं रहा है। लेकिन जो एक इम्पार्टेन्ट आस्पेक्ट है, कान्फीडेंस आपको क्रियेट करना चाहिये था, वह नहीं हुआ है और कान्फीडेंस डिक्लाइन हुआ है। इसका इलाज आपने नहीं किया। इसके इलाज के लिये आप यह कह दें कि एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ नहीं दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का आपने रीओरिएंटेशन नहीं किया है यह काफी नहीं है। यह कह दें कि सारी पॉलिसी रीएक्शनरी रही, यह सही नहीं है। क्योंकि पॉलिसी अच्छी अच्छी थीं लेकिन आपने फेल्योर के साथ में स्टेप उठाये यह बात मैं मानता हूं।

तीसरी बात है, जिस पर हमेशा स्ट्रेस करता हूं, मौजूदा मंत्रिमंडल, मौजूदा कांग्रेस, राजस्थान के मौजूदा चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दे पाये। पालिटिकल लीडरशिप आप तब तक नहीं दे सकते जब तक कि मौजूदा पावर का डिसेन्ट्रलाइजेशन नहीं करें। आपने कलेक्टर को सेन्टर फिगर करके सारी पॉवर जयपुर में सेक्रेटेरियेट में बन्द कर दी। सारी पावर आपके हाथ में है। फिर चाहते हैं कि देश के अंदर प्रजातंत्र कायम हो, आम आदमी से शासन का सीधा रिश्ता कायम हो–तो यह हो नहीं सकता। मान्यवर, इसलिये लाजमी आप डिसेन्ट्रलाइजेशन कीजिये, जिला परिषद, म्युनीसिपल बोर्ड, पंचायतों को आप मजबूत कीजिये। पॉवर आप वहां दें। एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, जब से पंचायतों में टीचर गये हैं, उनकी बुरी हालत हो गई है। कोई बात नहीं। आज सब पंच खराब हैं तो कल पंच अच्छे होंगे। आज पंचायतें गन्दे लोगों के

(श्री केदारनाथ)

हाथ में हैं तो कल अच्छे लोगों के हाथ में होंगी। आपने यह इन्स्टीट्यूशन खोली, आपकी पॉलिसी ठीक है, आइडिया ठीक है। इलेक्टेड लोगों के हाथ में सारी पॉवर हो तब जाकर आप क्लासलैस सोसायटी की बात कह सकेंगे। बीच का कोई रास्ता नहीं है। केवल यह कह दें कि इस कलेक्टर के साथ यहां मीटिंग कर लें तो यह केवल टोकन पार्टीसिपेशन है। आपकी यह जो कन्सलटेटिव कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी है यह काफी नहीं है। यह धोखा है, यह मिथ्या है, यह इल्यूजन है। बेसिकली चेंज यह होना चाहिये, सारी की सारी पॉवर हमारे हाथ में आवे, इलेक्टेड मेम्बरों के हाथ में आये। कलेक्टर केवल सुपरवीजन करे, केवल जैसे वाच किया करते हैं, वाच एण्ड वार्ड के लोग, वह करें। सारी पॉवर, सारा इम्प्लीमेंटेशन का काम हमारे हाथ में होना चाहिये। जब तक यह कन्सेप्ट नहीं होगा, डिसेन्ट्रलाइजेशन का, तब तक हमारे फेल्योर्स के लिए आप कह दें, नौकरशाही बुरी है, तो नौकरशाही बुरी नहीं है, आपकी पॉलिसी बुरी है। आप डिसेन्ट्रलाइजेशन नहीं करना चाहते। आप डिसेन्ट्रलाइजेशन कीजिए अगर आप चाहते हैं, मासेज के इन्टेलिजेंसिया, मासेज के कनविक्शन्स, मासेज के एन्थूजियाज्म को चैनेलाइज करना। इसके बिना न परिवर्तन आया है और न आयेगा। चायना की फिलोसाफी है, उसके आधार पर आप चीजों को चेंक कर सकते हैं, रीएक्शनरीज को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश की अपनी हैरीटेज के मुताबिक, कनविक्शन्स के मुताबिक आगे बढ़ेंगे तो इसका एक ही इलाज है कि पब्लिक नुमाइन्दों को पॉवर दीजिये, तब परिवर्तन आयेगा। एम० एल० एज० आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आज मंत्री टाइम नहीं देते। मिलने आते हैं सेक्रेटेरिएट में तो मिलते नहीं हैं। मैं मानता हूं, टाइम मिलता कहां है। एक महीने में सात दिन का समय एम. एल. एज. के लिये निकाल लें। एक दिन में तीन-चार से सुबह मिल लें, तीन-चार से शाम को मिल लें। आपका टाइम टेबल होना चाहिये। अब कहें कि रामचन्द्रजी बांसवाड़ा घूमें, भीलवाड़ा घूमें। नहीं घूमते तो इसमें दोष क्या है। इसका एक ही इलाज है और इलाज यह है- 144 एम. एल. एज. हैं, आप हिम्मत कीजिये, अगर डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप मजबूती से जो प्लेट फोर्म है, यह इस पर जो हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में राइट शरीक हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका इस्तेमाल करिये। केवल मंत्रीमंडल में शामिल हों— यह काफी नहीं है। कांग्रेस के एम. एल. ए.. 144 हैं, इनमें से आठ-दस मंत्रीमंडल के लोग हैं, वह लोग गलत काम कर रहे हैं तो उनको छोड़िये, उनके गलत कामों का गुनाह आपका है क्योंकि आप करेक्टिव फोर्स हैं। 144 एम. एल. ए. उस करेक्टिव फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ऐसी फोर्स पैदा नहीं करते हैं, पब्लिक को यूनाइट कर डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करते हैं तो मैं मानता हूं, कांग्रेस के एम. एल. ए. अपना फर्ज पूरा नहीं करते हैं। कांग्रेस के एम. एल. ए. कहते हैं, कलेक्टर हमारे साथ बात नहीं करता है। वहीं पर आप उसको कम्पेल कर दीजिये, फिर देखिये चीफ मिनिस्टर कांग्रेस दल से आपको कैसे निकालता है। यहां आप कह रहे हैं, वहां कलेक्टर आपसे बात नहीं करता है, आपकी बात नहीं मानता है। वहां से आप चुपचाप आ जांय और यहां कह दें यह काफी नहीं है। कांग्रेस के 144 एम.

(श्री केदारनाथ)

एल. ए. चुनाव जीत कर आये हैं। यह राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ी चीज है। हम आंधी से बच बचा कर किस तरह से निकल कर आये हैं। 144 की बहुत बड़ी ताकत है, कल आप 170 बन सकते हैं, या फिर 50 भी बन सकते हैं। इसलिये जनता की भावना यहां मंत्रीमंडल के कामों से रेस्पोन्ड नहीं होती है तो आप खड़े होकर कहें. आप डिमॅंस्ट्रेशन करें, मीटिंग करें। आपको कौन रोकता है। ट्रक वाले राजस्थान बन्द करवा सकते हैं। तो 144 एम. एल. एज. तो कई राजस्थान बन्द करवा सकते हैं। ट्रक वाले सारे राजस्थान को बन्द करवा सकते हैं मामूली से टैक्स की बात को लेकर, तो 144 एम. एल. ए ज. की ताकत इतनी है कि बरकतुल्ला की हिम्मत है कि आपकी बात को नहीं माने। किसी मंत्री में इतनी हिम्मत है कि आपकी बात को नहीं माने। मासेज के साथ में आपका टच है, आपका संबंध मासेज से है। आपका संबंध मासेज के साथ है तो आप उनमें कॉन्फीडेंस इन्सपायर करें। आपका संबंध मंत्रियों से है, आप इनमें कॉन्फीडेंस इन्सपायर करें। आप लाइजन हैं, मासेज और सरकार के बीच में। यह लाइजन जुड़ जाता है तो आपके सारे इश्यूज तो खतम हो जायेंगे। सामान्य प्रशासन के बारे में मैं खास तौर पर पॉलिटिकल लीडरशिप की बात दोहराता हूं। एम. एल. ए. अपने इलाके में लीडर अपने को समझें, कलेक्टर की तरफ मत देखें। यह आपका बहम है कि आपको टिकट कल मिलने वाला नहीं है। एम. एल. ए. हैं, एम. पी. हैं—यह मासेज का अपने को प्रतिनिधि समझें। चीफ मिनिस्टर को मैं इसके साथ कहता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप देने में आप फैल हुए हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन को गिअर अप करें, आप पीछे नहीं रहें। लाबी कौनसी आपके खिलाफ क्रियेट होती है, उसकी चिन्ता न करें। जो हवा बन रही थी, जो दादागिरी चल रही थी, जिसकी वजह से कोई काम नहीं होता था, वह दादागिरी खत्म कर दी। वह नाराज है, नाराज रहें, भले ही तमाम एम. पी. और तमाम एम. एल. ए. नाराज हों, इसका इलाज माननीय मुख्य मंत्री, आपको सोचना पड़ेगा, कि इलाज सोचना पड़ेगा जिससे दादागिरी खत्म हो जो बची है.........

श्री मोहरसिंह : यह कांग्रेस का उपदेश कब तक चलेगा। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री केदारनाथ: हम तो कमजोर हैं...

श्री मोहरसिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। ऐसा आपका कट मोशन है नहीं और यहां पर क्लास ले नहीं रहे हैं।

श्री केदारनाथ : जनरल है, जी. ई. एन. ई. आर. ए. एल.। जनरल नाम है इसके आगे। इसलिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक बात और कहते हुए अपनी बात खतम करूंगा। हमने सी. आर. का फार्मूला तय किया, उसको भरते वक्त केअर स जेक्टिव होना चाहिये जिससे आफिसर्स में सनक आये और एडवर्स रिमार्क लगा दें। इसलिये सी. आर. को पर्फोर्मेंस को जोड़ें, पर्फोमंस एप्रेजल के साथ जोड़ें, जोब के साथ जोड़ें।

आपने जितने प्रमोशन किये, डिपार्टमेंटल कमेटियां बनाई, उनमें केवल सीनियोरिटी ले लें। फार्मूला तय किया, मैरिट-कम-सीनियोरिटी। मैं मानता हूं, टेक्निकल आफिसर है, जो इंजीनियर्स से वास्ता रखता है, उसमें एक है, वैसा ही दूसरा है इसलिये

(श्री केदारनाथ)
सीनियोरिटी से वहां काम होना चाहिये। मैरिट का तब होना चाहिये जब कॉम्पीटेन्स का सवाल हो।

अन्त में कहता हूं, एक बार तय किया था तीन साल पहले कि आर. ए. एस. के पच्चीस पर्सेन्ट आई. ए. एस. में जायेंगे, चालीस पर्सेन्ट, कब वह वायदा पूरा होगा।

अन्त में जो पी. वी. एक्स. ऑपरेटर काम करते हैं, हम मान रहे हैं एल. डी. सी. कैडर में, तो उन्हें एल. डी. सी. कैडर में शामिल कर दिया जाय ताकि पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रमोशन के केसेज उस कैडर में आ जाय।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया !
(अनुपस्थित)

श्री चेतराम !
(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदी लाल !
(अनुपस्थित)

श्री जेठमल आर्य !
(अनुपस्थित)

श्री मुंशीलाल महावर !
(अनुपस्थित)

श्री जयकिशन लाल (फागी) !

श्री जयकिशन लाल तोसावाड़ा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विचार प्रकट किये जा रहे हैं वह शिक्षा के संबंध में हैं। शिक्षा की आज इस प्रकार की स्थिति है कि मानो मनुष्य को दुबारा जीवन देती है। यदि मानव को शिक्षा न मिले तो मानव मानव कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता क्योंकि जीवन को अच्छाई की ओर ले जाने के लिये, जीवन में वास्तविकता लाने के लिये, मनुष्य जीवन के लिये शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा एक ऐसा धन है, जो नष्ट नहीं हो सकता। शिक्षा के संबंध में किसी कवि ने एक पंक्ति लिखी है और उन्होंने बताया है :

विद्या ही है रूप पुरुष का।
चोर चुरा नहीं ले जावे ॥
जल डूबे न जले पावक में।
भाई बांट नहीं पावे ॥

यदि इस प्रकार की शिक्षा मानव के लिए अति उत्तम है तो इस शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की अवहेलना की जा रही है जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और समस्त जनता के लिए घातक है। शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अन्दर विभिन्न प्रकार से हम अच्छाइयां देखते हैं और बुराइयां भी। आज मानव शिक्षा की ओर यदि अग्रसर हो तो उसका जीवन और भविष्य उज्ज्वल हो सकता है।

स्कूलों की दृष्टि से या विश्वविद्यालय की दृष्टि से या प्रायमिक शालाओं की दृष्टि से हम देखें तो आज हमारे समाज के अन्दर इस प्रकार की धारणाएं हैं कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके लिए आप विद्यार्थियों को दोष नहीं दे सकते क्योंकि अनुशासनहीनता यदि प्रकट होती है तो अपने परिवार से होती है। किसी विद्यार्थी पर अनुशासनहीनता थोप दी जाय तो यह सहने योग्य बात नहीं है। आज माता-पिता के विचार इस प्रकार के बने हुए हैं कि वह अपनी सन्तान को सही रास्ते

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

की ओर अग्रसर नहीं करते हैं। हम भले ही अनुशासनहीनता के लिए विद्यार्थियों को दोष देते हैं लेकिन वह अनुशासनहीनता सारे समाज में ही बढ़ती जा रही है। इसलिए इसके लिए केवल विद्यार्थियों को ही दोष देना सारगर्भित बात नहीं है।

दूसरी ओर अध्यापकों की हमेशा यह शिकायत रही है चाहे वह विद्यालय के अन्दर हों, चाहे विश्वविद्यालय के अन्दर हों, कि विद्यार्थी अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो मैं माननीय अध्यापक महोदयों से पूछना चाहता हूं कि आप कौन से अनुशासन का पालन करते हैं? आप आज जिस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को देंगे उसी प्रकार की शिक्षा विद्यार्थी ग्रहण करेंगे। आप जिन धारणाओं से विद्यालयों के क्षेत्रों के अन्दर प्रविष्ठ होते हैं उसी प्रकार की धारणाऐं विद्यार्थी लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि हम किसी को शिक्षा दें तो शिक्षा देने से पहले हमें स्वयं अपने आपका अवलोकन कर लेना चाहिए। आज आप किस स्तर पर हैं, आपके विचारों में किस प्रकार की अच्छाइयां और बुराइयां हैं तो उन अच्छाइयों और बुराइयों की ओर स्वयं अध्यापक ध्यान दें, यानी जो हमारे परिवारों के मुखिया लोग हैं चाहे मां हो, चाहे पिता हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे वह बड़ी बहन हो, यदि हम अपने विचारों को सही रूप से मोड़ें तो आज विद्यार्थी वर्ग बुराइयों की ओर नहीं जा सकता। विद्यार्थी एक नवीनतर नवीन पौधे के समान होता है। जिस प्रकार से पौधे को पल्लवित होने के लिए हम पानी देते हैं, उसमें खाद देते हैं ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी भी एक ऐसा ही नवीन पौधा है। जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार के विचार आप उसके अन्दर डालना चाहते हैं वह उन्हें ग्रहण करता है, और समाज की ओर बढ़ता है। जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके समाज के क्षेत्र में प्रविष्ठ होता है तो उसे कदम कदम के ऊपर वातावरण परिवर्तित होता हुआ दृष्टिगत होता है। जिस प्रकार के साथी, जिस प्रकार के उसके साधन हैं, जिस प्रकार की शिक्षा और जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा ठीक उसी प्रकार से वह बचपन से आगे बढ़ता हुआ उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को ग्रहण कर लेता है। इसलिए यह सारा दोष हम यदि विद्यार्थी वर्ग पर थोपें तो यह उचित नहीं होता है। विद्यार्थी वर्ग को सुधारने के पहले जो समाज के प्रतिनिधि हैं, समाज के मुख्य शीर्ष के लोग हैं वह स्वयं अपने आपको सुधारें। तभी जाकर विद्यार्थी वर्ग सुधर सकता है।

सरकार से मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज विद्यार्थी वर्ग के अन्दर इस प्रकार की भिन्नता क्यों है? वह इसलिए कि उनके माता-पिता उनको केवल शिक्षा ही देना चाहते हैं। यदि उस शिक्षा के साथ में कोई तकनीकी शिक्षा हो, कोई मॉन्टेसरी की शिक्षा हो जो कि विभिन्न देशों के अन्दर दी जाती है उस शिक्षा के साथ-साथ में तो विद्यार्थियों का जीवन भी सुचारु रूप से आगे की ओर बढ़ सकता है। यदि इस प्रकार की योजनाएं हमारी शिक्षा के साथ में जोड़ दी जायं तो आने वाली पीढ़ी का और आने वाली संतति का उद्धार हो सकता है। मैकाले ने हिन्दुस्तान को शिक्षा का ढांचा बनाया वह समाज को सुधारने का ढांचा नहीं था, बल्कि उन लोगों के मस्तिष्क में एक ही धारणा थी और वह धारणा यह थी कि भारतीय हमेशा नौकरशाही की ओर बढ़ते रहें। उसके विचारों में न कोई योजना हो, न किसी

(श्री जयकिशनलाल तोसावडा)

प्रकार के अच्छे विचार आये, और न वह अपने देश की उन्नति करने की ओर अग्रसर हो, किसी प्रकार की इन्डस्ट्री, किसी प्रकार का व्यापार, किसी प्रकार के उद्योग-धन्धे करके या स्वयं अपने हाथ चलाते हुए, कार्य करते हुए आगे की ओर बढ़ सके। ऐसे विचार उनके दिमाग में नहीं थे, और ऐसे ही अधिकारी हमारे देश के लिए छोड़ गये। आज भी हमारी शिक्षा का क्षेत्र उसी प्रकार का बना हुआ है, चाहे वह शिक्षा के आयुक्त हों, चाहे डाइरेक्टर हों, डिप्टी डाइरेक्टर हों, चाहे मंत्री हों, चाहे वह हमारी सरकार हो, चाहे किसी प्रकार की श्रेणी के व्यक्ति हों। मेरा तो एक ही निवेदन है कि यदि हमें इस देश की गिरती हालत को सुधारना है, इस देश को उन्नति की ओर ले जाना है तो आज पूर्ण रूप से आमूल चूल परिवर्तन शिक्षा में कर लें, जिससे बेकारी मिट जाय, बुराई मिट जाय (समय–समाप्ति–सूचक–घंटी) और अन्त में जाकर हमारी शिक्षा का स्तर उन्नति की ओर बढ़ सके।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में मेरे क्षेत्र के लिए एक दो बातें मैं बता देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में फागी और चाकसू दो तहसीलें हैं वह शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से और सरकार से मैं निवेदन कर दूं कि मेरे क्षेत्र की तरफ यदि शिक्षा की दृष्टि से सरकार दृष्टिपात करे, उपाध्यक्ष महोदय, तो वहां की जनता के लिये, वहां के लोगों के लिए शिक्षा की दृष्टि से बड़ा उज्ज्वल भविष्य बन सकता है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि चाकसू तहसील के अन्दर नगरपालिका क्षेत्र है और चाकसू के अन्दर केवल एक सैकेंडरी स्कूल है। उस सैकेंडरी स्कूल को यदि हायर सैकण्डरी स्कूल में परिणित कर दिया जाय तो इतने बड़े कस्बे, जिसकी 10–11 हजार की जनसंख्या है, के विद्यार्थी वर्ग को लाभ पहुंच सकता है। मेरे क्षेत्र के अन्दर कुल 4 सैकेण्डरी स्कूल हैं जिनमें एक हायर सैकेण्डरी स्कूल है और तीन सैकेण्डरी स्कूल हैं तो इन तीन सैकेण्डरी स्कूलों को हायर सैकेण्डरी स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाय तो वहां विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

मेरे क्षेत्र के अन्दर आज तक स्कूल भवनों की दृष्टि से कोई उन्नति नहीं हुई है इसलिए जितने भी स्कूल हैं उनके भवनों के लिये भी विशेष रूप से अनुदान की व्यवस्था कर दी जाय तो वहां के जो विद्यार्थी आज पेडों के नीचे बैठकर, किसी छप्पर के नीचे बैठकर, और सर्दियों में, धूप में बैठकर विद्या ग्रहण करते हैं, उन नन्हें-मुन्ने बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण करने में बहुत फायदा हो सकता है।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की और करूंगा। 8-7 महीने पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फागी के अन्दर जो फागी का हायर सैकण्डरी स्कूल है वहां बायलोजी की कक्षा खोलने का आश्वासन दिया था, और उन्होंने यह भी बताया था कि मैंने एजूकेशन डायरेक्टर को लिखकर दे दिया और आपके यहां बायलोजी की कक्षा खोल दी गई है, लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह बायलोजी की कक्षा आज तक खुली नहीं है, शायद आज खुल जाय तो पता नहीं है, मैंने डाइरेक्टर महोदय से बात की है और एजूकेशन डाइरेक्टोरेट, बीकानेर को भी एक पत्र लिखा है तो उसमें यही उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे पास राज्य सरकार की ओर से या डाइरेक्टर

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

ऑफ एज्यूकेशन की ओर से किसी प्रकार की आज्ञा नहीं आई है इसलिये हम बायलोजी की कक्षा खोलने में असमर्थ हैं।

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बायलोजी की क्लास खोली जानी चाहिये। ताकि आज जो विद्यार्थी बायलोजी की क्लास में एडमिशन लेने के लिये भटक रहे हैं वह अगली जुलाई में जब पढ़ाई का सैशन हो तब भटकते नहीं फिरें। और वहां बायलोजी की क्लास अगर आप खोल देते हैं तो उन विद्यार्थियों को काफी लाभ हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़े दो-तीन पोइन्ट सामान्य प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन आज एक ऐसी चीज है कि अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं होगी तो हमारा समाज नहीं चल सकता। अगर प्रशासन ठीक है तो समाज भी आपका ठीक होगा। प्रशासन अगर सही तरीके से काम करता है तो समाज भी सही हालत में चलता है। आज इस सदन में कई विधायकों ने अपने विचार इस सामान्य प्रशासन की मांग पर रखे। कुछ माननीय सदस्यों ने सामान्य प्रशासन विभाग की आलोचनायें कीं तो कुछ माननीय सदस्यों ने सामान्य प्रशासन की प्रशंसा भी की। मैं इसकी आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन मैं वास्तविकता निवेदन करना चाहता हूं। वास्तविकता इस प्रकार है कि जब तक प्रशासन में और जन-प्रतिनिधियों में आपस में समन्वय नहीं होता तब तक समाजवाद नहीं आ सकता और न ही समाजवाद चल सकता है। क्योंकि जब प्रशासन के अधिकारी जन-प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनेंगे तो समाज का भला कैसे हो सकता है इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिये कि वे जन-प्रतिनिधियों को साथ लेकर चलें। लेकिन आज प्रशासन के अधिकारी जन-प्रतिनिधियों से दूर रहते हैं इसलिये प्रशासन की आलोचना जन-प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है और वे भी जन प्रतिनिधियों की आलोचना करते हैं। राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर रही है....

श्री मनोहरलाल : वह क्यों करेगी। उन्होंने राज्य सरकार का वोट दिलाये हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रशासन में और जन-प्रतिनिधियों में दूरी को मिटाना जरूरी है। यह नहीं मिटेगी तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। और समाजवाद के बगैर हमारा समाज ठीक तरह से नहीं चल सकता। आज जितने भी आई० ए० एस० और आर० ए० एस० व जितने भी गजेटेड अधिकारी हैं उनको अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहिये और उन्हें अपने विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा और हमारे यहां की राज्य की जो रीति-नीति है उसमें परिवर्तन करना होगा।

इसके अलावा मैं आज के युवावर्ग के बारे में कहना चाहता हूं कि आज वे पढ़े लिखे बेकार घूम रहे हैं और प्रशासन उन्हें रोजगार देने में असफल हो रहा है। मैंने पहले भी निवेदन किया था इसी सदन में कि अगर यही हालत रही तो यह स्थिति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है और आपका प्रशासन उन्हें अब ज्यादा दिन तक नहीं कुचल सकेगा और इसके बहुत ही भयंकर परिणाम होंगे। आज के युवा-वर्ग

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
को आज के प्रशासन को सामाजिक और आर्थिक अधिकार देने पड़ेंगे। सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रशासन के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और, उपाध्यक्ष महोदय, आज का प्रशासन उसे सम्भाल नहीं पायेगा। आज प्रशासन को यह देखना होगा कि आज का समाज क्या चाहता है। समाज में किस किस प्रकार की कमी है और उस कमी को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है और जब तक आप उस कमी को पूर्ण नहीं करेंगे तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। समाजवाद सही मायने में समाजवाद नहीं हो सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब संक्षेप में समाप्त करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : चलने दो फिलोसोफिकल भाषण चल रहा है।

श्री जयकिशनलाल तोसावाड़ा : इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज के प्रशासन में और प्रशासनिक अधिकारियों को अपने अन्दर परिवर्तन लाने पड़ेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को अपने विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिये कि जनता के हित में प्रशासनिक अधिकारी और जन-प्रतिनिधि आपस में बैठकर बात करें, जो भी समस्यायें है उन पर साथ बैठकर विचार-विमर्श करें और जो कमी हो उसे आपस में बैठकर दूर करने की कोशिश करें। तभी समाजवाद आ सकता है और तभी आज का प्रशासन चल सकता और तभी प्रशासन सही तरीके से चल सकता है अन्यथा नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिक्षा मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर मुख्य रूप से दो मांगें प्रस्तुत हुई हैं पहली शिक्षा के बारे में मांग और दूसरी सामान्य प्रशासन के बारे में। मुझे खुशी है इस बात की, सदन के अधिकांश सदस्यों ने शिक्षा के बारे में प्रकाश डाला और माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिये। काफी माननीय सदस्यों के भाषण मेरे समझ में आये लेकिन कुछ माननीय सदस्यों के भाषण में काफी दर्शन-शास्त्र भरा हुआ था वह मेरे समझ में कम आया क्योंकि वह काफी गूढ़ था। लेकिन यह बात काफी माननीय सदस्यों ने कही कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये।

श्री हाजी जान मोहम्मद : वो एक मसला रह गया उर्दू का।

श्री चन्दनमल बैद : काफी माननीय सदस्यों ने आमूल चूल परिवर्तन करने के सुझाव दिये हैं। काफी माननीय सदस्यों के भाषणों को मैंने समझा, काफी माननीय सदस्यों के भाषण समझने की कोशिश की, कुछ माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये उनका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उन्हें मैं मानने में असमर्थ हूं। और उनको समझने में भी असमर्थ रहा हूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनके सुझावों की तरफ ध्यान दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री चन्दनमल बैद)

यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब से राजस्थान बना है हमने शिक्षा के अन्दर प्रोग्रेस की है। शिक्षा में प्रोग्रेस हुई है। और आज तक जो भी प्रगति हुई है उसका लेखा-जोखा मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। इसके साथ साथ मैं माननीय सदस्यों को यह भी कहना चाहूंगा कि आम तौर पर मांगों पर बहुत ही कम बोलता हूं। लेकिन चूंकि शिक्षा का विषय इतना विशाल है इसलिए उसमें कुछ ज्यादा बोलना चाहूंगा क्योंकि यह राजस्थान के जन-जीवन से संबंध रखता है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज मैं कुछ ज्यादा समय लूंगा और अगर मैं कुछ ज्यादा समय तक बोलूं तो आप मुझे क्षमा करेंगे। अगर आपको मेरे ज्यादा बोलने से तकलीफ हो तो आप मुझे माफ करेंगे।

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे मेरे जवाब लिख कर भिजवा दें।

श्री चन्दनमल बैद : आप शौक से पधार सकते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में सबसे पहले एलीमेन्ट्री एजुकेशन के बारे में कहना चाहूंगा। जिसका मतलब है कि पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक। उसके बारे में कुछ जिक्र करना चाहूंगा। हमारी पंचवर्षीय योजना जो पहली और दूसरी थी उसमें शिक्षा के बारे में कम काम किया गया। उसके बाद थोड़ा काम थर्ड प्लान में किया गया। और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्दर भी पहले दो साल तक कोई विशेष काम नहीं हुआ लेकिन फोर्थ प्लान के तीसरे साल में हमने बहुत काम किया। हमने एक हजार प्राथमिक स्कूलें खोलने का निर्णय लिया तथा एक हजार प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत करने की योजना बनायी। और चौथी योजना के इस साल में हमने एक हजार प्राइमरी स्कूल और डेढ़ हजार मिडिल स्कूल खोलने का प्रावधान रखा है। हमने ऐसा विचार किया है कि पांचवीं योजना के अन्त तक यानि सन् 77-78 तक हमारे यहां पर 6 से लेकर 11 वर्ष के बच्चे सारे के सारे स्कूल में जा सकें। इसमें दो राय नहीं है। इसमें कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे टारजेट को पूरा करें। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर ऐसी स्थिति है कि कई जिलों में एक-दो वर्ष बाद अकाल पड़ जाता है और इसके कारण वहां के लोगों के बच्चों को पढ़ाई छोड़ कर दूसरे कामों में लग जाना पड़ जाता है। फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले बच्चों को खास तौर से स्कूल में भेजें। और वे बच्चे प्राथमिक स्कूलों में जाकर पढ़ें। और पढ़-लिख कर हमारे भारतवर्ष के अच्छे नागरिक बनें। और यह विद्याध्यन की सुविधा हमें देनी चाहिये और हमें देनी पड़ेगी भी। हमारी पूरी कोशिश है कि हम प्राथमिक स्कूल सन् 78-79 तक इतनी खोल दें कि हमारे राजस्थान का हर बच्चा जो कि 6 से लेकर 11 वर्ष तक की उम्र का हो, स्कूल में जाकर पढ़ सके। और हम चाहते हैं कि पढ़ाई करने वाले की एवरेज सेन्ट-पर्सेन्ट हो जाय। अभी तक यानि सन् 73-74 के फिगर्स मेरे पास हैं। लड़कों की संख्या आज 81.75 प्रतिशत हो जायेगी और लड़कियों की पर्सेन्टेज जो है 36 प्रतिशत होगी। दोनों मिलाकर हम देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि इसकी एवरेज 60 प्रतिशत हो जायेगी। यह अगले साल तक हो जायेगी। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़के और लड़कियां स्कूलों में जायं। हम इसके बारे में ज्यादा से

(श्री चन्दनमल बैद)

ज्यादा प्रचार करना चाहते हैं। बीच में हम ज्यादा प्रचार नहीं कर सके क्योंकि अकाल पड़ गया था और किसान अपने बच्चों को स्कूल भेजना पसन्द नहीं करता था क्योंकि वह अपने बच्चे से अकाल में मजदूरी कराना पसन्द ज्यादा करता था इसलिये हम जो ड्राइव करना चाहते थे वह शुरू नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, इस साल राजस्थान के 26 जिलों में से 24 जिलों में अकाल पड़ा हुआ है और करीब 32 हजार गांव इस अकाल की चपेट में आये हुए हैं। इसलिये हमने इसके लिये ड्राइव चलाना उचित नहीं समझा। लेकिन अगर अगले साल स्थिति अच्छी हुई तो हम इसके लिये ड्राइव चलायेंगे। इसके अलावा जो हमने एक हजार प्राथमिक स्कूलें खोलने की बात की है तथा 15 प्राथमिक स्कलों को मिडिल स्कूल में रेज करने की जो बात की है वह हमने, कहां वह स्कलों को खोला जाय यह माननीय सदस्यों पर ही छोड़ दिया है। वे अपने क्षेत्र में जहां चाहें वहां पर स्कूलें खोलें चाहे लड़कों का या लड़कियों का और अपने क्षेत्र में जिन जिन स्कूलों को प्राथमिक स्कूलों से मिडिल स्कूलों में रेज करने की बात है, वह भी उस क्षेत्र के माननीय सदस्यों की राय होगी जैसी भी जन प्रतिनिधियों की राय होगी, खोली जाये इसके अलावा तो हमने जो लास्ट ईयर 25 स्कूलें राज्य सरकार की पावर में रखीं कि वह जहां चाहे वहां स्कूलें खोलें वह भी नहीं रखी ताकि माननीय सदस्यों को कोई शिकायत नहीं रहे कि उनके क्षेत्र में जैसा वे चाहते वैसा स्कूल नहीं खुला। वे ही निर्णय करेंगे कि कौनसा स्कूल कहां खोलना है। लड़कियों का खोलना है या लड़कों का जहां उचित समझे वहां खोलें। एक बात यह भी कही गयी कि स्कूल तो खोल देते हैं लेकिन आप मकान की व्यवस्था नहीं करते हैं। राजस्थान में पहली बार प्राथमिक और मिडिल स्कलों के भवन बनाने के लिये 84 लाख रुपया रखा है। पहली बार देहात के लिये, शहर के लिये जहां प्राइमरी स्कूल हैं, जिसमें 8वीं क्लास तक के बच्चे शामिल हैं उनके लिये हमने 84 लाख का आवंटन किया है। उसमें माननीय सदस्य शामिल हैं। वे बतायेंगे कि उनके इलाके में कहां कहां स्कूल का उपयोग हो सकता है।

माननीय सदस्यों ने एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के बारे में यह कहा कि उनका इस चीज में सहयोग नही लेते हैं और उनको इसमें इन्वोल्व नहीं करते हैं। उसमें माननीय सदस्य इन्वोल्व हों या न हों लेकिन कम से कम शिक्षा के मामले में सब ही माननीय सदस्यों को इन्वोल्व करना चाहता हूं ताकि वे आगे आकर इसमें मदद करें और उनके इलाके में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भेजें। 60 परसेंन्ट बच्चों के स्कूल में आने के बाद भी वे बच्चे बच जाते हैं जो स्कूल में आना ही नहीं चाहते हैं। उनको इनमें लाने के लिये कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हम ऐसी स्कीम बनाना चाहते हैं कि जो बच्चे 6 से 11 वर्ष तक की उम्र वाले स्कूल में नहीं आते हैं तो वे हमेशा के लिये छूट न जायं, उनके लिये ऐसे स्कूल खोलना चाहते हैं हालांकि उनके लिये अभी प्रोग्राम नहीं बनाया है किन्तु हम उस ओर गम्भीरता से सोच रहे हैं और ऐसी स्कीम बनाना चाहते हैं कि ऐसे बच्चे एक दफा न आवें तो वे हमेशा के लिये न छूट जायं। ड्राप आउट हो जाते हैं तो उनके लिये स्कीम बनानी चाहिये और उनको स्कूल में लाना चाहिये। 6 से 11 वर्ष वाले बच्चे स्कूल में आवेंगे तो उनसे तेज होंगे जो छूट

(श्री चन्दनमल वैद)

गये हैं। संभव है 11 से 14 वर्ष वाले बच्चे भी उतना ही सीख लें। हमारी ऐसी उम्मीद है कि सन् 78-79 तक लड़के 70 पर्सेन्ट और लड़कियां 28.6 पर्सेन्ट, कुल मिला कर 50 पर्सेन्ट 11 से 14 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चे इन स्कूलों में आ जावेंगे। 73-74 में लड़के 45.1 पर्सेन्ट और लड़कियां 13.4 पर्सेन्ट, कुल मिला कर 30 पर्सेन्ट होंगी। मैं मानता हूं हिन्दुस्तान के फिगर्स को कम्पेयर करते हुए यह फिगर छोटे हैं। संतोष नहीं है मुझे।

उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि जब राजस्थान बना था तो 1।। करोड़ का शिक्षा का बजट था और आज 56 करोड़ का बजट है। उस स्टेज में चार सूखे पड़ सकते हैं। 26 रियासतों को मिला कर बने राजस्थान का उस समय 1।। करोड़ का बजट था और आज 56 करोड़ तक पहुंचा देना कोई अपने आप में कम बात नहीं है। इसका श्रेय मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। इसका श्रेय मैं उन सारे शिक्षा मंत्रियों और वित्त मंत्रियों को देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें काम किया। साथ ही में भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। परसों-तरसों ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्रीजी आये तो इस बारे में कहा कि राजस्थान शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है और जहां तक प्राइमरी स्कूल्स का सवाल है, यदि राजस्थान मांग करे तो हम उसके लिये और देने के लिये तैयार हैं। हम स्कीम बना रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सैकेण्डरी स्कूल्स, खास तौर से लड़कियों के, की स्कीम बना कर दें। हम बताना चाहते हैं कि सैकेण्डरी पास नहीं होगी तो एस० टी० सी० कैसे पास करेंगी। यदि नहीं करायेंगे तो ट्रेन्ड लड़कियां कहां से लावेंगे। जहां हमारे गांवों में मिडिल स्कूल हैं वहां लाजिमी तौर पर दो चार मास्टरनियां होनी चाहिये ताकि लड़कियां उन स्कूलों में आ सकें। उनके होने से उनको कोई डर नहीं रहता है और सोचती है कि वहां मास्टरनियां हैं। शिक्षा अधिकारी इस ओर प्रयत्नशील हैं। स्कीम बना रहे हैं। भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी हमारे साथ बड़ी सहानुभूति है। वे चाहते हैं कि राजस्थान शिक्षा में पिछड़ा हुआ है वह आगे आये। राजस्थान शिक्षा में जरूर पिछड़ा हुआ है लेकिन जहां तक टीचर्स की ग्रेड का सवाल है पहले भी सदन में कहा था कि सिवाय हरियाणा के, पंजाब और दिल्ली को छोड़ कर हमारे यहां थर्ड ग्रेड टीचर्स का जो ग्रेड है वह सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। यह हमारे लिये फक्र की बात है। इतना पिछड़ा हुआ होने के बाद भी हमने शिक्षकों का ग्रेड ऊंचा रखा है। हम उनकी इज्जत करते हैं। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो भारतीय संस्कृति में विश्वास करता है। बहादुर प्रदेश है और वह चाहता है कि अपने अध्यापकों की इज्जत करे और मान-मर्यादा की रक्षा करे। हम उनसे आशा करते हैं वे इस बात को समझेंगे कि बच्चों का भविष्य जब उनके हाथ में आया है तो ऐसे वक्त में परीक्षा के वक्त में हड़ताल जैसे गलत रास्ते पर न जायं। मैं यह सदन में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ लोग जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मेरे मन में दुर्भावना उनके प्रति नहीं हो रही है। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनके मन में सद्बुद्धि आये और वे हड़ताल पर न जायं। बच्चों की शिक्षा में बाधा न डालें। मैं सदन को यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर उन्होंने फिर भी ऐसा कदम उठाया तो हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि बच्चों

(श्री चन्दनमल बैद)
को परीक्षायें निश्चित रूप से करेंगे ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वित्त और शिक्षा का संयोग है यह ।

श्री चन्दनमल बैद : हरिभाऊजी वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों थे । टीचर के रिक्रूटमेंट के बारे में काफी बात कही गयी । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस बार हमें 6 हजार टीचर्स को रिक्रूट करना था वह हम समय पर पूरा नहीं कर सके । आज भी जो रिक्रूटमेंट करने वाले हैं जिला परिषद् सलेक्शन कमेटी है वे कहते हैं कि दो हजार सरप्लस टीचर्स हैं । लिस्ट हमारे पास है । सारे राजस्थान में सरक्यूलेट कर रहे हैं । टीचर्स की जहां कमी है वहां कमी है । हमारे पास मांग आती है कि अन्ट्रेन्ड टीचर्स क्यों नहीं लेते हैं । एक बार अन्ट्रेन्ड टीचर्स को भर्ती कर लिया तो हम इस बीमारी से फिर निकलने वाले नहीं हैं । बड़ी मुश्किल से दस वर्ष की मेहनत के बाद हम ट्रेन्ड टीचर्स कर पाये । इसलिए एक बार यदि फिर अन्ट्रेन्ड की भर्ती कर ली तो फिर इसका अन्त कहीं नहीं है । 8 क्रेश एस० टी० सी० स्कूल शुरू किये हैं जिसमें से करीब 2 हजार 1900 लड़के निकले हैं । और तरीके से भी दूसरी स्कूलें हैं, एस० टी० सी० की, उनमें से भी निकलेंगे ।

एक बात कही जाती है कि हमने स्कूलों में पाबन्दी लगा दी कि उन्हीं जिलों के लिये जावेंगे । मैं अर्ज करूं कि एस. टी. सी. अलवर में है, अलवर की पाबन्दी नहीं है, जयपुर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, बूंदी में है, उदयपुर में है, उदयपुर में बेदोला में है । लड़कों का बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, में, अजमेर में, डीडवाना, जयपुर, आमेर, उदयपुर में दूसरी ओर हैं । और जोधपुर में है । अब इतनी जगह एस.टी.सी. स्कूलें हैं और वहां लड़के-लड़कियों के बने हैं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : भीलवाड़ा नहीं आया ।

श्री चन्दनमल बैद : इसलिये जरूरी समझा कि जहां पर टीचरों की कमी है वहां क्रैश प्रोग्राम में तैयार किये जावें । आज समस्या यह आई है कि दो हजार टीचर बेकार फिर रहे हैं । यह फिगर सर्विस सलेक्शन वाले दे रहे हैं । दूसरी तरफ कमी है । बाड़मेर, जालोर से शिकायतें आ रही हैं कि टीचर्स के बिना स्कूलें बन्द हैं, खाली पड़ी हैं । नागौर में हैं । स्कूलें खाली पड़ी हैं । टीचर जो बेकार हैं वे समझते हैं कि दो हजार स्कूलें इस साल खुले हैं तो अगले साल भी खुलने वाले हैं, इस साल नहीं तो अगले साल हमारे ही इलाके में हमारा नम्बर आ जावेगा तो दूर क्यों जावें । यह समस्या है ।

तो इसलिये उचित समझा कि वहां पास के लड़कों को भर्ती करें जिससे अगले साल अपने जिलों में जाने में उनको आपत्ति नहीं रहे । एक यह भी सोचा कि एक क्रैश प्रोग्राम सात-आठ महीने का और कर लें और उसमें ट्रेनिंग करवा लें । फिर पढ़ने का कार्यक्रम है । आधा कार्यक्रम कोरेस्पोन्डेंस से या फिर अगर जरूरत हुई तो पांच सात साल के बाद सरकारी खर्चे पर या स्टाइपेण्ड देकर कर दिया जावेगा । हम समझते हैं कि इसको हम पूरा करें ।

भारत सरकार से हमें इण्डिकेशन मिले हैं कि वे हमें पांच हजार टीचर्स देना चाहते हैं । फिर तो कमी नहीं आवेगी । लेकिन अगर ज्यादा लिये तो सोचना पड़ेगा हमें कि क्या

(श्री चन्दनमल बैद)

कुछ दूसरे अन्ट्रेंड टीचर्स को लेना पड़ेगा। अगर लेना पड़ेगा ही तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और महिलाओं को लेंगे। और इस कण्डीशन्स पर लेंगे कि आपको अमुक समय के अन्दर जब हम चाहेंगे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। पर इसको हम तभी लेंगे जब निहायत जरूरी होगा।

यह विश्वास दिलाता हूं कि इस साल जिस तरह से स्कूलें चल रही हैं अगले साल में यह स्थिति नहीं रहेगी। कलेक्टरों को हमने अभी से लिख दिया है कि इतने स्कूलें खोलने वाले हैं। आप उन स्थानों का चयन अपने अपने यहां के विधायकों की राय से या जिला परिषद् और पंचायत समितियों की राय ले कर तय कर लीजिये।

हमने सर्विस कमीशन को भी लिखा है कि इतने टीचर्स चाहिये इसलिये उनका सलेक्शन शुरू कर दीजिये। साक्षात्कार करते हैं इसे बन्द कर दें। इसका कोई मतलब नहीं है। अगर जब टीचर आज सभी लेने ही हैं तो बुलाकर भीड़ करना और खर्चा करना व्यर्थ है। क्या देखना है। क्या देखेंगे इतने। तो इसलिये चाहते हैं कि उनको कहां कहां जाना है इसकी सूचना दे दें। इसके लिये हम डवलपमेंट मिनिस्टर साहब से बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ले लें और जो जिस जिले में काम करना चाहता हो उसे वहां भेज दें।

बी. एड. स्कूलों के बारे में शिकायत की गई। उनको पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। इसके लिये राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कमेटी बनाई है। 19 बी. एड. कॉलेज चल रहे हैं। दूसरे भी एप्लीकेशनें दे रहे हैं। हम उस कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं। हम इसमें सुधार कर फिर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार इस काम में चले। मैं समझता हूं कि इस तरह की एक कमेटी बना दी जावे कि जो रिक्रूटमेंट एक जगह करे और बाद में अलग अलग जगह भेज दें जैसे मैडिकल में होता है। इस तरह यह अधिकार सरकार अपने हाथ में ले ले। तो यह उचित होगा। हम इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। इससे उम्मीद है भ्रष्टाचार इसके एडमिशन में जो आज है और जिसके लिये काफी शिकायतें भी आती हैं बन्द हो जावेगा। इससे ऐसी उम्मीद करते हैं।

अभी जो हमारे पास फिगर आये हैं, उसके अनुसार जिला परिषद् और पंचायत समिति सलेक्शन कमीशन ने 4838 टीचर भर्ती किये हैं। और 778 जगहें और खाली हैं। इसमें कितना सच है कितनी गलत है यह मैं नहीं कह सकता। जो फिगर दिये हैं उनको उचित समझ कर मैंने पेश कर दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : पीएच. डी. पास लड़कों का रास्ता निकालो।

श्री चन्दनमल बैद : एक क्वेश्चन के जवाब में मैंने कहा था एस. टी. सी. जगह खाली हैं। प्रथम में जो स्कूलें खाली हैं बाड़मेर में, फलोदी में बगड़ी में। बगड़ी में एक स्थान खाली है, बाड़मेर में दो स्थान खाली हैं, अजमेर में चार स्थान खाली हैं, जैसलमेर में एक स्थान खाली है। इस तरह से आठ स्थान खाली हैं। और डूंगरपुर के बारे में कहा गया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों को नहीं लिया गया। हमने आदेश जारी कर दिये हैं कि जितनों ने भी दरख्वास्तें दी हैं उन सबको ले लिया जावे।

(श्री चन्दनमल वैद)

मुझे सूचना मिली है कि 74 ने एडमिशन लिया है। 59 थे। 15 नहीं आये हैं। वे भी आयेंगे तो उनको भी ले लिया जावेगा यह मैं विश्वास दिलाता हूं।

हायर सैकण्डरी स्कूलों के बारे में और सैकण्डरी स्कूलों के बारे में काफी कहा गया। मैं अर्ज यही करना चाहता हूं कि हमें चौथी योजना में करीब 100 सैकण्डरी स्कूलें खोलनी थीं। पर हमने पहले ही 212 खोल दी हैं। और इसके कारण से हमारा जो बजट था सारी प्लान का बजट 211 करोड़ बढ़ गया। हमारे पास पैसा नहीं है कि अधिक हायर सैकण्डरी स्कूलें अब खोल सकें।

एक रास्ता है। जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। आप कहें तो डिटेल को मैं पढ़ दूं। लड़कियों के लिये कोशिश कर रहे हैं। साइन्स के तीन की जगह 19, कॉमर्स के 4 को जगह 17, आर्ट्स के 36, होम साइन्स के पांच की जगह चार ही खोल पाये हैं। लॉ के पांच की जगह चार।

इसी तरह से स्कूलों में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। इसके लिये अर्ज करूं कि हमें जहां एग्रीकल्चर के दस खोलने थे वहां 24 खोले गये। कामर्स में 20 की जगह 76 और सोसियल बायलोजी में 150 में 202 खोले। अब अधिक स्कोप नहीं है। बजट से बहुत ज्यादा एक्सेस हम कर चुके हैं। आप जानते हैं कि नॉन-प्लान इतना बढ़ा है कि अब हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं फंस सकते।

श्री केदारनाथ : इलेक्शन पीरीयड तो है।

श्री चन्दन मल वैद : यह है या नहीं। इसका असर नहीं पड़ता हम पर। मैं शायद पांच इलेक्शन लड़ चुका हूं। इस वास्ते बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है और कांग्रेस अपनी नीतियों पर चलती है और उसीको आधार बना कर इलेक्शन लड़ती है, इसलिये इन बातों का असर उस पर नहीं पड़ता। इलेक्शन का असर पड़ता तो इलेक्शन का रिजल्ट हर पांचवें साल आता है, जिस तरह से वे नहीं आते। कांग्रेस तो हर साल अपना काम करती जाती है और उसको भरोसा है कि जनता उसके काम को देख कर उसे वोट देगी।

एक माननीय सदस्य हाजिर नहीं

वे कह रहे थे कि राजस्थान का टाट उलट रहा है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस का टाट नहीं उलट रहा है। विरोधी दल का टाट उलट रहा है। आज वे सिमट कर एक बैंच पर आ गये हैं। इस आने वाले इलेक्शन में मुझे डर है इस बैंच से भी बाहर जाने वाले हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह आप भविष्य वाणी कर रहे हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल वैद : मुझे अफसोस है हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य चुपचाप बैठे हैं। उनको छेड़ दूं तो मुझे भी जरा मजा आ जाय, क्योंकि उनको नींद भी आ रही थी।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने युनिवर्सिटी की स्थापना के बारे में कहा। इसकी हाउस में काफी चर्चा हो चुकी है। हमने एक श्रीमाली कमेटी बनाई है। आप चाहें तो

Page No 212

(श्री चन्दनमल बैद)
मैं पढ़कर सुना दूं—

In view of the higher needs of educational development of Universities and colleges.

बहुत से लोग यह कहते हैं आपने तो अजमेर में खोलने के लिये श्रीमाली कमेटी बनाई है। हमारे टर्म्स आफ रेफरेन्स में युनिवर्सिटी नहीं है, युनिवर्सिटीज है—

.....including the Universities so as to enable them to discharge their functions effectively.

ये हमारे टर्म्स आफ रेफरेन्स हैं। उसकी मेम्बरशिप आप चाहें तो वह भी बता सकता हूं। अब कुछ तो डिसटरबेन्सेज बीकानेर में से रह गये श्रीमाली कमेटी आ गई तो बुरी गत होगी। यह राजनैतिक दल नहीं करते हैं, दूसरे दल करते हैं। अब खुद श्रीमाली बनारस युनिवर्सिटी में फंस गये है। जो रिपोर्ट हम चाहते थे, मार्च तक आ जाय लेकिन अब उसमें टाइम लगेगा......

श्री केदारनाथ : ..(अश्रव्य) भूख हड़ताल कर दी है।

श्री चन्दनमल बैद : भूख हड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। युनिवर्सिटी का मामला श्रीमाली कमेटी से संबंधित है। उसके बाद हम भारत सरकार के पा जायेंगे और जो हाई पावर कमेटी है उनकी अध्यक्षता में जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, कैबिनेट स्तर के रह चुके हैं, कहेंगे इस रिपोर्ट पर गौर कीजिये। बिना भारत सरकार की मदद के राजस्थान सरकार इस मसले में कुछ नहीं कर पायेगी। भारत सरकार से बात करने के बाद 1,2,3,4 जितनी आप चाहते हैं उतनी युनिवर्सिटी की स्थापना हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षक संघ के बारे में काफी वाद-विवाद चल रहा है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा आदर्श विद्या मन्दिर, क्या नाम है, उसकी एड के बारे में कहा गया और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा जो आदेश निकले हैं, वे रद्द हो जायेंगे। खैर, आदेश रद्द भी हो जाते हैं और नये फिर निकल जाते हैं, यह तो होता रहता है। सरकार के आदेश कई बार ऐसे भी निकल जाते हैं जो हाई कोर्ट में भी चले जाते हैं और वहां से कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं और कई बार बहाल रह जाते हैं तो इसमें तो कोई बात नहीं है लेकिन हम इस बात के लिये फर्म डिटर-मिन्ड हैं कि ऐसे इन्स्टीट्यूशन को जो रेकार्ड नहीं दिखाता है उसको एड हम निश्चित रूप से नहीं दे सकेंगे। उनका रेकार्ड लेंगे और अगर इस तरह नहीं देते हैं तो सी० आइ० डी० को लिखा गया है। जो कुछ वे कहते हैं सही या गलत सी० आई० डी० की रिपोर्ट आने के बाद यह निर्णय लेंगे कि सही है या गलत है और जब तक यह रिपोर्ट नहीं आती है तब तक एड देने का प्रश्न नहीं उठता है।

जो बच्चों के संरक्षकों को और माता-पिताओं को लेकर सदन के सामने प्रदर्शन करें। सदन के सामने जो लोग आते हैं वही राजस्थान की जनता नहीं है। सदन के सामने केवल 100-200 लोग आते हैं। मुझे थोड़ा-सा अफसोस होने लगता है आखिर में 52 से इस सदन का सदस्य रहा हूं आपने पांच साल की छुट्टी अवश्य दी है। इस सदन के सामने बराबर डिमोन्स्ट्रेशन होते रहते हैं। क्या वही सारे राजस्थान की जनता है। जो सदन के सामने नहीं आ सकते हैं— किसान भी

(श्री चन्दनमल बैद)

मजदूर, जो सदन के सामने नहीं आते हैं क्या वह राजस्थान की जनता नहीं है ? सदन के सामने कभी शिक्षक आ गये, कभी बच्चे आ गये, कभी कोई और आ गया तो क्या वही राजस्थान की जनता हो गई और कह दिया जनता पर लाठी चल गई तो जनता तो राजस्थान में ढ़ाई करोड़ है। कुछ लोग जयपुर में रहते हैं और इसका फायदा उठाने के लिये वे लोग हवामहल पर आ जाते हैं और उनको प्रदर्शन करने का मौका मिल जाता है। इसलिये हम यह कहते हैं हमें 100-200 आदमियों ने चुनकर नहीं भेजा है, राजस्थान की ढ़ाई करोड़ जनता ने हमें चुना है। भेजें बच्चों को, औरतों को, शिक्षकों को। उनके आन्दोलन से राज्य सरकार को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं ? यह आपकी गलतफहमी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्षजी मौका नहीं मिला

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह ढ़ाई हजार लोगों के हस्ताक्षर मौजूद हैं

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(वार वार वोलते रहने पर)

ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : ढ़ाई हजार में ढ़ाई करोड़ तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप नियमों से विपरीत जा रहे हैं। ऑर्डर प्लीज।

(मा० सदस्य बराबर बोलते रहे)

Not to be recorded.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : [×××]

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded. Not to be recorded.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : [×××]

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह कहावत तो कहना नहीं चाहता हूं तिनके वाली। आखिर जांच के लिये ही तो मैंने कहा है। जांच करा रहे हैं, जांच में कोई फांसी तो नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री ने बन्द की थी और शिक्षा मंत्री के आदेश से ही शुरू हो गई, फिर शिक्षा मंत्री ने बन्द की है और फिर शिक्षा मंत्री के आदेश से ही शुरू हो जायगी, इसमें घवराने की क्या बात है। जांच सही निकलेगी तो कोई बात नहीं और जांच गलत निकलेगी तो कोई बात नहीं और मैंने तो शिक्षक संघ के दोनों फिरकों से बातचीत करने की कोशिश की है। एक फिरका मिलने को आया। वे मुझसे मिलना चाहते थे, मैं उनसे मिला। वे चाहते थे हम उन्हीं को राजस्थान शिक्षक संघ मान लें। मैंने कहा यह नहीं हो सकता है। मैंने कहा शिक्षकों के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं, शिक्षकों का ग्रुप माना जा सकता है। आप बात करने आये हैं, ठीक है मेरा फर्ज है मेरे पास वक्त हो तो बात करूं और आपकी समस्याओं का जिक्र करूंगा लेकिन आपको राजस्थान शिक्षक संघ मैं मान लूं यह सम्भव नहीं है। दूसरा शिक्षक संघ बात करने के लिये नहीं आया, वैसे ही नहीं आया या जानबूझ कर नहीं आया—अब यह पता नहीं। उन्होंने कहा 27 तारीख से पहले पहले बात कीजिये 26 तारीख से मेरे पास समय नहीं है। मेरी डिमान्ड्स है उसके बावजूद भी मैंने कहा साढ़े सात-आठ बजे बात करने के लिये आये और मैं

××× अध्यक्षीयपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया)।

Page No 214

(श्री चन्दनमल बैद)—

चाहता हूं शिक्षकों का सम्मान रहे, इज्जत रहे और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उनको इज्जत और सम्मान देने की उसीके साथ में उनसे बात करना चाहता हूं लेकिन मैं उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि वे भी इस बात को समझें और अपनी इज्जत और सम्मान को देखते हुये, बच्चों के भविष्य को देखते हुये वे भी सम्मान के साथ मुझसे बात करें।

दोनों तरफ से अगर सम्मान रखा जायेगा, वह बच्चों का भविष्य देखेंगे और मैं उनके सम्मान को देखूंगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रयत्नों से जरूर कुछ नतीजे पैदा होंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने दोनों को पत्र नहीं लिखा है।

श्री चन्दनमल बैद : एक तो मुझसे बात करके जा चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने एक को ही पत्र लिखा है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप दोनों को बुलाकर बात करो। आपने एक कमेटी भी बनाई थी

श्री चन्दनमल बैद : वह कमेटी इसको देख लेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 26 तारीख को बुलाया है। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी को बुलाया है और अभी सरकार द्वारा वही मान्यता प्राप्त है, यह बात सही है? पिछली बार इस बात को भ्रम में क्यों रखा गया?

श्री चन्दनमल बैद : भ्रम में नहीं रखा गया। किसी का यह कहना हो कि हमारे साथ भी इतने ज्यादा शिक्षक हैं। मान लीजिए कि मेजोरिटी नहीं भी हो और वह कहता है कि राजस्थान के 40 हजार शिक्षक मेरे साथ हैं तो क्या मुझे उनसे बात नहीं करनी चाहिए? वह कोई भी नाम रख लें तो क्या 40 हजार टीचर्स से बात करने का अधिकार नहीं है मुझे? हम उनसे बात कर सकते हैं। फिर भी वह बात करना चाहेंगे तो बात करेंगे। मैं किसी से भी बात करने से इन्कार नहीं करूंगा। मैंने कहा है कि एक भी टीचर यदि बात करना चाहता है तो मैं बात करूंगा। मेरे पास तो तहसील शिक्षक संघ और उप-तहसील शिक्षक संघ से लोग आते हैं और वह कहते हैं कि हम शिक्षा मंत्रीजी से बात करना चाहते हैं तो मैं उनसे बात करता हूं और जब कभी दौरे पर जाता हूं तो वहां लोग कहते हैं कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल और डिप्टी डाइरेक्टर से हमारी बात हल नहीं होती है इसलिए हम तो मिनिस्टर साहब से बात करना चाहते हैं। यह चाहे उनमें सम्मान की ही भावना हो या कोई भी भावना हो लेकिन जो मुझसे बात करना चाहते हैं और मैं कहीं जाता हूं तो मुझे बात करने में कोई ऐतराज नहीं है। तो जब मैं उनसे भी बात कर सकता हूं और दूसरा शिक्षक संघ जो कि अपने आपको राजस्थान शिक्षक संघ कहता है और नहीं है और वह कहता है कि 40 हजार, 20 हजार या 10 हजार आदमी मेरे साथ हैं और वह मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे बात करने में क्या ऐतराज है और फिर जब 10 हजार आदमी अपने पीछे बताते हैं तो मैंने एक कमेटी बैठाकर यह फाइन्ड आउट कराने की कोशिश की है कि कितने आदमी रिप्रेजेन्ट करते हैं तो उसमें बुराई क्या है? वह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और मैं बता दूंगा कि उसका क्या कहना है। उसमें जो

(श्री चन्दनमल बैद)

सदस्य हैं वह श्री एल० एन० गुप्ता जो एज्यूकेशन के डाइरेक्टर रहे हैं और जिनको हर आदमी प्रशंसा से देखता है। फिर मिस्टर कुम्भट हैं वह भी प्रशंसा के पात्र व्यक्ति हैं और उसके बाद हमारे जो शिक्षा के आयुक्त हैं वह भी एक प्रशंसा के पात्र आदमी हैं और उनके बारे में किसी को सन्देह नहीं है। फिर रिपोर्ट आने दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा, आपको परेशानी क्यों हो रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मीटिंग तो बुलाओ जल्दी से। एक भी मीटिंग नहीं हुई।

श्री चन्दनमल बैद : फिर उपाध्यक्ष महोदय, साहित्य अकादमी के बारे में कहा गया कि पहले इसके अध्यक्ष श्री हरिभाऊ उपाध्याय थे और फिर उसके बाद श्री निरंजननाथजी आचार्य थे और उसके बाद में श्री जनार्दन राय नागर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि हरिभाऊ उपाध्याय एक साहित्यकार थे लेकिन किसी अखबार में लेख लिख देने से या कोई टिप्पणी लिख देने से मैं किसी को साहित्यकार मान लूं, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है और श्री निरंजन नाथजी आचार्य क्योंकि अखबार में लेख लिख देते हैं और अगर लेख लिख देने से कोई साहित्यकार हो जाता हो तब तो मेरे असिस्टेन्ट सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर्स वह भी अच्छी टिप्पणी लिख देते हैं। उनको भी साहित्यकार मान लेना चाहिए ...

श्री केदारनाथ : थानेदार रिपोर्ट भी अच्छी लिख देते हैं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मिनिस्टरों के नाम से सेक्रेटरी लिख दे तो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : केवल साहित्यकारों को ही बना रहे हों ऐसी बात नहीं है। फिर भी हमने मिस्टर कौशिक को बनाया है। वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जैसा कि आप समझ रहे हैं। श्री कौशिक का जन्म 1920 में हुआ। उन्होंने बी० ए० इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइन्स में की। एम० ए० इंग्लिश लिट्रेचर में सेंट जॉन्स कॉलेज, आगरा से किया। हैड ऑफ दी इंग्लिश डिपार्टमेंट, गुरुकुल युनिवर्सिटी, वृन्दावन में 1945 से 1947 तक थे।

General Secretary, All India Congress Committee, 1947-48.

Secretary, Study Department, A. I. C. C, 1948-49.

Liasion Officer, A. I. C. C., 1949-50.

Honorary Private Secretary to Union Finance Minister, Shri Morarji Desai, 1958-62.

Member-Secretary, National Savings Central Advisory Board, 1959-61.

Member, Cabinet Secretariat Sub-Committee for National Integration.

Special Invitee to National Integration Council, 1961-62.

Honorary Private Secretary to Shri Jawahar Lal Nehru, 1962-64.

श्री फूलचन्द जैन : साहित्य से क्या सम्बन्ध है? साहित्य अकादमी से क्या सम्बन्ध है यह बता दें आप तो?

श्री रामानन्द अग्रवाल : काक साहब के मुकाबले के आदमी ढूंढे हैं आपने।

श्री चन्दनमल बैद : मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि हमने कोई जरूरी नहीं समझा है कि साहित्य अकादमी का अध्यक्ष साहित्यकार ही हो और साहित्यकार होगा वही साहित्य अकादमी का भला कर सकता हो यह हमने नहीं माना है और यह अगर हम मानते तो श्री निरंजन नाथजी आचार्य को हम कभी भी साहित्य अकादमी का अध्यक्ष नहीं बनाते।

श्री फूलचन्द जैन : यह मान्यता कब से बनाई कि साहित्य अकादमी का साहित्यकार ही अध्यक्ष हो यह जरूरी नहीं है ? यह मान्यता कब से बनी ?

श्री चन्दन मल बैद : अगर ऐसा होता तो श्री रामनिवासजी मिर्धा को ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया। न उनको नाचना आता है, न गाना आता है और न पेन्टिंग करना आता है। जिनको भी ऐसी संस्थाओं का अध्यक्ष बनाया जाता है वह तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं और जो काम सौंपा जाता है उसको करते हैं लेकिन यह सोचना कि ललित कला अकादमी के श्री मिर्धा जी चार, पांच साल से चेयरमैन हैं इसलिए कोई नाचना जानते हों, या गाना जानते हों–यह जरूरी नहीं है और यह आपको गलतफहमी है।

श्री फूलचन्द जैन : रामनिवास जी मिर्धा सांस्कृतिक और कई ऐसी इन्टीट्यूशन्स हैं जिसके वर्षों से चेयरमैन रहे हैं और बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। उनका सांस्कृतिक प्रवृतियों से गहरा संबंध रहा है। आपने इनकी साहित्यिक प्रवृति के बारे में कुछ नहीं बताया कि उनको एक वर्ष का भी अनुभव हो।

श्री चन्दन मल बैद : वह हैड ऑफ दी इंग्लिश डिपार्टमेंट, गुरुकुल युनिवर्सिटी के रहे हैं....

श्री फूलचन्द जैन : वह एज्युकेशनिस्ट हो सकते हैं लेकिन साहित्यकार नहीं।

श्री चन्दन मल बैद : क्या डिफरेन्स है साहित्यकार और एज्युकेशनिस्ट में यह परिभाषा करना मुश्किल है। मैं कह देना चाहता हूं कि हमने रास्ते चलते किसी को नहीं बनाया है। हमने उनका एक्सपियरेन्स देखा है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव केपेबिलिटी देखी है और अभी जो रिपोर्ट देखी है उसको पढ़ने के बाद मेरी धारणा बनी है कि उस आदमी में एक तड़प है इसको सुधारने की और उस आदमी ने खुद कहा है कि आज जो साहित्य अकादमी की स्थिति है उसमें मैं आनरेरियम नहीं लूंगा। उन्होंने खुद चलाकर इस बात को कहा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने 1200 रुपये देने का प्रावधान किया है।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, बहुत-सी बातें कहनी हैं लेकिन मैं बहुत-सी बातों को छोड़ता हुआ चला जाऊंगा क्योंकि बहुत लम्बा जाऊंगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी बिराज रहे हैं और मैं यह दिखाना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के बारे में मेरी बहुत कम जानकारी है। शायद वह मुझे कुछ राहत दे दें तो बड़ी कृपा होगी और यह भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी शिक्षा मंत्री भी दो-तीन बार रह चुके हैं और मैं कोई कमी रख दूंगा तो वह उस बारे में कह देंगे तो काम बन जायेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पोर्टफोलियो छोड़ दो।

श्री चन्दनमल बैद : स्पोर्ट कौंसिल के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे स्पोर्ट कौंसिल ने इस साल काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया और माननीय सदस्य श्री अमृतलाल गहलोत यहां नहीं बैठे हुए हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारे देश की टीमों ने इसमें भाग लिया और एक बड़ा अच्छा वातावरण यहां बनाया। इसी तरह से यहां रेशलिंग कम्पीटीशन का अयोजन किया गया। इसके साथ ही रूरल स्पोर्ट्स का अयोजन भी किया गया हमारे यहां पर जिसमें हमारे रूरल के, देहातों के लोगों ने भाग लिया है और बड़ा अच्छा काम किया है। और भी हम अच्छे काम कर रहे हैं। अगले साल आल इण्डिया स्पोर्टस् मीट का आयोजन जयपुर में होगा जिसमें इण्डिया के स्पोर्टस भाग लेंगे। तो इस प्रकार हमारे यहां पर स्पोर्ट्स कौंसिल ने अच्छा काम किया है और राजस्थान की स्पोर्ट कौंसिल ने अपने आपको स्पोर्टस् के नक्शे में रखा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह: टैस्ट मैच भी कराओगे।

श्री चन्दनमल बैद : पांच जगह से छठी जगह नहीं होता नहीं तो वह भी करा देते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजस्थान में कोशिश तो करो।

श्री बरकतुल्ला खां : टिकिट खरीदने वाले ही नहीं हैं, यहां तो फ्री देखने वाले हैं। कोई टिकिट खरीदने वाले हों तो वह भी करावें।

श्री चन्दन मल बैद : कल एक मैच होने वाला है मुझे उम्मीद है कि राजा खेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य जरूर खेलेंगे।

(व्यवधान-अश्रव्य)

इस बार, पहली बार हमने हमारी स्पोर्ट कौंसिल में काफी माननीय सदस्यों को लिया है जिससे मुझे उम्मीद है कि वे भी इस बात की कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट कौंसिल की कार्यविधि में, कार्य करने के तरीके में ज्यादा से ज्यादा सुधार आवे।

श्री केदारनाथ: स्पोर्ट स्कूल के बारे में क्या सोचा है, जैसा पंजाब ने किया है?

श्री चन्दन मल बैद : अभी तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के बारे में ही बातें बहुत है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो एडेड इंस्टीट्यूशन्स हैं उनके बारे में काफी कहा गया है और हमारे कुछ माननीय सदस्य इस बात को मानते हैं कि राष्ट्रीयकरण ही सारी बुराइयों को दूर करने का एक तरीका है। मेरा थोड़ा मतभेद है और होना भी चाहिये। आखिर कितना ही रेडिकल हो जाऊं कांग्रेस में आकर, लेकिन मैं कम्युनिस्ट तो नहीं हुआ हूं। तो मैं यह मानता हूं कि हमारे यहां कई एडेड इंस्टीट्यूशन्स बहुत अच्छी हैं तो कई बहुत खराब भी हैं। और इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एडेड इंस्टीट्यूशन्स को सुधारें और जो अच्छी हैं उन्हें प्रोत्साहन भी दें। लेकिन धन की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जिस आदर्श विद्या मंदिर के बारे में कहा गया कि रिजल्ट बहुत अच्छा है लेकिन कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो सरकार को सौंप दें......

Page No 218

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कोई गड़बड़ नहीं है, यह सब भ्रम है।

श्री चन्दनमल बैद : सारी परेशानी दूर हो जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इलाज ही यही है।

श्री चन्दनमल बैद : इलाज यही है। आप इसको अच्छी इंस्टीट्यूशन बताते हैं और कहते हैं कि काम करने वाले गड़बड़ करते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप सरकार को सौंप दें, आपकी परेशानी मिट जाएगी। सारी एड सरकार की हो जाएगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : फिर आर. एस. एस. की शाखायें कैसे चलेंगी ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस इंस्टीट्यूशन की तो भूतपूर्व शिक्षा मंत्रियों ने बड़ी तारीफ की है। शिवचरणजी माथुर, पूनमचन्दजी विश्नोई और निरंजननाथजी आचार्य ने भी वहां पहुंच कर बड़ी तारीफ की है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : गड़बड़ सामने नहीं आई होगी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : पांच मिनिट मुझे सुन लें तो सारे तथ्य सामने आ जावें सदन के····

(शोरगुल-अश्रव्य).

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(निरन्तर शोरगुल-अश्रव्य)

ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक रत्ती मात्र भी गड़बड़ी नहीं है। इसका 80 और 90 परसेंट तक रिजल्ट रहता है।

श्री चन्दनमल बैद : ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशन्स हैं जिनका रिजल्ट 95 परसेंट ही नहीं 99 परसेन्ट तक रहा है। और ऐसी सरकारी इंस्टीट्यूशन्स भी बहुत-सी हैं जिनका रिजल्ट सेंट परसेंट, 98 परसेंट 99 परसेंट तक रहा है। यह कोई फक्र करने की बात नहीं है। तारीफ करने की बात नहीं है। आप अपने घर पर बुला कर बासी रोटी भी खिलावें तो भी यही कहूंगा कि बहुत अच्छा खाना खिलाया। यह तहजीब है। यह भारतीय तहजीब है। आपके घर जायेंगे तो क्या यह कहेंगे कि खराब है आपकी स्कूल। इस प्रकार नहीं कहेंगे तो हमको कोई गुलाब के फूलों की माला थोड़े ही पहनायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे पास में फिगर्स हैं कि आपके बड़े-बड़े अफसरों के बच्चे वहां पढ़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य माननीय सदस्य।

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आदर्श विद्या मंदिर के अंदर अफसरों के बच्चे पढ़ते रहे हैं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सुबोध कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और इसी प्रकार से कई स्थानों पर हैं···

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

(निरन्तर शोरगुल, अश्रव्य)

कोई जलसा हुआ या किसी प्रकार के फंक्शन हुए तो उनको यह कहना कि ये आर० एस० एस० के केम्प लगे थे, यह बेसलैस है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री चन्दनमल बैद : एक अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां एडेड इंस्टीटयूशन्स की जो संख्या है दूसरे प्रान्तों से बहुत कम है। यू०पी० में, तमिलनाडु में और जो राष्ट्रीयकरण की बहुत बातें करते हैं वहां, उनके जो मुख्य मंत्री हैं अच्युत मैनन उनके कैरल राज्य में भी एडेड इंस्टीटयूशन्स बहुत ज्यादा हैं। हमारे यहां तो बहुत कम हैं। मैं आपको संख्या अर्ज करूं हमारे राज्य की। हमारे यहां प्राईमरी एडेड स्कूल्स हैं 268 जब कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स हैं 1,737 और पंचायत समितियों में है 16,605 अपर प्राईमरी स्कूल्स में एडेड इंस्टीटयूशन्स हैं 158 जब कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स हैं 3,045 सैकंड्री और हायर सैकण्ड्री में एडेड इंस्टीट्यूशन्स है 206 और गवर्नमेंट की हैं 1.023। कॉलेज एडेड हैं 20 और गवर्नमेंट के हैं 50। संस्कृत में एडेड हैं 55 और गवर्नमेंट के हैं 46, संस्कृत में एडेड जरूर ज्यादा हैं। तो हमारे यहां एडेड इंस्टीटयूशन्स की संख्या काफी कम है और दूसरी स्टेट में ज्यादा है। तो इस प्रकार हमारे यहां प्राईवेट एडेड इंस्टीटयूशन्स कम है और जो एडेड इंस्टीट्यूशन्स अच्छा काम कर रही हैं तो मैं आज यह समझता हूं कि उनके

(8.47 रात्रि)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीयकरण के बारे में सारे भारत को सोचने दीजिए। सारे भारत का और देश का चिंतन होने दीजिए। भारत के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भी हुआ था और सेवाग्राम में श्री मन्नारायणजी की अध्यक्षता में जिसमें बडे बडे शिक्षा शास्त्रियों ने भाग लिया था उन्होंने भी इस पर विचार किया है। अभी विचार करने दीजिए और देश में इसका विचार बनने दीजिए। अगर देश यह चाहेगा कि एडेड इंस्टीटयूशन्स बन्द कर दी जाय तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं होगा। मुझे कोई इनसे लगाव नहीं है। लेकिन अभी तक दोनों सम्मेलनों में जिसमें देश के बड़े 2 शिक्षा शास्त्री और वाईस चांसलर्स ने भाग लिया, उनकी भी यही मंशा है कि एडेड इंस्टीटयूशन्स को चलने देना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आप कम्यूनिस्ट मत बनिए।

श्री अध्यक्ष: No dusturbance please.

श्री चन्दनमल बैद: बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन के बारे में कुछ बातें कही गई और यह कहा गया कि उन्होंने कुछ किताबें चेंज की है। अध्यक्ष महोदय, किताबें तो आखिर पुरानी हो जाती हैं, नई विचारधारा पैदा होती है। विज्ञान की नई बातें सामने आती हैं तो किताबें तो चेंज करनी पड़ती हैं। लेकिन एक वर्ष में ही नहीं बदली जाएगी। इसके लिये हर साल का फेज प्रोग्राम बनाया है कि एक साल में ये किताबें बदलेंगी, दूसरे में ये बदलेंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पिछले साल की बदली हैं।

श्री चन्दन मल बैद: पिछले साल की एक भी किताब इस साल नहीं बदली है।

(श्री चन्दनमल बैद)

पिछले साल की एक भी किताब इस साल बदली गई हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि ऐसी कोई समस्या मेरे सामने लाई गई तो मैं कड़ी से कड़ी कार्यवाही करूंगा। लेकिन किताबें बदलेंगी और आए साल बदलेंगी, पांच साल का फेज प्रोग्राम बनाया है और उसके अनुसार धीरे धीरे किताबें बदलेंगी।

श्री जान मोहम्मद: इस साल अकाल पड़ा हुआ है।

श्री चन्दन मल बैद: 9वीं कक्षा की किताबें भी बदलनी पड़ेंगी, दसवीं की किताबें भी बदलनी पड़ेंगी और 11वीं की किताबें भी बदलनी पड़ेंगी।

और इसी तरीके से एक बात कही गई, मैं इस बात को मानता हूं और जांच कराऊंगा कि इसकी जो कमेटी के मेम्बर हैं उनको अपने नाम से किताबें नहीं लिखनी चाहिए। उन्होंने अगर अपने नाम से किताबें लिखी हैं तो यह गलत काम किया है। मैं इसकी जांच कराऊंगा और इस बात के आदेश जांच करा कर जारी करूंगा कि कमेटी के मेम्बर अपने नाम से कोई किताब न रखें।

श्री केदारनाथ: ओपन कम्पीटिशन कराइए।

श्री चन्दन मल बैद: कहीं कोई किसी विषय की पुस्तकें नहीं होती है तो चेयरमैन कुछ लोगों को कहते हैं कि आप इस विषय में किताबें लिखिए। कमेटी के अन्दर भी मेम्बर लोग एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई मेम्बर अपने नाम से किताब लिखेगा तो दूसरे मेम्बरों के सामने यह बात रहती है कि मेरे साथी ने किताब लिखी है मैं उसको रिफ्यूज कैसे करूं। इस वास्ते यह काम गलत है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं उसको मानता हूं और इसके बारे में कड़ी हिदायत करूंगा कि जो कमेटी के मेम्बर हैं, नेशनलाईजेशन ऑफ बुक्स के या और कोई, उस कमेटी के मेम्बर अपने नाम से किताबें नहीं लिखें और अगर लिखें तो उनको मंजूर नहीं करना चाहिए।

इसी तरह से नेशनल बुक ट्रस्ट ने भी किताबों के बारे में अपना फेज प्रोग्राम बनाया है। पिछले साल कुछ किताबें बदली थीं, इस साल कुछ बदल रहे हैं और आगे भी बराबर बदल रहे हैं। उनकी सैल्स भी बढ़ी है और उन्होंने इस प्रकार का प्रोग्राम बनाया है। मैंने उनको कह दिया है, बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री वालों को कह दिया है और टैक्स्ट बुक वालों को भी कह दिया है कि अगर जुलाई में किताबें नहीं मिली तो फिर मेरे से बुरा शिक्षा मंत्री दूसरा नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से जुलाई में विद्यार्थियों को किताबें मिल जानी चाहिएं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस साल जितनी किताबें बदलें वे जुलाई के महीने में मिल जायें। यह गलत बात है कि हमारे स्कूल्स जुलाई में खुल जाय और किताबें अगस्त, सितम्बर में मिलें। यह गलत है। कोई भी कारण हो, चाहे बाढ़ आगई हो, ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी हो, यह सारी बात होते हुए भी जुलाई के महीने में बच्चों को पुस्तकें मिल जानी चाहियें···

श्री गिरधारीलाल भार्गव: पहले किताबों का कागज आपको तीन रुपये किलो मिलता था। अब भारत सरकार ने आपको यह 1.80 पैसे प्रति किलो दिला दिया है। इसलिये क्या यह आशा की जाए कि किताबें भी सस्ती दर पर उपलब्ध करा दी जाएंगी।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह संस्था नो-प्राफिट नो-लोस पर चलती है। हम जिस भाव पर पुस्तकें दे रहे हैं उस भाव पर दूसरा कोई भी प्रकाशक पुस्तकें नहीं दे सकता है। यह मैं चुनौती देता हूं। यह संस्था नो प्रोफिट नो-लास पर चल रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो पुस्तकें पिछले साल बदल गई हैं उनको तो इस साल नहीं बदला जायेगा ?

श्री चन्दन मल बैद : इस साल इनको नहीं बदला जायेगा और किसी ने बदली है तो उसको सजा दी जायेगी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह आटोनोमस बोडी है उसको कैसे आप सजा दे सकते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : गवर्नमेंट के हाथ काफी लम्बे होते हैं। वह चाहे तो सब कुछ कर सकती है।

श्री चन्दन मल बैद : सजा नहीं दे सकता हूं तो कम से कम उनको हटा तो सकता हूं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : हां यह आप कर सकते हैं।

श्री चन्दन मल बैद : इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, नेशनल टैक्स्ट बुक में देरी हुई है वह पब्लिशर के कारण हुई है और पब्लिशर पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की संख्या भी सुनाई थी। और यह जो सैकेण्डरी बोर्ड की किताबों में देरी हुई है उसके लिये एक कमेटी का निर्माण किया गया है। इस कमेटी की रिपोर्ट आना बाकी है। यदि पब्लिशर ने देरी की है तो उनको सजा दी जायेगी। इस कमेटी के तीन सदस्य हैं एक तो प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट कालेज, भीलवाड़ा है, दूसरे श्री आर. सी. माथर हैं, जो कि आई. ए. एस. हैं। तीसरे श्री पी. डी. शुक्ला है जो कि प्रिन्सिपल, रीजनल कालेज आफ एजूकेशन, अजमेर हैं। इन तीन व्यक्तियों की यह कमेटी है। यह कमेटी रिपोर्ट दे दे कि इस कारण से देरी हुई है और जिस पब्लिशर से देरी हुई है तो निश्चित रूप से उसको सजा दी जायेगी।

एक माननीय सदस्य : देरी के कारण लड़कों को लास हो गया है। इसके लिये क्या किया गया ?

श्री चन्दन मल बैद : जो किताबें देरी से आई हैं अध्यक्ष महोदय, उनका कोर्स कम कर दिया गया है। जैसे मान लीजिये कि यह किताब देरी से आई है तो उतने ही प्रपोरशन में उसका कोर्स कम कर दिया है। इतनी चीज पढ़ाई जाएगी किताब देर से मिलने के कारण जो लास हो गया है वह कोर्स कम कर के पूरा कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यह तो अर्ज कर चुका हूं कि 84 लाख रुपया इमारतों के बनाने के लिए दिया गया है इस साल। अगले साल के लिये भी हमारी इच्छा है कि करीब 53/54 लाख रुपया इस मद में और दिया जाये। हमारी यह भी मंशा है कि सैकेण्डरी स्कूल्स और कालेजेज की बिल्डिंग्स बनाने के लिये कुछ धनराशि उपलब्ध करावें। इसके लिए भी प्रावधान किया है। दौसा कालेज की बात यहां पर कही गई है। इस संबंध में इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि दौसा कालेज के लिए इतना प्रावधान कर

(श्री चन्दन मल बैद)

दिया गया है इस साल कि यह कालेज बन कर तैयार हो जायेगा। और इस साल ही यह कालेज नई बिल्डिंग में चला जाएगा। इसके पहले प्रावधान नहीं कर सके। कभी तीस हजार, कभी पचास हजार का ही प्रावधान कर पाए हैं। इस साल करीब तीन लाख का प्रावधान किया गया है इस कालेज की बिल्डिंग के लिए और इस साल ही यह कालेज नई बिल्डिंग में चला जाएगा।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : जितना भी प्रोविजन किया है वह रूरल एरिया के लिए किया गया है।

श्री चन्दन मल बैद : रूरल एरिया के लिए ही यह 84 लाख रुपया दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने, तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल खोलने का काम भी माननीय सदस्यों पर छोड़ दिया है। अब माननीय सदस्य प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल जहां चाहें वहां पर खुलवा सकते हैं। जो एम.एल.ए. रूरल एरिया के लिए ताकीद करते हैं, उसकी वकालात करते हैं वहां पर ही ये खोले जायेंगे.......

श्री जयकिशनलाल तोसावाड़ा : शहरों के एम.एल.ए. मीटिंग्स में लड़ाई करते हैं..

श्री चन्दन मल बैद : यह तो आप लोग मिल कर तय करें। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं ही मिडिल स्कूल खोलने लग जाऊं तो मेरी जिन्दगी पांच साल तो जरूर ही कम हो जायेगी। इसलिए माननीय सदस्यों को यह अधिकार दे दिया है। डेढ़ हजार मिडिल स्कूल और एक हजार प्राइमरी स्कूल जहां उनकी इच्छा हो वहां पर वे खोलें। मुझको यह तो नहीं सुनना पड़ेगा कि यहां तो लड़के कम थे, लड़कियां कम थीं फिर भी स्कूल खोल दिया। यहां पर बिल्डिंग नहीं थी, फिर भी स्कूल खोल दिया। इस बारे में जितनी जानकारी माननीय सदस्यों को हो सकती है वह मुझे नहीं हो सकती। इसलिए स्कूल जहां माननीय सदस्यों को अच्छा लगे, और इच्छा हो, वहां पर खोलें। बिल्डिंग का 84 लाख रुपया भी आपकी इच्छा पर है। ढाई हजार स्कूल भी आपकी इच्छा पर हैं। एक स्कूल भी खोलना मैंने अपनी इच्छा पर नहीं रखा है। पिछले साल 25 स्कूल खोल कर मैंने गलती की है। अब इस गलती को दुबारा दोहराना नहीं चाहता हूं...

श्री रामनारायण चौधरी : झुन्झुनू जिले में राजकीय कालेज का अभाव है। क्या वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार इसको खोलने का इरादा रखती है?

श्री केदारनाथ : आप तो मिलीटरी कालेज की मांग करिए।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय लाइब्रेरीज के बारे में भी थोड़ा बहुत यहां पर कहा गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी लाइब्रेरीज की हालत अच्छी नहीं है। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए लाइब्रेरीज के लिए कोई धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है। इस पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी इच्छा है और बीस लाख रुपया लाइब्रेरी के लिए आवंटन किया है। लाइब्रेरी के संबंध में एक काम और किया है। हम राजा राममोहन राय लाइब्रेरी के मेम्बर बन गए हैं और 50 हजार रुपये का अपना कन्ट्रीब्यूशन दे दिया है। वहां से डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को किताबें भेजी जा रही हैं। ये काफी अच्छी किताबें हैं। यह एक

(श्री चन्दन मल बैद)
आल इंडिया आर्गनाइजेशन है और एक नेशनल आर्गेनाइजेशन है। इसकी सारी स्टेट्स मेम्बर बन गई हैं। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की ओर से भी इसको करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। दूसरी स्टेट भी मेम्बर हैं और रुपया दे रही हैं। यह आर्गेनाइजेशन हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज को पुस्तकें भेजेगा। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी की स्कीम है उसके हम मेम्बर हैं और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी लाइब्रेरीज की स्थिति इससे अच्छी हो सकेगी यह हम आशा करते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर में सेन्ट्रल लाइब्रेरी के लिए भी कह दें ...

श्री मनोहर कोठारी : हमारे पास ट्रेन्ड लाइब्रेरियन बहुत ही कम हैं। इसके बारे में भी क्या आप सोचेंगे ?

श्री चन्दन मल बैद : यह तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि अच्छी हालत नहीं है। लाइब्रेरी पर मेरे पास 5-7 पेज का नोट है। आप कहें तो और कह सकता हूं। इसके लिए 15/20 मिनिट और ले सकता हूं। मैं यह चाहता हूं कि शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो महरबानी फरमावें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जयपुर में सेन्ट्रल लाइब्रेरी खोलने के बारे में आप क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्दन मल बैद : एक बात और कहूंगा तो काफी बातें कहनी पड़ेंगी ...

श्री अध्यक्ष : आप तो शीघ्रता करें।

श्री चन्दनमल बैद : एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान बना था शिक्षा पर कुल डेढ़ करोड़ का बजट था आज यह 56 करोड़ का बजट है। 55-56 में यह दो करोड़ 15 लाख का बजट था, 60-61 में 3 करोड़ 70 लाख का बजट था, 70-71 में यह 38 करोड़ 57 लाख का बजट हो गया और 71-72 में यह 43 करोड़ 44 लाख का, 72-73 में 48 करोड़ 32 लाख, और 73-74 में यह 56 करोड़ 12 लाख का बजट है। अगले साल के लिए 8 करोड़ बढ़ाए गए हैं....

श्री केदारनाथ : इस साल फाइनेन्स मिनिस्टर भी आप ही थे, इसलिए हो गया है ...

श्री चन्दनमल बैद : आपके मुंह में घी, शक्कर और मेरी फाइनेन्स मिनिस्टरी कायम रहे.....

लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज के बारे में अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं। उनकी शिकायत में कुछ सार है। मैं मानता हूं कि चार लैंग्वेजेज–सिंधी, उर्दू, गुजराती और गुरुमुखी (पंजाबी) इन चारों के बारे में जो कुछ हमें करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था नहीं किया। उसके बारे में मैंने यह विचार किया कि अलग से एक इन्सपेक्टर नियुक्त किया जाय जो इस बात की देखभाल करे कि ये चार लैंग्वेजेज की उन्नति हो और यह बढ़ें और इनके लिए जो कुछ काम होना चाहिए वह हो।

एक बात और कही गई है कि उर्दू में एम०ए० की क्लासेज राजस्थान युनिवर्सिटि में होनी चाहिए। मैं सदन को विश्वास

(श्री चन्दन मल बैद)
दिलाता हूं कि उर्दू में एम०ए० की क्लासेज राजस्थान युनिवर्सिटी में हो जायेंगी अगले साल से।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : पंजाबी के लिए।

एक माननीय सदस्य : वह कह दिया है न गुरुमुखी के लिए।

श्री चन्दन मल बैद : दौसा के बारे में मैंने एक गलत बात कह दी है उसको सुधार दूं, कागज मेरे हाथ में आ गया है। 71-72 में 1,80,000 रु० खर्च किया गया और 72-73 में 60,000 रु० का प्रावधान किया गया और 73-74 में इस साल 3,48,000 रु० का प्रावधान किया है। इससे बिल्डिंग पूरी हो जायगी, और जो कालेज दूसरी जगह चल रहा है वह नई बिल्डिंग में चला जायगा। दौसा के माननीय सदस्य शायद यहां विराजमान नहीं हैं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं सूचना दे दूंगा।

श्री चन्दन मल बैद: आप सूचना दे दें। धन्यवाद इस मिशीनरी के लिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर के गर्ल्स स्कूल के बारे में....

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं। सुजानगढ़ में पोलीटैक्निक के बारे में कहा गया। जो पोलीटैक्निक आज प्रदेश में चल रहे हैं उनमें भी जगह पूरी नहीं भरती है। इस वास्ते हम एक पोलीटैक्निक और खोलने की स्थिति में नहीं हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के नये सोर्सेज निकलेंगे तो नई पोलीटैक्निक खोल सकेंगे सुजानगढ़ में। वहां पर सहयोग के रूप में 12 लाख देना चाहिए था....

श्री फूलचन्द जैन : वहां पर मुख्य मंत्रीजी ने उसका शिलान्यास किया था।

श्री चन्दन मल बैद : मैं भी खुद वहां पर मौजूद था और उसके बाद आप और मैं चुनाव हार गए तो मन ही मन समझ गए, क्योंकि उनका आप से और मुझ से मोह ज्यादा था। उन्होंने कहा भी था कि फूलचन्दजी और चन्दनमल जी हार गए तो पोलीटैक्निक न बने तो हर्ज है। आज जो प्रदेश में पोलीटैक्निक चल रहे हैं उनमें भी जगहें खाली रहती हैं तो नए पोलीटैक्निक के लिए वह 12 लाख रुपया देंगे और खर्च होगा 40 लाख रुपये तो 28 लाख का सरकार को इन्तजाम करना पड़ेगा और 3-4 लाख का रेकरिंग खर्चा होगा। जब हमारे समाज में रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ेंगी तो पोलीटैक्निक भी बढ़ेंगे।

श्री फूलचन्द जैन : डोनर ने वैकल्पित कई सुझाव दिए हैं तो उसकी युटिलिटी हो सकती है।

श्री चन्दन मल बैद : आप पत्र लिखें।

श्री फूलचन्द जैन : शिक्षा विभाग को दिए हुए हैं।

श्री चन्दन मल बैद : अगर आपके वैकल्पित सुझाव ऐसे हैं कि जिनसे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं और हमारे प्रदेश को भलाई होती है तो 12 लाख क्या 12 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं।

(श्री चन्दन मल बैद)

चार लाख का वायदा किया और 2 लाख दिए। उसके बाद पैसा नहीं दिया। उसमें आपका कसूर नहीं और मेरा भी कसूर नहीं है। कुछ लोग यह चाहते थे कि जसवन्तगढ़ में कालेज क्यों बने सुजानगढ़ में क्यों न बने....

श्री फूलचन्द जैन : यह गलत बयानी मत करिए। 67-68 में एक लाख दिया था और 68-69 में 1 लाख दिया और उसके बाद बन्द कर दिया। एग्रीमेन्ट में यह था कि एक एक साल में एक एक लाख की चार किश्तों में आपको मिलेगा। डोनर ने पहले 1 लाख रुपया दिया और 3 साल तक एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट में पड़ा रहा। डोनर ने आज तक इन्कार नहीं किया कि जो मेरा हिस्सा है वह नहीं दूंगा....

श्री चन्दन मल बैद : जो मुझे सूचना दी गई है....

श्री फूलचन्द जैन : जो आपको सूचना दी गई है वह गलत है और उसको मैं करेक्ट करता हूं।

श्री चन्दन मल बैद : 1,38,000 रु० बिल्डिंग में खर्च कर चुके हैं और उसके बाद सामान कुछ पड़ा हुआ है....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह आपस के मसले हैं फिर तय कर लें।

श्री चन्दन मल बैद : उसके बाद एक लाख रुपया दिया फिर काम शुरू कर दिया और आज भी काम चालू है, और हम उनसे प्रार्थना करेंगे, आप मेरी तरफ से प्रार्थना करिए कि एक लाख रुपया जो बाकी है वह दे दें। चार लाख में जितनी बिल्डिंग बन सकती है वह बना देंगे।

श्री फूलचन्द जैन : एग्रीमेन्ट के मुताबिक कम्पलीशन के बाद वह पार्टी देगी। काम चालू नहीं है और काम बन्द कर दिया गया है। जो एग्रीमेन्ट हुआ है उसके मुताबिक आपको बिल्डिंग कम्पलीट बनानी चाहिए थी।

श्री चन्दन मल बैद : मुझे जो सूचना दी गई है....

श्री फूलचन्द जैन : मैं सदन में आथेन्टिक सूचना दे रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री चन्दन मल बैद : आपका एग्रीमेन्ट पढ़कर मैं आपको पत्र लिख दूंगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कह रहे हैं। आप यह कह रहे हैं कि एग्रीमेन्ट में यह है कि पहले बिल्डिंग बना देंगे उसके बाद में वह देंगे और मुझे यह सूचना दी गई है कि एग्रीमेन्ट में यह है कि चार लाख रुपये देंगे तो बिल्डिंग बनेगी।

श्री फूलचन्द जैन : तीन लाख रुपये दिए गये हैं वहां पर काम चालू हो जाय और वहां पर कॉलेज चालू हो जाय और बिल्डिंग बन जाय तो एक लाख रुपये मैं कल ही आपको देता हूं।

श्री चन्दन मल बैद : तीन लाख रुपये की बिल्डिंग बनने के, माननीय अध्यक्ष, 5-10-72 को आर्डर्स जारी हो चुके हैं यह मुझको मालूम हुआ है। तीन लाख की बिल्डिंग बन जायगी, लेकिन तीन लाख में कालेज बिल्डिंग पूरी नहीं होगी। इस वास्ते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आप भी सेवक हैं और मैं भी सेवक हूं। आपकी कान्स्टीट्यूएन्सी है और मेरा जिला है। आप और मैं दोनों एक हैं। इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूं....

श्री फूलचन्द जैन : मैं इतना ही कहता हूं कि 3 लाख रुपये जो डोनर ने दिए हैं उनका उपयोग कर लें। काम चालू तो करें। उतनी बिल्डिंग तो बना दें। आपने काम फिर बन्द कर दिया। पैसा दें तो आप और दूसरे कॉलेज में लगायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप मुद्दों पर फर्मावें।

श्री चन्दन मल बैद : म्युनिसिपल स्कूल्स की ग्रान्ट-इन-एड के बारे में कहा गया। म्युनिसिपल स्कूलों के लेने के बाद उनको सेन्ट-परसेन्ट चुकारा हम कर रहे हैं। पहले के जो एरियर्स बकाया हैं उनमें 80, 70 और 60 पर्सेन्ट आपको देना है तो पहले आप दे दें और ग्रांट-इन-एड हमसे ले लें। हमने उनसे कहा है कि हमको जो 80 पर्सेन्ट, 70 पर्सेन्ट और 60 पर्सेन्ट देना है वह हम उनको दे देंगे और बाकी का जो 40 पर्सेन्ट, 30 पर्सेन्ट और 20 पर्सेन्ट वह दें या न दें उसकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज के जो भी स्कूल्स हमने लिए हैं उनका चुकारा हमको जितना भी करना था वह करवा दिया। 60, 70 और 80 पर्सेन्ट का हम कर देंगे और बाकी का म्युनिसिपलिटीज जानें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि जितना समय मैं लिया करता हूं उससे ज्यादा समय ले लिया है, लेकिन शिक्षा का ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बोलना जरूरी था और इस पर माननीय सदस्यों ने काफी विचार किया है....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सामने जो अध्यापक बैठे हैं उनके बारे में जिक्र कर दें।

श्री चन्दन मल बैद : बाहर बैठने पर आप नए नए हैं इसलिए इतना घबरा जाते हैं। उतना घबरायें नहीं। जब तक विधान सभा रहेगी वहां तक लोग बाहर बैठे रहेंगे। विधान सभा के बाहर नहीं बैठेंगे तो क्या आपके और मेरे घर के बाहर बैठेंगे?

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आम तौर पर जितने मुद्दे यहां उठाये गए हैं उनका मैंने जवाब देने की कोशिश की है। मैं शिक्षा शास्त्री तो हूं नहीं इस वास्ते यह कहूं कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करूं या चूल परिवर्तन करूं या आमूल परिवर्तन करूं। यह मैं जरूर जानता हूं कि जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं, प्रोफेसर नूरुल हुसैन हैं या श्री मन्नारायणजी हैं वे शिक्षा शास्त्री हैं वह देश के लिए कोई भी शिक्षा-पद्धति बनाकर दें जिससे कि देश का भविष्य उज्ज्वल हो, देश का विकास हो, देश आगे बढ़े, उस रास्ते को मैं मानने को तैयार हूं। मैं कोई भी स्कीम शिक्षा के लिए बनाने में सक्षम नहीं हूं। ऐसी कोई स्कीम दे दें फुल प्रूफ जिससे देश की बेकारी दूर हो तो मैं उसको इम्प्लीमेन्ट कर सकता हूं। इतना विश्वास दिला सकता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि इस विभाग की मांग जो मैंने पेश की है उसको सदन मन्जूर करे। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री मनोहर कोठारी : मेरे कट-मोशन का जवाब तो दे दीजिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यापकों के बारे में आपने कहा था। वह बाहर बैठे हैं।

श्री चन्दन मल बैद : 260 कटमोशन्स हैं। 10–15 दिन में सबके जवाब पहुंचा दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उन अध्यापकों के बारे में आपने रिकमण्ड किया है। शिवचरण माथुर ने रिकमण्ड किया है।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : (श्री बैद के उठने पर) मैं जबाब दे दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सन् 62 से सदन का मेम्बर रहा हूं। यह भी कह सकता हूं कि सदन की मर्यादाओं को और सदन की ताकत को और एम.एल.एज. की ताकत को समझता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप 57 से इस सदन के मेम्बर रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : हां, 57 से रहा हूं। मैं बराबर इस बात की कोशिश कर रहा हूं। मैं यह दावे से कह सकता हूं। हर तरीके से मैंने कोशिश की है। जो माननीय सदस्य सदन के हैं, उनको किसी न किसी तरीके से हर जगह इन्वोल्व करूं। इसलिए करूं कि वह जनता की ताकत को समझते हैं। और उसके साथ साथ जनता का दुःख मिटाने का उपाय कर सकते हैं। दूसरी स्टेट के मुकाबले में हम कह सकते हैं कि हमने बहुत ज्यादा कदम उठाये हैं। चाहे वह विजीलेंस कमेटी के बारे में हो, और चाहे वह अन्य के बारे में हो। हर क्षेत्र में सहयोग लेने की कोशिश की है। बार बार कोशिश होने पर कोई सिम्बोलिक चीजें निकल आयें। वह सिम्बोलिक चीजें हैं। विजीलेंस कमेटी बना रहे हैं। उसके अन्दर सीनियर ऑफिसर हैं। आप जानते हैं। उसके अन्दर जानकारी हासिल कीजिए। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है, तो नोट आफ डीसेण्ट दीजिये। इसी तरीके से अनाज के बारे में, इसी तरह से जहां से भी आये हैं। उनका इन्वाल्वमेंट चाहते हैं। इन्वाल्वमेंट की जरूरत इसलिए है, क्योंकि जनता की ताकत को जो आप समझ सकते हैं, दूसरा नहीं। (हर्ष ध्वनि) मुझे अफसोस है, मेरे एक दोस्त ने डेमोक्रेसी के बारे में कहा। प्रेसीडेन्शियल फार्म ऑफ. डेमोक्रेसी और पालियामेंट्री फार्म ऑफ डेमोक्रेसी में फर्क है। पालियामेंट, ज्यूडिसियरी और एक्जीक्यूटिव में फर्क है। लेकिन यह समझ लेना कि एम. एल. ए. चाहते हैं कि वह कलेक्टर या एस.पी. बन जायें, यह नहीं हो सकता है। ऐसा कहा जाये तो यह एक गिरी हुई बात होगी। चाहे बड़े से बड़ा मिनिस्टर हो, उससे सलाह पूछ सकता है। उसको सलाह दे सकता है कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। यह समझ लेना कि सर्विसेज नहीं रह सकेंगी, यह गलत है। कोई फार्म ऑफ गवर्नमेंट हो, सर्विसेज रहेंगी। सवाल यह होता है कि जो सर्विसेज के अन्दर हैं, उनमें भ्रष्टाचार नहीं हो। हमने भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश की है। मेरे दोस्त, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य, उन्होंने यह कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान दिया है कि 6 महीने में भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। मैं निवेदन करूं कि मैंने ऐसा बयान कहीं नहीं दिया है। मैंने सभी जगह यही कहा है कि या तो भ्रष्टाचार मिटेगा या मैं नहीं रहूंगा। अगर भ्रष्टाचार नहीं मिटा और आगे रास्ते तक गया तो मैं यहां आगे नहीं बैठूंगा। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनको डर है, कि सजा मिलने वाली है, वही सारे के सारे लोग मिलकर मुखालफत पैदा करेंगे। इसलिए कोई भी बाइज्जत आदमी अपना वचन दे कर जाता है, जबान देकर जाता है, तो फिर इस काबिल नहीं रहता है कि इस सदन के अन्दर आकर बैठे। आज भी मैं

(श्री बरकतुल्ला खां)

मैं यह कहता हूं, जो यह भय होता जा रहा है, कि सर्विसेज बढ़ गई हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माफ करेंगे। उन्होंने जो बयान पढ़ा, उससे आगे की लाइनें नहीं पढ़ीं :— किसी ने कहा "Marxism is dead" तो जवाब दिया "The news is slightly exaggrated."

मैं याद दिलाना चाहता हूं और मैं यह समझता हूं, कि आपने खाली लाइन दी है। बोलने वाले को अधिकार होता है कि वह बोले लेकिन हैड लाइन क्या बने, यह अखबार वालों का काम है। इसकी कोई चिन्ता नहीं है। है। जनसंघ के नेता ने एक बात कही है कि राजस्थान के जो एम.पी. हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा है। मैं कहता हूं कि हमारी लाजमी तौर पर बातें होती हैं। हम मिलते हैं। बात करते हैं। कभी हम से गलती भी हो सकती है। अगर हमारे घर के अन्दर कोई बात होगी तो हम खुलकर बात करते हैं। उसके अन्दर कोई प्रेस्टिज का सवाल नहीं आता है। तो मैं माननीय सदस्य को जवाब देना चाहता हूं। लेकिन किसी रिकार्ड के लिए ही जवाब देना चाहता हूं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बार बार गाड़ियों के बारे में कहा है। मैं समझता हूं कि वह वेरियस डिपार्टमेंट्स को, इस्तेमाल के लिए दी है। तो जो गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, उसका जो माइलेज है, उसको देखें तो उसके अन्दर फर्क मिलेगा। कुछ जनता में भी जाग्रति आई है। जहां कहीं ऐसा पाया गया, जहां कहीं ऐसा निजी इस्तेमाल किया गया है, वहीं से आवाजें उठी हैं। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है कि कोई कदम उठा ही नहीं रखे हैं। लेकिन कोई यह समझे कि अलादीन का चिराग है, एक दिन में ही सब ठीक हो जायेगा। यह बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जैसा कि जनसंघ के माननीय नेता ने ब्यावर के पानी के बारे में कहा था। मैं कहना चाहूंगा, 4 लाख रुपया ब्यावर शहर को पानी पहुंचाने के लिए दिया था। इसी तरह से 1 लाख 5 हजार रुपया वहां के कुओं को गहरा करने के लिए दिया गया था। और इसी तरह से 61 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। थोड़े कामयाब हुए हैं। थोड़े नाकामयाब हुये हैं। और, मैं विश्वास करता हूं कि जितने रुपये के खर्च की जरूरत पड़ेगी, मैं करूंगा। कलेक्टर को मैं कह कर आया था। मैं कह कर आया था कि ओपन टेण्डर निकालें। जो लोएस्ट टेण्डर आता है, वह लिया जाये। यह जरूर किया जाये, यह जरूर देखा जाये कि वह वक्त पर ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं।

इसी तरीके से, माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि क्या कदम अब तक उठे हैं, इसकी चर्चा काफी पहले भी हो चुकी है, लेकिन सदन का थोड़ा टाइम लूंगा और इस दावे के साथ लूंगा, यह मैं दावा करता हूं कि राजस्थान के अलावा किसी स्टेट ने अगर यह कदम उठाया हो और यह एक्शन लिया हो तो मैं झूठा, मैं सदन में आपसे माफी मांगूंगा और आपके मार्फत सदन से माफी मांगूंगा। सन् 1972 में 15 गजेटेड, नॉन-गजेटेड को सजायें मिलीं। एन्टी करप्शन में, इसी तरह से 47 ट्रेप के केसेज हुए और 38 केसेज के अन्दर मुकदमें चलाये गये थे, 32 के अन्दर कनविक्शन हुए। इसी तरीके से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम्पलसरी रिटायर जो हुए, पचास से ऊपर लोग रिटायर हुए हैं गजेटेड, 150 सबोर्डिनेट और मिनिस्ट्रियल स्टाफ में से रिटायर हुए

(श्री बरकतुल्ला खां)

है। इसी तरीके से और इन्क्वायरी खुली हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को हम स्ट्रीम लाइन करना चाहते हैं। आज एक मित्र ने कहा, कागजों में बड़ी देर लगती है। इस मारे अब यह तय किया, एक स्टैंडिंग रूल्स ऑफ बिजनेस, उसके अन्दर यह कहा गया कि चार लेवल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और चार लेवल में मिनिस्टर भी शरीक होना चाहिए। चार लेवल में मिनिस्टर शरीक हो गया, इसका मतलब है, नीचे के तीन लेवल।

इसी तरीके से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अन्दर हमने इकानामी भी की है। लेकिन इकानामी करने के बाद भी हमने लोगों को अनएम्प्लायड नहीं किया। 1 करोड़ 36 लाख के करीब इकानामी की, रिट्रेन्चमेन्ट किए लेकिन उसी ग्रेड में दूसरी जगह पर एब्जार्व किया है। मैं समझता हूं, मुश्किल से पन्द्रह बीस आदमो बाकी रह गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी उन्हें एब्जार्ब किया जाय। इकानामी की है, लोगों को एब्जार्व किया है, सेक्रेटरीज की मन्थली मीटिंग हो रही है। इसके पहले डी० पी० सी० की मीटिंग नहीं हो रही थी, वर्षों से नहीं हो रही थी। जबकि पिछले साल, डेढ़ साल में निरन्तर मीटिंग हुई हैं। मैं कह सकता हूं, काफी सारे डिपार्टमेन्ट की सीनियोरिटी के अन्दर मामले तय हो गए हैं, जो वर्षों से अटके हुए थे, जो 1958 से, 1962 से अटके हुए थे, वह तय हो गए हैं।

इसी तरह से, जैसा पहले निवेदन किया था, हम ट्रिब्यूनल बनाना चाहते हैं, सर्विसेज की डिफिकल्टी देखने के लिए। डिफिकल्टी, छोटे आदमी का प्रमोशन रोक दिया, छोटे आदमी के साथ ज्यादती हो गई, छोटे कर्मचारी के साथ ज्यादती हो गई। उसके अन्दर जुडिसियरी के मेम्बर को एसोसियेट करना चाहते हैं, ताकि एक जुडिसियरी का आदमी रहे, और ट्रिब्यूनल में बैठे, ताकि यह नहीं हो कि सरकारी आदमी बैठे, जिन्होंने नाइन्साफी की, वही बैठे, वही इन्साफ करने में बैठ जायं। इसलिए जुडिसियरी में से रखा है, सीनियर आफिसर्स में से रखा है।

इसी तरह से मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं यह कह सकता हूं, राजस्थान सरकार ने तय किया है, चालीस पर्सेन्ट आर० ए० एस० में से आई० ए० एस० में जाने चाहिए। यह रिकमन्डेशन राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को भेज दी, यह भारत सरकार पर डिपेन्ड करेगा, भारत सरकार उसको मानती है या नहीं मानती है, लेकिन जहां तक राजस्थान सरकार का संबंध था, उसने ईमानदारी से यह रिकमन्ड किया है, चालीस पर्सेन्ट आर० ए० एस० में से प्रमोशन होने चाहिए। तो हमने अपनी ओर से जो यहां पर मुद्दे उठे हैं, उनसे हम पीछे नहीं रहे हैं।

इसी तरह विजिलेंस कमीशन को वाइवल के तरीके पर कोट किया गया और खास तौर से जनसंघ के नेता महोदय ने कहा, जो पेराग्राफ कहे हैं, उनको रिपयट नहीं किया। है लेकिन उसके साथ दूसरे पैराग्राफ्स हैं उनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह):

"Similarly, in schedule 7 are given those matters which are under

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

consideration of the various authorities as per advice of the commission. A brief statement of such matters is given year-wise in the table belew:—

Year	No. of cases	Year	No. of cases
1964-66	22	1968-69	23
1966-67	24	1969-70	47
1967-68	37	1970-71	71
		Total:	224

श्री केदारनाथ : आब्जर्वेशन क्या है ?

श्री बरकतुल्ला खां : पैरा 64, में दोनों पिक्चर देना चाहता हूं ताकि यह गलतफहमी नहीं रहे कि हम एक तरफा पिक्चर दे रहे हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल: "During the year under review the State Government has taken many steps to dispose of the matters connected with corruption expeditiously and effectively, and this has proved great help to the Commission in doing its work. The State Government has taken action and issued orders on many of the recommendations of the Commission given in its last two reports. It will not be incorrect to say that there has been improvement in the matters connected with vigilance, though there is some avoidable delay and constant efforts are needed to remove it. For exemple generally the delay occurs in preparing the charge sheet and serving it, or in issuing the sanction for a charge sheet. However, in matters in which advice has been given by the Commission, lesser time should be taken because generally the relevant records and the advice of the Commission are already available, and it should be easier to prepare the allegations in such matters. The Commission tries to make its advice self-contained and self-explanatory so that further action becomes easier."

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मैंने अभी हाउस में निवेदन किया था लोकायुक्त के संबंध में, मैंने उसके बाद ही गवर्नर साहब को खत लिखा, जिसकी कापी आपकी सेवा में भेज दी है। उस खत में लिखा है, गवर्नर महोदय को, मेरे खिलाफ करप्शन का कोई केस आये तो कृपया करके वह प्रेसीडेंट के पास सीधा भिजवा दें ताकि वह इन्क्वायरी कर लें। मैंने वह खत आपकी सेवा में भेज दिया है। जो माननीय सदस्य पढ़ना चाहें, वह पढ़ लें। इसमें छिपाने वाली बात नहीं है। मैंने भेज दिया है। मैं केवल यह सूचना देना चाहता था।

जहां यह सवाल आता है कि सर्विसेज हावी हो रही हैं, तो सर्विसेज हावी कहां हो रही हैं ? एक हवा बनती है। कोई कान्क्रीट केस आयेगा तो यकीनी तौर पर डील करूंगा। गवर्नमेन्ट ने सक्यूलर निकाला है कि पीपुल रिप्रेजेंटेटिव और खास करके माननीय सदस्य

(श्री बरकतुल्ला खां)
सदन के जब जायं तो ह्यू कर्टसी दिखाई जाय, ह्यू कर्टसी दिखाने के बाद उनकी बात में तत्व नहीं है तो उनको जवाब दे दिया जाय। और यदि मीटिंग में बिजी है, जिसमें से नहीं निकल सकते तो पर्ची के ऊपर समय लिख दिया जाय। मेरे पास कोई कान्क्रीट केस भेजिएगा, मैं उसे डील करूंगा और उसे हाइएस्ट प्रायोरिटी दूंगा।

मेरे ऊपर यहां पर चार्ज लगाया है, मेरे दोस्त ने लगाया है कि मैं मिलता नहीं हूं। मेरे पास भी चौबीस घण्टे हैं, सबके पास में चौबीस घण्टे हैं। मैं माननीय सदस्यों को बता दूं, तीन से साढ़े चार -डेढ़ घण्टे रोज दफ्तर में आपकी सेवा में मिलूंगा क्योंकि वहां कागज होते हैं और वह जानकारी कर लूंगा। सुबह के वक्त आम लोगों से मिलता हूं, एम० एल० ए० साहबान आ जाते हैं तो दूसरों से नहीं मिल सकता। इसलिए मिलने में न मुझे गुरेज है, न मिलने से झिझकता हूं। मैं उन लोगों में रहा हूं, जो बहुत ज्यादा सोशल हैं, आज भी हूं। न पर्दे में रहने का पहले आदी था, न आज आदी हूं। लेकिन यह जरूर है, अपना काम अटेण्ड करता हूं, लोगों से मिलता हूं, किसी से आज नहीं मिल सकता तो कल मिलता हूं। कल नहीं मिल सकता हूं तो कह देता हूं, फिर परसों मिल लेता हूं। माननीय सदस्य वाकिफ हैं, जरूरत पड़ी है तो रात के 11 बजे मिला हूं। जरूरत के वक्त नहीं मिला हूं-ऐसी बात नहीं है। मिला हूं लेकिन कई दफा मजबूरी होती है।

यहां लिंगुइस्टिक माइनोरिटीज का जिक्र आया-सिंधी है, उर्दू, गुजराती व पंजाबी। जो सुझाव आया मैं उसका स्वागत करता हूं कि जो लोग इनको रिप्रेजेन्ट कर रहे हैं, बहुत सी जगह अलग अलग रिप्रेजेन्टेटिव बोडीज बनी हुई हैं उनके साथ गवर्नमेन्ट का कुछ एटीट्यूड होना चाहिए और जरूरी है कि जो वायदा हमने किया है, पूरा करना है लेकिन लिंगुइस्टिक माइनोरिटीज को पूरा प्रोटेक्शन देना है, हम देना चाहते हैं, इसलिए जो सुझाव दिए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उन लोगों की एक कमेटी बनाकर उसके द्वारा जो उनकी समस्यायें हैं, उनको साल्व करने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि लिंगुइस्टिक माइनोरिटीज जिनको राजस्थान में हमने एक्सेप्ट किया है, उनको हमारे खिलाफ शिकायत नहीं होनी चाहिए और जो हमारे देश की नीतियां हैं उनसे हमें नहीं हटना चाहिए। इसी तरह की बहुत सी बातें आई....

श्री केदारनाथ : सी० आर०।

श्री बरकतुल्ला खां : सी० आर० के बारे में एक कमेटी बैठी। उसने कहा सी० आर० के आंकने के लिए एक आधार होना चाहिए। वह व्यक्ति का काम होना चाहिए और वह कमेटी की रिपोर्ट कैबीनेट के सामने पड़ी है। कैबीनेट फेमिन की वजह से उस पर एक्शन नहीं ले पाई है लेकिन हम भी सोच रहे हैं कि सी० आर० इस तरीके की रहें कि जिनमें पर्सनल लाइक्स और डिस्लाइक्स न हों और मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव आॅफीसर्स कान्फ्रेंस में भी कहा था कि मत भूलिए कि अगर आपने आर्बीट्रेरी सी० आर० लिखना शुरू किया तो मेरे पास भी आपकी सी० आर० आएगी, मैं भी कभी मजबूर होकर कुछ ऐसे ही न लिख बैठूं। तो जितने ईमानदार आप रहेंगे उतना ईमानदार मैं रहूंगा, आपने बेईमानी से लिखी तो मैं आपकी सी० आर० में पाइंट आउट करूंगा। यह मैंने वहां कहा कि पर्सनल लाइक्स

(श्री बरकतुल्ला खां)

और डिस्लाइक्स नहीं होने चाहिये। पर्सनल लाइक्स और डिस्लाइक्स से ऊपर उठना पड़ेगा। जो आदमी काम कर रहा है उसकी सराहना करनी पड़ेगी लेकिन कोई आदमी झगड़ा करता है, बलवा करता है, फिसाद करवाता है, वह उसकी सी० आर० में आना चाहिए और इस तरीके से सी० आर० में एक आधार बनाना चाहिए। हर आदमी सब्जैक्टिव हो जाता है। मैं नहीं कहता सारे अधिकारी बिल्कुल सब्जैक्टिव नहीं हैं..

श्री केदारनाथ : विमूजिकल न हों।

श्री बरकतुल्ला खां : विमूजिकल को तो रोकना चाहते हैं उनके लिए ही मैंने कान्फ्रेन्स में कहा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, उनको कान्फ्रेन्स में कहा, इसलिए मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं यह जो ग्रीवेन्सेज का डिपार्टमेन्ट खोला है कोई नाम मात्र के लिए नहीं खोला है। माननीय सदस्यों को धोखा देने के लिए नहीं खोला है, हम बराबर एक्शन लेते जा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी जुलाई, 1971 से लेकर जुलाई, 1972 तक 20,676 शिकायतें आई और उनमें से 10,934 शिकायतें एटेंड करके डिस्पोज आफ की गई। तो मैं समझता हूं कि जहां इतनी बड़ी संख्या हो, वहां 20 हजार में से 10 हजार डिस्पोज आफ की हैं तो काफी बैक लोग निकला है और यह फिगर कम्पलीट कमिश्नर का भी है और मेरा पर्सनल भी है। उसके बाद भी कन्टीन्यूअसली परस्यू कर रहे हैं, जहां से समय पर जवाब नहीं आ रहे हैं उनसे समय पर जवाब आए। अगर नहीं आए तो चाहे हेड आफ डिपार्टमेन्ट हो चाहे कोई हो उनकी सी० आर० पर कुछ न कुछ लिखूंगा। इसलिए लिखूंगा कि लोगों की शिकायतों को हम प्राइमरी इम्पार्टेन्स देते हैं और देनी चाहिए और उस इम्पोर्टेन्स को देने के साथ साथ पेन्शन के केसेज में भी हमारी परफार्मेन्स कमजोर नहीं रही। पहले पेन्शनर रिटायर होने के बाद परेशान होकर फिरता था। 1083 पेन्शनर्स के केसेज तय करवाए, स्पेशल आफिसर्स लगवाए, सब कुछ किया और बराबर परस्यू कर रहे हैं कि जो पेन्शन का केस हो, कोई ज्यादती का केस हो, उसको बराबर परस्यू करते चले गए।

आपको जानकर खुशी होगी कि 15,300 कर्मचारियों को कन्फर्म किया है। मैं इसके लिए सर्विसेज को बधाई देता हूं। जहां उनका क्रिटिसिज्म भी होता है, वहां मैं बधाई भी देता हूं, उन्होंने इस चीज के अन्दर कोशिश करके रात दिन कन्फर्मेशन का काम किया और कन्फर्मेशन के काम के अन्दर जो उन्होंने रिजल्ट्स अचीव किए हैं काफी काबिले तारीफ हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती।

जैसा मैंने पहले निवेदन किया और दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राजाओं और नवाबों से कोई एनायन्स नहीं, कोई दोस्ती नहीं। जो हमारी मदद करना चाहता है उसका हम स्वागत करते हैं। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं। अभी मैं मिनिस्टर आफ स्टेट फार होम एफेयर्स से निवेदन करूंगा कि वह पढ़ें और वह बताएगी और आप भी सुनेंगे जो सवाल हमने पोज किए हैं, क्योंकि यह सारा मामला भारत सरकार से संबंधित है और ये जो कोविनेन्ट्स साइन हुए थे वे भारत सरकार व रियासतों के जो उस जमाने में राजा, नवाब थे उनके बीच में हुए थे, राज्य सरकार बीच में नहीं थी और वे जस्टीशियेबुल नहीं हैं इसलिए जो भी इन्टरप्रेटेशन भारत सरकार का आया

(श्री बरकतुल्ला खां) है, जो उसके एटर्नी जनरल से ओपीनियन ली है। उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया है, उसके लिए मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट से निवेदन करूंगा कि जो भी सवाल हमने पोज किए हैं, पढ़ दें।

श्रीमती कमला बेनीवाल :

The issues raised in our letters and the replies received from the Government of India are summarised as follows :

1. Issue raised

All the properties whether ancestral or personal were enjoyed by the rulers as rulers. With the de-recognition of the rulers, it is to be inferred that all the properties revert to the States ?

Answer—

Convenants were agreement between sovereign powers through which all properties of the erstwhile States were divided into two categories—"Private Properties" and the "State Properties". After the Government of India recognised some of these properties as their private properties, the former rulers became owners of such properties. The Constitution (26th Amendment) Act, 1971 does not effect the private properties and these would continue to remain with them.

2. Issue raised

Whether the ex-rulers can now transfer family or ancestral properties for which there were restrictions on sale. If not, whether the Government of India or the State Government can enforce such restrictions on sale. If the answer is in affirmative, what would dbe the forum of decision and enforcement as covenants are nonjusticiable. Specific case of Rambagh described as family property was referred.

Answer—

Restrictions as regarding in alienations are not operative now because the conditions or restrictions on sale were on the Rulers only. Now the rulers have ceased to be the rulers and therefore, the restrictions are not applicable to them. The condition regarding inalienability has become meaningless and has, therefore, to be ignored. The opinion of the Attorney General of India taken in a similar case also supports this view.

This applied to the specific case of Rambagh also. The Government of India also observed that in such family properties, it is for the successors or heirs to challenge the sale or transfer of such properties.

3. Issue raised

Whether the State Government

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

or the Government of India can enforce the other restrictions such as creation of National Trust for the pieces of art etc. now or not.

Answer—

There is no Act to deal with the National Trust. The Maharaja of Jaipur had created an irrevocable Public Trust for the art pieces of city palace, Jaipur. Such Trust satisfies the condition regarding creation of National Trust laid down in the Inventory. However, if the State Government has any apprehension of misuse of the art pieces of the Trust the State Government could act under the State Trust laws.

4. Issue raised

Whether the continuous use by the Government of the property though belonging to the ruler will not be affected even now.

This was in respect of the Assembly building etc. which belong to the ruler of Jaipur and are presently with the State Government.

Answer—

Regarding properties which have been declared as private properties of the former rulers and which are in continuous use of the State Government in accordance with the decision taken at the time of private properties settlement, the State Government need not necessarily hand over these properties to the former rulers. If need be, State Government may consider acquiring these properties. Such acquisition be for public purposes.

This would apply to Town Hall, i. e. Assembly building, Rajendra Hazari Guards, i. e. Police Headquarters building etc.

5. Issue raised

Whether the ex-rulers can be required to hand over back the property belonging to the State but which has been with them for use only for the last many years.

Answer—

The State Government would be entitled to get back the properties which were declared as State properties but were allowed to be used by the rulers for household. Five State Bungalows are with the rulers. They have been moved to hand over these bungalows back.

6. Issue raised

What is the impact of the amendment on the movable property ? Specific opinion regarding property of the ex-rulers which is in the possession of the State Government for all these years may be helpful.

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

The case in point is the regalia of Alwar, Bharatpur and Karauli States.

Answer—

The opinion at point No. 1 apply to the movable properties also. For the regalia of Alwar, Bharatpur and Karauli, action has already been taken. The State Government could get these back. (Action has already been initiated to get those back).

7. **Issue raised**

Whether the shikar and fishing rights would continue now ?

Answer—

It was open to the State Government to withdraw these privileges. (This has already been done).

श्री केदारनाथ : मैंने जो लेटर दिया था उसके बारे में आपने नहीं कहा ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपका जो लेटर आया था उसमें राजस्थान पत्रिका के सात सितम्बर को जो श्री सुन्दरलाल खुराना मुख्य सचिव का जो स्टेटमेन्ट छपा उसके बारे में । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका के सात सितम्बर को जो समाचार छपे हैं उसका मुख्य शीर्षक है राज्य प्रशासन में अब पहले की भांति राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं : खुराना। इसमें लिखा है अजमेर 7 सितम्बर राजस्थान के मुख्य सचिव सुन्दरलाल खुराना ने यह कहा कि अब प्रशासन में पहले की भांति राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं रहा है, और अधिकारियों को अपना काम आजादी से करने का अवसर प्राप्त है । आपने कहा कि राज्य सरकार की नीति को ईमानदारी और कुशलता से क्रियान्वित करने का भारी दायित्व प्रशासनिक अधिकारियों पर आ गया है ।

खुराना यहां जिला स्तरीय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे । आपने कहा कि प्रशासन की शुद्धि के लिए आवश्यक है कि नागरिकों को पुलिस थाना और तहसील पर तत्काल राहत दिलाने की व्यवस्था की जाय । उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की कि वे निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की भावनाओं को समुचित आदर देते हुए राज्य और जनता के हित में उचित निर्णय लेने में कोई संकोच न करें ।

इस अवसर पर जन अभियोग निराकरण विभाग के आयुक्त शेरसिंह ने कहा कि जिला अधिकारी अपने दौरे के समय जिलावासियों की शिकायत को सुनें और उनका निराकरण करने के लिए तत्परता से कदम उठायें । जिलाधीश राजीव लोचन मिश्रा ने खुराना व शेरसिंह का स्वागत किया । पुलिस अधीक्षक बैंजल ने धन्यवाद ज्ञापन किया । बस यह है ।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि अब राजाओं और नवाबों के वे प्रिविलेजेज नहीं रहे । अब वे पहले वाले नहीं हैं एक साधारण नागरिक की तरह ही हैं । उपरोक्त में आपको, जो प्रश्न हमने हमारी अक्ल से जो भी हम बना कर भेज सकते थे वह फ्रेम करके भेज हैं, अगर कोई गलती मिलती हो तो आप बतायें या आप कोई और प्रश्न फ्रेम करके भेजना चाहें, वह आप हमें बतलाना चाहें तो

[श्री बरकतुल्ला खां]

बता दें हम उसी प्रकार उनको भारत सरकार को भेज देंगे। हमने जो प्रश्न भेजे थे उसका उत्तर उन्होंने जो दिया वह सब उन्होंने अपने ही हिसाब से दिया क्योंकि ओरीजनली हम उसमें पार्टी नहीं थे क्योंकि कोवनेन्ट के बीच में और भारत सरकार के बीच में का ट्रेक्ट हुआ था।

श्री केदार नाथ : इसे आप हाउस की टेबल पर रखवा दें।

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने पढ़ दिया है हाउस में उसे ही मान लीजिए।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : It has become the property of the house.

श्री परसराम मदेरणा : जो भी पढ़ा है वह प्रोसीडिंग्ज में आ गया है। This is a part of the proceedings now.

श्री केदारनाथ : वह बिल्कुल ठीक हो गया।

श्री बरकतुल्ला खां : इसी तरह से यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि एक दो केसेज में मैंने एक्शन नहीं लिया। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक तो यहां पर एस० पी० थे उनके बारे में कहा गया। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें छः महीने तक सस्पेन्ड रखा और उसके बाद में उनको बहाल कर दिया। लेकिन मैंने उनके खिलाफ जो इन्क्वायरी चल रही थी उसे बन्द नहीं किया है। वह अभी भी जारी है। उनको मैंने कहीं दूसरे जिले में पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट बना कर नहीं भेजा है उन्हें जहां तक मेरी जानकारी है आर० ए०सी० में कहीं लगाया है। और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर उनके खिलाफ में इन्क्वायरी में कुछ भी पाया गया तो उन्हें सजा दी जायेगी। इसके अलावा यहां पर एक एडीशनल डी० डी० ओ० के बारे में भी कहा गया था उसके बारे में भी आपसे निवेदन कर दूं कि गंगानगर के डी० डी०ओ० के खिलाफ इन्क्वायरी मैं करा रहा हूं पहले इन्क्वायरी आफिसर को नियुक्त किया उसके बाद मैंने दूसरा अच्छा आफिसर जिस पर मुझे भरोसा था उसे इन्क्वायरी करने भेजा। इसमें मेरा कोई मेलाफाइड इन्टेन्शन नहीं था। लेकिन अगर आपको उस पर शुबा हो और आप कहें तो मैं किसी तीसरे इन्क्वायरी आफिसर को भेज सकता हूं जिस पर भी माननीय सदस्यों को भरोसा हो वे बता दें मैं उसे भेज दूं। मुझे भेजने में कोई ऐतराज नहीं है। इसके अलावा एक बात यहां पर श्री मोहिन्द्र सिंह के बारे में कही गई, उनके बारे में ऐतराज उठाया गया यहां सदन में काफी चर्चा हुई उसको मैं क्लीयर करना चाहता हूं। उनके बारे में ए० जी० ने आब्जेक्शन उठाया था वे फोरन (Foreign) अपनी आंख का इलाज कराने गये थे क्योंकि उनकी आंख खराब होने का खतरा था····

श्री केदारनाथ : अच्छा हुआ हम बिरादरी नहीं हुआ।

श्री बरकतुल्ला खां : उनकी आंख के इलाज के लिए 20 हजार रुपये का प्रावधान हुआ। उन्हें कोई विशेष कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया वो अपनी पत्नी को साथ ले गये थे रूल्स में ऐसा प्रावधान है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : Whether he informed the Govern.

(श्री रामचन्द्र अग्रवाल)

ment that he is taking his wife as a companion and whether it was with the prior approval of the Government.

श्री बरकतुल्ला खां : रूल्स में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को साथ ले जाना चाहा वे उन्हें साथ ले गए। इसमें धर्मपत्नी का स्पेसिफिकली नहीं लिखा है लेकिन ले जा सकते हैं। किसी को भी ले जा सकते हैं।

श्री केदारनाथ : ले जाना चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खां : लेकिन जो पैसा उन्होंने ज्यादा उठाया था वह उन्होंने जमा करा दिया। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं की गई है। मैं सदन को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जो भी कदम उठाये हैं वह बहुत ही ईमानदारी और सोच-समझ कर उठाये हैं और जिस रोज यह मालूम हो जायेगा कि मेरे कदम गलत हैं उस दिन मेरी पार्टी को विद्रोह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं खुद ही छोड़कर चला जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के जो 141 सदस्य हैं उनको विश्वास में लेकर काम करने की कोशिश करता हूं। और मुझे विश्वास है कि मेरे साथ मेरी पार्टी के 144 सदस्यों की ताकत मेरे साथ है। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरे यहां मेरी पार्टी के अन्दर विद्रोह की बात करते हैं उनके लिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें चाहिए कि वे अपनी पार्टी के सदस्यों को संभालें। कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं उनके चार में से तीन सदस्य ही हमारे साथ न आ मिलें और वो अकेले ही रह जायें।

श्री केदारनाथ : अब तो हम सरवाईवल की लड़ाई लड़ रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक मेरी पार्टी के सदस्यों का मुझ पर विश्वास है तब तक तो मैं सीट पर बना रहूंगा लेकिन जिस दिन मेरी पार्टी का मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। मुझे मालूम है कि पहले भी हमारे दल के लोगों को आपने अपने दल में शामिल करने की कोशिश करते आये हैं और अब भी कर रहे हैं लेकिन हमें मजबूर मत करो कि हम भी ऐसा ही करें। हम जब भी कोशिश करेंगे तो अपनी आत्म रक्षा के लिए करेंगे। मेरी पार्टी और मेरी गवर्नमेन्ट एक है और दोनों ही पूरी ताकत के साथ काम करती है और करते रहेंगे। हमारे पार्टी के सदस्य काफी इन्टेलीजेन्ट हैं और काफी काबिल हैं वैसे छोटे मोटे मुद्दों पर कुछ मतभेद आपस में हो सकते हैं लेकिन जो मूल मुद्दा है जिस तरफ हम जाना चाहते हैं जिस गरीबी को दूर करना और समाजवाद को लाना चाहते हैं वह सडन चेन्जेज जल्दी नहीं आने वाली है। लेकिन चेन्जेज की तरफ जा रहे हैं। उसकी तरफ रेस्पोन्सिव हैं और रेस्पोन्सिव गवर्नमेन्ट बना रहे हैं। पार्टी के प्रोग्राम को पूरा करना है। इसके लिए हम कानून लाये हैं। सीलिंग का कानून बना। यह देखा है आपने कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं।

श्री रामचन्द्र अग्रवाल : इस चेप्टर को मत छेड़ो आप नहीं तो बहुत छिड़ जायेगी।

श्री बरकतुल्ला खां : हम तैयार हैं।

(श्री बरकतुल्ला खां)

बजने में 5 मिनिट कम हों तब आप यह डिमान्ड पास कर देना ।

जिस विश्वास से हमको इसमें भिजवाया उस विश्वास को हम पूरा करेंगे और जो रास्ते में रुकावटें आ रही हैं उसको डेमोक्रेटिक तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे । सदन और पार्टी का मुझे सहयोग मिला तो सर्विसेज का भी पूरा सहयोग मिलेगा । आज वह जमाना नहीं है कि पैसे भर का फायदा करने के बाद सौ रुपये का फायदा उठाते थे । यदि कोई आफिसर, मैं निवेदन करूंगा कि किसी माननीय सदस्य के साथ डिसरेसपेक्ट करता है तो मैं उस आफिसर के खिलाफ इन्क्वायरी करके एक्शन लूंगा । यह भी होना चाहिए कि जो उनमें से सही काम कर रहे हैं उनको सही काम करने देना चाहिए । जो सही काम नहीं कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए । एक लकड़ी से सबको हांकना ठीक नहीं है । सारी सर्विसेज को कन्डेम नहीं करना है, बदनाम नहीं करना है । चोरों को चोर कहिए । ईमानदार को ईमानदार कहिए । सब चोर हैं तो वे भी समाज के ही अंग हैं । उसी समाज से निकले हैं जिसमें से आप हम निकले हैं । हम यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह से समाजवाद की ओर जा रहे हैं, शिक्षा को ले जाना चाहते हैं, गरीबी को दूर करने का प्रोग्राम है और जो प्रोग्राम हमने हाथ में लिए हैं उनको हम पूरा करके बतायेंगे । हम यह कहते हैं कि फेमीन में 31 मार्च तक 8 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा, कम नहीं । डी०पी०ए० पी० के जो प्रोग्राम हैं वह पूरी ताकत से हम पूरा करेंगे । जो परफारमेन्स हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में होगी उससे हम पीछे जाने वाले नहीं हैं । इसके रिजल्ट्स आवेंगे और आने के बाद ही आपको पता लगेगा कि राजस्थान के लोगों ने कंधा से कंधा मिला कर राजस्थान को आगे लाये । अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मांग को पारित की जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 56,15,12,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,63,32,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

Page No 239

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,04,000 रुपये तककी राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही दिनांक 26 मार्च, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 8.55 बजे सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 716 की सूची)

क्र०सं०	नाम पंचायत समिति	रिक्त स्थानों का विवरण			
		पंच (सहवृत पंचों सहित)	सरपंच	प्रधान	सह० सदस्य
1.	फतेहपुर	21	6	..	..
2.	लक्ष्मणगढ़	34	3	..	..
3.	धोद	29	8	1	..
4.	पिपराली	20	3	..	..
5.	दांतारामगढ़	36	5	..	..
6.	खण्डेला	29	2	1	..
7.	श्रीमाधोपुर	32	2	1	..
8.	नीमकाथाना	45	5	..	..
	कुल योग ..	246	34	3	..

परिशिष्ट 2

(ता० प्र० सं० 721 की सूची)

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग

संख्या :—प० 15(29)कोप।1।62 दिनांक 22 सितम्बर, 69

पंजीयक,
सहकारी समितियां,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :—निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति के विषय में अनुदेश।

महोदय,

निदेशानुसार निवेदन है कि निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित अनुदेश तत्काल से प्रभावशील माने जावें तथा तदनुसार कार्यवाही की व्यवस्था करली जावे।

(1) प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया एक व्यक्ति के लिए एक संस्था में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) यदि संबंधित संस्था अपने आर्थिक व व्यवस्था संबंधी हितों के लिए अवधि की समाप्ति से दो माह पूर्व आवेदन करे तो पंजीयक सहकारी समितियां प्रतिनियुक्ति की अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ा सकेंगे।

(3) विशेष परिस्थितियों में दो माह पूर्व आवेदन देने की शर्त को शिथिल करते हुए पंजीयक महोदय यदि संस्था द्वारा बतलाये गए विलम्ब के कारणों से संतुष्ट हो तो आवेदन स्वीकार कर सकेंगे।

(4) पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से तीन माह पूर्व संबंधित संस्था प्रतिनियुक्ति पर लगे निरीक्षक को मुक्त करने की व्यवस्था करेगी तथा पंजीयक सहकारी समितियां को सूचित कर देगी। यदि संस्था निरीक्षक को किन्हीं कारणवश अवधि की समाप्ति के बाद भी रखना चाहे तो आवेदन पत्र पंजीयक सहकारी समितियां को भेज दिया जावेगा।

(5) यदि पंजियक सहकारी समितियां, यह आवश्यक समझे कि किन्हीं कारणों से संबंधित निरीक्षक को वहां रहने दिया जाये तो वे सकारण अपना प्रस्ताव सहकारिता विभाग को प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति की तिथि से कम से कम दो माह पूर्व प्रेषित करेंगे।

(6) यदि प्रस्ताव भेजने के लिए विलम्ब हो जाये तो उसके भी कारण बतलाना आवश्यक होगा ।

(7) अवधि की समाप्ति के बाद भेजे गए प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे । ऐसी स्थिति में निरीक्षक को वापिस विभाग में लेकर पुनः प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति के लिए सहकारी विभाग को लिखना होगा ।

(8) एक बार 5 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर एक संस्था में रहे निरीक्षक को पुनः 3 वर्ष की अवधि तक बिना राज्य सरकार की पूर्वानुमति के प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जा सकेगा ।

भवदीय,

ह०

(मूलशंकर झा)

सहायक सचिव ।

परिशिष्ट 3

(ता० प्र० सं० 724 की सूची)

मानचित्र यात्री वाहन स्वामी मार्ग उदयपुर-डूंगरपुर, उदयपुर-रतनपुर,

क्रम सं०	मार्ग का नाम	नाम वाहन स्वामी	परमिट जारी किया गया जिसकी तारीख	विवरण
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर-डूंगरपुर वाया खेरवाड़ा-ऋषभदेवजी	श्री कन्हैयालाल शर्मा, उदयपुर	3-7-52	
2.	" "	श्री दुलीचन्द टांक, फतहपुर	9-10-52	
3.	" "	" "	15-6-53	
4.	" "	ग्रीन बस राजस्थान प्राइवेट लि०, उदयपुर	27-11-62	
5.	" "	" "	27-11-62	
6.	" "	" "	27-11-62	
7.	" "	" "	27-11-62	
8.	" "	नन्दा ट्रांसपोर्ट प्रा० वी. वीनन्दा, उदयपुर	8-10-52	
9.	" "	मुखी गोर्धनदास, उदयपुर	8-7-53	
10.	" "	श्री महमद हुसैन पिता सुलेमान, उदयपुर	5-4-56	
11.	" "	राजस्थान ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, स्वरूप सागर, उदयपुर	11-11-52	
12.	" "	मेसर्स जाकिर हुसैन गुलाम अब्बास, उदयपुर	19-5-53	
13.	" "	पूनमचन्द कन्यालाल टांक, उदयपुर	25-11-57	
14.	" "	उत्तम ट्रांसपोर्ट के पार्टनर्स श्री नवलसिंह, उदयपुर	21-1-58	
15.	उदयपुर-डूंगरपुर वाया खेरवाड़ा	श्री प्रभात बस सर्विस, उदयपुर	22-1-58	
16.	" "	श्री राजस्थान बस सर्विस, स्वरूप-सागर, उदयपुर	4-2-58	
17.	" "	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर	28-11-70	अस्थाई
18.	" "	" "	"	
19.	" "	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, उदयपुर	"	
20.	" "	" "	"	

1	2	3	4	5
1.	उदयपुर रतनपुर वाया बिछीवाड़ा	रिफ्यूजी ट्रांसपोर्ट सोसायटी, उदयपुर	30-11-57	
2.	,, ,,	बोम्बे ट्रांसपोर्ट कम्पनी, उदयपुर	12-12-57	
3.	,, ,,	,,	8-7-57	
4.	,, ,,	बसंतकुमार, उदयपुर	12-3-58	
5.	,, ,,	राजस्थान ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन, उदयपुर	31-8-57	
6.	,, ,,	उदयलाल भोई, उदयपुर	1-11-58	
7.	,, ,,	अरावली रोडवेज, उदयपुर	30-11-57	
8.	,, ,,	श्री कन्हैयालाल शर्मा, उदयपुर	30-8-57	
9.	,, ,,	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, उदयपुर	28-11-70	अस्थाई रूप से
10.	,, ,,	,,	,,	
11.	,, ,,	,,	,,	
12.	,, ,,	,,	,,	

मानचित्र यात्री वाहन स्वामी मार्ग डूंगरपुर-रतनपुर

1	2	3	4	5
1.	डूंगरपुर—रतनपुर वाया बिछीवाड़ा	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, उदयपुर	28-11-70	
2.	,,	,,	,,	
3.	,,	,,	,,	
4.	,,	,,	,,	
5.	,,	,,	,,	

परिशिष्ट 4

(ता० प्र० सं० 731 की सूची)

सूची उन अधिदर्शकों की जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक हो गई है तथा वर्तमान में पचायत समितियों में कार्य कर रहे हैं–

1. श्री दिनेशचन्द्र चतुर्वेदी
2. श्री जगदीश प्रसाद सिरोलिया
3. श्री रमेशचन्द्र शर्मा
4. श्री आर० एन० शर्मा
5. श्री शिवरतन सिंह
6. श्री हरिकिशन सवरानी
7. श्री रघुनाथ शर्मा
8. श्री विश्वनाथ
9. श्री श्याम सुन्दर मदान
10. श्री आर० ए० हिन्गोरानी
11. श्री दुर्गाशंकर शर्मा
12. श्री जी० पप्पन
13. श्री घेवर चन्द्र
14. श्री टी० के० शर्मा
15. श्री कल्याणसिंह गहलोत
16. श्री आनन्द प्रकाश गुप्ता
17. श्री भगवती पारासर
18. श्री विपिनचन्द जैन
19. श्री हरिसिंह राघव*

*नोट :—श्री राघव का स्थानान्तरण अकाल राहत कार्य रायपुर के लिए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2320–34, दिनांक 21-2-73 के द्वारा किया जा चुका है।

———

परिशिष्ट 5

(ता० प्र० सं० 735 की सूची)

(क) जिला गंगानगर की सातों तहसीलों में जिनमें कि भू-प्रबन्ध कार्य चालू है, में दिनांक 5-1-70 से 20-2-73 तक कुल 28950 नामान्तरकरण के मामले दाखिल हुए थे जिनमे से 27929 नामान्तरकरण के मामले फैसल किए जा चुके हैं। केवल 1021 मामले विचाराधीन हैं क्योंकि नहरी क्षेत्र मे राज्य सरकार से बयनामा, बख्शीसनामा आदि पर रोक लगा रखी थी।

(ख) शेष तहसीलों में जहां भू-प्रबन्ध कार्य चालू नहीं है, यानी तहसील रायसिंहनगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, टिबी, सूरतगढ़ में कुल 617 मामले तय करने शेष हैं।

(ग) जिला गंगानगर में पड़ने वाले राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में कुल 346 इन्तकाल के मामले बकाया हैं, धारा 15-ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की वैधता उच्च, न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण 8 वर्ष से लेकर अब तक के हैं। इस बिन्दु पर निर्णय दिनांक 20-1-73 को होकर धारा 15-ए को वैध मान लिया है। अतः बकाया इन्तकालों का निर्णय शीघ्र हो जायेगा।

परिशिष्ट 6

(स्थगित प्रश्न संख्या 446 की सूची)

जिलेवार सूची

(क्षेत्रफल एकड़ों में)

क्र०सं०	नाम जिला	काश्त योग्य भूमि	खातेदार	गैर खातेदार	अन्य	योग	काश्त योग्य सरकारी कब्जे में भूमि	भूमिहीनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	1531024	189477	19560	..	209037	58903	3762
2.	अलवर	1347355	219946	66118	..	286064	5676	36559
3.	बांसवाड़ा	18138	98535	23979	..	122514	18138	15174
4.	बाड़मेर	5913335	127559	9406	..	136965	279471	6924
5.	भरतपुर	1290268	227595	35130	14024	276749	73498	44052
6.	भीलवाड़ा	1682057	274799	572	..	275371	कोई भूमि शेष नहीं रही है।	30000
7.	बीकानेर	6467558	36348	40298	..	76646	1135295	7704
8.	बूंदी	155882	49925	21993	..	71918	58109	7768
9.	चित्तौडगढ़	1642972	168652	39492	..	208144	3413	19790
10.	चूरू	4195883	99404	9341	64473	173218	5659	9371
11.	डूंगरपुर	52780	101696	22500	..	124196	26057	27749
12.	गंगानगर	4684383	124812	78052	..	202864	81121	69818

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	जयपुर	2495388	255622	40204	..	295826	97813	37637
14.	जैसलमेर	4996624	13352	7388	..	20740	3109371	961
15.	जालोर	510564	82361	11765	..	94126	14149	3443
16.	झालावाड़	69469	108623	13043	..	121666	4565	9404
17.	झुन्झुनू	1151850	141252	7209	..	148461	274	8963
18.	जोधपुर	4731512	137313	8854	..	146167	38159	10359
19.	कोटा	1272387	213765	41689	..	255454	14782	17544
20.	नागौर	692333	170173	4348	..	174521	8627	6746
21.	पाली	204655	159619	215743	..	375362	11035	4783
22.	सवाई माधोपुर	1395720	85528	6958	..	92486	20924	16228
23.	सीकर	1009851	102142	3008	..	105150	3415	37514
24.	सिरोही	596397	59668	11194	3968	74830	24805	5960
25.	टोंक	984085	103242	21838	..	125080	24161	8716
26.	उदयपुर	1694172	319248	27062	..	346330	42036	40455
	योग ..	50786652	3670656	786764	82465	4539885	5159456	487384

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 367 की सूची)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

Statement showing the position of electrification of Scheduled castes/Scheduled tribes and Harijan Basties in Ajmer District during 1971-72.

S. No	Name of village	Name of the basti	Dt. of electrification.
1	2	3	4
1.	Ajmer	Adrash Nagar	71–72
2.	--do--	Pahar Ganj	-do-
3.	-do-	Tramway Sub-station	-do-
4.	-do-	Ram Nagar	-do-
5.	--do--	Ram Gunj	-do-
6.	-do-	Bhagwan Gunj	-do-
7.	-do-	Longia	-do-
8.	-do-	Christian Gunj	-do-
9.	Beawar	Kanjar Basti Chooni	31-8-71
10.	--do--	Jatai Basti	30-9-71
11.	-do-	Regar Basti	16-10-71
12.	-do-	Harijan Basti, Girjagar	26-11-71
13.	-do-	Radaspura	7-2-72
14.	-do-	Shahpura Mohalla	12-3-72
15.	-do-	Regron Chota bas	12-3-72
16.	-do-	Gopal ji Mohalla	16-3-72
17.	-do-	Regar Mohalla Mewari gate	12-3-72
18.	Bijainagar	Harijan basti	18-3-72
19.	Bhinai	-do-	18-1-72
20.	Jamola	-do-	18-1-72
21.	Niyara	-do-	18-1-72
22.	Deolikalan	-do-	17-3-72
23.	Bandanwara	-do-	20-1-72
24.	Jalia	-do-	2-2-72
25.	Barel	-do-	2-2-72
26.	Ekalsinga	-do-	3-2-72

1	2	3	4
27.	Shikrani	Harijan Basti	20-3-72
28.	Badi	-do-	25-3-72
29.	Sathana	-do-	25-3-72
30.	Fatehgarh	-do-	18-1-72
31.	Lasadia	-do-	18-1-72
32.	Tanoti	-do-	18-1-72
33.	Kishangarh	W. No. 4,8,10 & 12	31-1-72
34.	Sursera	Harijan Basti	31-12-72
35.	Radawata	-do-	31-1-72
36.	Roopangarh	-do-	31-1-72
37.	Sanwatsar	-do-	8-2-72
38.	Srinagar	-do-	3-2-72
39.	Gangwana	-do-	17-1-72
40.	Kalyanpura	-do-	5-3-72
41.	Chitri	-do-	7-1-72
42.	Kekri	-do- Junia Gate	71-72
43.	-do-	Khaspura Mohalla	-do-
44.	-do-	Balayan Mohalla	-do-
45.	-do-	Regar Mohalla, Bheru Gate	-do-
46.	-do-	Nayakan Mohalla	-do-
47.	-do-	Raghunathpura W. No. 9	-do-
48.	-do-	H.B. Gujarwada	-do-
49.	-do-	Gopalpura	-do-
50.	-do-	Raghunathpura Koliyana	-do-
51.	-do-	Khatik Basti	-do-
52.	-do-	Regar Mohalla	-do-
53.	-do-	Bheru Gate	-do-
54.	-do-	Galiya Nayakan & Balai	-do-
55.	-do-	Gujarwada, Dhobi Nayakan & Balai Mohalla	-do-
56.	-do-	H. B. Surajpole	-do-
57.	-do-	Sansi Basti, Devgaon gate	-do-
58.	-do-	Gali Nayaki, Meer gate	-do-

परिशिष्ट 8

(प्र० ता० प्र० सं० 372 की सूची)

दिनांक 1-1-60 से 25-3-72 तक की, की गई नियुक्तियों की सूची।

क्र०सं०	नाम	जाति	दिनांक नियुक्ति	अ० जाति / अनु०जाति
1	2	3	4	5
	कनिष्ठ लिपिक			
1.	श्री मोतीसिंह	शेखावत	2-7-64	नहीं।
2.	श्री भंवर सिंह	राठौड़	31-3-65	नहीं
3.	श्री केसर देव	ब्राह्मण	7-7-65	नहीं
4.	श्री किशोरसिंह	शेखावत	1-4-67 (एन०सी०सी०) 22-10-67 (मेडीकल में)	नहीं
5.	श्री अब्दुल सत्तार	मुस्लिम	25-12-68	नहीं
6.	श्री गोतम लाल	ब्राह्मण	1-1-69	नहीं
7.	श्री चिरंजी लाल	ब्राह्मण	30-9-70	नहीं
8.	श्री प्यारे लाल	भार्गव	1-10-70	नहीं
9.	श्री शुभ करण सिंह	चारण	8-3-72	नहीं
10.	श्री गुरदास मल	पंजाबी	स्थानान्तरण हो चुका है।	नहीं
11.	श्री जीवराजसिंह	शेखावत	"	नहीं
12.	श्री घुटेरीलाल	मीणा	"	अनु०जाति के हैं।

	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी			नियुक्ति स्थान
1.	श्री मक्खन लाल	स्वीपर	5-10-60	सीकर
2.	श्री कुडी लाल	"	16-10-60	खीरोड
3.	श्री बाबूलाल	"	25-1-61	उदामण्डी
4.	श्री अणतुराम	"	22-2-61	लछमणगढ़
5.	श्री हीरा लाल	बलाई	7-4-61	देवराला
6.	श्री जोधराम	"	4-5-61	गुहाला
7.	श्री सुजो राम	"	4-9-61	पाटन
8.	श्री किशन लाल	स्वीपर	4-10-61	रामगढ़

Page No 252

1	2	3	4	5
				नियुक्ति स्थान
9.	श्री रामजी लाल	स्वीपर	4-10-61	पाटन
10.	श्री धन्नाराम	"	23-10-61	नवलगढ़
11.	श्री छोटू	"	28-11-61	रींगस
12.	श्री गीता	"	28-11-61	रींगस
13.	श्री गिरधारी	"	24-10-61	जसरापुर
14.	श्री हनुमान	"	3-1-62	खाटू श्यामजी
15.	श्रीमती सरबती	धानका	1-4-62	सुल्ताना
16.	श्री बोदूराम	स्वीपर	21-5-62	दांता रामगढ़
17.	श्री बसन्ती लाल	"	14-7-62	छापोली
18.	श्री बोदूराम	"	28-7-62	काछोर
19.	श्री मूलचन्द	"	17-1-63	कूदन
20.	श्री कानाराम	बलाई	4-1-64	देवराला
21.	श्री प्रहलाद	मीणा	25-5-64	उदयपुरवाटी
22.	श्री मुन्नाराम	बलाई	28-5-64	पलसाना
23.	श्री सीताराम	स्वीपर	23-7-64	काछोर
24.	श्री मोहनलाल	"	27-7-64	दांतारामगढ़
25.	श्री दुर्गाराम	"	1-9-64	कांवट
26.	श्री रामेश्वर	"	1-9-64	सुल्ताना
27.	श्री द्वारका	"	22-11-64	अरडावता
28.	श्री सुखराम	"	18-5-64	खेतड़ी
29.	श्री गुमानाराम	बलाई	3-6-65	सीकर
30.	श्री हीरालाल	"	27-8-65	चिड़ावा
31.	श्री मुक्ताराम	मीणा	16-4-67	भादरवास
32.	श्री ग्यारसी लाल	स्वीपर	9-6-67	ताजसर
33.	श्री ग्यारसी लाल	स्वीपर	10-10-67	मुण्डरू
34.	श्री मती माली देवी	स्वीपर	14-11-67	बवाई
35.	श्री गोधू	स्वीपर	22-2-68	जजोद
36.	श्री जगदीश प्रसाद	"	30-4-68	हसमपुर
37.	श्री घासीराम	"	23-5-68	इस्लामपुर
38.	श्री रामेश्वर लाल	"	9-7-68	कूदन
39.	श्री बनवारी	"	1-1-69	रामगढ़

1	2	3	4	5
				नियुक्ति स्थान
40.	श्री घासीराम	स्वीपर	15-2-69	गुडा गोरजी
41.	श्री गिरधारी लाल	"	2-4-69	उदयपुरवाटी
42.	श्री कैलाश	"	1-9-69	नीमकाथाना
43.	श्री बनवारी लाल	मीणा	2-9-69	खीरोड़
44.	श्री जयनारायण	बलाई	21-9-70	खेतड़ी
45.	श्री तुलसीराम	स्वीपर	4-10-70	मुण्डावा
46.	श्री सुखलाल	"	4-10-70	सीकर
47.	श्री असलीचन्द	"	5-10-70	सीकर
48.	श्री भागीरथ	मांड	6-10-70	सिरोही
49.	श्री भगवानाराम	बलाई	7-10-70	नीमकाथाना
50.	श्री कालूराम	"	7-10-70	"
51.	श्री रामजीलाल	स्वीपर	7-10-70	फागलवा
52.	श्री डालूराम	"	7-10-70	जाजोद
53.	श्री नन्दलाल	बलाई	7-10-70	लछ्मणगढ़
54.	श्री मोहनलाल	बलाई	7-10-70	देवराता
55.	श्री बाबूलाल	स्वीपर	31-1-71	सूरजगढ़
56.	श्री हरीशंकर	सांसी	7-11-71	फागलवा
57.	श्री सोहनलाल	बलाई	24-11-71	खेतड़ी
58.	श्री मंगलचन्द	स्वीपर	30-11-71	सीकर
59.	श्री बिडली चन्द	बलाई	28-11-71	सीकर
60.	श्री रामजी लाल	स्वीपर	7-1-72	टटेरा
61.	श्री लिछमणराम	"	8-3-72	इस्लामपुर
62.	श्री मानाराम	बलाई	8-4-72	सीकर

परिशिष्ट 9

(अ. ता. प्र. सं. 380 की सूची)

गंग कैनाल क्षेत्र की चकवार व नहर वार सूची जो राजस्थान नहर परियोजना से सिंचित होता रहा है।

नहर का नाम 1	चक का नाम 2	रकबा एकड़ों में 3
समेजा वितरिका	18 एन. पी.	492
	19 "	444
	24 "	307
	74 "	327
	75 "	523
	76 "	496
	77 "	812
	78 "	570
	62 "	607
	टोटल :	4578
करनीजी वितरिका	3 एल.सी.ए.	529
	3 " बी.	498
	3 " ए. और बी.	990
	7 "	644
	1 "	10
	2 "	649
	12 जी. बी.ए.बी.	578
	18 "	535
	16 "	890
	19 "	70
	20 "	725
	20 जी. बी. बी.	230
	टोटल :	6548

1	2	3
एल. एन.पी. सिस्टम	79 एन.एन.पी.ए.	383
	79 "	53
	81 "	730
	82 "	479
	74 "	389
	75 "	612
	76 "	840
	77 "	523
	टोटल ..	4494
	ग्रांड टोटल ..	15620 एकड़

नोट :— करनी जी डिस्ट्रीब्यूटरी के चक 24 जी.बी., 25 जी.बी., 28 जी.बी., 31 जी.बी., 37 जी.बी., व 89 जी.बी. को भी राजस्थान नहर से पानी मिला। इन चकों के रकबों की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है।

परिशिष्ट 10

(प्र. ता. प्र. सं. 384 की सूची)

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	नाम तहसील	कुल रकबा जो वन विभाग से राजस्व विभाग में लिया गया	
		बी.	बी.
1.	बून्दी	7236	9
2.	केशवरायपाटन	1345	—
3.	हिण्डोली	11355	17
4.	नैनवा	10388	18
	कुल योग बून्दी जिला ..	24026	4

परिशिष्ट "ख"

क्र. सं.	नाम तहसील	कुल भूमि जो आंवटन की गई		कालम सं. 3 व 4 में अनु० जाति व जन जाति को आवंटन की गई भूमि	
		आंवटितियों की संख्या	भूमि जो आवंटन की गई	आंवटितियों की संख्या	भूमि जो आवंटन की गई
1	2	3	4	5	6
1.	बून्दी	303	1294	153	846
2.	केशवरायपाटन ..	—	—	—	—
3.	नैनवा	1112	3330—08	499	1557—08
4.	हिण्डोली	532	1344—16	259	806—16
	योग जिला बून्दी ..	1947	5968—24	911	3209—24

परिशिष्ट 11

(अ. ता. प्र. सं. 390 की सूची)

"सूची 'अ'

1. सी. एफ. ए. 70।70 सरकार बनाम रामनाथ
2. सी.एफ.ए. 85।70 सरकार बनाम हरचरण लाल
3. सी.एफ.ए. 86।70 सरकार बनाम नानिक चन्द
4. सी.एफ.ए. 434।70 सरकार बनाम कस्तूर चन्द
5. सी.एफ.ए. 436।70 सरकार बनाम गुलाब चन्द

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 1973)

क्रम संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
9	ऊपर से 1	मिठालाल	मीठालाल
9	ऊपर से 3	मोहलले	मोहल्लों
41	ऊपर से 1	पथांयत	पंचायत
42	ऊपर से 5	यशवर्त्तसिह	यशवन्तसिह
50	ऊपर से 9	होता होता है	होता है
64	अन्तिम से 7	श्री शकरसिंह रावत	367-श्री शंकरसिंह रावत
77	ऊपर से 2	(1)	(6)
89	ऊपर से 1	(श्री अध्यक्ष)	(श्री राजस्व मंत्री)
98	अन्तिम से 2	समें	इसमें
113	ऊपर से 3	कर्चा	चर्चा
113	ऊपर से 12	मीति	नीति
113	अन्तिम से 11	पया	रुपया
121	ऊपर से 7	दुरुरयोग	दुरुपयोग
125	ऊपर से 1	मोहवराज	मोहनराज
128	अन्तिम से 9	मांग संख्या	मांग संख्या 9
137	अन्तिम से 7	दापशंकर	दीपंकर
141	शीर्षक	मांग संख्या 15, 9 एवं 321	मांग संख्या 15, 9 एवं 32
146	अन्तिम से 13	अन्तंगत	अन्तर्गत
149	ऊपर से 1	बानर	बानसूर
151	,,	हिण्डौन में	हिण्डौन
151	,, 12	संख्वा	संख्या
171	अन्तिम से 1	शिर्षक	शीर्षक
177	शीर्षक	मांग संख्या 15, 10	मांग संख्या 15, 9
177	अन्तिम से 12	सैण्डरी	सकेण्डरी
192	,, 3	छ.तो	छाती
209	शीर्षक	एवं	एवं
225	अन्तिम से 14	के	है

1	2		3	4
356	अन्तिम से	4	( )	(धोलपुर)
356	अन्तिम से	2	0( )	ध.लपुर
362	ऊपर से	7	ये	थे
367	अतिम से	15	गौर	और
370	ऊपर से	4	अजसेर	(अजमेर पूर्व)
381	ऊपर से	1	यश.र्तसिह	यशवन्तसिह
385	ऊपर से	7	से	को
385	ऊपर से	13	फेत	फोन
387	ऊपर से	16	आस्ट्राइसिज्म	आस्ट्रेसिज्म
387	अन्तिम से	1	वायस	वायस
338	अन्तिम से	10	भावना··· –	भावना इसलिए हो रही है कि
391	ऊपर से	12	बनता	बनना
393	ऊपर से	16	स्टेच्युअरो	स्टेट्यूटरी
394	अन्तिम से	12	एक यह साल	यह एक साल
399	अन्तिम से	18	है	हो
410	अन्तिम से	4	असर्मर्थ	असमर्थ
412	अन्तिम से	17	वि.ाध्यन	विद्याध्ययन
423	अन्तिम से	13	केटारनाथ	केदारनाथ
433	अन्तिम से	14	मीट	मीटिंग
450	ऊपर से	7	चादन मल वैद	चंदन मल वैद